भागलपुर नगरीय आपदा प्रबंधन योजना 2023

भागलपुर नगर निगम

संदेश

भागलपुर नगर के लिए, नगर आपदा प्रबंधन योजना (City Disaster Management Plan) को सभी नगरवासियों के समक्ष प्रस्तुत करते हुए मुझे अपार हर्ष हो रहा है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य नगर निगम भागलपुर क्षेत्र को आपदाओं से सुरक्षित (Disaster Resilient) बनाना है। मुझे आशा है कि यह योजना निश्चित रूप से नगर प्रशासन को आपदा प्रबंधन के नियोजन तथा उसके प्रभावी क्रियान्वयन में मजबूती प्रदान करेगा।

भागलपुर नगर आपदा प्रबंधन योजना, 2022–2023 में आपदा प्रबंधन से संबंधित तथ्यों और आंकड़ों को शामिल किया गया है। इसमें नगर के भौगोलिक स्थान, प्रशासनिक विशेषताएं, संसाधन, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियाँ भी शामिल हैं। नगर आपदा प्रबंधन योजना को नगर में आपदा प्रबंधन हेतु मैनुअल और गाइड बुक के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। इस दस्तावेज के माध्यम से नगर की विशेषताएं, संसाधनों की उपलब्धता की जानकारी एवं प्रभावकारी योजनाओं के माध्यम से आपदाओं के लिए प्रभावी प्रबंधन योजना को आसानी से स्पष्ट किया जा सकता है। इसके अलावा यह योजना नगर के आपदा प्रबंधकों को बाढ़, भीषण गर्मी, शीतलहर, स्वास्थ्य संबंधी आपदा, दुर्घटना, भीड़ प्रबंधन आदि की प्रत्युत्तर के लिए उपयुक्त योजना के सफल क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने में सक्षम बनाएगी। नगरीय बाढ़, तेज़ हवा / आंधी, महामारी, गर्मी की लहर, भूकंप और इसके जोखिम जैसी प्रमुख आपदाएं इस योजना में नगर के विश्लेषण को परिभाषित करती है, जो आपातकालीन सहायता कार्यों जैसे आपदा पूर्व चेतावनी, स्वास्थ्य, बचाव, राहत आदि को बनाए रखने के लिए योजना तथा नियंत्रण कक्ष से निगरानी एवं अभ्यास के लिए उपयोगी होगा। यह योजना विभिन्न संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान कर एवं उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करते हुए नगर निगम को आपदाओं के प्रभावी प्रबंधन में सक्षम बनाती है।

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और नॉलेज लिंक्स की टीम को भागलपुर नगर निगम क्षेत्र के लिए आपदा प्रबंधन योजना तैयार करने हेतु हार्दिक शुभकामनाएं।

डॉ. योगेश कुमार सागर,
नगर आयुक्त, भागलपुर

लघुरूप

ADM	Additional District Magistrate (अपर जिला दंडाधिकारी)
BDO	Block Development Officer (प्रखंड विकास अधिकारी)
BMC	Bhagalpur Municipal Corporation (भागलपुर नगर निगम)
CBDM	Community-Based Disaster Management (समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन)
CBO	Community-Based Organizations (समुदाय आधारित संगठन)
CDMC	City Disaster Management Committee (नगर आपदा प्रबंधन समिति)
CDMP	City Disaster Management Plan (नगर आपदा प्रबंधन योजना)
DDMA	District Disaster Management Authority (जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण)
DDMP	District Disaster Management Plan (जिला आपदा प्रबंधन योजना)
DEOC	District Emergency Operations Centre (जिला आपातकालीन संचालन केंद्र)
DIO	District Informatics Officer (जिला सूचना अधिकारी)
DRR	Disaster Risk Reduction (आपदा जोखिम में कमी)
ESF	Emergency Support Function (आपातकालीन सहायता तंत्र)
ESR	Elevated Surface Reservoir (ऊंचा भूतल जलाशय)
LADS	Local Area Development Schemes (स्थानीय क्षेत्र विकास योजना)
IMD	Indian Meteorological Department (भारतीय मौसम विभाग)
IDRN	India Disaster Resource Network (भारत आपदा संसाधन नेटवर्क)
IEC	Information, Education and Communication (सूचना, शिक्षा और संचार)
IRT	Incident Response Teams (घटना प्रत्युत्तर दल)
MC	Municipal Commissioner (नगर आयुक्त)
NGO	Non-Governmental Organizations (गैरसरकारी संगठन)
PHED	Public Health Engineering Department (लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग)
PWD	Public Works Department (लोक निर्माण विभाग)
SDRF	State Disaster Response Force (राज्य आपदा मोचन बल)
SOP	Standard Operating Procedures (मानक संचालन प्रक्रियाएं)
ULB	Urban Local Bodies (स्थानीय नगर निकाय)

विषय-सूची

1. परिचय (INTRODUCTION) 11

1.1 संदर्भ (**Context**) 11

1.2 योजना का उद्देश्य (**Objective of the Plan**) 11

1.3 योजना का दायरा (**Scope**) 11

1.4 योजना विकास पद्धति (**Plan Development Methodology**) 11

1.5 नगरीय आपदा प्रबंधन योजना का कियान्वयन (**Implementation of City Disaster Management Plan**) 12

1.6 योजना मूल्यांकन (**Plan Evaluation**) 13

1.7 योजना अद्यतन (**Plan Update**) 13

2. नगर की रूपरेखा (CITY PROFILE) 14

2.1 भागलपुर नगर की अवस्थिति और प्रशासनिक प्रभाग (**Location and Administrative Divisions of Bhagalpur City**) 15

2.2 भूगोल और स्थलाकृति (**Geography and Topography**) 15

2.3 जनसांख्यिकी और सामाजिक–आर्थिक स्थिति (**Demography and Socio-Economics Situation**) 16

2.4 जलवायु और मौसम (**Climate and Weather**) 17

2.5 मूलभूत सुविधाएं (**Basic Amenities**) 18

2.6 भूमि उपयोग पैटर्न (**Land Use Pattern**) 22

2.7 नगरी विकास की प्रवृत्ति (**Urban Growth Trend**) 23

2.8 सूक्ष्म /लघु / मध्यम उद्यम / किसी भी प्रकार की औद्योगिक व्यवस्था (**Micro/ Small/ Medium Enterprises/ Any type of Industrial Set Ups**) 24

2.9 प्रमुख ऐतिहासिक, धार्मिक और पर्यटन स्थल (**Major Historical, Religious and Tourist Spots**) 24

3. आपदा सुरक्षित नगर (DISASTER RESILIENT CITY) 25

3.1 नगर को आपदाओं के प्रति सुरक्षित बनाना (**Urban Disaster Resilience**) 25

3.2 जलवायु उत्प्रेरित जोखिम **(Climate Induced Risk)** 29

3.3 पर्यावरण पर प्रभाव के आलोक में पारिस्थितिकी संरक्षण कार्य **(Ecological Conservation Work Impact on the Environment)** 29

3.4 आपदा के उपरांत पूर्व से बेहतर निर्माण **(Build Back Better)** 30

4. खतरा, जोखिम, संवेदनशीलता तथा क्षमता आकलन (HAZARD, RISK, VULNERABILITY AND CAPACITY ANALYSIS) 31

4.1 खतरा आकलन **(Hazard Assessment)** 31

4.2 संभावित प्रभाव विश्लेषण **(Potential Impact Analysis)** 40

4.3 क्षमता विश्लेषण **(Capacity Analysis)** 41

4.4 जोखिम आकलन **(Risk Assessment)** 42

4.5 सामुदायिक प्रत्युत्तर – स्थानीय परामर्श **(Community Feedback - Local Consultations)** ... 43

5. आपदा प्रबंधन के लिए संस्थागत व्यवस्था (INSTITUTIONAL ARRANGEMENTS FOR DISASTER MANAGEMENT) 44

5.1 मुख्य संस्थागत ढांचा **(Institutional Framework)** 44

5.2 जिला आपदा संचालन केन्द्र **(District Emergency Operation Center)** 47

5.3 जिला आपदा प्रबंधन योजना से इस योजना का संयोजन **(Combination of Scheme with District Disaster Management Plan)** 48

5.4 समन्वय तंत्र **(Coordination Mechanism)** 48

6. तैयारी के उपाय (PREPAREDNESS MEASURES) 50

6.1 नगर निगम की भूमिका एवं कर्तव्य **(Roles and Duties of Municipal Corporation)** 50

6.2 आपदावार भिन्न–भिन्न विभागों /संस्थाओं की पूर्व तैयारी से संबंधित दायित्व एवं कर्तव्य **(Roles and Responsibilities of Different Departments / Institutions for Disaster-Wise Preparation)** 51

6.3 आपदा जोखिम न्यूनीकरण एंव प्रबंधन की आरंभिक पहल की सूची **(List of Disaster Risk Initiatives)** 58

6.4 सामुदायिक तैयारी **(Community Preparedness)** 59

7. क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण उपाय **(CAPACITY BUILDING & TRAINING MEASURES) ... 60**

7.1 संस्थागत क्षमता निर्माण **(Institutional Capacity Building)** ... 60

7.2 सामुदायिक क्षमता निर्माण **(Community Capacity Building)** ... 60

7.3 आपदा प्रबंधन शिक्षा **(Disaster Management Education)** ... 60

7.4 प्रशिक्षित पेशेवरों और आँकड़ा प्रबंधन की सूची **(Inventory of Trained Professionals and Data Management)** ... 60

8. आपदा प्रत्युत्तर तंत्र **(RESPONSE SYSTEM) ... 61**

8.1 आपदा प्रत्युत्तर हेतु नगरी नियामक संस्था का प्रशासन तंत्र **(Administration System of Urban Regulatory Body for Disaster Response)** ... 61

8.2 नगर कन्ट्रोल रूम एवं एकीकृत कमांड कंट्रोल सेंटर **(City Control Room and Integrated Command Control Center)** ... 61

8.3 स्थानीय आपातकालीन प्रत्युत्तर स्वयंसेवक बल **(Local Emergency Response Volunteers Force)** ... 62

8.4 स्थानीय खोज और बचाव दल **(Local Search and Rescue Team)** ... 62

8.5 चिकित्सा प्रत्युत्तर **(Medical Response)** ... 62

8.6 अस्थायी आश्रय, क्वारंटाइन केन्द्र / आइसोलेशन केंद्र **(Temporary Shelter, Quarantine Centers/ Isolation Centers)** ... 63

8.7 अग्निशमन सेवाएं **(Fire Services)** ... 64

8.8 घटना प्रत्युत्तर तंत्र और मानक संचालन प्रत्युत्तर **(Incident Response System and Standard Operating Procedure)** ... 64

9. राहत, पुनर्निर्माण और पुनर्वास **(RECOVERY, RECONSTRUCTION AND REHABILITATION) ... 67**

9.1 विस्तृत क्षति और हानि का आकलन **(Detailed Damage and Loss Assessment)** ... 67

9.2 क्षतिग्रस्त इमारतों / सामाजिक बुनियादी ढांचे का पुनर्निर्माण **(Reconstruction of Damaged Buildings / Social Infrastructure)** ... 67

9.3 आधारभूत संरचनाओं का पुनर्स्थापन **(Restoration of Infrastructure)** ... 67

9.4 महत्वपूर्ण भवनों की मरम्मती **(Repair of Vital Buildings)** ... 67

9.5 जीविका का पुनर्स्थापन **(Restoration of Livelihood)** 68

9.6 अंशकालिक एवं दीर्घकालिक रिकवरी कार्यक्रम **(Short & Long term Recovery Programs)** ... 68

10. रोकथाम और शमन उपाय **(PREVENTION AND MITIGATION PLAN) 69**

10.1 शमन योजना **(Mitigation Plan)** 70

10.2.1 विकास योजनाओं में जोखिम न्यूनीकरण को एकीकृत करना **(Mainstreaming Risk Reduction in Development Schemes)** 80

10.2.2 अन्य विकास योजनाओं के साथ अभिसरण **(Convergence with Other Development Plans)** 84

10.2.3 जोखिम प्रबंधन वित्तपोषण **(Risk Management Funding)** 85

11. आपदा प्रबंधन के लिए वित्तीय संसाधन **(FINANCIAL RESOURCES FOR DISASTER MANAGEMENT) 87**

11.1 स्थानीय आपातकालीन प्रत्युत्तर कोष **(Local Emergency Response Fund)** 87

11.2 नगर आपदा शमन कोष **(City Disaster Mitigation Fund)** 87

11.3 आपदा जोखिम बीमा **(Disaster Risk Insurance)** 87

11.4 वर्तमान आय स्रोत **(Current Income Sources)** 88

11.5 संभावित आय के स्रोत **(Potential Income Sources)** 89

12. योजना मूल्यांकन और अद्यतनीकरण **(MONITORING, EVALUATION AND UPDATION OF PLAN) 90**

12.1 अभ्यास के माध्यम से निगरानी और जांच **(Monitoring and Checking through Mock Drills)** 90

12.2 योजना मूल्यांकन **(Plan Evaluation)** 90

12.3 योजना अद्यतन **(Plan Update)** 90

13. आपदा प्रत्युत्तर योजना **(DISASTER RESPONSE PLAN) 91**

A. भूकंप आपदा **(Earthquake Hazard):** 91

B. अग्नि आपदा **(Fire Hazard):** 94

C. शहरी बाढ़ **(Urban Flood):** 98

D. शहरी जल–जमाव (**Urban Water Logging**):..... 104

E. शीतलहर (**Cold Wave**):..... 108

F. लू (**Heat Wave**):..... 112

G. सड़क दुर्घटना (**Road Accident**):..... 116

H. वज्रपात **(Lightning),** ओलावृष्टि **(Hailstorm),** आंधी **(Storm):**..... 121

I .भीड़/भगदड़ प्रबंधन (**Crowd / Stampede Management**):..... 123

J. विस्फोटक आपदा **(Explosion Hazard) :**..... 126

14. अनुलग्नक (**ANNEXURE**)..... **129**

14.1 महत्वपूर्ण संपर्क नंबर **(Important Contact Numbers)**..... 129

14.2 भागलपुर वार्ड संपर्क और संसाधन सूची **(Bhagalpur Ward-Wise Resources and Contact List)**.....155

14.3 जोखिम विशिष्ट सुरक्षा युक्तियाँ और जाँच सूचियाँ **(Hazard Specific Safety Tips and Checklists)**..... 183

14.4 मानचित्र (**Maps**)..... 191

14.5 संदर्भ (**References**)..... 193

Executive Summary

1. भागलपुर नगर आपदा प्रबंधन योजना बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, भागलपुर नगर निगम और नॉलेज लिंक्स प्राइवेट लिमिटेड के त्रिपक्षीय समझौते (दिनांक 03-03-2021) के अनुसार संयुक्त प्रयास और घनिष्ठ समन्वय से तैयार किया गया है।
2. भागलपुर नगर, भागलपुर जिले का जिला मुख्यालय है। भागलपुर नगर निगम 1864 में अस्तित्व में आया। यह नगर 30.17 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और इसमें 51 वार्ड है। 2011 की जनगणना के अनुसार, नगर की कुल जनसंख्या 4,00,146 है।
3. इस योजना का मुख्य उद्देश्य स्थानीय आपदाओं के संदर्भ में है जो प्राकृतिक और मानवजनित हो सकती है। यह योजना जनसंख्या की सामाजिक और आर्थिक भेद्यता, बुनियादी ढांचे तथा पर्यावरण और नगर की संस्था और सामुदायिक क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए बहु–जोखिम आपदाओं के आलोक में पूर्व तैयारी शमन एवं प्रत्युत्तर हेतु के उद्देश्य से तैयार की गई है। बिहार DRR रोड मैप 2015–2030, के अनुसार योजना का दायरा भागलपुर नगर निगम के सभी सरकारी संस्थानों, एजेंसियों, नगरी स्थानीय निकायों, गैर सरकारी संगठनों और समुदायों पर लागू है।
4. भागलपुर पटना से 220 किमी पूर्व और कोलकाता से 410 किमी उत्तर पश्चिम में स्थित है। भौगोलिक रूप से, यह गंगा नदी के दक्षिणी जलोढ़ मैदानों पर 25°15'0" उत्तरी अक्षांश और 87°0'0" पूर्वी देशांतर पर स्थित है। भागलपुर रेल और सड़क नेटवर्क के माध्यम से देश के बाकी हिस्सों से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। NH-80 नगर से होकर गुजरता है और इसे पटना से जोड़ता है। इसके अलावा, राज्य राजमार्ग 19 और 25 प्रमुख सड़कें है। भागलपुर नगर निगम 30.17 वर्ग किमी में फैला है। नगर को 51 वार्डों में बांटा गया है। नगर का औसत जनसंख्या घनत्व 113 व्यक्ति प्रति हेक्टेयर है। भागलपुर राज्य का तीसरा सबसे बड़ा नगरीय केंद्र है।
5. योजना को 13 अध्यायों में प्रस्तुत किया गया है।
6. अध्याय 1 में, योजना संदर्भ, योजना उद्देश्य, कार्यप्रणाली, योजना क्रियान्वयन और अद्यतन प्रस्तुत करने के संबंध में प्रक्रिया को समाहित किया गया है।
7. अध्याय 2 में, सिटी प्रोफाइल, नगर के स्थान, प्रशासनिक प्रभागों, भूगोल, स्थलाकृति, जनसांख्यिकी, सामाजिक–आर्थिक प्रोफाइल, सांस्कृतिक और धार्मिक स्थानों, उद्योगों और पर्यावरण की विस्तृत तस्वीर दी गई है।
8. अध्याय 3 में, एक सुरक्षित भागलपुर नगर के निर्माण के प्रमुख तत्वों पर प्रकाश डाला गया है। आपदा प्रतिरोधी नगर के निर्माण के लिए, बिहार रोड मैप में सुरक्षित नगर के लिए दिशानिर्देशों के एक सेट को रेखांकित किया गया है। यह अध्याय लैंडफिल प्रबंधन, व्यवस्थित संग्रह, परिवहन और ई–अपशिष्ट, अस्पताल के कचरे, प्लास्टिक कचरे इत्यादि के सुरक्षित निपटान से संबंधित मुद्दों और चुनौतियों का विवरण एवं विस्तार है।
9. अध्याय 4 में, आपदा के खतरों, उनकी भेद्यता एवं जोखिम का मूल्यांकन है और इसमें भागलपुर नगर के सभी स्थानीय खतरों और भेद्यता को शामिल किया गया है। प्राकृतिक और मानवजनित

दोनों तरह के खतरों की पहचान वार्ड–वार की गई है, साथ ही वार्ड आवासों की मौजूदा भेद्यताओं के साथ–साथ आबादी, घरों और सामाजिक बुनियादी ढांचे को भी शामिल किया गया है। विश्लेषण में विभिन्न वार्डों पर प्रत्येक खतरे के संभावित प्रभाव को भी शामिल किया गया है।

10. अध्याय 5 में, आपदा प्रबंधन संस्थागत व्यवस्था, हितधारकों की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को स्पष्ट किया गया है। यह अध्याय विशेष रूप से नगर निगम नियंत्रण कक्ष, संचार और पूर्व चेतावनी बुनियादी ढांचे, BSDRN, NDRF, SDRF और नागरिक सुरक्षा के साथ समन्वय को मजबूत करने से संबंधित है। DDMA, DEOC, NGO / CBO और शैक्षणिक और स्थानीय धार्मिक संस्थानों के साथ समन्वय को मजबूत करने से संबंधित है।

11. अध्याय 6 में तैयारी के उपाय हैं, जो विभिन्न सरकारी संस्थानों की जोखिम, विशिष्ट भूमिकाओं और जिम्मेदारियों से संबंधित है। BSDMA के दिशानिर्देशों के अनुसार सड़क सुरक्षा, अग्नि सुरक्षा और स्कूल सुरक्षा, औद्योगिक सुरक्षा और नगर निगम की तैयारियों के उपायों पर भी चर्चा की गई है।

12. अध्याय 7 में संस्थानों और समुदायों की क्षमता में वृद्धि और आपदा की स्थिति से पहले प्रशिक्षण के महत्व को समाहित किया गया है। सामुदायिक जागरूकता, आपदा शिक्षा, अभिविन्यास, जागरूकता, सरकारी अधिकारियों, वार्ड परामर्शदाताओं, गैर सरकारी संगठनों, विद्यालय और कॉलेज के छात्रों, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और गृह रक्षक और नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों के समन्वित भूमिकाओं का समावेश है। यहाँ प्रशिक्षित व्यक्तियों के संसाधन सूची और उपकरणों के निरंतर अद्यतन को भी रेखांकित किया गया है।

13. अध्याय 8 में आपदा प्रत्युत्तर तन्त्र, नगर स्तर पर आपदा निवारण की संस्थागत व्यवस्था, नगर नियंत्रण कक्ष, जिला और नगर प्रशासन के बीच समन्वय, आपातकालीन स्थिति एवं संसाधनों से संबंधित है।

14. अध्याय 9 में क्षति और हानि का आकलन, बुनियादी सामाजिक और सामुदायिक बुनियादी ढांचे के पुनर्निर्माण एवं पुनर्वास, जीवन रेखा संरचनाओं और आजीविका जैसे पहलुओं को शामिल किया गया है। लघु और दीर्घकालिक पुनर्वास कार्यक्रमों को भी रेखांकित किया गया है।

15. अध्याय 10 में शमन योजना का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया गया है। यह व्यापक रूप से भूकंप, आग, गर्मी और शीतलहर, अपशिष्ट प्रबंधन, सड़क सुरक्षा आदि जैसे सभी प्रासंगिक शमन योजना को शामिल करता है। चल रही विकास योजनाओं में आपदा योजना को मुख्यधारा में लाना और आपदा प्रबंधन निधि इस अध्याय के अन्य प्रमुख पहलू हैं।

16. अध्याय 11 में वित्तीय व्यवस्था योजना और अन्य संभावित संसाधनों के लिए बजट से संबंधित बातों का है।

17. अध्याय 12 में योजना की निगरानी, मूल्यांकन और अद्यतनीकरण करने की प्रक्रिया का समावेश है, जो समीक्षा और पिछले अभिलेखों के माध्यम से योजना की नियमित निगरानी और अद्यतन स्थिति स्पष्ट करने से संबंधित है।

18. अध्याय 13 में, शहरी स्तर पर आपदा प्रत्युत्तर योजना का वर्णन है।

19. अनुलग्नक

1. परिचय (INTRODUCTION)

1.1 संदर्भ (Context)

बिहार में भागलपुर तेजी से विकसित होने वाले नगरों में से एक है। यह नगर भूकंप, बाढ़, आग, दुर्घटनाओं और अन्य प्राकृतिक एवं मानवजनित आपदाओं से समय–समय पर प्रभावित होता रहा है है। तेजी से जनसंख्या वृद्धि, नगरीकरण के साथ अनियोजित, एवं बेतरतीब बसावट, भूमि और जंगलों के क्षरण (degradation of land and forests) ने नगर की कमजोरियों को और बढ़ा दिया है। विभिन्न अध्ययनों के माध्यमों से ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन के साथ, आपदाओं की आवृत्ति, और उनकी तीव्रता में वृद्धि का संकेत मिलता है। इसलिए मौजूदा स्थिति में विभिन्न प्रकार की आपदाओं से बचाव एवं नगर को आपदा सुरक्षित श्रेणी में लाना सुनिश्चित करना, बिहार सरकार की प्राथमिकताओं में से एक है।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, बिहार DRR रोड मैप 2015–2030 और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना 2019 इस योजना के प्रमुख मार्गदर्शक हैं। इस योजना में बिहार के तीन प्रमुख स्तंभ निम्न हैं:-

I. सुरक्षित (Resilient) नगर,
II. सुरक्षित (Resilient) आजीविका,
III. सुरक्षित (Resilient) बुनियादी सेवाएं

उपरोक्त पृष्ठभूमि और संदर्भ को देखते हुए, भागलपुर नगर निगम और बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (BSDMA) ने भागलपुर नगर आपदा प्रबंधन योजना बनाये जाने की तैयारी है।

1.2 योजना का उद्देश्य (Objective of the Plan)

योजना का प्राथमिक उद्देश्य आपदा प्रतिरोधी भागलपुर नगर का निर्माण करना है। यह बहु–जोखिम, भेद्यता और प्रभाव मूल्यांकन और बदलती जलवायु के आलोक में संस्थानों और समुदाय की क्षमता में वृद्धि निर्माण के माध्यम से किया जाना है।

1.3 योजना का दायरा (Scope)

भागलपुर नगर आपदा प्रबंधन योजना नगर निगम के अधिकार क्षेत्र के सभी संबंधित विभागों, एजेंसियों, ULBs, निजी क्षेत्र, NGOs / CBOs, समुदाय और पूरे भौगोलिक क्षेत्र में लागू होगा।

1.4 योजना विकास पद्धति (Plan Development Methodology)

- **साहित्य समीक्षा**

योजना तैयार करने की पद्धति प्राथमिक और माध्यमिक डेटा दोनों के विश्लेषण पर आधारित है। माध्यमिक साहित्य का अध्ययन करने के बाद, डेटा gap की पहचान की गई। प्राथमिक डेटा के लिए आधिकारिक रिकॉर्ड, लाइन विभाग के अधिकारियों के साथ बातचीत और सामुदायिक परामर्श से प्राप्त जानकारी का अध्ययन किया गया है।

- **नगर स्तर / वार्ड दौरे**

टीम द्वारा शहर के विभिन्न वार्डों का दौरा किया गया, वार्ड पार्षदों और समुदायों के साथ बातचीत की गयी और वार्ड स्तर पर उपलब्ध जोखिमों और संसाधनों को समझा गया।

- **नगर निगम और शहर / जिला लाइन विभागों के साथ परामर्श**

भागलपुर नगर स्तर के विभागों के साथ बातचीत और चर्चाओं के माध्यम से परामर्श किया गया है जिसमें नगर आयुक्त और लाइन विभागों के प्रमुख, अन्य गैर–सरकारी हितधारक जैसे समुदाय आधारित संगठन / गैर सरकारी संगठन, नगर स्तर के संघ, और मुद्दा समूह चर्चा (focus group discussion) शामिल है।

- **शहर के प्रमुख मुद्दों और चुनौतियों को समझना**

भागलपुर की मौजूदा विकास चुनौतियों के अलावा विभिन्न वार्डों के खतरों और भेद्यता, पूर्व चेतावनी प्रणाली, मानव संसाधन और उपकरणों की सूची और नगर स्तर के अधिकारियों और समुदायों के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण जैसी आपदा प्रबंधन गतिविधियों में लगे नगर स्तर के संस्थानों को समझने का प्रयास किया गया।

योजना विकास प्रक्रिया के प्रमुख चरण

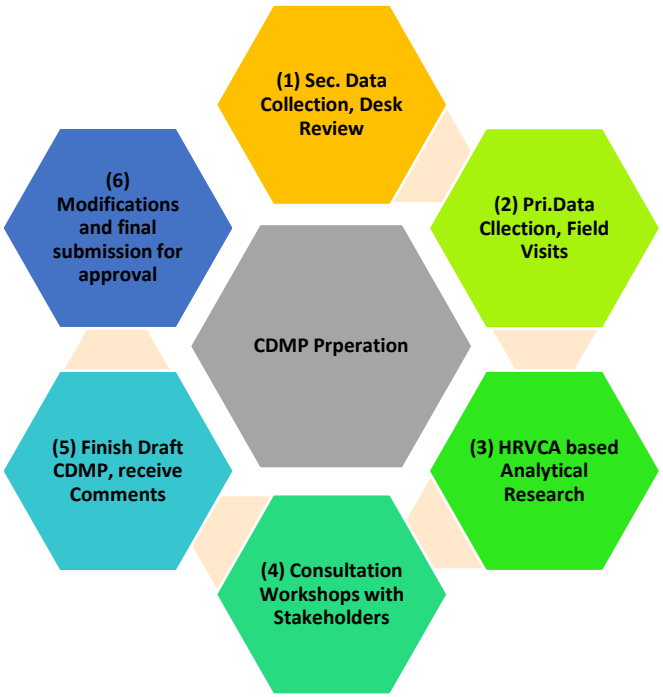

1.5 नगरीय आपदा प्रबंधन योजना का क्रियान्वयन (Implementation of City Disaster Management Plan)

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत भागलपुर नगर आपदा प्रबंधन योजना के क्रियान्वयन की जबाबदेही बिहार राज्य नगरपालिका अधिनियम 2007 के अनुच्छेद 21 एवं 22 के आलोक में नगर निगम की सभी कार्यकारी शक्तियों का उपयोग करते हुए सशक्त स्थाई समिति की होगी। इसी अधिनियम

के अनुच्छेद 28(2) के आलोक में सशक्त स्थाई समिति, लिखित आदेश द्वारा, इस आदेश में यथा विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन, अपने किन्हीं शक्तियों या कार्यों को मुख्य पार्षद या मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी को प्रत्यायोजित (delegated) कर सकेगी।

इस योजना के कियान्वयन में सरकार की नीतियों, बिहार नगरपालिका, विभिन्न आपदाओं से संबंधित मानक संचालन प्रक्रियाओं, नये सहाय्य मानदर एवं भूकम्प, आंधी, भीड़ प्रबंधन, आपदाओं से बच्चों की सुरक्षा, महिलाओं की सुरक्षा, वृद्धों एवं असहाय जनों की सुरक्षा, पालतू जानवरों एवं मवेशियों की सुरक्षा, मलबे के निपटान से संबंधित मार्गदर्शिकाओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। हितधारकों एवं सहयोगी संस्थानों का क्षमतावर्द्धन एवं प्रशिक्षण आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई राशि से किया जायेगा।

बिहार म्यूनिसिपल एक्ट 2007 के अध्याय 39 में उद्धत धारा 361 :

प्राकृतिक या प्रौद्योगिक आपदा का प्रबंधन –(1) जहाँ तक संभव हो सकेगा नगरपालिका मौसम विज्ञान संबंधी कार्यालय सहित केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार के संबद्ध पदाधिकारियों के सहयोग से मौसम आधारित नक्शा तथा प्रभावी क्षेत्र–आरेख तैयार कराएगा तथा अन्य सुसंगत आंकड़े एकत्र करेगा और प्राकृतिक तथा प्रौद्योगिक आपदा के प्रभाव को कम करने के लिए अधिष्ठापन तथा अन्य अपेक्षित सहायक उपकरण को स्थापित करने के लिए आवश्यक कदम उठाएगा।

(2) नगरपालिका आपदा प्रबंधन के सम्बन्ध में आपातकालीन क्रिया–कलाप आयोजित करेगी तथा जन चेतना को बढ़ावा देगी।

(3) नगरपालिका योजना तथा नगर विकास प्राधिकारों के द्वारा उच्च भूकम्पीय क्षेत्रों में भूकम्प की यथा तीव्रता को कम करने तथा इस संबंध में नागरिक चेतना जगाने के लिए बनाए गये विनियमों को यदि कोई हो, कार्यान्वित करने के लिए पर्याप्त उपाय करेगी।

1.6 योजना मूल्यांकन (Plan Evaluation)

नगर आपदा प्रबंधन योजना का मूल्यांकन संसाधनों की उपलब्धता, सामुदायिक भागीदारी, विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय, NGO / CBOs और अन्य संगठनों के साथ साझेदारी, आपदा के बाद के मूल्यांकन तंत्र, बिहार राज्य आपदा संसाधन नेटवर्क (BSDRN) पर योजनाओं को समय–समय पर update करके upload किया जायेगा। किसी आपदा के बाद, योजना की प्रभावशीलता की पूरी तरह से जाँच की जाएगी।

1.7 योजना अद्यतन (Plan Update)

नगर आपदा प्रबंधन योजना की वार्षिक समीक्षा की जाएगी और उसका अद्यतन किया जाएगा। विभागों में परिवर्तन, स्थानान्तरण, मोबाइल नंबर /संपर्क नंबरों में परिवर्तन की स्थिति में और संगठनात्मक ढांचे में परिवर्तन के मामले में भी इसे अद्यतन (update) किया जाना होगा।

सभी संबंधित एजेंसियों और विभागों को वार्षिक बैठकों में भाग लेना चाहिए और विशिष्ट मुद्दों पर सिफारिशें देनी चाहिए। वार्षिक बैठकों में NDRF, SDRF और अन्य जिला स्तरीय एजेंसियों, गैर सरकारी संगठनों और विभिन्न सम्प्रदायों के प्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाना होगा।

2. नगर की रूपरेखा (CITY PROFILE)

भागलपुर नगर बिहार का सबसे पुराना नगर है, यह भागलपुर जिले का प्रशासनिक मुख्यालय है। भागलपुर नगर निगम का क्षेत्रफल 30.17 वर्ग किमी है। यह 2011 की जनगणना के अनुसार 4,00,146 (भागलपुर नगर निगम) व्यक्तियों की कुल आबादी वाला वर्ग –1 नगर है। भागलपुर सैकड़ों वर्षों से रेशम उद्योग से जुड़ा हुआ है और इसे सिल्क सिटी के रूप में भी जाना जाता है और रेशम के कपड़े उत्पादन और निर्यात में कर्नाटक के बाद दूसरे स्थान पर है। यह नगर अपने मंजूषा चित्रों के लिए भी प्रसिद्ध है, जो एक अनूठी कला है जो केवल बिहार में पाई जाती है।

प्राकृतिक वास

विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य (VGDS) को 1991 में नामित किया गया था और आज तक यह भारत में एकमात्र संरक्षित क्षेत्र है जिसे विशेष रूप से डॉल्फिन के संरक्षण के लिए नामित किया गया है। यह सुल्तानगंज और कहलगाँव के बीच 60 किलोमीटर के गंगा खंड में फैला हुआ है और कृषि से लेकर मछली पकड़ने तक की विविध आवश्यकताओं के लिए सीधे नदी पर निर्भर कई गरीब लोगों की जीविकोपार्जन आवश्यकताओं को पूरा करता है। यह सबसे संवेदनशील पर्यावरणीय क्षेत्रों में से एक है, जिसे संरक्षण की आवश्यकता है।

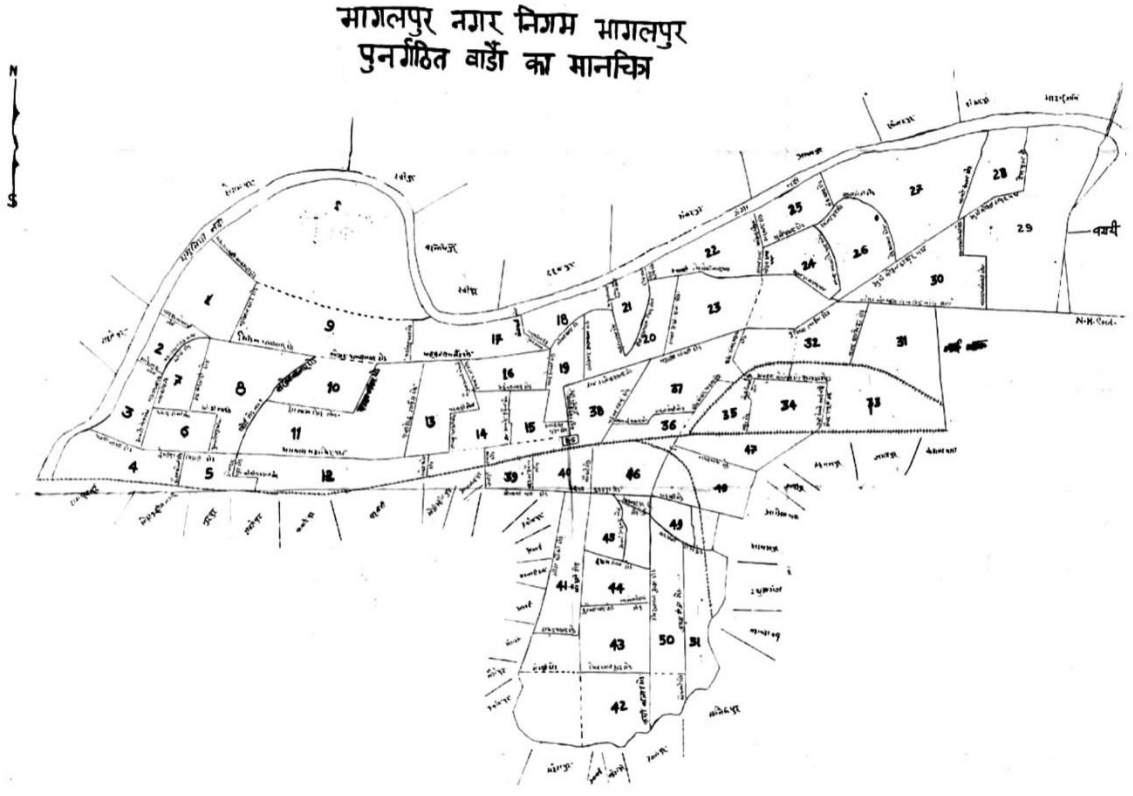

2.1 भागलपुर नगर की अवस्थिति और प्रशासनिक प्रभाग (Location and Administrative Divisions of Bhagalpur City)

भागलपुर, बिहार राज्य का तीसरा सबसे बड़ा नगर है, जो गंगा नदी के दक्षिणी तट पर स्थित ऐतिहासिक महत्व वाला एक संभागीय नगर है। नगर के आसपास के गंगा के मैदान बहुत उपजाऊ है। भागलपुर नगर निगम 30.17 वर्ग किमी में फैला है। क्षेत्र को 51 वार्डों में बांटा गया है। नगर में एक जिला मुख्यालय है जो एक प्रशासनिक, व्यापार और वाणिज्य, सेवा और वितरण केंद्र के कई कार्यों का संपादन करता है।

सारणी 2.1:

मापदंड	विवरण
नगर क्षेत्र (वर्ग कि.मी. मे)	30.17 वर्ग किमी
वार्डों की संख्या पुलिस थानो की संख्या नगर के गठन का वर्षः आसन्न नगरों का नामः	51 वार्ड 11 1864 नौगछिया , अमरपुर , असरगंज , बांका , खड़गपुर , गोड्डा , जमालपुर , बिहारीगंज , मुंगेर , खगड़िया , मनिहारी , साहिबगंज , कटिहार , मुरलीगंज

स्रोतः नगर विकास योजना, भागलपुर (2010–2030)

2.2 भूगोल और स्थलाकृति (Geography and Topography)

भागलपुर जिला गंगा नदी द्वारा दो भागो में बांटा गया है। उत्तरी भाग उपजाऊ है और उसका अधिकांश भाग जलोढ़ मैदान से बना है। दक्षिणी सीमा को छोड़कर, जहां भूमि पहाड़ी है, दक्षिणी भाग में आमतौर पर समतल सतह है। इस क्षेत्र से गुजरने वाली कई धाराओं में गंगा नदी सबसे महत्वपूर्ण है। भागलपुर नगर गंगा के दक्षिणी तट के साथ–साथ चूना पत्थर की एक उभरी हुई पट्टी पर स्थित है। जिला गजेटियर के मुताबिक यह नदी के घुसपैठ में प्राकृतिक अवरोध का कार्य करता है।

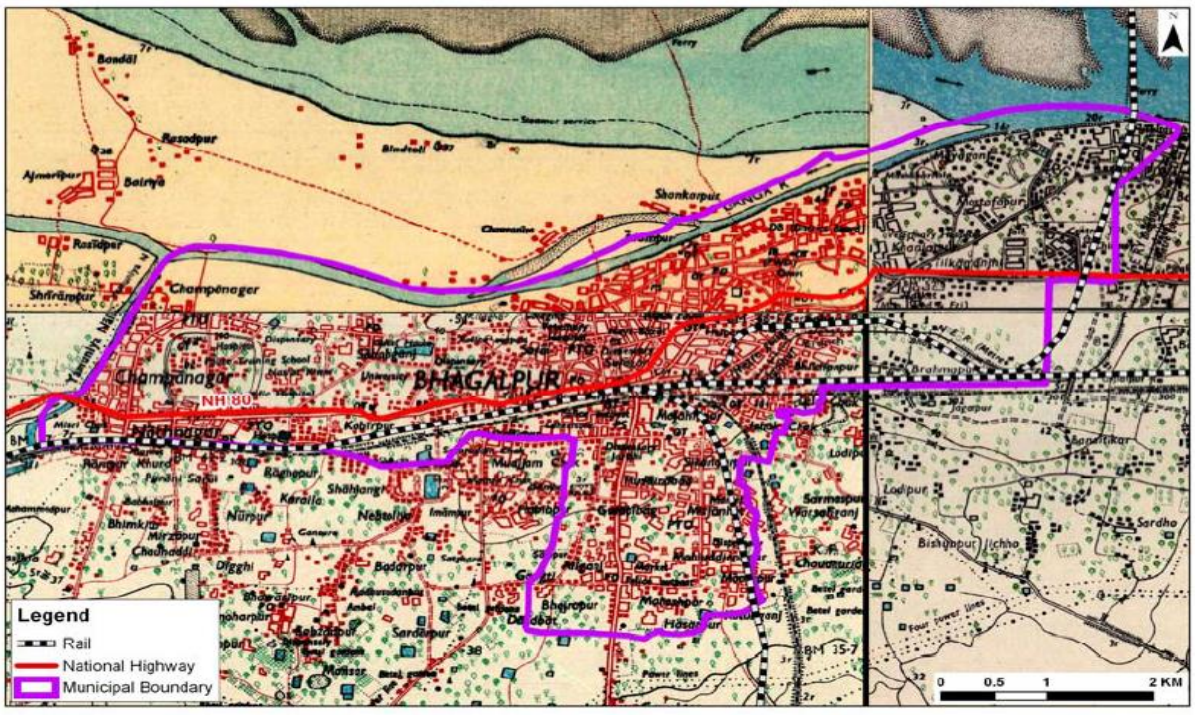

2.3 जनसांख्यिकी और सामाजिक–आर्थिक स्थिति (Demography and Socio-Economics Situation)

भागलपुर नगर राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में प्रमुख योगदानकर्ता है और इसकी भौतिक अभिव्यक्तियाँ आमतौर पर नगरीकरण से शुरू होती है। लेकिन अनियोजित नगरीकरण के परिणामस्वरूप अनाधिकृत झुग्गी झोपड़ियों का निर्माण एवं अतिक्रमण की समस्या उत्पन्न होती है। जिला मुख्यालय होने के कारण भागलपुर में उच्चस्तरीय शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं सहित अच्छी गुणवत्ता वाली सामाजिक बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हैं। मनोरंजक सुविधाओं में जयप्रकाश उद्यान (नगर स्तरीय पार्क), लाजपत पार्क, वन और रेलवे पार्क, टाउन हॉल और विवाह भवन शामिल है। नगर में 165 झुग्गियां है, जो नगर की आबादी का लगभग 17.72% है। लगभग 40% से अधिक परिवार गरीबी रेखा से नीचे है। मलिन बस्तियों में बुनियादी सुविधाएं व्यावहारिक रूप से नदारद हैं।

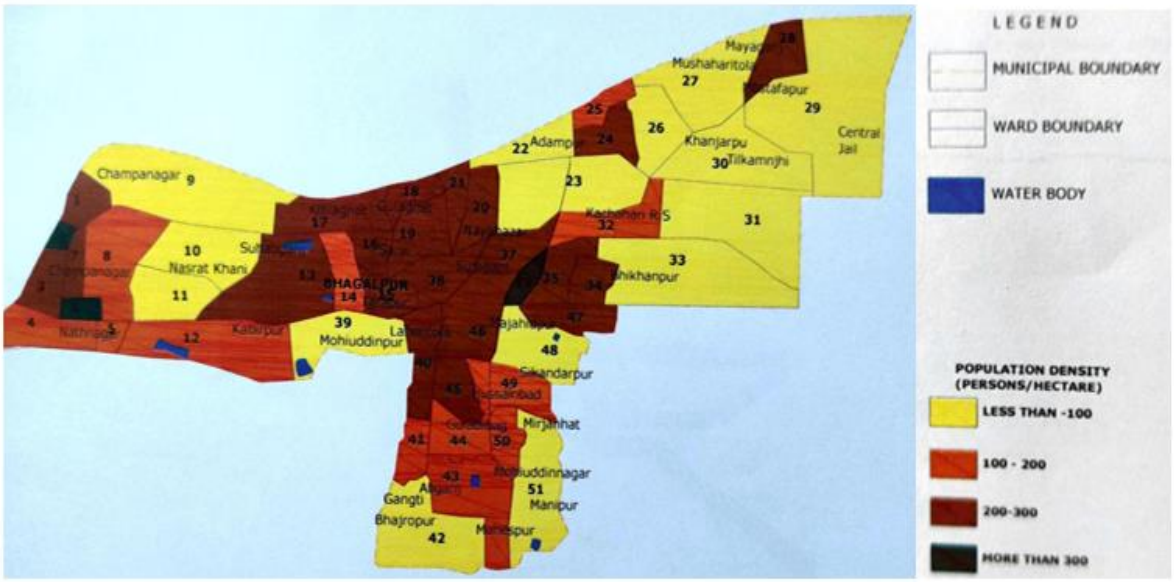

Population Density Map

सारणी 2.3:

कुल घर:	106,303
कुल जनसंख्या:	4,00,146
पुरुष:	2,12,813
महिला:	1,87,333
बच्चे 0–6 वर्ष	53,775
जनसंख्या घनत्व:	54,818 (113 व्यक्ति प्रति हेक्टेयर)

स्रोत: भारत की जनगणना 2011

भागलपुर नगर का व्यावसायिक पैटर्न: 20% लोग खेती में लगे हुए हैं, 27% खेतिहर मजदूर हैं और 14% श्रमिक घरेलू उद्योगों में लगे हुए हैं। शेष 39% श्रमिक अन्य गतिविधियों जैसे सेवा, व्यापार और वाणिज्य, उद्योग आदि में लगे हुए हैं।

सारणी 2.3.2: रोजगार विवरण

क्र.सं.	विशिष्ट	2011 के अनुसार
1	कुल जनसंख्या	4,00,146
2	कुल कार्यरत जनसंख्या	1,03,335
3	कुल कामकाजी आबादी (%)	25.95
4	मुख्य कार्यकर्ता	86,718
5	मुख्य श्रमिकों (%)	21.78
6	सीमांत श्रमिक	16,617
7	सीमांत श्रमिकों (%)	4.17
8	गैर श्रमिकों	2,94,803
9	गैर–श्रमिकों (%)	74.05

स्रोतः भारत की जनगणना 2011

हाशिए पर रहने वाले समुदाय और कमजोर समूहों के अंतर्गत आने वाली आबादी की पहचान करना बहुत महत्वपूर्ण है और नगर आपदा प्रबंधन योजना बनाते समय इन समूहों पर विशेष ध्यान दिया गया है।

सारणी 2.3.3: अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या

क्र.सं.	विशिष्ट	2011
1	कुल जनसंख्या	4,00,146
2	कुल अनुसूचित जाति जनसंख्या	30,930
3	अनुसूचित जाति पुरुष	16,669
4	अनुसूचित जाति महिला	14,261
5	अनुसूचित जाति जनसंख्या (%)	8
6	कुल अनुसूचित जनजाति जनसंख्या	1,901
7	एस.टी पुरुष	1,160
8	एस.टी महिला	741
9	एस.टी जनसंख्या (%)	0.47
10	अन्य	33,65,308
11	अन्य जनसंख्या (%)	92.00

2.4 जलवायु और मौसम (Climate and Weather)

गर्मी और सर्दियों का मौसम नगर की जलवायु की विशेषता है। जनवरी में नगर का औसत न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस और मई के महीने में औसत उच्चतम तापमान 46 डिग्री सेल्सियस रहता है। सबसे कम सापेक्षिक नमी अप्रैल माह में 37 प्रतिशत तथा उच्चतम सापेक्षिक नमी जुलाई माह में 84 प्रतिशत पाई गई है। भागलपुर नगर में मध्यम मात्रा में वर्षा होती है। भागलपुर नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत 5 स्थानों पर (नीचे दिया गया है) पर्यावरण निगरानी सेंसर (Environmental Monitoring Sensors) का अधिष्ठापन किया गया है, इसके द्वारा शहर के वायु गुणों की निगरानी में सहायता मिलती है।

1. तिलकामांझी चौक
2. जीरो माइल चौक
3. चंपानगर चौक
4. अलीगंज
5. रेलवे स्टेशन

वर्ष	वर्षा मिमी	अधिकतम तापमान	न्यूनतम तापमान
2022	औसत वर्षा - 642.47 मि.मी	46.4 डिग्री सेल्सियस	7 डिग्री सेल्सियस
2021	औसत वर्षा - 1320.49 मि.मी	46.1 डिग्री सेल्सियस	11 डिग्री सेल्सियस
2020	औसत वर्षा – 1333.95 मि.मी	45.8 डिग्री सेल्सियस	9 डिग्री सेल्सियस
2019	औसत वर्षा - 1241.1 मि.मी	46 डिग्री सेल्सियस	8 डिग्री सेल्सियस
2018	औसत वर्षा - 911.33 मि.मी	46.3 डिग्री सेल्सियस	7 डिग्री सेल्सियस

स्रोतः सांख्यिकी कार्यालय, भागलपुर

2.5 मूलभूत सुविधाएं (Basic Amenities)

2.5.1 परिवहन और संचार नेटवर्क (Transport and Communication Network)

भागलपुर नगर रेल और सड़क संचार के माध्यम से देश के महत्वपूर्ण नगरों से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। राष्ट्रीय राजमार्ग 80 नगर से होकर गुजरता है और इसे सीधे राज्य की राजधानी पटना से जोड़ता है। राज्य राजमार्ग–19 और 25 मुख्य मार्ग है। महत्वपूर्ण स्टेशनों में सुल्तानगंज, भागलपुर, सबौर और कहलगांव शामिल हैं। भागलपुर आपातकालीन वाहनों का विवरण **अनुलग्नक 14 में सारणी 14.1.9** में दिया गया है।

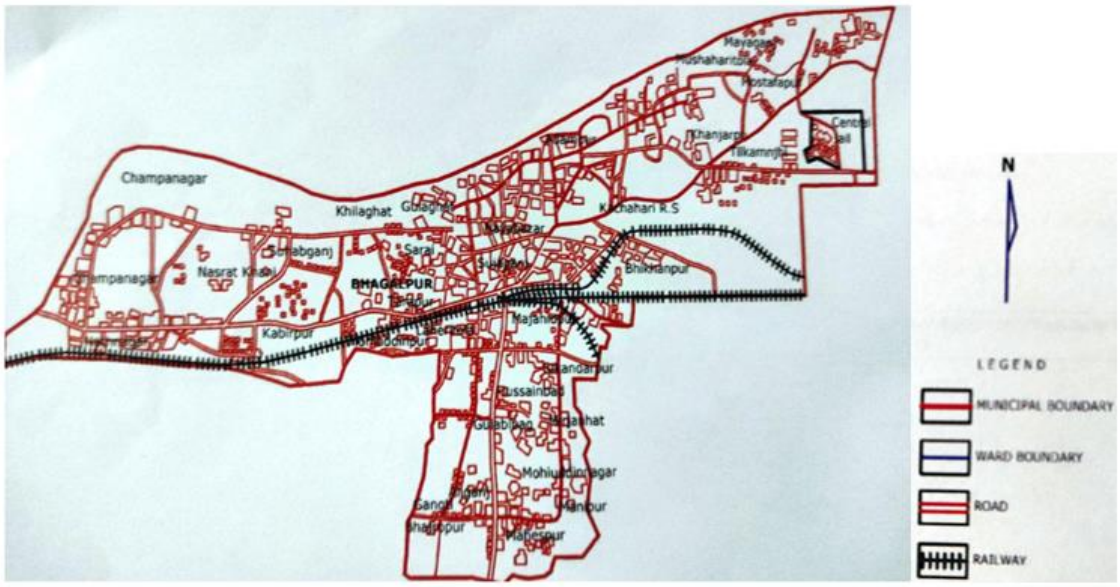

Road and Rail Network in Bhagalpur

2.5.2 स्वास्थ्य सुविधाएं (Health Facilities)

भागलपुर नगर में जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल नगर के साथ–साथ जिले का सबसे बड़ा अस्पताल है जिसमें 716 बेड, 34 डॉक्टर और 325 नर्स और आधुनिक उपकरण हैं।

सारणी 2.5.2a: भागलपुर नगर की स्वास्थ्य सुविधाएं

क्रमांक	अस्पताल	संख्या	सम्पर्क करने का विवरण
1.	सरकारी अस्पताल	1	9199540901
2.	जवाहर लाल नेहरू मेडिकल कॉलेज	1	0641-2401078 / 2400903
3.	जन स्वास्थ्य केंद्र	2	9470003138, 641230837
4.	सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र	2	6412300836 / 835

स्रोतः फील्ड सर्वेक्षण

सारणी 2.5.2b: जवाहर लाल नेहरू मेडिकल कॉलेज की सूची

क्रमांक	जवाहर लाल नेहरू मेडिकल कॉलेज	पद	सम्पर्क करने का विवरण
1	डॉ. उमा शंकर सिंह	प्राचार्य	9470003142
2	डॉ. असीम कुमार दास	अधीक्षक	9470003121
3	डॉ. उमा शंकर सिंह	अध्यक्ष– पुस्तकालय समिति	9470003142

स्रोतः फील्ड सर्वेक्षण

2.5.3 शैक्षणिक सुविधाएं (Educational Facilities)

यह नगर आसपास के नगरों और गांवों के लिए शैक्षणिक गतिविधियों का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। नगर में उच्च शिक्षा में चिकित्सा, इंजीनियरिंग, कला और विज्ञान और कृषि से संबंधित विभिन्न संस्थान शामिल हैं। कुछ प्रसिद्ध संस्थान तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, बिहार कृषि विश्वविद्यालय, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, सेंट जोसेफ स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, टी.एन.बी कॉलेज आदि हैं।

सारणी 2.5.3:

साक्षरता दरः कुल पुरुषः कुल महिलाः	81.16% 85.3% 76.31%
उच्च / मध्य विद्यालयों की संख्याः (सरकारी + निजी संस्थाएं) प्राथमिक विद्यालयों की संख्याः (सरकारी + निजी संस्थाएं) आंगनबाड़ियों की संख्या	24 / 51 69 131
सभी शैक्षणिक संस्थानों में कुल (लगभग) छात्रों की संख्याः सभी शैक्षणिक संस्थानों में कुल (लगभग) कर्मचारियों की संख्याः	29,750 861

स्रोतः सर्व शिक्षा अभियान (एस.एस.ए), भागलपुर

2.5.4 जल स्रोत, आपूर्ति और निकासी व्यवस्था (Water and Sewage Treatment System)

भागलपुर नगर में जल आपूर्ति सतही जल और भूजल पर आधारित है। नगर को गंगा नदी से लगभग 17 एम.एल.डी पाइप के माध्यम से पानी मिलता है। नलकूपों से 18 एम.एल.डी की आपूर्ति होती है और

हैंडपंपों से 2.25 एम.एल.डी की आपूर्ति होती है। नगर में 14 ओवर हैड टैंक हैं और 19 प्रतिशत हिस्से में 38 एम.एल.डी पानी की आपूर्ति की जाती है। वर्तमान में स्थापित भंडारण क्षमता आपूर्ति का 67% है। कुछ क्षेत्रों में भूजल में नाइट्रेट और आर्सेनिक की मात्रा अधिक है। नगर राज्य निधि से एक एकीकृत जल आपूर्ति योजना लागू कर रहा है। भागलपुर में न्यूनतम सीवरेज व्यवस्था है। अनुमानित उत्पादन 44 एम.एल.डी अपशिष्ट जल है। टाउन में 11 एम.एल.डी की स्थापित क्षमता वाला एक ट्रीटमेंट प्लांट है। केवल 4 एम.एल.डी अपशिष्ट जल एकत्र किया जाता है और शेष अपशिष्ट जल को बिना किसी उपचार के गंगा नदी में छोड़ दिया जाता है। 75% घरों में सेप्टिक टैंक और सोखता गड्ढों के साथ व्यक्तिगत शौचालय हैं।

एलिवेटेड टैंकों का स्थान भागलपुर नगर में

- वार्ड संख्या 6
- वार्ड संख्या 10
- वार्ड संख्या 22
- वार्ड संख्या 23
- वार्ड संख्या 28
- वार्ड संख्या 29
- वार्ड संख्या 46
- वार्ड संख्या 47
- वार्ड संख्या 51

जल निकासी व्यवस्था

भागलपुर नगर निगम शहरी क्षेत्र में 27 नाले हैं एवं 704 बड़े, मध्य एवं छोटे नाले हैं, जिसकी साफ–सफाई नियमित रूप से विशेष कर मानसून के पूर्व अभियान चलाकर की जाती है। बारिश के मौसम में बाढ़ प्रवण एवं निचले इलाकों में नगर प्रभावित हो जाता है। बरसात के मौसम में जल जमाव, प्राकृतिक जल निकासी में रुकावट नगर की प्रमुख समस्या है।

जल निकासी चित्र

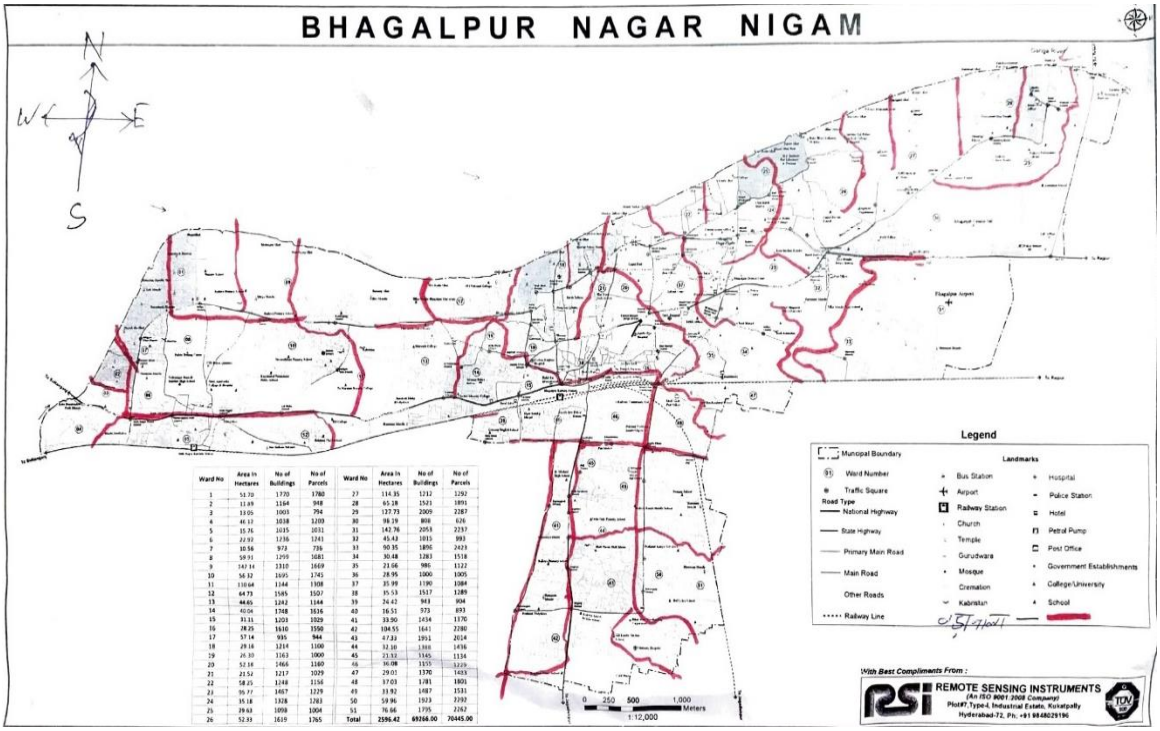

स्रोतः भागलपुर नगर निगम

2.5.5 आवास पैटर्न (Housing Pattern)

भागलपुर पिछले एक दशक में व्यवसाय और शिक्षा केंद्र के रूप में विकसित हो रहा है और उभर रहा है और इसके भीतरी इलाकों और बिहार राज्य के विभिन्न हिस्सों से प्रवासन में वृद्धि देखी जा रही है। नियोजन हस्तक्षेप के अभाव में तेजी से विकास के कारण बेतरतीब विकास हुआ जिसके परिणामस्वरूप खुले स्थान और हरित क्षेत्र में गिरावट, अनियंत्रित निर्माण गतिविधियाँ, झुग्गी–झोपड़ी का निर्माण और नगर के भीतर अनियमित निर्माण हुआ है। प्रमुख सड़कों पर मिश्रित भूमि का उपयोग प्रचलित है। सड़क के अग्रभाग पर व्यावसायिक गतिविधियों और खुदरा दुकानों की अधिकता है। नगर में लगभग 1,06,303 घर हैं जिनका औसत घनत्व 13,263 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी है। भागलपुर नगर के स्लम क्षेत्रों में रहने वाली 70,914 व्यक्तियों की आबादी है जो 165 मलिन बस्तियाँ में फैली हुई है।

सारणी 2.5.4:

आवास पैटर्न– आवास निर्माण का प्रकारः प्रयुक्त सामग्री का प्रकारः	106,303 परिवार अधिकांश पक्के हैं और कुछ कच्चे हैं ईंट और सीमेंट

स्रोतः फील्ड सर्वेक्षण

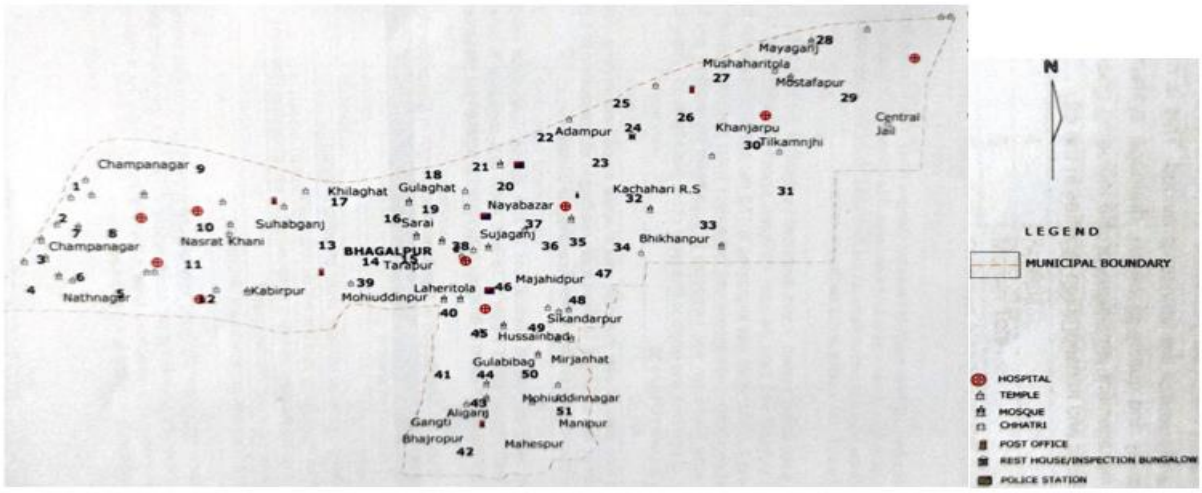

Social Infrastructure in Bhagalpur

2.5.6 भागलपुर नगर में झुग्गियां

भागलपुर नगर के कई वार्डों में मिलाकर कुल 165 मलिन बस्तियां मौजूद हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भागलपुर नगर के स्लम क्षेत्रों में रहने वाली कुल जनसंख्या 70914 व्यक्ति है जो कुल नगरीय आबादी का लगभग 17.72% है।

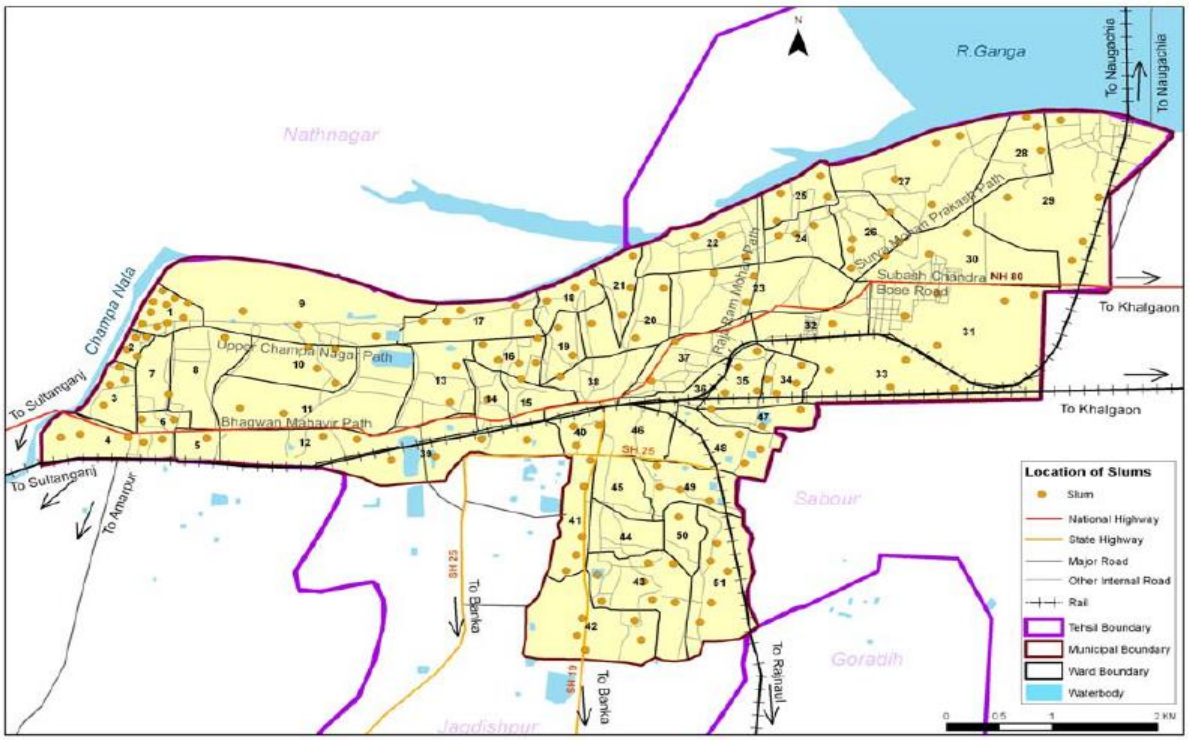

स्रोतः भागलपुर नगर निगम

2.6 भूमि उपयोग पैटर्न (Land Use Pattern)

भागलपुर नगर निगम का भूमि उपयोग वितरण इंगित करता है कि भूमि उपयोग का 40.45% आवासीय उपयोग के अधीन हैं, जबकि वाणिज्यिक भूमि उपयोग – 3.39%, सार्वजनिक और अर्द्ध–सार्वजनिक भूमि

उपयोग – 13.61%, औद्योगिक भूमि उपयोग – 6.78%, खुली भूमि और जल निकाय – 18.06%, परिवहन भूमि उपयोग – 11.92% और मनोरंजन – 5.76% है।

सारणी 2.6: भागलपुर में भूमि उपयोग पैटर्न

क्र.सं.	भूमि उपयोग श्रेणी	क्षेत्र (हेक्टेयर)	भागलपुर नगर निगम क्षेत्र में : हिस्सेदारी (हेक्टेयर)
1	आवासीय	2163.02	40.45
2	व्यावसायिक	181.36	3.39
3	सार्वजनिक और अर्ध–सार्वजनिक	727.82	13.61
4	औद्योगिक	362.37	6.78
5	यातायात	637.5	11.92
6	खुली भूमि और जल निकाय	965.65	18.06
7	मनोरंजन	128.19	5.76

स्रोतः भागलपुर नगर विकास योजना, (2010–2030)

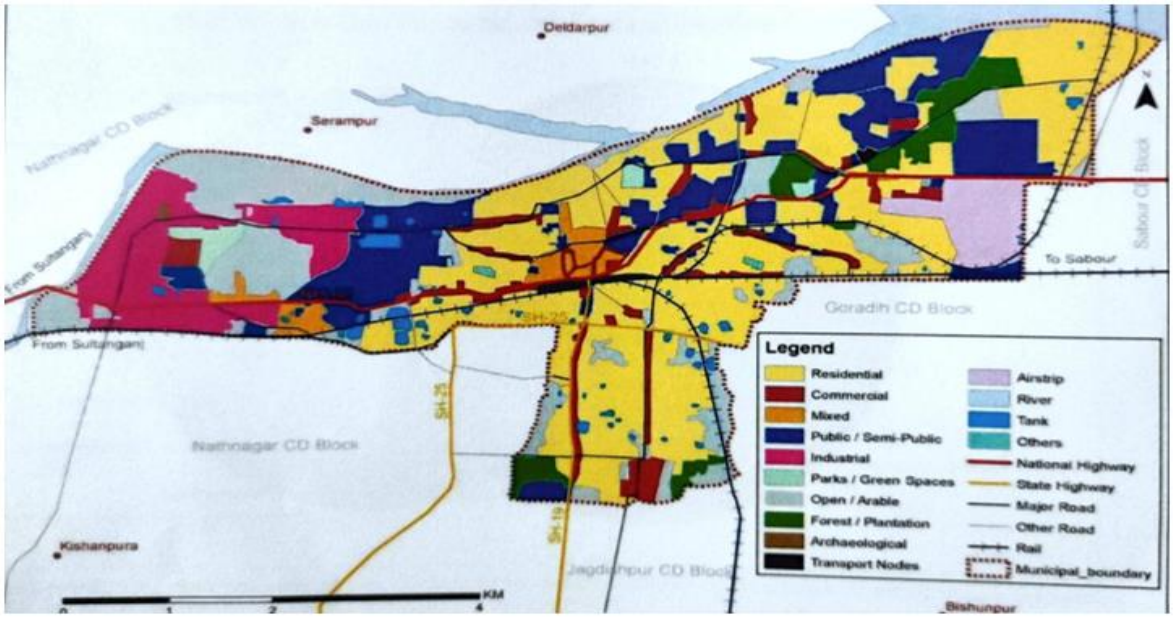

Land use Pattern Map

2.7 नगरी विकास की प्रवृत्ति (Urban Growth Trend)

गंगा नदी उत्तर और उत्तर पूर्व में नगर के विकास को सीमित करती है जबकि चंपा नाला पश्चिम में नगर के विकास को प्रतिबंधित करता है। इसके अलावा नगर की टी आकार की स्थानिक संरचना भी नगर के भौतिक विकास में बाधा के रूप में कार्य करती है। उत्तर और पश्चिम में नगर के विकास की भौतिक बाधाओं ने राष्ट्रीय राजमार्ग 80 और राज्य राजमार्ग 19 और 25 के साथ रैखिक विकास को बढ़ावा दिया है।

नगर भागलपुर हँसडीहा रोड (स्टेट हाईवे 19) के साथ दक्षिण में विकसित हो रहा है। पूर्व में वार्ड 29, 30, 31 में जीरो माइल से सबौर आंचल तक नगर का विकास हो रहा है। दक्षिण में नगर का विस्तार वार्ड 39, 41, 42, 47, 49, 50, 51 में जगदीशपुर की ओर हो रहा है।

2.8 सूक्ष्म /लघु / मध्यम उद्यम / किसी भी प्रकार की औद्योगिक व्यवस्था (Micro/ Small/ Medium Enterprises/ Any type of Industrial Set Ups)

नगर में कार्यबल की भागीदारी लगभग 30% है, मुख्य कार्यकर्ता 84% हैं। भागलपुर का आर्थिक आधार रेशम उत्पादन, व्यापार और वाणिज्य पर निर्भर करता है। 'तसर सिल्क' का वार्षिक रेशम उत्पादन 2 मिलियन मीटर प्रति वर्ष अनुमानित है। बरारी औद्योगिक क्षेत्र जिले का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है, जो 51 एकड़ में फैला है, जबकि कुटीर उद्योगों से संबंधित प्रमुख क्षेत्र बहादुरगढ़ और चंपानगर लगभग 56 एकड़ में फैले हैं। भारत सरकार ने एक हथकरघा पार्क की स्थापना आदमपुर में की है। नगर में अनौपचारिक क्षेत्र की मजबूत उपस्थिति है– लगभग 6800 इकाइयां नगर की अर्थव्यवस्था में 30–40% का योगदान करती हैं। भागलपुर में भारत के 'रेशम नगर' के रूप में विकसित होने की महत्वपूर्ण क्षमता हैं। उत्पादित रेशम का लगभग 50% निर्यात किया जाता हैं। नगर में पारंपरिक हथकरघा समूह हैं– चंपा नगर, नाथनगर, अंबाबाग, अलीगंज, हुसैनाबाद और मिर्जान्हाट। नगर निगम का अनुमान हैं कि नगर में 5000 से अधिक दुकानें और कार्यालय हैं। सूत्रों के अनुसार नगर के कुछ वार्डों में बड़ी संख्या में विस्फोटकों के अवैध निर्माण में भी लोग शामिल है।

2.9 प्रमुख ऐतिहासिक, धार्मिक और पर्यटन स्थल (Major Historical, Religious and Tourist Spots)

नगर के पास स्थापित विक्रमशिला डॉल्फिन अभयारण्य गंगा डॉल्फिन के संरक्षण के लिए एशिया का एकमात्र अभयारण्य है। गरुड़ के लिए दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बचाव और पुनर्वास क्षेत्र भागलपुर में स्थित है। कुप्पा घाट, भागलपुर संग्रहालय, कर्णगढ़, खानकाह–ए–शाहबाजिया आदि नगर के प्रमुख आकर्षण बिंदु हैं। जुलाई–अगस्त के दौरान क्षेत्रीय त्योहारों के समय दर्ज किए गए उच्चतम प्रवाह के साथ पर्यटकों की वार्षिक आमद 6% है।

3. आपदा सुरक्षित नगर (DISASTER RESILIENT CITY)

3.1 नगर को आपदाओं के प्रति सुरक्षित बनाना (Urban Disaster Resilience)

भागलपुर नगर को आपदा सुरक्षित नगर के रूप में विकसित करने के लिए आवश्यक है कि यहाँ वार्ड सं0 1 से 51 तक में आवासित सभी परिवार, व्यक्ति एवं विभिन्न सामुदायिक समूह एक स्वतः स्फूर्त तथा गतिशील सामाजिक इकाई के रूप में मिलजुलकर कार्य करते हुए ऐसी क्षमता हासिल कर लें जिससे कि बहुआपदा एवं जलवायु परिवर्तन उत्प्रेरित जोखिमों का पूर्वानुमान कर सकें। इस पूर्वानुमान आधारित चेतावनी या सलाह को आपदा के पूर्व प्रत्येक व्यक्ति एवं परिवार तक पहुंचने के लिए प्रभावी तंत्र क्रियाशील किये जा सके। आपदा जोखिम की सटीक जानकारी के परिप्रेक्ष्य में ही शमनीकरण, न्यूनीकरण, प्रत्युत्तर की तैयारी की जा सके तथा नयी विकास योजनाओं का निरूपण एवं क्रियान्वयन किया जा सके। इसी के साथ पर्यावरण प्रभाव का आकलन करते हुए पारिस्थितिकी के संरक्षण पर पर्याप्त बल दिया जा सके। आपदाओ से उबरने के उपरांत पूर्व से बेहतर निर्माण कार्य किये जायें।

समुदाय द्वारा एक सुरक्षित जीवन शैली अपनाई जाए एवं तदनुसार समुचित आचार–विचार–व्यवहार अपनाने के लिए निम्न गतिविधियां सुनिश्चित की जायेंगीः–

- सुरक्षित मकान का निर्माण, उदाहरण के लिए भूकंपरोधी मकान।
- आपदा काल में सुरक्षित जगहों पर पनाह लेना।
- आपदाओं के बारे में कल्पित पूर्व धारणाओं से दूरी बनाना।
- महामारी से बचाव हेतु स्वच्छता एवं सुरक्षित नियमों का अपनाना।
- स्वच्छ पेयजल का उपयोग एवं सुरक्षित भंडारण करना।
- जिजीविषा (जीवन जीने के कौशल) से युक्त होना।
- नगरीय भावना को आत्मसात करने, सामुदायिक सहयोग, टिकाऊ जीविका विकल्प तथा जीवन व्यवहार को अपनाने पर विशेष बल दिया जायेगा।
- नगर निगम द्वारा मूल न्यून तीव्रता (L_1) की आपदाओं को अपने स्तर पर ही निपटान करने की क्षमता हासिल की जायेगी।
- नगरीय समुदाय तक पूर्व चेतावनी सूचना ससमय पहुँचाना तथा निकासी, खोज एवं बचाव और सुरिक्षत जगह पर स्थानान्तरण के साथ आपातकालीन स्वास्थ्य सहायता तथा अन्य सेवाओं की निरन्तरता बनाये रखने के लिए आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 तथा बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 में किये गये प्रावधान के अनुसार सभी आवश्यक कदम उठाये जायेंगें।
- सामुदायिक संस्थाओं द्वारा जोखिम विश्लेषण, जोखिम सूचना प्रवाह, पूर्व तैयारी तथा जोखिम न्यूनीकरण के लिए अभियान को गति प्रदान की जायेगी। इसके लिए –

1. वार्ड स्तर पर आपदा जोखिम न्यूनीकरण हेतु बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 की कंडिका 30 के आलोक में 'वार्डो की समिति' गठित की जायेगी जो जोखिम विश्लेषण आधारित जोखिम न्यूनीकरण की योजना का क्रियान्वयन करेगी।
2. वार्ड स्तर पर बिहार निगम पालिका अधिनियम 2007 की कंडिका 31 के आलोक में गठित 'वार्ड समिति और क्षेत्र सभा "आपातकालीन प्रत्युत्तर दल" (ERT) का काम करेगी। इसमें वार्ड सदस्य,

नागरिक सुरक्षा से जुड़े सदस्य, सेवा प्रदाता संस्थाएं तथा समुदाय से चुने गये गणमान्य लोग होंगे जो पूर्व तैयारियों एवं प्रत्युत्तर का पूरा–पूरा ख्याल रखेंगे।

- जोखिम विश्लेषण, योजना का निरूपण, सूचना प्रसारण, पूर्व तैयारी तथा न्यूनीकरण के उपाय समावेशी एवं सहभागी तरीके से की जायेगी जो बच्चों, किशोरों, बूढ़ों, महिलाओं, विकलांगों, तथा पारंपरिक रूप से अभावग्रस्त, अल्पसंख्यक समूह की आवश्यकताओं तथा इन सभी की क्षमताओं के मद्देनजर समुचित तकनीकी यथा GIS Mapping या अन्य तकनीकों का उपयोग करेगी तथा सभी संभव उपाय किए जाएंगे। यह कार्य बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 की कंडिका 32 के आलोक में गठित विषय समितियों के सहयोग से किया जायेगा।
- पहले से जमा किये गये जरूरी सामानों तथा जीवन बचाने वाले उपकरणों तक समुदाय की पहुँच सुलभ और आसान बनाई जायेगी।
- हर साल में स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण सेवा (WASH) आवास, ऊर्जा आपूर्ति, पुल– पुलिया, सड़क संपर्क तथा दूरसंचार सेवाओं को नगर में सतत् बहाल रखने का प्रयास किया जायेगा या इसमें व्यवधान आने पर इसे यथाशीघ्र बहाल करने की कार्यवाही की जायेगी।

3.1.1 ठोस कचरा प्रबंधन

- 2016 के प्रभावी अनुपालन हेतु प्रसंस्करण एवं Landfill हेतु भूमि उपलब्ध कराने के संबंध में नगर विकास एवं आवास विभाग का पत्रांक 610 दि0 26.02.2019 द्वारा स्थानीय निकाय के कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है। साथ ही बिहार सरकार द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नीति एवं रणनीति के तहत केन्द्रीकृत तथा विकेन्द्रीकृत प्रसंस्करण दोनों का विकल्प दिया गया है। कचरा के उत्पन्नकर्ता को अपशिष्ट को Segregate कर अलग–अलग रंग के डिब्बों में भंडारित करने का दायित्व है तथा नगर निकायों को Segregated कचरा को एकत्रित कर प्रसंस्करण स्थल तक परिवहन कर प्रसंस्करण करने का दायित्व है।
- National Green Tribunal द्वारा Sanitary Landfill विकसित करने का निर्देश निर्गत किया गया है। नगर विकास विभाग के पत्रांक 936 दि0 02.04.19 द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के तहत Sanitry Landfill विकसित करने के लिए रैयती भूमि के अधिग्रहण किये जाने का निर्देश निर्गत है। इस मापदंड के अनुसार नगर से आबादी विहीन इलाके में 10 कि0मी0 की दूरी के अंतर्गत 10 एकड़ (नगर निगम के लिए) भूमि भरण स्थल नदी से 100 मीटर तालाब से 200 मीटर, राजमार्गों, आवास स्थलों, सार्वजनिक उद्यानों और जल आपूर्ति कुआं से 200 मीटर पर होना चाहिए। नम भूमि, संवेदनशील भुरभुरे क्षेत्रों और 100 वर्षों से यथा बाढ़ के मैदानों के अंदर भूमि भरण स्थल के लिए अनुमति नहीं दी जा सकती है।
- कम्पोस्टिंग के साथ सूखे कचरे का भी पुन: उपयोग करने की व्यवस्था कबाड़ी के माध्यम से की जानी है। विकेन्द्रित कचरा प्रसंस्करण पर विशेष बल दिया गया है। बिहार सरकार नगर एवं आवास विभाग ने पत्रांक 1353 दि0 28.05.19 द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन अंतर्गत Door to Door Collection, Transportation के क्रियान्वयन के लिए मार्गदर्शिका निर्गत किया है।

ठोस कचरा का प्रसंस्करण एवं निपटान

नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार के द्वारा सभी नगर निगमों को उपलब्ध करायी गयी नगर निकायों हेतु मार्गदर्शिका –ठोस अपशिष्ट का प्रसंस्करण एवं निपटान में इस बात का उल्लेख है कि अन्य नगर निगमों में किये जा रहे विशिष्ट कार्यों को अपने निकाय में अपनाया जा सकता है। इस क्रम में–

- पिट कम्पोस्टिंग – मुजफ्फरपुर मॉडल का जिक्र है जिसमें कचरे से खाद बनाने की विस्तृत प्रक्रिया का उल्लेख है। साथ ही ''मुजफ्फरपुर जैविक खाद'' के नाम से पैकेजिंग करके विक्रय एवं राजस्व रिकार्ड संधारण के तरीके बताये गये हैं।
- इसी प्रकार से ठोस कचरा प्रबंधन के मुंगेर एवं सुपौल मॉडल का भी जिक्र है, जिसे सुविधानुसार अपनाया जा सकता है।
- मार्गदर्शिका में स्वयं सहायता समूह के माध्यम से कचरे में से कुछ वस्तुओं के एकत्र कर कबाड़ी वालों के हाथ बेचने तथा इस कार्य में लगी महिलाओं को 200/– रूपये तक भुगतान का जिक्र है।

3.1.2 प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन :

अपशिष्ट प्लास्टिक नियम 2016 के अनुसार ''प्लास्टिक'' से ऐसी सामग्री अभिप्रेत हैं जिसमें polyethylene terephthalate, उच्च घनत्व polyethylene, vinyl, कम घनत्व polyethylene, polypropylene, polystyrene, resin, akroli, trilene, acrylonitrile, butadiene, styrene जैसी बहु सामग्री Poly(p-phenylene oxide), polycarbonate, polybutylene terephthalate जैसी उच्च पॉलीमर के आवश्यक तत्व अंतर्विष्ट हैं।

उपरोक्त रासायनिक मिश्रण से बने ठोस तत्व अपने मूल स्वरूप में तब तक बने रहते हैं जब तक इन्हें जलाया न जाये या दूसरे रसायनों से गलाया न जाए। मिट्टी या पानी के बीच जमा होकर ये माइक्रोआर्गेनिज्म के या जलीय जीव जंतुओं के जीवन चक्र में अनेक प्रकार से व्यवधान उत्पन्न करते हैं तथा परिस्थितिकी तंत्र का स्वरूप बदलने की क्षमता रखते हैं। अतः सतर्कतापूर्वक इसका प्रबंधन आवश्यक है। प्लास्टिक अपशिष्ट का पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित पद्धति से एकत्रीकरण, भंडारण, परिवहन, पुनः चक्रण, पुनः प्राप्ति, पुनः उपयोग, कम्पोस्टिंग इत्यादि किया जाना अपेक्षित है।

उपरोक्त अधिनियम की कंडिका 6 में ''स्थानीय निकाय का दायित्व'' का विस्तार से उल्लेख किया गया है एवं कंडिका 5 में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन में की जाने वाली प्रत्युत्तर तथा मानदंडों का उल्लेख है। अन्य कंडिकाओं में विभिन्न हितधारकों के विहित दायित्वों एवं कर्तव्यों का विस्तार से उल्लेख किया गया है। यह अधिनियम प्लास्टिक कचरे के उत्पादन को कम करने, प्लास्टिक कचरे को फैलने से रोकने और अन्य उपायों के पूर्व स्रोत पर ही कचरे का अलग भंडारण सुनिश्चित करने पर जोर देता है, साथ ही स्थानीय निकायों, ग्राम पंचायतों, अपशिष्ट उत्पादकों, खुदरा विक्रेताओं, खासकर फुटपाथ विक्रेताओं के लिए भी जिम्मेदारियां तय करता है।

2016 के बाद 2019, 2021 एवं 2022 में इस अधिनियम में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने अनेक संशोधन किये गये हैं। इसमें प्लास्टिक का 4 श्रेणियों में वर्गीकरण, पैकेजिंग विधि का निर्धारण, विस्तारित निर्माता उत्तरदायित्व प्रमाण पत्र के प्रावधान ''प्रदूषण भुगतान सिद्धांत'' पर्यावरण मुआवजा, निगरानी तथा नियंत्रण के लिए CPCB द्वारा केन्द्रीकृत ऑनलाईन पोर्टल की स्थापना का आह्वान किया गया है।

3.1.3 चिकित्सीय अपशिष्ट प्रबंधन :

भागलपुर नगर निगम क्षेत्र में अवस्थित अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, जांच घर, दवा दुकान तथा नर्सिंग होम से कई प्रकार का जैव चिकित्सीय अपशिष्ट निकलता है। दवा दुकानों से एक्सपायर की हुई दवा, जांच घर से संक्रमित खून, पेशाब, पैखाना इत्यादि का नमूना अथवा रसायन, नर्सिंग होम से संक्रमित मरहम पट्टी इत्यादि उत्सर्जित होते हैं। अस्पताल तथा मेडिकल कॉलेज से उपरोक्त सभी प्रकार के चिकित्सीय अपशिष्ट बड़ी मात्रा में उत्सर्जित होते हैं। इन सब को अन्य ठोस अथवा कार्बनिक अपशिष्ट के लिए निर्धारित वेस्ट डिस्पोजल स्थानों पर ''डम्प'' करने से पर्यावरण के प्रदूषित होने का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। साथ ही ये अपशिष्ट संक्रामक प्रकृति के होते हैं। इस प्रदूषण से नगर को बचाने के लिए केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण पर्षद द्वारा जैव चिकित्सीय अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली 2016 (2018 तथा 2019 में संशोधित) तथा विभिन्न मार्गदर्शिकाओं के अनुसार ही उत्सर्जित अपशिष्ट का शत प्रतिशत निस्तारण किया जाना अपेक्षित है। यह अपशिष्ट चिकित्सा, जांच अथवा कोविड–19 के क्वारन्टाइन मरीजों के कारण उत्पन्न होते हैं। इनके हैंडलिंग, उपचार तथा निस्तार के दौरान इन मार्गदर्शिकाओं तथा नियमों का अनुपालन अनिवार्य होगा। प्रमुख दिशा निर्देश निम्नांकित हैं –

1. कचरे को उचित कूड़ेदान (कलर कोडेड) में ही डालें।

2. बायोमेडिकल कचरे को बायोमेडिकल वेस्ट मेनेजमेंट नियम 2016 के अनुसार साझा जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार केन्द्र पर ही भेजे जायें।

3. कचरे को उचित रंग के थैले में ही डालें।

4. कचरे की उत्पत्ति स्थान पर ही उसे अलग करें।

5. कचरे को सही रूप से उपचार करने हेतु उसे उचित लाइनर में रखें।

6. कचरे को संग्रह करने व लाने–जाने के समय इसे मिश्रित न करें।

7. बिखरे हुए तरल पदार्थ का तुरंत प्रबंधन किया जाए।

सिनर्जी वेस्ट मेनेजमेंट बायो–मेडिकल वेस्ट के संग्रह और निपटान के लिए लगी एजेंसी है। एजेंसी सरकारी और निजी दोनों अस्पतालों से बायोमेडिकल अपशिष्ट एकत्र करती है और प्रोटोकॉल के अनुसार कचरे को सुरक्षित स्थान पर निपटान करती है।

3.1.4 ई–कचरा प्रबंधन

नगर निगम क्षेत्र में अवस्थित रिहाईशी मकानों एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, सरकारी दफ्तरों तथा शिक्षण संस्थानों में विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रिकल तथा इलेक्ट्रॉनिक सामानों का बड़े पैमाने पर उपयोग किया जा रहा है। इनमें प्रतिवर्ष अनेक उपकरण या तो अपना ''कार्य जीवन पूरा कर लेने के कारण किसी कम्पोनेन्ट

के जल जाने के कारण अथवा द्रुतगति से तकनीकी उन्नयन के कारण प्रचलन से बाहर कर दिये जा रहे हैं। किसी इलेक्ट्रिकल तथा इलेक्ट्रॉनिक सामान का नया प्रतिरूप आते ही पुराना बेकार होकर अपशिष्ट में बदल जाता हैं जो ई–कचरा के नाम से जाना जाता है। इनमें से मुख्य हैं पुराने – मोबाईल हैंण्ड सेट तथा इसके 'एक्सेसरीज', बैट्री, इयर हैड फोन इत्यादि। पुराने कम्प्यूटर, प्रिंटर, की–बोर्ड, माउस, सी.डी. सी.पी.यू., मोनिटर स्पीकर एवं इससे संबंधित एक्सेसरीज तथा टी.वी., एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, एल.ई. डी., सी.एफ.एल बल्व, ट्यूब लाईट, मिक्सी, घड़ी तथा अन्य उपकरण भी ई–कचरा पैदा कर रहें हैं। इन संयंत्रों के निर्माण में पारा, रांगा, आर्सेनिक, कैडमियम, सेलेनियम, हेक्सावैलेन्ट क्रोमियम इत्यादि हजारों जहरीले पदार्थों का उपयोग होता है, जिसका खुले वातावरण में अन्य ठोस कचरों की तरह निपटारा नहीं किया जा सकता अन्यथा, यह पर्यावरण को प्रदूषित कर मानवता के लिए घोर संकट पैदा कर सकते हैं। इसका खुले में निस्तारण स्वास्थ्य एवं पर्यावरण को खतरा पैदा कर सकता है।

बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने बिहार के सभी जिलों के लिए ई–वेस्ट कलेक्शन के लिए कुछ विशिष्ट निजी एवं सार्वजनिक प्रतिष्ठानों को चिह्नित किया है, जो इसके सुरक्षित निपटारा करने की तकनीकी प्रक्रिया से वाकिफ हैं। इसकी सूची को वेब–साईट bspcb-bihar-gov-in पर देखा जा सकता है।

सदस्य सचिव, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने बिहार के ई–अपशिष्ट प्रबंधन हेतु इससे जुड़े निर्माता, उत्पादक, मुख्य डीलर एवं खुदरा व्यापारियों के लिए निर्देशों का पालन करने हेतु विभिन्न समाचार पत्रों/मीडिया के माध्यम से प्रचार–प्रसार किया गया है, जो उनके लिए बाध्यकारी हैं। अन्यथा विधि सम्मत कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है।

3.2 जलवायु उत्प्रेरित जोखिम (Climate Induced Risk)

जलवायु परिवर्तन उत्प्रेरित जोखिम सहित अन्य आपदा से उत्पन्न जोखिम की जानकारी के अनुसार पूर्व तैयारी, न्यूनीकरण, आपदा प्रत्युत्तर, आपदाओं से उबरने के उपरांत पूर्व से बेहतर निर्माण के लिए नगर निगम प्रशासन, जिला प्रशासन एवं राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के बीच आपसी तालमेल एवं समन्वय के साथ सभी कार्य किये जायेंगे। भारतीय मौसम विज्ञान केन्द्र, पृथ्वी विज्ञान विभाग, भारत सरकार तथा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भागलपुर इकाई से समय–समय प्राप्त चेतावनी तथा सलाह के अनुरूप सभी हितधारकों के साथ सभी नगरवासी मिलकर एक सकुशल और सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करने हेतु आपदा का शमनीकरण एवं न्यूनीकरण के लिए खतरों एवं जोखिम की पहचान कर सकेंगे। इसके लिए समय-समय पर जागरूकता अभियान चलाया जायेगा।

3.3 पर्यावरण पर प्रभाव के आलोक में पारिस्थितिकी संरक्षण कार्य (Ecological Conservation Work Impact on the Environment)

नगर के परिस्थितिकी तंत्र (Ecosystem), प्राकृतिक जल बहाव मार्गों, बसावटों की आकृति के आधार पर बिहार भवन उपविधि 2014 के अध्याय 3 में उल्लेखित कंडिका 27 के आलोक में भूमि का क्षेत्रीकरण (Zoning) करने के बाद ही नगरीकरण योजना का स्वरूप निर्धारित किया जायेगा। नगर विकास विभाग द्वारा वर्ष 2011 में City Development Plan तैयार कराया गया है। इसमें परिस्थितिकी के संरक्षण का पूरा ध्यान रखा गया है। भागलपुर वन प्रमंडल द्वारा नगर के विभिन्न सरकारी एवं निजी परिसरों में वृहत पैमाने पर वृक्षारोपण कराया जा रहा है। नगर निगम द्वारा पूरे नगर में पार्को, सार्वजनिक स्थलों, सरकारी आवासीय /कार्यालय परिसरों में वृक्षारोपण का दायित्व वन प्रमंडल, भागलपुर को दिया गया है।

3.4 आपदा के उपरांत पूर्व से बेहतर निर्माण (Build Back Better)

बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 की कंडिका 33 के आलोक में गठित तदर्थ समिति द्वारा अपने स्तर पर पूर्व से बेहतर निर्माण का प्रस्ताव तैयार किया जायेगा जिसकी स्वीकृति सशक्त स्थाई समिति द्वारा दी जायेगी।

इसके अलावा इस योजना का उद्देश्य आपदा जोखिम के प्रबंधन हेतु नगर निगम एवं नगर में स्थित विभिन्न सरकारी/गैर सरकारी संस्थाओं का सुदृढ़ीकरण तथा भौतिक एवं मानव संसाधन के संदर्भ में पर्याप्त क्षमतावर्द्धन करना है। नगर में जो भी निवेश होने जा रहे हैं, वे सभी आपदा जोखिम न्यूनीकरण के दृष्टिकोण से भी जांच परख कर किए जाएँगे।

भविष्य में आने वाली सभी प्रकार के उच्च, मध्यम एवं न्यून तीव्रता की आपदाओं के दौरान प्रभावी प्रत्युत्तर के लिए हर प्रकार की पूर्व तैयारी समय से पूर्व कर ली जायेगी तथा आपदा के बाद पुनर्वासन, पुनर्स्थापन तथा पूर्व से बेहतर पुनर्निर्माण की कार्यवाही की जायेगी।

बहु संस्था सामंजस्य तथा आपातकालीन आदेश श्रृंखला को स्पष्ट किया जायेगा। हितधारकों के दायित्व एवं कर्तव्यों का स्पष्ट निर्धारण किया जायेगा ताकि किसी प्रकार के असमंजस अथवा अवरोध की स्थिति न बन पाये। इस योजना के ठोस क्रियान्वयन, अनुश्रवण तथा सतत् सुधार की दिशा पहले से तय रहेंगी ताकि जन सामान्य को इसका अधिकतम लाभ मिले।

4. खतरा, जोखिम, संवेदनशीलता तथा क्षमता आकलन (HAZARD, RISK, VULNERABILITY AND CAPACITY ANALYSIS)

खतरा, जोखिम, संवेदनशीलता तथा क्षमता आकलन (HRVCA) योजना का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। आवृत्ति, क्षेत्र, अनुमानित प्रभाव और परिमाण की पहचान करने में अशुद्धि से प्रमुख खतरों/ घटनाओं की पहचान में त्रुटि हो सकती हैं।

HRVCA विश्लेषण में विभिन्न खतरों के प्रकार, इतिहास और प्रभाव, क्षेत्र की भेद्यता, लोग, पर्यावरण और ऐसे खतरों से निपटने की उनकी क्षमता शामिल है।

सुभेद्यता मूल्यांकन को प्राकृतिक, सामाजिक–आर्थिक, आवास और पर्यावरणीय भेद्यता जैसे विभिन्न कारकों से निपटना होगा। मौजूदा खतरों और संभावित भेद्यता को जानने के बाद, जोखिम विश्लेषण किया जाए।

HRVCA के क्षमता विश्लेषण घटक में संसाधन सूची, संचार प्रणालियों के नेटवर्क के संदर्भ में तैयारी की स्थिति, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, भंडारण सुविधाएं, परिवहन सुविधाएं, चिकित्सा सुविधाएं, फायर स्टेशन, आपातकालीन आश्रय तथा उनकी क्षमता, गैर सरकारी संगठनों और अन्य स्वयंसेवकों की उपस्थिति आदि शामिल होंगे।

4.1 खतरा आकलन (Hazard Assessment)

भागलपुर नगर में बाढ़, भूकंप, लू, आग, सड़क दुर्घटना, प्रदूषण और महामारी जैसे विभिन्न प्रकार के आपदा संबंधित जोखिम विद्यमान हैं।

सारणी 4.1: मौसम की संभाव्यता और खतरें

खतरे बनाम महीने	जनवरी	फरवरी	मार्च	अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितंबर	अक्टूबर	नवंबर	दिसंबर
बाढ़												
भूकंप												
सड़क दुर्घटनाएं												
हीट वेव												
ठनका												
शीतलहर												
आग												
मेला भीड़												
डूबना												

ज्यादा मध्यम

4.1.1 शहरी बाढ़

बिहार में गंगा के प्रवेश करते ही सोन, गंडक, सरयू, पुनपुन जैसी कई सहायक नदियाँ गंगा में मिल जाती हैं। साथ ही साथ बारिश के मौसम में भी गंगा नदी के जलस्तर में वृद्धि हो जाती है। फरक्का बैराज की वजह से नदी में भारी गाद जमा हो जाता है, जो इसके जलस्तर को बढ़ा देती है। परिणामस्वरूप भागलपुर नगर में शहरी बाढ़ की समस्या उत्पन्न हो जाती है। नेपाल और अन्य क्षेत्रों से अपस्ट्रीम पानी के प्रवाह और नीचे की ओर फरक्का बैराज का प्रभाव, और नदियों में भारी गाद कारण, इनमें जलस्तर ऊंचा हो गया है और पानी ले जाने की उनकी क्षमता कम हो गई है।

शहरी बाढ़ का व्यापक प्रभाव कृषि हानि से लेकर परिवहन को नुकसान (सड़क और रेल नेटवर्क को नुकसान) और स्वास्थ्य संबंधी खतरों से लेकर पर्यावरणीय प्रभावों तक है।

पिछले 10 वर्षों में भागलपुर नगर वर्ष 2013, 2016, 2019, 2020, और 2021 में शहरी बाढ़ से प्रभावित हुआ है। नगर के 13 वार्ड (वार्ड संख्या 1, 2, 3, 4, 9, 17, 18, 21, 22, 25, 27, 28, 29) हर वर्ष शहरी बाढ़ की चपेट में आते हैं। गंगा नदी का उच्चतम बाढ़ स्तर 56 मीटर है और भागलपुर की ऊंचाई 38 से 60 मीटर के बीच है। यदि गर्मियों में गंगा नदी में गाद निकालने का कार्यक्रम किया जाए तो गंगा नदी की गहराई में वृद्धि होगी और शहरी बाढ़ की समस्या कम हो जाएगी। बांध बनाने के लिए गाद से निकलने वाली सामग्री को नदी के किनारे ढेर किया जा सकता है।

4.1.2 जलजमाव

हितधारक परामर्श के दौरान जल जमाव और दोषपूर्ण जल निकासी को नगरी पर्यावरणीय मुद्दों में से एक के रूप में पहचाना गया है। कूड़ा निस्तारण के कारण सड़क किनारे नालियों का चोक होना, उचित डिजाइन नहीं होना आदि नगर में दोषपूर्ण जल निकासी के कारण हैं। मानसून के दिनों में यह समस्या और बढ़ जाती है।

वार्ड पार्षदों के साथ बातचीत से पता चलता है, मानसून और बाढ़ के मौसम में (जुलाई से अक्टूबर) वार्ड संख्या 4, 9, 17, 18, 22, 23, 25, 28, 48 में मौसमी जलजमाव हो जाता है। निचले इलाकों से बाढ़ के पानी की खराब निकासी, गंगा नदी की घटती वहन क्षमता और भारी गाद के कारण होती हैं। जो वार्डों में गंभीर बाढ़ का कारण बनती है।

लगभग हर साल नगर में नदियों के किनारे निर्माण, प्राकृतिक जल निकायों का अतिक्रमण, जलजमाव भागलपुर नगरी बाढ़ के प्रमुख कारण हैं। जलजमाव का प्रभाव लोगों को जोखिम में डाल रहा है और बड़े आर्थिक नुकसान का कारण बन रहा है।

जमुनिया नाला, दतिया नाला और अन्य सीवेज नालियां बरसात के मौसम में एकत्र हो जाती हैं और पानी के पूरे प्रवाह को नदी में नहीं बहा पातीं, इसलिए इन क्षेत्रों में जलजमाव होता है।

4.1.3 महामारी

दिसंबर और जनवरी में सर्दियों के महीनों के दौरान, लोग लकड़ी का जलावन के लिए उपयोग करते हैं, जिससे खुद को जहरीले धुएं के संपर्क में लाते हैं और श्वसन संबंधी स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित होते हैं। इसके अलावा वायरल, बैक्टीरियल, परजीवी, फंगल संक्रमण भी महामारी का कारण बनते हैं एवं लाखों लोगों को प्रभावित करते हैं और लोगों के जीवन और आजीविका पर अत्यंत प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

गंगा के करीब 22, 25, 28 जैसे वार्डों में जलजनित रोगों की आशंका अधिक होती है। नगर में रोग प्रवण क्षेत्रों की पहचान की गई है। भागलपुर जिले में कोरोना से 297 लोगों की मौत हुई, और 20,000 लोग प्रभावित हुए थे।

4.1.4 प्रदूषण

नगर में भूमि प्रदूषण के मुख्य कारण सीवेज प्रणाली का अभाव और अनुचित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली है। कचरे की डंपिंग, स्वच्छ लैंडफिल साइट की अनुपस्थिति भूमि प्रदूषण में वृद्धि के कारणों में से हैं। बिना दीवार वाली सतह के बड़ी संख्या में सेप्टिक टैंक की उपस्थिति और सोख्ता गड्ढों की अनुपस्थिति नगर में भूमि प्रदूषण के मुख्य कारण हैं। इसके अलावा, खुले नालों में अपशिष्ट जल का सीधा निपटान और वहां से उसका जमीन में रिसना नगर में एक और मुद्दा है।

नगर में जल संसाधन सीधे नालियों या सतही जल निकायों में सीवेज के निपटान के कारण प्रदूषित होते हैं। साथ ही भूजल में नाइट्रेट और आर्सेनिक की मात्रा अधिक पायी गई है।

वाहनों की बढ़ती संख्या, भीड़भाड़, ट्रैफिक जाम और निर्माण की धूल नगर के वायु प्रदूषण के प्रमुख कारण हैं।

पारिस्थितिकी तंत्र और पर्यावरण प्रदूषण (Ecosystem and Environment Pollution)

नगर की उत्तरी सीमा पर स्थित गंगा नदी को पर्यावरण के प्रति सर्वाधिक संवेदनशील माना गया है। नदी में नालों का बहाव नदी और नगर के लिए खतरा बन गया है। लोग जानवरों के शवों को नदी में फेंक देते हैं जो पानी को प्रदूषित कर रहा है। नगर के अन्य जल निकाय अतिक्रमण व गाद के कब्जे में है। भैरवा तालाब (वार्ड 11), शाहजंगी तालाब (वार्ड 12), मिर्जा तालाब (वार्ड 43) और श्याम दास पोखर (वार्ड 47) विलुप्त होने के कगार पर हैं।

4.1.5 हीट वेव (लू)

भागलपुर नगर में लू लगना आम बात है लेकिन लू से अब तक किसी की मृत्यु नहीं हुई है। असामान्य रूप से गर्म मौसम की अवधि के दौरान और बाद में समुदायों की आजीविका गंभीर रूप से बाधित होती है। हीटवेव स्वास्थ्य और आपातकालीन सेवाओं पर बोझ डाल सकती है और पानी, ऊर्जा और परिवहन पर भी दबाव बढ़ा सकती है, जिसके परिणामस्वरूप बिजली की कमी, पानी की कमी या यहाँ तक की इलेक्ट्रिकल ग्रिड फेल हो सकता है। गर्मी की लहरों के अत्यधिक संपर्क से होने वाले मुख्य खतरे ऐंठन, थकावट, हीटस्ट्रोक और अतिताप संबंधित बीमारियां हैं।

4.1.6 भूकंप

भागलपुर भूकंपीय क्षेत्र IV में आता है, जो भूकंप के जोखिम की उच्च संभावना है। वर्ष 1900 से भागलपुर नगर ने 0 से 5 रिक्टर पैमाने के 37 भूकंपों का सामना किया है। 4 से 5 पैमाने के बीच 21 भूकंप, 3 से 4 के बीच 13 भूकंप, 2 से 3 पैमाने के बीच 1 भूकंप और 5 पैमाने के 2 भूकंप आये हैं।

25–26 अप्रैल और 12 मई 2015 को नेपाल में भूकंप के केंद्र के साथ, रिक्टर पैमाने पर 7.5 और 7.8 की उच्च तीव्रता वाले भूकंप ने पूर्वी और उत्तर भारत के कई हिस्सों को हिलाकर रख दिया, हालांकि भागलपुर नगर अधिक प्रभावित नहीं हुआ था, लेकिन कुछ व्यक्तियों के घायल और कुछ क्षति की सूचना मिली थी। परंतु भागलपुर में पुराने और विरासती भवन, कच्चे घर, गैर– इंजीनियर्ड संरचनाएं और 165 झुग्गी–झोपड़ी क्षेत्र अति संवेदनशील हैं जो बड़े भूकंप की वजह से क्षतिग्रस्त हो सकते हैं।

दिनांक	स्थान	सघनता (रिक्टर पैमाना)	प्रभावितों की संख्या	प्रभावित क्षेत्र Affected Area
4 June 1764	India- Nepal Boundary	6.0	Not Available	NA
23 August 1833	Nepal Boundary	7.7	NA	NA
15 Jan 1934	India- Nepal	8.4	10500	मुंगेर, पटना, गया, शाहाबाद, सारण,

	Boundary			मुज्जफरपुर, दरभंगा
15 feb 1993	7.9 km of purnia	5	-	बिहार लेकिन कोई नुकसान नही
25 & 26 April 2015	India- Nepal Boundary	7.8	60	पटना और नेपाल सीमा से सटा इलाका
15 Dec 2015	Bihar-Jharkhand border	4.2	-	बिहार लेकिन कोई नुकसान नहीं
21 June 2017	Bihar	4.5	-	बिहार लेकिन कोई नुकसान नही
8 march 2020	4.4 km west of Purnia	4.5	-	बिहार लेकिन कोई नुकसान नही
28 May 2020	35 km east Patna	4.8	-	बिहार लेकिन कोई नुकसान नही
5 may 2022	37 km east of jamui	4.5	-	बिहार लेकिन कोई नुकसान नही
22 june 2022	14 km west of araria	3.8	-	बिहार लेकिन कोई नुकसान नही
12 june 2022	32 km northeast of sahibganj, Jharkhand	2.9	-	बिहार लेकिन कोई नुकसान नही
31 July 2022	Kathmandu	5.5	-	बिहार लेकिन कोई नुकसान नही

स्रोत: जिला आपातकालीन संचालन केंद्र, 2022

4.1.7 डूबना

भागलपुर नगर के वार्ड संख्या 9, 17, 18, 22, 23, 25, 28, और 29 में अवस्थित घाट हैं, जो संवेदनशील हैं। विशेष रूप से 'छठ', और अन्य त्योहार के दिनों में मानव लापरवाही के कारण आगंतुकों, पर्यटकों और तीर्थयात्रियों (श्रद्धालुओं) का डूबना दर्ज किया गया है। डूबने की घटना की सूचना अंचल अधिकारी के द्वारा दी जाती है। सारणी 4.1.7 में 2019–2021 के दौरान पिछले तीन वर्षों में भागलपुर में डूबने (तालाबों /झीलों / नदियों) के मामलों का रिकॉर्ड दिखाया गया है। नदी घाटों पर किए जाने वाले विस्तृत जागरूकता और सुरक्षा उपायों को अध्याय 10 में **उचित सुझाव** में प्रस्तुत किया गया है।

भागलपुर नगर निगम के अंतर्गत सबसे संवेदनशील घाट हैं: वार्ड संख्या 28 में बरियारपुर घाट, वार्ड संख्या 29 में मुसेरी घाट, वार्ड संख्या 25 में खिरनी घाट, वार्ड संख्या 22 में बूढ़ानाथ घाट, वार्ड संख्या 22 में आदमपुर घाट, वार्ड संख्या 4 में चंपारण घाट और नाथनगर में नया पुल घाट आदि।

सारणी 4.1.7: पिछले 3 वर्षों में भागलपुर नगर में डूबने की घटनाएं

क्र.सं.	क्षेत्र	वर्ष / डूबने से हुई मौतों की संख्या		
		2019	2020	2021
1.	नाथनगर	5	4	3

स्रोतः जिला आपातकालीन संचालन केंद्र भागलपुर, 2022

4.1.8 सड़क दुर्घटनाएं

नगर में मामूली सड़क हादसों की घटनाएं हुई हैं जिनमें कुछ घातक मामले भी शामिल हैं। सड़क नेटवर्क बड़े पैमाने पर अविभाजित हैं जिसमें कोई फुटपाथ नहीं है, उच्च स्तर के अतिक्रमण, मुफ्त और बेतरतीब पार्किंग ट्रैफिक जाम में योगदान करते हैं। इंट्रा सिटी परिवहन मुख्य रूप से साइकिल और ऑटो रिक्शा के माध्यम से होता है, जबकि इंटरसिटी परिवहन राज्य परिवहन बसों द्वारा पूरा किया जाता है। 6 सीटर डीजल रिक्शा मध्यवर्ती सार्वजनिक परिवहन का प्रमुख साधन है और ट्रैफिक जाम और प्रदूषण का भी प्रमुख कारण हैं। ये डीजल रिक्शा धुआं छोड़ते हैं और नगर की हवा को प्रदूषित करते हैं। इसके अलावा कुछ सड़कों पर साइकिल रिक्शा भी संचालित होते हैं।

मुख्य कारण आवासीय क्षेत्रों के लिए मुख्य सड़कों की निकटता, ड्राइवरों के बीच सड़क नियमों के बारे में जागरूकता की कमी, भारी यातायात और खतरनाक मोड़ है। **ब्लैक स्पॉट: तिलकामांझी, चंपानगर वार्ड नंबर 9 में यूनिवर्सिटी गेस्ट हाउस, भेरवा तालाब आदि नगर में हैं, निकटतम पुलिस स्टेशन विश्वविद्यालय है और निकटतम अस्पताल भागलपुर सदर है।** सड़क निर्माण विभाग ने ततारपुर चौक, विक्रमशिला पुल और सेंट्रल जेल गेट जैसे तीन ग्रे स्पॉट चिन्हित किए हैं, जहां एक साल में 2 से 10 दुर्घटनाएं होती हैं।

ग्रे (Grey) स्पॉट	निकटतम पुलिस स्टेशन	निकटतम अस्पताल
ततारपुर चौक	ततारपुर थाना	सदर अस्पताल
विक्रमशिला पुल	बरारी थाना	सदर अस्पताल
सेंट्रल जेल गेट	इशाकचक थाना	सदर अस्पताल

स्रोतः पथ निर्माण और यातायात विभाग, भागलपुर, 2022

सारणी 4.1.8: पिछले 3 वर्षों में भागलपुर नगर में सड़क दुर्घटनाएं

क्र.सं.	क्षेत्र	सड़क दुर्घटनाओं के कारण होने वाली मौतों की संख्या		
		2019	2020	2021
1	भागलपुर	2	0	5
2	नाथनगर	3	5	3

स्रोतः पथ निर्माण और यातायात विभाग, भागलपुर, 2022

सड़क हादसों पर नियंत्रण के लिए सड़कों का चौड़ीकरण, रोड डिवाइडर, स्पीड ब्रेकर, ट्रैफिक सिग्नल लगाना और ड्राइवरों के बीच सड़क नियमों के बारे में जागरूकता जरूरी हैं।

सारणी 4.1.9: यातायात विभाग द्वारा चिन्हित ग्रे (Grey) स्पॉट

ब्लैक स्पॉट	कहां से कहां तक	पुलिस स्टेशन	अस्पताल	सड़क दुर्घटनाए 2020	सड़क दुर्घटनाए 2021	सड़क दुर्घटनाए 2022	मौतों की संख्या 2020	मौतों की संख्या 2021	मौतों की संख्या 2022
विक्रमशिला सेतु	पोल नं. 110 से पोल नं. 130	यातायात बरारी	सदर अस्पताल	5	4	5	1	2	4
जीरोमाइल का बंशीटीकर मोड	0 किमी से 0.3 किमी	यातायात औद्योगिक प्रक्षेत्र	सदर अस्पताल	5	4	5	1	2	3

स्रोतः पथ निर्माण और यातायात विभाग, भागलपुर, 2022

सारणी 4.1.10: यातायात विभाग द्वारा चिन्हित ग्रे (Grey) स्पॉट

ब्लैक स्पॉट	पुलिस स्टेशन	अस्पताल	सड़क दुर्घटनाए	मौतों की संख्या	घायल की संख्या
पुरानी सराय बायपास	यातायात नाथनगर	सदर अस्पताल	2	2	1
तनिष्क मोड़ से विक्रमशिला सेतु	यातायात बरारी	सदर अस्पताल	3	0	5
लोहिया पुल	यातायात	सदर अस्पताल	3	3	0
बलूआचक से नयाचक मखना	जगदीशपुर	सदर अस्पताल	2	2	2

स्रोतः पथ निर्माण और यातायात विभाग, भागलपुर, 2022

4.1.9 आग / विस्फोटक

नगर में आग लगने का मुख्य कारण विद्युत शॉर्ट सर्किट, आतिशबाजी लघु उद्योग एवं अवैध निर्माण, अधिक जनसंख्या, भीड़भाड़ वाली सड़कें, अनियमित व्यावसायिक गतिविधि और मुख्य नगर में घरों और गोदामों में आतिशबाजी का भंडारण हैं। जिन कच्चे घरों में छत ज्वलनशील सामग्री की होती है, उनमें अचानक आग लगने की आशंका अधिक होती है। आग आवासीय भवनों, झुग्गी–झोपड़ियों, बस्तियों, सार्वजनिक स्थानों जैसे सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, LPG गोदामों / पेट्रोल पंपों, उद्योगों, रासायनिक हैंडलिंग इकाइयों आदि में लगने की आशंका ज्यादा रहती है।

भागलपुर शहर में विशेष रूप से बाजार क्षेत्रों में कई भीड़भाड़ वाली गलियां हैं। गलियां इतनी संकरी हैं कि आग लगने की स्थिति में दमकल की छोटी गाड़ियां भी इन गलियों में प्रवेश नहीं कर सकती हैं। शाह मार्केट, खलीफाबाग चौक वार्ड नंबर 38 एक ऐसा इलाका है, जहां बिजली के खंभों से लटकते तारों में शार्ट सर्किट और आग लगने की आशंका बनी रहती है।

आग लगने की स्थिति में पोर्टेबल फायर पंप, होज पाइप और आग बुझाने वाले यंत्र या छोटे वाहन का उपयोग किया जा सकता है लेकिन भीड़ और अतिक्रमण के कारण इसमें भी समय लगेगा। सारणी 8.7 में अग्निशमन विभाग के पास बड़े और छोटे वाहन की सूची दी गयी है, जो नगर क्षेत्र या भीड़भाड़ वाले क्षेत्र में आसानी से पहुँचाए जा सकते हैं।

पटाखा निर्माण उद्योगों के कारण नगर में आग विस्फोट के मामले सामने आए हैं। हाल ही में 4 मार्च 2022 को वार्ड नंबर 7 में हुए विस्फोट में 14 लोगों की मौत हो गई थी, जो जन हानि की एक बड़ी संख्या है।

वर्ष	प्रति वर्ष फायर कॉल की संख्या	कुल मृत व्यक्ति की संख्या	कुल घायल व्यक्ति की संख्या	कुल मृत जानवर की संख्या
2019	45	2	0	0
2020	40	0	2	1
2021	54	0	4	0
2022	46	14	2	0

स्रोतः अग्निशमन विभाग, भागलपुर

4.1.10 शीतलहर

शीतलहर के दिनों में लोगों के स्वास्थ्य पर बहुत ही प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। शीतलहर के दौरान मनुष्य, जानवर तथा पशु-पक्षी सभी प्रभावित होते हैं। यह सार्वजनिक सेवाओं, व्यावसायिक गतिविधियों, शैक्षणिक तथा प्रशासनिक क्रियाकलापों को भी प्रभावित करता है। गृहविहीन तथा साधनविहीन जनता, वृद्धजनों तथा बच्चों के स्वास्थ्य पर विशेष प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

4.1.11 ठनका

बिहार, झारखंड, ओडिशा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश सहित उत्तर भारत के भारत–गंगा के मैदान, उत्तर और उत्तर–पूर्व में पहाड़ी क्षेत्र, घातक ठनका के हमलों की चपेट में हैं।

भागलपुर नगर निगम क्षेत्र सहित भागलपुर जिले में मानसून के दौरान ठनके की आशंका बनी रहती है। ठनका बाहर काम करने वाले लोगों के लिए खतरनाक है और जंगल की आग को भड़का सकता है। भागलपुर जिलाधिकारी कार्यालय में 1 तड़ित चालक और 7 तड़ित चालक ओवर हैड टैंक पर हैं जो इमारतों को वज्रपात से बचाने में मदद करते हैं।

सारणी 4.1.11: पिछले 4 वर्षों में भागलपुर नगर में ठनका दुर्घटनाओं से मौतें

वर्षों	ठनका से मौतें
2019	0
2020	2
2021	0
2022	1

स्रोतः जिला आपातकालीन संचालन केंद्र भागलपुर, 2022

4.1.12 पर्यावरण सुरक्षा

आम लोगों में पर्यावरण सुरक्षा के प्रति जागरूकता का अभाव तथा उनकी लापरवाही के कारण आज वैश्विक पर्यावरण पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। पर्यावरण असंतुलन के कारण जलवायु परिवर्तन भी एक मानवजनित आपदा का रूप ग्रहण कर रही है। स्थानीय स्तर पर सतही जल भंडार, भूगर्भ जल भंडार तथा वायु प्रदूषण को प्रत्यक्ष महसूस किया जा सकता है। असमय वर्षा, वर्षा दिवस में कमी, अतिवृष्टि दिवस, न्यूनतम, अधिकतम तापमान के पूर्व रिकार्ड का टूटना आम बात हो गई है।

भागलपुर नगर में जलजमाव के कारण यहाँ के पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव व कई प्रकार से लोगों के जीवन को कष्टकर बनाने लगा है। जलजमाव वाले इलाकों में निर्मित सेप्टिक टैंक का मैला पानी उस इलाके में कई दिनों तक जमा रहने वाले पानी में मिलकर उसे विषयुक्त तथा दुर्गधयुक्त बना देते हैं। इससे कई प्रकार की बीमारियां होती हैं तथा आवागमन में कठिनाई होती है। भागलपुर नगर में प्रतिदिन निकलने वाले ठोस कचरे एवं बायोमेडिकल अपशिष्ट के कारण भी पर्यावरण पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। दिन प्रतिदिन बढ़ती वाहनों की संख्या से वायु की गुणवत्ता भी प्रभावित हो रही है।

4.1.13 मेला भीड़ सुरक्षा

पर्व त्योहारों के समय आयोजित मेलों में काफी लोग एकत्र होकर उत्सव मनाते हैं। यहाँ माघी पूर्णिमा मेला, शिवरात्रि मेला, छठ पूजा, दुर्गा पूजा, मुहर्रम, शब–ए–बारात, और ईद के समय प्रति वर्ष मेला आयोजित किये जाते हैं जिनमें हजारों लोगों की भीड़ होती है। इसके अतिरिक्त विभिन्न धार्मिक अवसरों पर अलग–अलग समुदायों द्वारा जुलूस निकाला जाता है।

भीड़ को भगदड़ में बदलने का अंदेशा हमेशा बना रहता हैं। जरा-सी असावधानी, शरारतपूर्ण अफवाह, आकस्मिक दुर्घटना के वक्त बेसब्री तथा आयोजकों की ओर से सुनियोजित प्रबंधन न होने से कभी भी भीड़ भगदड़ में बदल सकती है। इन सभी हालातों के मद्देनज़र किसी भी आयोजन को भीड़ प्रबंधन की दृष्टि से देखा जाता है।

4.2 संभावित प्रभाव विश्लेषण (Potential Impact Analysis)

सारणी 4.2: सभी संभावित खतरों और मौजूदा भेद्यताओं के प्रभाव का विश्लेषण

खतरे का प्रकार	नगर में संवेदनशील क्षेत्र	संभावित प्रभाव	सुरक्षित स्थान व उपाय
भूकंप	पुराने और विरासती भवन, कच्चे घर, अनियोजित संरचनाएं और झुग्गी–झोपड़ी क्षेत्र	मानव जीवन, पशुधन, संपत्ति की क्षति	खुले पार्क और मैदान।
शहरी बाढ़	वार्ड संख्या 1, 2, 3, 4, 9, 17, 18, 21, 22, 27, 29, गंगा तट और घाटों के आसपास के स्लम क्षेत्रों में शहरी बाढ़ का खतरा है।	भवन, विद्यालय, घर, भूमि, पार्क	ऊंचे स्थान, पक्के मकान
सड़क दुर्घटनाएं	NH-31 पर नवगछिया भागलपुर रोड पर सिटी तेतरी चौक में वार्ड नंबर 37 और सभी क्षेत्रों की मुख्य सड़क।	मानव जीवन, पशु जीवन, संपत्ति की क्षति और ट्रैफिक जाम	चौराहों और ब्लैक स्पॉट पर ट्रैफिक सिग्नल और ट्रैफिक पुलिस कर्मियों की प्रतिन्युक्ति
आग	वार्ड संख्या 7, 9, 11, 14, 30, 38, 39 में आग लगने की आशंका अधिक होती है और आतिशबाजी भंडारण, मानवीय लापरवाही और शॉर्ट सर्किट से आग लगती और भड़कती है।	व्यापार, पशु, मानव जीवन, संपत्ति की क्षति	सुरक्षित स्थानों और एम्बुलेंस तथा अग्निशमन सेवाओ जैसी आपातकालीन सेवाओं का चिह्नितकरण
जलजमाव	भागलपुर में वार्ड नंबर 4, 9, 17, 18, 22, 23, 25, 28, 48 और स्लम एरिया।	कृषि और संपत्ति की क्षति। जलवायु परिवर्तन के साथ, अपूर्वानुमानित वर्षा जलजमाव का कारण हो सकता है।	स्थानीय विद्यालय, सामुदायिक हॉल एवं PHED के द्वारा जल निकासी की व्यवस्था करना।
हीटवेव	भागलपुर नगर के सभी वार्ड और स्लम एरिया। पानी की कमी और सुरक्षित पेयजल की कम उपलब्धता।	जनसंख्या और पशुधन	दोपहर में बाहर जाने से बचें, अति आवश्यक हो तो सिर पर कपड़े का प्रयोग करें
डूबना	वार्ड संख्या 9, 17, 18, 22, 23, 25, 28 धार्मिक और त्योहार के दिनों में आगंतुकों, पर्यटकों और तीर्थयात्रियों (श्रद्धालु) का जमावड़ा	मानव जीवन, भगदड़	स्थानीय प्रशिक्षित गोताखोर, और बचाव के लिए अग्निशमन आपातकालीन सेवाएं
बिजली का झटका और हिंसक घटनाएं	विषहरी पूजा और विसर्जन के दौरान, हजारों स्थानीय भक्त चंपानगर और नगर के अन्य स्थानों में एकत्रित होते हैं।	मानव जीवन, भगदड़	बिजली आपूर्ति का प्रबंधन, पर्याप्त कानून और व्यवस्था प्रावधान और सद्भाव बनाए रखने के लिए स्थानीय स्वयंसेवकों को शामिल करना

मेला भीड़	वार्ड नंबर 9, 17, 18, 22, 23, 25, 28 पर्यटकों और तीर्थयात्रियों (श्रद्धालुओं) का जमावड़ा।	मानव जीवन, भगदड़	यातायात पुलिस कर्मियों की प्रतिनियुक्ति, स्थानीय प्रशिक्षित गोताखोर, और बचाव के लिए अग्निशमन आपातकालीन सेवाएं।

4.3 क्षमता विश्लेषण (Capacity Analysis)

क्षमता विश्लेषण योजना और मूल्यांकन के लिए एक आधारशिला है, जो लोगों की भेद्यता और क्षमता, परस्पर संबंधित क्षेत्रों भौतिक / सामग्री और सामाजिक / संगठन को देखने के लिए एक सरल मॉडल है। भागलपुर जिले में 5667 ई–रिक्शा, 13 एंबुलेंस, 128 बसें, दमकल सहित 12 दमकल वाहन, 958 कैब, 5729 ट्रक, 6889 तिपहिया और 3284 ट्रैक्टर पंजीकृत हैं।

सारणी 4.3.1: भागलपुर की संसाधन सूची

संसाधन प्रकार	विवरण	संख्या	सरकारी, निजी	संपर्क नंबर नोडल व्यक्ति / व्यक्तियों की
भागलपुर नगर निगम वाहन	ट्रैक्टर–ट्रेलर	23	सरकारी	रेहान अहमद कार्यालय अधीक्षक – 6204659104
भागलपुर नगर निगम वाहन	हाईवा	5	सरकारी	
भागलपुर नगर निगम वाहन	Tricycle	120	सरकारी	
भागलपुर नगर निगम वाहन	पोकलेन	1	सरकारी	
भागलपुर नगर निगम वाहन	ऑटो टिपर	55	सरकारी	
भागलपुर नगर निगम वाहन	जेसीबी / फ्रंट–एंड लोडर	4	सरकारी	
भागलपुर नगर निगम वाहन	16 पानी के टैंकर	4000 लीटर –16	सरकारी	
पुलिस वाहन	बोलेरो–2, सूमो–1, जिप्सी–1, थार-1	5	नजर रखने के	
एम्बुलेंस	वाहन	सरकारी - 22 निजी – 35	सरकारी और निजी	102 108

स्रोतः भागलपुर नगर निगम, 2022

सारणी 4.3.2: भागलपुर नगर निगम की संस्थागत और संगठनात्मक क्षमता

संस्थागत / संगठनात्मक क्षमता	नगर निगम	सदर अस्पताल	टिप्पणी
भवन उपनियम संशोधित	हां, 8 दिसंबर 2014 को	हां, 8 दिसंबर 2014 को	इनमें 2014 में संशोधन किया गया था लेकिन अनुपालन और प्रवर्तन काफी चुनौती भरा है।
संरचनात्मक सुरक्षा मुद्दे को संबोधित किया?	अपूर्ण	बिल्कुल भी नहीं। कमजोर संरचनाओं की वजह से अधिकांश इमारतें उच्च जोखिम में हैं।	भूकंप के मामले में यह एक बड़ा मुद्दा होगा।
मॉक ड्रिल किया गया?	नहीं	अगलगी से बचाव के बारे में कभी–कभी अभ्यास	
क्या अग्निशमन सेवाएं पर्याप्त हैं?	नहीं	अपर्याप्त	अग्निशमन विभाग के पास जनशक्ति और उपकरण दोनों की कमी है
जल निकासी व्यवस्था	अपर्याप्त	अपर्याप्त	जल के अपर्याप्त उपयोग के कारण जलजमाव होता है
जागरूकता	नहीं	कर्मचारी जोखिमों के बारे में कम जागरूक हैं। कोई संतोषजनक शमन उपाय नहीं किए गए।	
प्रशिक्षण	नहीं	फायर ड्रिल हो चुकी है।	आपातकालीन और अग्निशमन सेवा कर्मियों का बहु–जोखिम प्रत्युत्तर और बचाव प्रशिक्षण अभी तक शुरू नहीं किया गया है, वार्ड स्तर पर कोई नगर/ वार्ड स्तरीय आपातकालीन कार्य बल नहीं है

4.4 जोखिम आकलन (Risk Assessment)

भागलपुर गंगा नदी के बाढ़ के मैदानों में स्थित है। नगरीय आबादी पर्यावरण, भूकंप, शहरी बाढ़, नगरीय आग, तेज़ हवा / आंधी और अन्य प्राकृतिक खतरों के प्रति संवेदनशील है। इसका मुख्य कारण भवन डिजाइन, सामग्री और शिल्प कौशल है। झुग्गी बस्तियों सहित अधिकांश इमारतें गैर–इंजीनियर संरचनाओं से बने हैं। खराब भवन डिजाइन, कम गुणवत्ता वाली सामग्री और खराब शिल्प कौशल भागलपुर नगर के घरों और संपत्तियों के कमजोर स्टॉक को और बढ़ा देता है। भागलपुर नगर निगम में भूमि के लिए बढ़ती प्रतिस्पर्धा, घटता हरित आवरण, अनुपयुक्त भूमि उपयोग और खराब प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन के साथ अनियंत्रित नगरीकरण ने अनौपचारिक बस्तियों / झुग्गी बस्तियों में रहने वाले लोगों को पीने के पानी, स्वच्छता तक सीमित पहुंच की स्थिति उत्पन्न की है।

भागलपुर नगर निगम में बढ़ी गरीबी रेखा के नीचे वाली आबादी, खुली / कच्ची जल निकासी व्यवस्था, मानकों के अनुसार नहीं बनाए गए सामुदायिक शौचालय, अपर्याप्त पेयजल सुविधा और स्वास्थ्य क्षेत्र की उच्च संवेदनशीलता (बीमारी की व्यापकता) के साथ–साथ स्वास्थ्य कर्मियों की कमी भेद्यता बढ़ने के प्रमुख

कारण हैं। इन भेद्यताओं ने अतीत में प्राकृतिक आपदाओं के मामले में नगर की आबादी को प्रभावित किया है।

बढ़ते तापमान और जलवायु परिवर्तनशीलता के साथ भागलपुर नगर में आने वाले वर्षों में बारिश / बाढ़ की घटनाओं, आग, गर्मी की लहरों की संख्या में वृद्धि देखने को मिलेगी। गरीबी, विविध आजीविका की कमी, अपर्याप्त नगरी सेवाएं जैसे स्वास्थ्य, पानी और स्वच्छता, परिवहन, ठोस कचरा प्रबंधन नगर की आबादी की मौजूदा भेद्यताओं को बढ़ा देगा। कृषि उत्पादकता और फसल पैटर्न प्रभावित होगा। जागरूकता की कमी, प्रशिक्षण, अपेक्षित कौशल, जनसंख्या के जोखिम स्तर को और बढ़ाएंगे।

4.5 सामुदायिक प्रत्युत्तर – स्थानीय परामर्श (Community Feedback - Local Consultations)

वार्ड पार्षदों और महापौर से बातचीत के बाद मुख्य निष्कर्ष इस प्रकार हैं:

1) वार्ड संख्या 1, 2, 3, 4, 9, 17, और 18 शहरी बाढ़ और जलजमाव से सबसे अधिक प्रभावित हैं जबकि वार्ड संख्या 21, 22, 25, 27, 28 और 29 में शहरी बाढ़ का प्रभाव मध्यम है।

2) बाढ़ राहत का उचित वितरण नगर निगम की चिंता का विषय है जिसे अधिकांश पार्षदों ने महसूस किया है।

3) सुरक्षित पेयजल की व्यवस्था पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। जल उपचार संयंत्र की स्थापना और संचालन की आवश्यकता है।

4) लोग जानवरों के शवों को नदी में फेंक देते हैं जो पानी को प्रदूषित कर रहा है (वार्ड पार्षद – 21)

5) वार्ड संख्या 18, 21 और 27 उन वार्डों में से हैं, जहां स्लम क्षेत्र स्थित हैं, यहाँ स्वच्छ पेयजल और साफ–सफाई की व्यवस्था सबसे बड़ी समस्या है। हालांकि नगर को खुले में शौच मुक्त घोषित किया गया है, फिर भी लोग खुले में शौच के लिए जाते है क्योंकि उनके पास शौचालय में पानी की सुविधा नहीं है। (वार्ड पार्षद – 9 व 27)

6) हर मानसून में भोलानाथपुर और नाथनगर में जलजमाव हो जाता है। 2021 में एक मां ने बाढ़ के पानी को पार करते हुए अपने बच्चे को खो दिया। दक्षिण क्षेत्र के सभी नालों को मानसून के मौसम की शुरुआत से पहले तत्काल सफाई की आवश्यकता है। (वार्ड पार्षद – 4 और 48)

7) ओल्ड इवनिंग कॉलेज, टीला घाट अस्थायी बाढ़ आश्रयों में से एक हैं जिसका उपयोग बाढ़ प्रभावित आबादी और जानवरों को निकालने के लिए किया जाता है। भवन की संरचना जर्जर हालत में है और कभी भी गिर सकती है। इस आश्रय का उपयोग हमें बाढ़ में नहीं करना चाहिए। (वार्ड पार्षद एवं कम्युनिटी सदस्य–वार्ड नंबर 17)

5. आपदा प्रबंधन के लिए संस्थागत व्यवस्था (INSTITUTIONAL ARRANGEMENTS FOR DISASTER MANAGEMENT)

भागलपुर नगर निगम के मेयर शहर के निर्वाचित प्रथम नागरिक हैं। भागलपुर नगर निगम के बोर्ड में एक स्थायी समिति (सारणी 5.1.1 में 7 सदस्य) और कई अन्य समितियाँ जैसे जल आपूर्ति समिति, स्वच्छता समिति, झुग्गी सुधार समिति, खरीद समिति आदि शामिल हैं। नगर को प्रत्येक वार्ड के लिए एक वार्ड पार्षद (निर्वाचित प्रमुख) के साथ 51 वार्डों में विभाजित किया गया है।

नगर आयुक्त, भागलपुर नगर निगम के कार्यकारी प्रमुख हैं। वह स्थापना, प्रशासन, राजस्व, इंजीनियरिंग, जल आपूर्ति और सार्वजनिक स्वास्थ्य जैसे वर्गों के प्रमुख हैं। बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 में उल्लिखित प्रत्येक अनुभाग का नेतृत्व कर्मियों द्वारा किया जाता है।

सारणी 5.1: भागलपुर नगर निगम का संस्थागत उत्तरदायित्व मैट्रिक्स

क्षेत्र	योजना	कार्यान्वयन	प्रचालन एवं रखरखाव
भवन उपनियम	भागलपुर नगर निगम	भागलपुर नगर निगम	भागलपुर नगर निगम
जलापूर्ति	सार्वजनिक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग विभाग, बिहार राज्य जल परिषद (बी.आर.जे.पी.)	सार्वजनिक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग विभाग, बिहार राज्य जल परिषद, भागलपुर नगर निगम	भागलपुर नगर निगम
सीवरेज और ड्रेनेज	सार्वजनिक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग विभाग, बिहार राज्य जल परिषद, भागलपुर नगर निगम	सार्वजनिक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग विभाग, बिहार राज्य जल परिषद, भागलपुर नगर निगम	भागलपुर नगर निगम
ठोस अपशिष्ट प्रबंधन	भागलपुर नगर निगम	भागलपुर नगर निगम	भागलपुर नगर निगम
सड़कें	भागलपुर नगर निगम, लोक निर्माण विभाग	भागलपुर नगर निगम, लोक निर्माण विभाग	भागलपुर नगर निगम, लोक निर्माण विभाग
नगरी परिवहन	भागलपुर नगर निगम	जिला परिवहन कार्यालय	भागलपुर नगर निगम
सड़क प्रकाश	भागलपुर नगर निगम	भागलपुर नगर निगम	भागलपुर नगर निगम
पार्क / खेल के मैदान / नगर	भागलपुर नगर निगम	भागलपुर नगर निगम	भागलपुर नगर निगम
सौंदर्यीकरण	भागलपुर नगर निगम	भागलपुर नगर निगम	भागलपुर नगर निगम
स्लम विकास	भागलपुर नगर निगम	भागलपुर नगर निगम	भागलपुर नगर निगम

5.1 मुख्य संस्थागत ढांचा (Institutional Framework)

भागलपुर जिले में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण गठित है। यहाँ जिला सड़क सुरक्षा समिति भी गठित है। जिले में आपदा प्रबंधन भागलपुर समाहरणालय भवन में अवस्थित है।

5.1.1 जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (District Disaster Management Authority)

आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 25(1) में सन्निहित प्रावधान के आलोक में आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक 1502 दिनांक 13.06.2008 को निर्गत राज्यादेश से बिहार के सभी 38 जिलों में (भागलपुर सहित) जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया गया है। इस आदेश के अनुसार इस प्राधिकरण में निम्नलिखित अधिकारियों को सम्मिलित किया गया है।

सारणी 5.1.1: आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में सम्मिलित अधिकारी

जिलाधिकारी	पदेन अध्यक्ष
जिला परिषद के अध्यक्ष	सह अध्यक्ष
पुलिस अधीक्षक	सदस्य
उपविकास आयुक्त	सदस्य
असैनिक शल्य चिकित्सक	सदस्य
वरीय अपर समाहर्ता	सदस्य /मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी
जिला में वरीयतम अभियंता	सदस्य

5.1.2 बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण 16.11.2007 को गठित हुआ, जिसके अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री हैं। इसके अतिरिक्त एक उपाध्यक्ष तथा दो सदस्य सम्प्रति कार्यरत हैं। इसका मुख्यालय सरदार पटेल भवन, नेहरू मार्ग, पटना में अवस्थित है। यह प्राधिकरण बहु–आपदा से संबंधित विषयों पर योजनाओं का अनुमोदन, क्षमतावर्द्धधन, अध्ययन, सर्वे एवं सलाह देता है। इसके अतिरिक्त प्राधिकरण विभिन्न स्तरों पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों तथा कार्यशालाओं का आयोजन करता है।

5.1.3 आपदा प्रबंधन विभाग

बिहार सरकार का यह विभाग राज्य में प्राकृतिक एवं मानवजनित आपदाओं दोनों के प्रभावी प्रबंधन के लिए बिहार सरकार का नोडल विभाग है। यह रोकथाम, शमन, प्रत्युत्तर, राहत, पुनर्वास एवं पुनर्निर्माण के लिए जिम्मेदार है। विभाग आपदा प्रबंधन के संबंध में कानून, नीति निर्माण और क्षमतावर्द्धधन के लिए भी जिम्मेदार है। विभाग संबंधित विभागों की विकास योजनाओं में आपदा जोखिम न्यूनीकरण को मुख्यधारा में लाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

5.1.4 राज्य कार्यकारिणी समिति

इसे राष्ट्रीय योजना एवं राज्य योजना को लागू कराने की जिम्मेदारी दी गई है। यह राज्य में आपदा के प्रबंधन के लिए समन्वय और निगरानी निकाय के रूप में कार्य करती है। इसके अध्यक्ष मुख्य सचिव, बिहार सरकार होते हैं।

5.1.5 बिहार राज्य डिजास्टर रिसोर्स नेटवर्क (BSDRN) - बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने आपदा प्रबंधन के लिए 'डेटाबेस' तैयार किया है। यह नेटवर्क, जो कि वेब आधारित है, सरकार के पदाधिकारियों तथा आपदा प्रबंधकों के लिए उपलब्ध है। इस क्षेत्र में बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने खोज एवं बचाव उपकरण, कुशल मानव संसाधन, परिवहन, खाद्य एवं जलस्रोत, सुरक्षा एवं आश्रय तथा आपातकालीन आपूर्ति एवं सेवाएँ जैसे छः वर्गो में सूचनाएँ उपलब्ध करायी है। इस पोर्टल पर लगभग 8000 उपलब्ध संसाधन की जानकारी उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त प्राधिकरण ने बड़े स्तर पर मोबाईल एप के जरिये से सचेत रहने हेतु जन संदेश (Mass Message) पहुँचाने की व्यवस्था की है। इसमें

जिलाधिकारी (38), उप–समाहर्ता (38), बी.डी.ओ. (534), अंचलाधिकारी (534), फोकल शिक्षक (1542), नाव–नाविक मालिक (3820), पंचायत जन प्रतिनिधि (चयनित 207429, गैर चयनित 435699), जीविका दीदी (148890), आशा कार्यकर्ता (77542), आंगनबाड़ी सेविका (45946), अन्य प्रशिक्षित अभियंता एवं राजमिस्त्री आदि जुड़े हैं। अब तक इस जन संदेश का उपयोग पूर्व चेतावनी, आपदा की तैयारी, न्यूनीकरण, जागरूकता, बचाव, क्या करें, क्या न करें के विषयों पर किया गया है।

5.1.6 जिला सड़क सुरक्षा समिति, भागलपुर

अध्यक्ष	–	जिलाधिकारी
सचिव	–	जिला परिवहन पदाधिकारी
सदस्य	–	नगर आयुक्त
		पुलिस अधीक्षक,
		असैनिक शल्य चिकित्सक
		कार्यपालक अभियंता, सड़क निर्माण

संप्रति सड़क सुरक्षा समिति संबंधित कार्यो की समीक्षा निर्देश, अध्ययन तथा समय–समय पर सड़क दुर्घटनाओं के न्यूनीकरण हेतु संबंधित विभागों को आदेश जारी करती है।

5.1.7 जिला परिषद्

भारत के संविधान के 73वें एवं 74वें संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत स्थानीय स्तर पर जिला परिषद के साथ नगर निगम है। विकास तथा जनकल्याण योजना बनाने तथा जिला योजना समिति के स्तर पर इनके अन्य विकास एवं जनकल्याण की योजनाओं के साथ समेकन को जरूरी बना दिया गया है। नगर निगम को आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के उद्देश्य से अपनी नगरीय योजना बनाने की जिम्मेदारी दी गई है।

5.1.8 मोटर वाहन दुर्घटना न्यायाधिकरण (यथा संशोधित 2021)

सड़क दुर्घटना में मृतकों या गंभीर रूप से घायलों को त्वरित क्षतिपूर्ति /सहायता राशि प्रदान करने के उद्देश्य से मोटर वाहन अधिनियम में संशोधित करते हुए राज्यस्तरीय न्यायाधिकरण गठित हैं। जहाँ जिला में घटित सड़क दुर्घटना के लिए मुआवजा के दावा का निपटारा किया जाता है।

5.1.9 नागरिक सुरक्षा (सिविल डिफेन्स)

नागरिक सुरक्षा अधिनियम जो 1968 में संसद से पारित है, उसमें 2009 में बदलाव करते हुए नागरिक सुरक्षा को रक्षा मंत्रालय तथा गृह मंत्रालय से अलग करते हुए आपदा प्रबंधन विभाग के अंतर्गत लाया गया। इसे **आपदाओं के प्रबंधन, न्यूनीकरण तथा आम लोगों में क्षमतावृद्धि के उद्देश्य से प्रशिक्षित करने का दायित्व सौंपा गया है।** नागरिक सुरक्षा निदेशालय राज्य मुख्यालय में स्थापित है जिसके प्रधान भारतीय पुलिस सेवा के वरीय पदाधिकारी होते हैं जिन्हे पुलिस महानिरीक्षक–सह–आयुक्त, नागरिक सुरक्षा के पदनाम से जाना जाता है।

अधिनियम के अनुरूप आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार (ज्ञापांक –एम0/ सी0डी0–66 / 10–2954 आ0प्र0 दि0 05.08.2016) ने भागलपुर जिले में नागरिक सुरक्षा इकाई का गठन करने का निर्देश दिया है। इसके गठन हेतु कार्यवाही की जा रही है। आपदाओं के दौरान बचाव एवं राहत प्रदान करने तथा आवश्यक

सेवाओं के बहाल करने के लिए नागरिक सुरक्षा इकाईयों का उपयोग किया जाता है। (विस्तृत :आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार सरकार के वेबसाईट www.disastermgmt.bih.nic.in पर देखें।)

5.1.10 राष्ट्रीय आपदा मोचन बल

राष्ट्रीय आपदा मोचन बल का गठन, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के दिये गये प्रावधान के अंतर्गत किया गया है। बिहार प्रांत के आपदा प्रवण स्थिति को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की एक इकाई (बटालियन सं0 9) पटना जिले के बिहटा में अवस्थित है।

5.1.11 राज्य आपदा मोचन बल

राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की तर्ज पर बिहार राज्य में मार्च 2010 में आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार सरकार के द्वारा राज्य आपदा मोचन बल का गठन किया गया है जिसका मुख्यालय बिहटा में अवस्थित है। भागलपुर नगर में जिला विद्यालय भागलपुर परिसर में एक टीम लीडर के नेतृत्व में एक आपदा मोचन दल प्रतिनियोजित है।

आपदा प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत राज्य स्तर पर आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण तथा राज्य कार्यकारिणी परिषद है जो नीतिगत निर्णय लेती है। राज्य स्तर पर राज्य आपदा संचालन केन्द्र (SEOC) स्थापित है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण समय–समय पर 'गाईडलाइन्स' जारी करता है।

5.1.12 शिक्षा से संबंधित सहयोगी संस्था

सुरक्षित विद्यालय कार्यक्रम के सफलता हेतु निम्नलिखित विभागों, संस्थानों एवं संभागों के सहयोग से स्कूली सुरक्षा कार्यक्रम की सफलता हासिल की जा सकती है। वे हैं –

- बिहार राज्य शिक्षा परियोजना परिषद्, राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद्, जिला शिक्षा परियोजना परिषद्, जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान (डाईट), जिला शिक्षा पदाधिकारी, विद्यालय स्तरीय शिक्षा समिति।

5.2 जिला आपदा संचालन केन्द्र (District Emergency Operation Center)

जिला आपातकालीन संचालन केन्द्र, जिला मुख्यालय में अवस्थित है। यह सभी साथी/ सहयोगी एजेन्सियों के साथ आपदा प्रबंधन के कार्यों का समन्वय करता है। आपातकालीन संचालन केन्द्र में कारगर संचार सुविधाएँ उपलब्ध रहती हैं। वर्तमान में जिला आपदा संचालन केन्द्र में Land Line फोन 0641-2402871 तथा इन्टरनेट युक्त कम्प्यूटर स्थापित है। साथ ही नगर निगम कार्यालय में इस कार्य हेतु सिर्फ एक टेलीफोन उपलब्ध है। भागलपुर बहु आपदा प्रवण नगर है अतः यहाँ भी एक स्वतंत्र नगर आपदा संचालन केन्द्र स्थापित किया जाना चाहिए। अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 की कंडिका 36 (i) एवं 36 (ii) के आलोक में 24X7 कार्य करने वाला एक आंतरिक आपातकालीन संचालन केन्द्र स्थापित किये जाने की योजना है। यह केन्द्र पूर्व–चेतावनी, सुझाव–सलाह का संभावित प्रभावितों के बीच प्रसारण, आपदा के दौरान मकान, पुल–पुलिया, पेड़–पौधों के ध्वस्त हो जाने पर इनके मलबों की सफाई इत्यादि कार्यो को सुचारू रूप से करने का दायित्व पूरा करेगी।

5.3 जिला आपदा प्रबंधन योजना से इस योजना का संयोजन (Combination of Scheme with District Disaster Management Plan)

आपदा प्रबंधन अधिनियम –2005 के प्रावधानों के अंतर्गत तीन स्तर यथा राज्य, जिला तथा नगर आपदा प्रबंधन योजना तैयार करने का प्रावधान है। राज्य योजना जहाँ नीतिगत वक्तव्य हैं वही जिला और नगर स्तर आपदा प्रबंधन योजना साध्य और कार्यवाही योग्य है। अतः इस योजना को तैयार करते वक्त इस बात का ध्यान रखा गया है कि नगर एवं जिला योजना में तालमेल बना रहे। इस हेतु इस योजना में भी बहु-आपदा, खतरा एवं संवेदनशीलता को ध्यान में रखा गया है। इस बात की विस्तृत चर्चा की गई है कि किस प्रकार नगर निगम, जिला प्रशासन एवं अन्य हितधारक समन्वय के साथ आपातकालीन परिस्थितियों से निपटेंगे। दोनों ही नगर एवं जिला योजना में मानव संसाधन एवं मशीनरी संसाधन का जिक्र किया गया है ताकि आपदा के समय एक-दूसरे से सहयोग लिया जा सके।

5.4 समन्वय तंत्र (Coordination Mechanism)

अन्य हितधारकों के कार्यों का समन्वय (Coordination of Actions of Other Stakeholders)

आपदाएं मानव जीवन के सभी पहलुओं और विकास के सभी पहलुओं को प्रभावित करती हैं। इसलिए, आपदा प्रबंधन एक बहु–एजेंसी कार्य है। इसमें सभी विभागों, संगठनों और एजेंसियों द्वारा कार्रवाई शामिल है। संक्षेप में, इसमें केंद्र सरकार के सभी विभाग, राज्य सरकार, सशस्त्र बल, नागरिक समाज और वाणिज्यिक संगठन (NGOs / CBO, व्यापारी संगठन और कॉर्पोरेट संगठन), आपदा प्रत्युत्तर के क्षेत्र में काम करने वाले अंतर्राष्ट्रीय संगठन आदि शामिल हैं। इसलिए, यह महत्वपूर्ण है कि सामान्य समय के दौरान और समन्वय तंत्र काम करें ताकि आपात स्थिति के दौरान वही काम करें। यह आवश्यक है कि सभी हितधारकों के साथ छह महीने या एक वर्ष में कम से कम एक बार नियमित बैठक आयोजित की जाए। यह भी आवश्यक है कि सभी हितधारक अपनी तैयारियों, भूमिकाओं और जिम्मेदारी की स्पष्टता का परीक्षण करने के लिए समय–समय पर मॉक ड्रिल में शामिल हों।

5.4.1 जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण / जिला आपदा प्रबंधन समिति का समन्वय तंत्र (Coordination Mechanism of District Disaster Management Authority/District Disaster Management Committee)

आपात स्थिति के दौरान, नगर प्रशासन और भागलपुर नगर आपदा प्रबंधन समिति, भागलपुर, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के साथ मिलकर काम करे ताकि नगर, प्रखंड और गांव स्तर पर आपदा प्रत्युत्तर, राहत और तैयारियों में समन्वय को मजबूत किया जाए। प्राथमिक चिकित्सा सहायता (एम्बुलेंस सहित), राहत सामग्री, क्रेन, जे.सी.बी., हाइड्रा आदि जैसे संसाधनों के साथ किसी भी आपदा के मामले में सहायता प्रदान करेंगे।

नगर स्तरीय आपदा प्रबंधन के लिए बहु–हितधारक समन्वय महत्वपूर्ण हैं। यह समन्वय इन सभी हितधारकों के बीच हों:– बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, जिला लाइन विभाग, स्थानीय निकाय जैसे जल संसाधन, स्वास्थ्य, अग्नि, आपातकालीन सेवाओं जैसे पुलिस, बी.एस.एन.एल., खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण, वन विभाग, शिक्षा विभाग, आपदा प्रबंधन, कृषि विभाग, परिवहन विभाग, गैर सरकारी संगठन समुदाय आधारित संगठन नगर निगम रेड क्रॉस और अन्य स्थानीय संस्थाओं में।

किसी आपदा के समय आवश्यकतानुसार, सशस्त्र बलों को निम्नलिखित प्रकार की सहायता प्रदान करने के लिए बुलाया जाए:

- आपदा स्थलों पर खोज, बचाव और राहत कार्य के लिए।
- राहत प्रदान करने के लिए कमान और नियंत्रण के लिए बुनियादी ढांचा। इसके लिए संचार और तकनीकी जनशक्ति का प्रावधान आवश्यक होगा।
- मुख्य रूप से आपदा राहत के प्रारंभिक चरणों में आवश्यक सेवाओं की मरम्मत, संचालन और रखरखाव।
- घटना स्थल पर चिकित्सीय देखभाल का प्रावधान और हताहतों की निकासी।
- राहत सामग्री के परिवहन के लिए सहायता।
- राहत शिविरों की स्थापना और संचालन।
- प्रभावित क्षेत्रों तक राहत दल / सामग्री पहुंचाने के लिए सड़कों और पुलों का निर्माण / मरम्मत करना।
- आपदा से पहले और बाद में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने में सहायता करना।
- लोगों के लिए एस्कॉर्ट्स की व्यवस्था, सामग्री और प्रतिष्ठानों की सुरक्षा का समन्वय।

5.4.2 गैर सरकारी संगठन, समुदाय आधारित संगठन, उद्योग, शैक्षणिक / वैज्ञानिक संस्थानों के साथ समन्वय (Coordination with NGO, CBO, Industries, Academic/scientific institutions)

स्थानीय गैर सरकारी संगठन और समुदाय आधारित संगठन आपात स्थिति के समय सरकार और समुदाय के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य कर सकते हैं। वे तेजी से कार्य करने की बेहतर स्थिति में होते हैं। आपदा प्रबंधन में गैर सरकारी संगठनों और समुदाय आधारित संगठन की भूमिका तीन चरणों में होगी:

योजना निर्माण एवं क्षमतावर्द्धन

- प्रखंड, जिला, नगरपालिका एवं ग्राम पंचायत स्तर पर आपदा प्रबंधन योजना तैयार करने में सहायता करना।
- सामुदायिक जागरूकता और क्षमता निर्माण।
- न्यूनीकरण रणनीति और योजनाएँ तैयार करने में सहायता।
- नगर में संरचनात्मक और गैर–संरचनात्मक शमन के लिए आकलन।
- भेद्यता मूल्यांकन और मानचित्रण में सहायता के लिए।

आपातकालीन प्रत्युत्तर

- चेतावनी, निकासी, खोज और बचाव का प्रसार।
- राहत वितरण, चिकित्सा सहायता।
- महिला और बाल देखभाल।
- स्वयंसेवकों का समन्वय।
- सामुदायिक लामबंदी।

वसूली

- वसूली योजना, समन्वय, मूल्यांकन।
- क्षतिग्रस्त सामुदायिक संरचनाओं (विद्यालयों, हॉल आदि) की मरम्मती।
- कमजोर समूहों का पुनर्वास।

6. तैयारी के उपाय (PREPAREDNESS MEASURES)

इस अध्याय में प्रमुख रूप से वार्ड स्तर पर स्थानीय संस्थाओं और समुदायों की तैयारियों के बीच समन्वय के संबंध में प्रकाश डाला गया है ताकि किसी भी आपदा की स्थिति में उचित कार्रवाई करके जीवन की रक्षा, संपत्ति की रक्षा और संसाधनों का कुशलता से उपयोग किया जा सके। तैयारी की योजना आगे यह सुनिश्चित करेगी कि स्थानीय एजेंसियां संभावित आपदा प्रवण क्षेत्रों का त्वरित और समन्वित तरीके से प्रत्युत्तर करने में सक्षम हो सकेंगी। अधिकांश आपदा स्थितियों में उचित तैयारी उपायों और चेतावनी प्रणाली के माध्यम से जीवन और संपत्ति के नुकसान को काफी कम किया जा सकता है। आपदा के पूर्व चेतावनी और अलर्ट, प्रत्युत्तर से पहले तैयारी और चेतावनी का प्रसार और निकासी गतिविधियों को संबंधित स्थानीय प्राधिकरण / लाइन विभागों के समन्वय किया जाना आवश्यक है।

6.1 नगर निगम की भूमिका एवं कर्तव्य (Roles and Duties of Municipal Corporation)

सारणी –6.1 नगर निगम की भूमिका एवं कर्तव्य

भागलपुर जिला आपदा प्रबंधन योजना 2021 (ड्राफ्ट) में तैयारी से सबंधित नगर निगम द्वारा किये जाने वाले कार्य	तद्नुसार भागलपुर नगर आपदा प्रबंधन योजना में तैयारी से संबंधित उपायों का उपबंध
(क) प्रत्येक विभाग/स्थानीय प्राधिकरण द्वारा आपदा प्रबंधन योजना तैयार करना तथा समय से साझा करना।	नगर निगम, भागलपुर द्वारा नगर आपदा प्रबंधन योजना बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के तकनीकी एवं वित्तीय सहयोग से तैयार किया गया है। राज्य प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत होने पर यह योजना जिला प्राधिकरण के साथ साझा किया जायेगा।
(ख) प्रत्येक विभाग में आपदा प्रबंधन कार्य के समन्वय हेतु एक नोडल पदाधिकारी /कर्मचारी तैनात करना।	नगर निगम के वरिष्ठ पदाधिकारी 'नगर प्रबंधक' को आपदा प्रबंधन कार्य के सभी हितधारकों के साथ समन्वय हेतु नोडल पदाधिकारी नामित किया गया है।
(ग) आपदा प्रबंधन कार्य हेतु कर्मियों का प्रशिक्षण	आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अनुच्छेद 30(xii) के आलोक में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा आयोजित विशेषज्ञता प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेने हेतु अपने सभी कर्मियों को निर्देशित किया जायेगा। नगरपालिका अधिनियम 2007 के आलोक में नगर निगम की अधिकारिता एवं कृत्यों के संबंध में निगम कर्मियों को संवेदीकृत तथा प्रशिक्षित किया जायेगा।
(घ) विगत आपदाओं के प्रत्युत्तर काल में प्राप्त अनुभवों को संकलित कर भविष्य के लिए योजना का अद्यतीकरण।	आगामी वर्षों में प्रत्युत्तरकाल में प्राप्त अनुभवों के आधार पर भविष्य की योजना को अद्यतीकरण करते हुए इसकी प्रभावकता में उत्तरोत्तर वृद्धि के प्रयास जारी रखे जायेंगे।

6.1.1 जैसा कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति 2009 में सुझाव दिया गया है, तदनुसार उपरोक्त कार्यों के विभिन्न एजेंसियों तथा हितधारकों द्वारा मुख्य रूप से की जाने वाली तैयारियां निम्नवत हैं –

1. नगर निगम स्तर पर आपदा प्रबंधन मुद्दों से निपटने के लिए विशिष्ट संस्थागत ढांचा तथा सिटी कन्ट्रोल रूम एवं आपातकालीन संचालन केन्द्र की स्थापना की जायेगी । (अनुच्छेद 3.29)
2. सभी वार्डों में समुदाय तथा अन्य हितधारकों के बीच खतरों की पहचान करने तथा आपदा जोखिम का पूर्वानुमान लगाने के लिए जागरूकता अभियान चलाये जायेंगे।
3. आपदा प्रबंधन से संबंधित संसाधनों (यंत्र, संयंत्र, सुरक्षा किट तथा भारी मशीन) का इस प्रकार अनुरक्षण किया जायेगा जिससे कि वे आपदा के समय आकस्मिक उपयोग के लिए सदैव उपलब्ध रहें।
4. समय–समय पर प्रशिक्षित कर्मियों द्वारा समुदाय तथा भौतिक संसाधनों के साथ मॉकड्रिल आयोजित कर प्रत्युत्तर की तैयारियों का जायजा लिया जायेगा तथा त्रुटियों को (यदि हो) यथाशीघ्र दूर किया जायेगा।
5. सभी सहयोगी संस्थाओं के साथ त्वरित संपर्क एवं पूर्ण समन्वय की सभी प्रक्रिया (प्रोटोकाल के अनुसार) पूरी करके रखी जायेगी।
6. समुदाय स्तर पर क्रियाशील स्वयंसेवी/गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा समुदाय के साथ मिलजुल कर वार्ड/मुहल्ला/गली स्तर पर आपदा प्रबंधन योजना बनाने/इस पर चर्चा आयोजित करने/जागरूक करने/संवेदीकरण तथा स्वत: स्फूर्त प्रत्युत्तर प्रारंभ करने के लिए प्रेरित एवं प्रशिक्षित किया जायेगा।

6.2 आपदावार भिन्न–भिन्न विभागों /संस्थाओं की पूर्व तैयारी से संबंधित दायित्व एवं कर्तव्य (Roles and Responsibilities of Different Departments / Institutions for Disaster-Wise Preparation)

6.2.1 भूकम्प :– राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन मार्ग निर्देशिका 2007 के अध्याय 6 के पारा 6.3.1 से 6.4.3 में संभावित भूकम्प के दौरान प्रत्युत्तर की पूर्व तैयारियों के लिए विस्तृत दिशा निर्देश दिये गये हैं। इसका अनुपालन विभिन्न एजेसियों द्वारा विधिसम्मत तरीके से किया जायेगा।

सारणी – 6.2 भूकम्प की स्थिति में कर्तव्य :

क्र. सं.	पूर्व तैयारी की कार्रवाई	विधिसम्मत दायित्व प्राप्त एजेंसी एवं इनके कर्तव्यों का संदर्भ
1	विभिन्न हितधारकों का संवेदीकरण (Sensitisation)	आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 30 के आलोक में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण।
2	आपातकालीन प्रत्युत्तर योजना का मॉक ड्रिल	आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 30 के आलोक में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण।
3	गैर सरकारी संस्थाओं तथा स्वयंसेवी समूहों का प्रशिक्षण एवं उन्मुखीकरण	आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 30 के आलोक में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण।
4	आपातकालीन संचालन केन्द्र का सुदृढ़ीकरण	आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 30 के आलोक में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एवं बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 की धारा 361 (2) के अनुसार नगर निगम।

5	राज्य की भूकम्प प्रबंधन योजना	आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 23 के आलोक में राज्य कार्यकारिणी समिति ।
6	जिला स्तर से समुदाय स्तर तक पूर्व तैयारी की विस्तृत योजना बनाना।	आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 30 (XVIII) के आलोक में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा तय किये गये मार्गदर्शक सिद्धान्तों एवं निर्देशों के आलोक में नगर निगम क्षेत्र के लिए नगर निगम
7	संवेदनशील जगहों का चिह्निकरण	आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 31 (3) (क) के आलोक में नगर निगम से परामर्श करने के पश्चात जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

कार्यालयों, विद्यालयों, अस्पतालों, सिनेमा हॉल, माल प्रेक्षागृह सामुदायिक समारोह भवनों इत्यादि में एकत्रित आम जनो को किसी अचानक आये संभावित भूकम्प के दौरान आत्मरक्षार्थ मॉकड्रिल के समय–समय पर अभ्यास आयोजित किये जायेंगे। इन प्रमुख सार्वजनिक भवनों में एक आकस्मिकता प्रबंधक को नामित एवं प्रशिक्षित किया जायेगा।

6.2.2 जल जमाव/नगरीय बाढ़ :–

भिन्न–भिन्न विभागों/संस्थाओं की पूर्व तैयारी से संबंधित दायित्व एवं कर्तव्य

जिला आपदा प्रबंधन योजना भागलपुर 2021 (ड्राफ्ट) के आधार पर विभागों/एजेंसी के प्रमुख कार्य में पूर्व तैयारियों से संबंधित उपायों को करने का उपबंध किया गया है जो निम्नवत है:–

1. **बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण प्रमंडल –**

- संभावित बाढ़ के पूर्व तैयारी कार्यों के लिए संवेदकों को नामांकन के आधार पर नियोजित करने हेतु सूचीबद्ध/निबंधित करना।
- मॉनसून से पहले तैयारी- दवाओं, टॉर्च, पहचान-पत्र, राशन कार्ड एवं महत्वपूर्ण दस्तावेज और जल्दी खराब न होने वाली खाद्य वस्तुओं सहित सूखे फल, भुना हुआ चना आदि सामग्रियों से युक्त सुरक्षात्मक किट रखने की आवश्यकता के बारे में जन जागरूकता पैदा किया जाएगा, ताकि यदि उन्हें जल जमाव क्षेत्र से निकाला जाना है, तो वे इन चीजों को अपने साथ ले जा सके।

2. विद्युत वितरण प्रणाली में व्यवधान उत्पन्न होने पर दक्षिण बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लि. द्वारा इसे शीघ्रताशीघ्र दुरुस्त करना/वैकल्पिक व्यवस्था की तैयारी रखना ताकि जीवनरक्षक सेवाओं को अबाध विद्युत की आपूर्ति जारी रखी जा सके।
3. पशुपालन विभाग पशु चारा/भूसा एवं दवा आदि की आवश्यकता का आकलन कर स्थानीय हितभागियों के सलाह/साझा प्रयास द्वारा सुरक्षित भण्डारण सुनिश्चित करना (आदेश सं. 01/प्रा. आ–27/2013/4166 /आ. प्र. दिनांक 18.09.2013) रैपिड रिस्पान्स टीम का गठन करना।
4. शिक्षा विभाग के द्वारा जल जमाव/नगरीय बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के विद्यालयों की सूची तैयार की जाएगी। वहाँ के शिक्षकों की सूची तथा उनका मोबाईल नंबर सूचीबद्ध किया जायेगा।
5. स्वास्थ्य विभाग –

- प्रभावितों को सतत् चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए चलंत अस्पताल हमेशा तैयार रखना तथा मोबाईल यूनिट का गठन करना।
- सभी मुख्य अस्पतालों / स्वास्थ्य केन्द्रों में जेनेरेटर/इमरजेन्सी लाईट की सुविधा सुनिश्चित करना।

- नगर में मौजूद सभी निजी चिकित्सकों एवं अस्पतालों की सूची बनाकर आपदा की स्थिति में बेहतर व प्रभावी काम करने हेतु समन्वय करना।
- आपदा के समय सभी सरकारी तथा निजी एम्बुलेंस सेवा की उपलब्धता तथा संचालन की तैयारी रखना।

6.2.3 अग्नि सुरक्षा :– बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (आपदा प्रबंधन विभाग) के द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 18(2) (घ) के आलोक में अगलगी की रोकथाम, जोखिम न्यूनीकरण, पूर्व तैयारी एवं क्षमतावर्द्धन संबंधी मार्गदर्शिका 2018 प्रकाशित की गई है। (BSDMA की वेबसाईट www.bsdma.org के Publication & Report section में उपलब्ध है)

इस मार्गदर्शिका में प्रत्युत्तर हेतु की जाने वाली कार्रवाई के लिए आवश्यक पूर्व तैयारियों के निम्न बिन्दुओं पर हितधारकों की भूमिकाएँ तय की गई हैं:-

सारणी –6.2.3 अग्नि सुरक्षा की स्थिति में कर्तव्य

क0 सं0	पूर्व तैयारी की कार्यवाही	विधिसम्मत दायित्व प्राप्त एजेंसी एवं इनके कर्तव्यों का संदर्भ
1	रिस्पांस के संबंध में विभिन्न माध्यमों से जन जागरूकता एवं समय–समय पर एडवाइजरी जारी करना।	बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा इस सबंध में जारी एडवाइजरी वेबसाईट पर उपलब्ध है।
2	अग्नि सुरक्षा सप्ताह का आयोजन करना।	नगर विकास एवं आवास विभाग के पत्रांक 675 दि0 30.05.2019 के आलोक में नगर निगम स्तरीय नगरों में अवस्थित बहुमंजिले /विशेष भवनों में अग्नि सुरक्षा उपकरणों के प्रतिष्ठान एवं रख रखाव की व्यवस्था की जांच जिला प्रशासन, नगर निगम एवं अग्निशमन कार्यालय द्वारा संयुक्त रूप से की गई है।
3	सरकार के विभिन्न विभागों के बीच रिस्पांस कार्यों का समन्वय।	जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 30)
4	अगलगी के संबंध में जन जागरूकता तथा मॉक ड्रिल।	नगर निगम के साथ मिलकर बिहार अग्निशमन सेवा, बिहार सरकार (गृह विभाग) के नियंत्रणधीन जिला स्तरीय समादेष्टा, अग्निशमन कार्यालय में पदास्थापित पदाधिकारी एवं कर्मी।
5	Hot Spot को पहचान कर गर्मी के मौसम में Fire tender का पूर्व नियोजन (Pre positioning)	जिला अग्निशमन कार्यालय इस दिशा में यथोचित कार्यवाही करेगी। मलिन बस्तियों तक अग्निशमन वाहन पहुँचाने के लिए 12 मासी सड़क का निर्माण नगर निगम/पथ निर्माण विभाग द्वारा किया जायेगा। सभी वार्डों के समूह में एक–एक हाईड्रेन्ट सुनिश्चित किया जायेगा।
6	अग्निशमन कर्मियों के बचाव हेतु अग्निशमन किट की व्यवस्था।	
7	अगलगी घटना स्थल तक शीघ्र पहुँचने के लिए Route Chart तैयार करना।	

8	Fire Zone Area के समीप Water Tanks/ Hydrant/ पम्पसेट एवं अन्य जल श्रोतों की मैपिंग।	
9	अग्निशमन दलों का क्षमतावर्द्धन तथा प्रशिक्षण।	
10	अगलगी की सूचना प्राप्त होते ही त्वरित प्रत्युत्तर/फायर ऑफिसरों की प्रतिनियुक्ति तथा ब्रीफिंग की व्यवस्था करना।	
11	शादी, पूजा या अन्य अवसरों पर लगाये जाने वाले पंडालों में अग्निरोधी कपड़ों का उपयोग करना तथा विद्युत कनेक्शन में सावधानी बरतना।	नगर प्रशासन, नगर निकाय, दक्षिण बिहार पावर डिस्ट्रीब्युशन कंपनी लि0, जिला अग्निशमन केंद्र।
12	मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत स्कूली बच्चों एवं शिक्षकों को अगलगी की रोकथाम एवं बचाव हेतु जागरूक करना।	शिक्षा विभाग के नियंत्रणाधीन जिला शिक्षा परियोजना पदाधिकारी यथोचित कार्यवाही करेंगे।
13	अस्पतालों में बर्न वार्ड की व्यवस्था एवं अगलगी के उपचार में प्रयुक्त होने वाली औषधियों, उपकरणों एवं अन्य सामग्रियों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।	असैनिक शल्य चिकित्सक, सदर अस्पताल यथोचित कार्यवाही करेंगे।
14	सभी पशु अस्पतालों में अगलगी के उपचार में प्रयुक्त होने वाली औषधियों, उपकरणों एवं अन्य सामग्रियों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।	जिला पशुपालन एवं पशु चिकित्सा पदाधिकारी।
15	अगलगी पर समुदाय के क्षमतावर्द्धन एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन।	जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, जिला अग्निशमन कार्यालय।
16	निजी जलस्रोतों /पंपिंग सेट/बोरिंग को तैयार रखना तथा प्रत्युत्तर काल में जन सहयोग एवं समन्वय बनाये रखना।	सिविल सोसायटी, सामाजिक कार्यकर्ता एवं जन प्रतिनिधि।

6.2.4 विद्यालय सुरक्षा

1. विद्यालय स्तर पर खतरे एवं संवेदनशीलता के सबंध में जागरूकता बढ़ाते हुए विद्यालय से जुड़े शिक्षकों, छात्रों, विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्यों के बीच इसकी जवाबदेही तय करना।
2. खतरों और भेद्यता, संरचनात्मक और गैर संरचानात्मक ढांचे, अंदर की क्षमता और भूमिकाओं की पहचान, विभिन्न हितधारकों को सुचारू योजना बनाने में मददगार साबित होगी।
3. निकासी योजना, प्राथमिक चिकित्सा, आपातकालीन प्रत्युत्तर क्षमता विकसित करने के लिए शिक्षकों का प्रशिक्षण विद्यालय आपदा प्रबंधन योजना की सफलता सुनिश्चित करेगी।

4. चेतावनी दल, जागरूकता कार्य दल, निकासी कार्य दल, खोज एवं बचाव कार्य दल, प्राथमिक चिकित्सा कार्य दल, अग्नि सुरक्षा कार्य दल, मनोवैज्ञानिक सहायता कार्य दल, साइट सुरक्षा टास्क फोर्स आदि सहित विभिन्न कार्य दलों का गठन।
5. आपातकालीन प्रबंधन के लिए सभी संसाधन एजेंसियों से संपर्क एवं उनके संबंध में जानकारी प्राप्त करना। आपातकालीन निकास मार्ग, प्रदर्शन और निकासी, बचाव, अग्नि सुरक्षा और प्राथमिक चिकित्सा छात्रों द्वारा प्राप्त कौशल का परीक्षण करने की कार्यकुशलता का मॉक ड्रिल का आयोजन कर छात्र/छात्राओं की समझ को बढ़ाना।

- **विद्यालय प्रत्युत्तर दल का गठन :** जैसा कि विदित है, विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है अध्यापकों, छात्रों एवं कर्मचारियों की आपदा जोखिम न्यूनीकरण क्षमता को बढ़ाना, इसलिए सभी विद्यालयों से यह अपेक्षा होगी कि वो विद्यालय स्तर पर प्रत्युत्तर दल का गठन करेंगे ताकि मॉक ड्रिल के माध्यम से उनका क्षमतावर्द्धन हो। दल निम्नवत होगा –

क्र0सं0	टीम	टीम की बनावट	मुख्य काम
1	इन्सीडेन्ट कमांडर	प्रधानाचार्य	1. आपदा के दौरान किये जाने वाले राहत व बचाव कार्य सुचारू रूप से कराना। 2 किसी आपदा के बाद यदि राहत व बचाव कार्य के लिए सरकारी या गैर–सरकारी एजेंसियॉ विद्यालय परिसर में पहुॅचती हैं तो उन्हें सभी आवश्यक सूचना प्रदान करना।
2	विद्यालय आपदा प्रबंधन समिति	प्रधानाचार्य/ उप प्रधानाचार्य शिक्षक–2 (1 पुरूष, 1 महिला) विद्यालय स्टाफ–2	1 विद्यालय आपदा प्रबंधन योजना तैयार करना। 2 नियमित समयांतराल पर 'विद्यालय आपदा प्रबंधन योजना' का मूल्यांकन करना तथा उसे अपडेट करना। 3 आपदा के क्षेत्र में कार्यरत सरकारी, गैर सरकारी संगठनों से मिलाप करना तथा विद्यालय में आपदा प्रबंधन व जीवन बचाव संबंधित तकनीकी प्रशिक्षण का आयोजन करना। 4 समय–समय पर आपदा के क्षेत्र में कार्यरत सरकारी, गैर –सरकारी संगठनों के मदद से विद्यालय परिसर में आपदा के विभिन्न पहलुओं पर मॉकड्रिल कराना। 5 आपदा के क्षेत्र में कार्यरत विभिन्न संगठनों का संपर्क नंबर रिकार्ड में रखना व नियमित समयान्तराल पर उसे अपडेट करना। 6 आपदा से संबंधित प्रशिक्षण व मॉक ड्रिल में विद्यालय के सभी अध्यापकों एवं छात्रों की भागीदारी को सुनिश्चित करना।
3	जागरूकता अभियान दल	5–6 शिक्षक (विद्यालय में छात्रों व शिक्षकों की संख्या पर निर्भर)	1 आपदा के प्रति छात्रों एवं शिक्षकों की जागरूकता बढ़ाने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करना। 2 विद्यालय परिसर में आपदा प्रबंधन से संबंधित जानकारी देने के लिए पोस्टर, पुस्तिका, आसान तरीका क्या करें–क्या न करें प्रदर्शित करना।

			3 विद्यालय में आपदा प्रबंधन से संबंधित लेख/निबंध प्रतियोगिता, कविता प्रतियोगिता आदि का आयोजन करना।
4	आपातकालीन अलार्म दल	शिक्षक–2, विद्यालय स्टॉफ–1	1. किसी आपातकालीन आपदा के दौरान विद्यालय परिसर में मौजूद छात्रों, अध्यापकों व अन्य कर्मचारियों को अलार्म के माध्यम से सावधान करना। 2. अलग–अलग घटनाओं के लिए भिन्न–भिन्न प्रकार के अलार्म सेट किये जा सकते हैं जो कि छात्रों व अध्यापकों सभी को मालूम हों।
5	निकासी दल	5–6 शिक्षक (विद्यालय में छात्रों व शिक्षकों की संख्या पर निर्भर)	1. किसी आपातकालीन आपदा के दौरान सभी छात्रों को शांतिपूर्वक ढंग से क्लास रूम से बाहर निकालना व एकित्रत होने के प्वाइंट पर जमाव करना। 2. असेंबली प्वाइंट में बच्चों की गिनती करना तथा इसकी सूचना 'विद्यालय आपदा प्रबंधन समिति' व खोज एवं बचाव दल को देना।
6	खोज व बचाव दल	5–6 शिक्षक (विद्यालय में छात्रों व शिक्षकों की संख्या पर निर्भर) इस दल में विद्यालय के सीनियर छात्रों के सेक्शन को भी शामिल किया जाये।	असेंबली प्वाइंट में जमाव होने के बाद यदि कोई छात्र गुम हो तो तुरंत खोज एवं बचाव के कार्य करना।
7	प्राथमिक उपचार दल	विद्यालय डॉक्टर/नर्स 3–4 शिक्षक विद्यालय के सीनियर सेक्शन के छात्रों को भी शामिल किया जाये।	1. घायल छात्रों, अध्यापकों या अन्य विद्यालय स्टॉफ का प्राथमिक उपचार। 2. विद्यालय परिसर में प्राथमिक उपचार किट तैयार रखना।
8	फायर फाईटिंग दल	5–6 शिक्षक (विद्यालय में छात्रों व शिक्षकों की संख्या पर निर्भर)	1. विद्यालय में उपलब्ध आग बुझाने के बारे में जानकारी रखना। 2. मुख्य बिजली आपूर्ति 'कट' के बारे में जानकारी होना ताकि शॉट सर्किट की स्थिति में मेन लाईन काटा जा सके। 3. अगलगी के हालात में आग पर काबू पाने का प्रयास करना।

9	परिवहन प्रबंधन दल	विद्यालय के वाहन समन्वयक शिक्षक–2, सीनियर सेक्शन के छात्र–2	1. विद्यालय में उपलब्ध सभी गाड़ियॉ, उनके रूट व आने जाने वाले छात्रों की सूची तैयार रखना। 2. किसी आपातकालीन आपदा के दौरान विद्यालय आपदा प्रबंधन समिति को सहयोग करना।
10	मीडिया प्रबंधन दल	उप प्रधानाचार्य या अन्य वरिष्ठ विद्यालय स्टॉफ	1 पत्रकार सम्मेलन से पहले विद्यालय आपदा प्रबंधन समिति से किसी भी घटना के बारे में विस्तृत जानकारी लेना। 2 आपदा प्रबंधन जागरूकता कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय मीडिया के संपर्क में रहना।

6.2.5 ठनका, ओलावृष्टि, तेज गति हवा

NDMA द्वारा ठनका, ओलावृष्टि, धूल भरी आंधी, तेज गति हवा के प्रबंधन संबंधी मार्गदर्शिका के अनुच्छेद 4.2 के आलोक में निम्नांकित पूर्व तैयारी की जायेगी –

आकस्मिक संचार व्यवस्था– वार्ड स्तर तक सैटेलाईट फोन/F.M. रेडियो के प्रसारण की उपलब्धता सुनिश्चित की जायेगी।

- Now Cast 30 मिनट से 3 घंटे पूर्व मोबाईल एप से प्राप्त सूचना में निहित पूर्वानुमान एवं चेतावनी करने योग्य सलाह (क्या करें, क्या न करें) के साथ जोड़कर सभी संवेदनशील वार्डों /समूहों /नागरिकों तक त्वरित आकस्मिक संचार व्यवस्था के माध्यम से पहुंचाया जायेगा।
- विभिन्न लाईन विभागों के पास प्रत्युत्तर तथा पुनर्वापसी के कार्य हेतु उपलब्ध मानव संसाधन/भौतिक संसाधन की जानकारी वार्ड–स्तरीय आपदा प्रबंधन दल को उपलब्ध कराई जायेगी।
- व्यापक जन जागरूकता सृजन, उपयुक्त प्रशिक्षण तथा समय–समय पर की जाने वाली मॉक ड्रिल के साथ सभी हितधारकों तथा संवेदनशील नगर निवासियों को भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय एवं आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार सरकार के द्वारा लांच किये गये निम्न 6 मोबाईल एप के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की जायेगी।

(i) DAMINI
(ii) RAIN ALARM
(iii) MAUSAM
(iv) UMANG
(v) MEGH DOOT
(vi) INDRAVAJRA

नोट :– आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार द्वारा तैयार कराये गये मोबाईल एप इन्द्रवज को किसी भी एंड्रॉयड मोबाइल पर डाउनलोड किया जा सकता है। मोबाइल धारक को इसके 20 कि0मी0 के दायरे में होने वाले वज्रपात की चेतावनी 30 मिनट पूर्व एलर्ट के साथ प्राप्त कराई जाती है।

6.2.6 सड़क सुरक्षा : चिन्हित Black Spot के निकट Police Post तथा आकस्मिक चिकित्सा सुविधा युक्त एम्बुलेंस की उपलब्धता बनाये रखना। त्वरित चिकित्सा दल (QRT) का गठन, ''रेस्क्यू वाहन'' द्वारा दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को तुरन्त हटाकर यातायात दुरूस्त करने को तत्पर एवं तैयार रहना।

Black Spot से नजदीकी अस्पताल या ट्रामा सेन्टर के बीच बाधा रहित यातायात व्यवस्था ट्रैफिक पुलिस की सहायता से तैयार रखना।

6.3 आपदा जोखिम न्यूनीकरण एंव प्रबंधन की आरंभिक पहल की सूची (List of Disaster Risk Initiatives)

I. आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए एक व्यावहारिक, तार्किक सामुदायिक इकाई को चिन्हित करना तथा उसके संबंध में सभी प्राथमिक सूचनाओं का संकलन। उदाहरणार्थ मुहल्ला, वार्ड, नगर।

II. समुदाय के प्रतिष्ठित, जानकार व्यक्तियों तथा लोकप्रिय जन प्रतिनिधियों के साथ बैठक एवं चर्चा करना।

III. सामुदायिक संरचना के सभी अवयवों के बारे में विशिष्ट सूचना का संकलन। उनकी बनावट, इतिहास, भूगोल, जनसांख्यिकी, सामाजिक आर्थिक संरचना इत्यादि के आधार पर विभिन्न आपदा के प्रति संवदेनशील तथा नाजुक समूहों, बसावट, सार्वजनिक सेवाओं, प्रशासनिक महत्व की संरचना तथा अन्य संरचना के बारे में जानकारियां एकत्रित करना।

IV. समुदाय द्वारा अतीत में किसी आपदा के सबसे विनाशकारी स्वरूप का अनुभव के आधार पर भविष्य के खतरों तथा जोखिम के साथ ही अपने सुरक्षा कवच या सुरक्षा करने की आंतरिक क्षमता का लेखा जोखा तैयार करना।

V. खतरा, जोखिम, संवदेनशीलता तथा क्षमता आकलन के सटीक लेखे–जोखे के आधार पर ही समुदाय द्वारा आपदा जोखिम प्रबंधन तैयार किया जा सकता है। संवेदनशील व्यक्तियों /समूह तथा इलाकों की पहचान करते समय वृद्धजनों, दिव्यांगजन, गर्भवती महिलाएं, विधवाएं, छोटे बच्चे, झुग्गी-झोपड़ी तथा मलिन बस्तियों में रह रहे अभावग्रस्त परिवार उनके पालतू जानवर, जीविका के साधन इत्यादि को सूचीबद्ध करना आवश्यक है।

VI. समुदाय द्वारा, केमिकल तथा विस्फोटक के कारखानों, ज्वलनशील पदार्थ भंडारण करने वाले बड़े गोदाम, सड़क दुर्घटना वाले ब्लैक स्पॉट, नगरीय बाढ़ एवं जल जमाव वाले क्षेत्र, ठोस कचरा तथा चिकित्सीय कचरों के निपटान की प्रत्युत्तर तथा जमा करने वाले स्थानों को एक मानचित्र पर चिन्हित करके रखना चाहिए।

VII. आपदा प्रबंधन में सहायक प्रशिक्षित मानव संसाधन तथा उपयोगी यंत्र, संयंत्र, तथा उसको चलाने वाले आपरेटर खोज, निकासी, बचाव, आकस्मिक त्वरित निष्कासन के साधन, राहत शिविर के उपयुक्त स्थलों का चुनाव, राहत शिविर की व्यवस्था इत्यादि का मानचित्रण तथा सूचीकरण किया जाना चाहिए।

VIII. आकस्मिक चिकित्सा की जरूरत पड़ने पर स्थानीय तौर पर तथा आसपास में उपलब्ध अस्पतालों, वहाँ उपलब्ध कर्मचारियों की विस्तृत सूचना का संकलन किया जाना चाहिए।

IX. आपदा की पूर्व सूचना जरूरी चेतावनी तथा विशेषज्ञों की सलाह को प्रभावित एवं संवेदनशील इलाकों तक तीव्र गति से पहुंचाया जाएगा।

X. उपलब्ध संचार के साधनें यथा रेडियो, टेलीविजन, मोबाईल तथा लैंडलाईन फोन इत्यादि द्वारा सूचना प्रसारित की जाएगी।

XI. आपदा की स्थिति में आकस्मिक परिवहन हेतु एम्बुलेंस, बस, टेम्पो, कार, जीप, ट्रक, टैक्सी तथा पक्के रोड के मानचित्र की जानकारी उपलब्ध रहनी चाहिए। जलापूर्ति, स्वच्छता एवं सफाई, सरकारी तथा गैर सरकारी टैंकर की सूची भी उपलब्ध होनी चाहिए। अस्थाई शिविर के लिए चिन्हित स्थल तथा शिविर व्यवस्था की पूरी तैयारी होनी चाहिए। आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति बनाये रखने की भी व्यवस्था पूर्व नियोजित होनी चाहिए।

XII. स्थानीय स्तर पर आकस्मिक कार्यकारी बल या त्वरित प्रत्युत्तर दल का गठन करके उनका प्रशिक्षण तथा आकस्मिक डायरेक्ट्री की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी चाहिए।

XIII. खोज एवं बचाव दल, राहत वितरण समन्वय एवं निगरानी दल, पूर्व सूचना तथा चेतावनी प्रसारण दल जलापूर्ति एवं स्वच्छता दल, प्राथमिक उपचार तथा चिकित्सा दल, मानसिक आघात (ट्रॉमा) सलाह, इत्यादि दल का गठन तथा प्रशिक्षण किया जाना चाहिए। प्रत्येक दल द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरांत नियमित अंतराल पर इसकी मॉकड्रिल होनी चाहिए।

6.4 सामुदायिक तैयारी (Community Preparedness)

सामुदायिक जागरूकता और शिक्षा, विकलांग व्यक्तियों, महिलाओं और बच्चों और अन्य कमजोर समूहों और सामुदायिक चेतावनी प्रणाली की जरूरतों के बारे में समुदाय को संवेदनशील बनाना, जीवन बचाने और आपदाओं की स्थिति में नुकसान को कम किया जाना आवश्यक है। नगरी समुदाय को ठनका, आग, सड़क सुरक्षा कार्य योजना आदि से सूचित करने और शिक्षित करने के लिए बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (BSDMA) मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम (एमएसएसपी), सुरक्षित शनिवार, सुरक्षित छठ पूजा के लिए दिशानिर्देश जैसे विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करता है। बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने Mock Drill के संचालन के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करके विशेष रूप से विद्यालयों में भूकंप के लिए सार्वजनिक जागरूकता में सुधार के लिए कार्रवाई शुरू की है।

सारणी 6.4

खतरे / आपदाएं	संचार एजेंसियां	समुदाय को समय पर सूचित करने के लिए संचार एजेंसियों के संपर्क नगर स्तर पर सूचना प्रसार करते हैं**
बाढ़, महामारी, ओलावृष्टि, बिजली, डूबना, भूकंप, दुर्घटना, हीटवेव	1. जिला आपातकालीन संचालन केंद्र 2. रेड क्रॉस सोसाइटी (एनजीओ)	1.1 विकास कुमार कर्ण – प्रभारी अधिकारी आपदा प्रबंधन - 9910783325 1.2 प्रोग्रामर – 9230343554 2. 0612– 2201035, 2226267

7. क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण उपाय (CAPACITY BUILDING & TRAINING MEASURES)

7.1 संस्थागत क्षमता निर्माण (Institutional Capacity Building)

संस्थागत क्षमता निर्माण में विभागों के अधिकारियों, राज्य आपदा मोचन बल, पुलिस, अग्निशमन सेवाओं, नीति निर्माताओं, डॉक्टरों, नर्सों, इंजीनियरों, राजमिस्त्री, वास्तुकारों और शिक्षकों आदि सहित अन्य पेशेवरों को आपदा प्रबंधन का प्रशिक्षण देना शामिल है। सभी अधिकारियों का क्षमतावर्द्धन, नगर निगम लाइन विभागों के कमान अधिकारी, और अन्य संबंधित व्यक्ति और आंगनबाड़ी / ANM सेविकाओं, किसान सलाहकारों और अन्य फ्रंट–लाइन कार्यकर्ताओं को आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण देना बहुत महत्वपूर्ण हैं।

आपदा प्रबंधन की आवश्यकताओं के अनुसार सभी संबंधित अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण प्रदान करना नगर निगम प्रशासन की जिम्मेदारी है।

7.2 सामुदायिक क्षमता निर्माण (Community Capacity Building)

सामुदायिक क्षमता निर्माण में समुदाय आधारित आपदा जोखिम प्रबंधन पहलुओं को शामिल किया गया है। इसमें आपदा तैयारी और कमजोर लोगों (महिलाओं, बच्चों, विकलांग व्यक्तियों आदि) के प्रशिक्षण को शामिल किया गया है। स्थानीय समुदाय आधारित संगठन / गैर सरकारी संगठन, वार्ड पार्षद, होमगार्ड, नागरिक सुरक्षा कर्मी, जीविका दीदी, नाविकों, सामुदायिक स्वयंसेवकों व राजमिस्त्रियों आदि के प्रशिक्षण का कार्य प्राधिकरण स्तर पर किया जा रहा है।

7.3 आपदा प्रबंधन शिक्षा (Disaster Management Education)

राष्ट्रीय सेवा योजना, राष्ट्रीय कैडेट कोर, स्वयंसेवकों, कॉलेज और स्कूली छात्रों को नगर के स्तर के जोखिम, भेद्यता और सुरक्षित विद्यालय बनाने में उनकी भूमिका के बारे में जागरूक होने की जरूरत है। नगर आपदा प्रबंधन समिति भागलपुर नगर के जोखिम को ध्यान में रखते हुए युवाओं की सुरक्षा और कल्याण के लिए स्कूल आपदा प्रबंधन योजना तैयार करने के लिए विद्यालयों के साथ काम कर सकती है।

7.4 प्रशिक्षित पेशेवरों और आँकड़ा प्रबंधन की सूची (Inventory of Trained Professionals and Data Management)

प्रशिक्षित और प्रतिबद्ध स्थानीय पेशेवर / स्वयंसेवक, जिम्मेदार प्रशासन के अलावा एक प्रभावी आपातकालीन प्रत्युत्तर की मांग करने में मदद कर सकते हैं। भागलपुर नगर में प्रशिक्षित आपदा प्रबंधन पेशेवरों, होमगार्ड, नागरिक सुरक्षा, सेवानिवृत्त भूतपूर्व सैनिक, राजमिस्त्री, आर्किटेक्ट, चिकित्सा पेशेवरों, बचाव विशेषज्ञों के संपर्क विवरण के साथ एक सूची बनाए रखने के लिए तंत्र हो सकता है और उन्हें अपनी सेवाओं का उपयोग करने के लिए हर साल सूची को अपडेट करने की आवश्यकता होगी।

8. आपदा प्रत्युत्तर तंत्र (RESPONSE SYSTEM)

प्रत्युत्तर उपाय आमतौर पर वे होते हैं, जो आपदा प्रभाव से तुरंत पहले और बाद में किए जाते हैं। इसके लिए संगठनात्मक संरचना तैयार की जाएगी। यह प्रारंभिक चेतावनी से लेकर पुनर्वास तक के विभिन्न चरणों और भागलपुर नगर में स्थित आपदा सहायता हेतु बुनियादी ढांचे का कमजोर लोगों तक पहुंचने में एजेंसियों की भूमिका के विवरण को निर्धारित करेगी। प्रत्युत्तर तंत्र में कार्यात्मक टीमों का गठन किया जाएगा, जिनका कार्य खोज, बचाव, परिवहन, निकासी और पुनर्वास के लिए योजनाएं प्रदान करना शामिल होगा। शारीरिक और मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य प्रदान करने के लिए कमजोर लोगों को भोजन, पानी, आश्रय और दवा सुनिश्चित करने के लिए उनकी क्षमतावृद्धि करके उन्हें सशक्त बनाया जायेगा।

8.1 आपदा प्रत्युत्तर हेतु नगरी नियामक संस्था का प्रशासन तंत्र (Administration System of Urban Regulatory Body for Disaster Response)

आपदा प्रत्युत्तर हेतु नगर निगम में जिला आपदा प्रबंधन समिति के नियंत्रणाधीन नगर स्तर पर एक त्वरित प्रत्युत्तर दल कार्य करेगा जिसका स्वरूप निम्नवत होगा:

नगर आयुक्त	अध्यक्ष
उप नगर आयुक्त	उपाध्यक्ष
नगर प्रबंधक	मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी
कार्यपालक अभियंता नगर विकास एवं आवास प्रमंडल	सदस्य
मुख्य सफाई निरीक्षक	सदस्य
सफाई निरीक्षक	सदस्य
विद्युत पर्यवेक्षक	सदस्य
ट्रैफिक इन्स्पेक्टर	सदस्य
तकनीकी पर्यवेक्षक	सदस्य

8.2 नगर कन्ट्रोल रूम एवं एकीकृत कमांड कंट्रोल सेंटर (City Control Room and Integrated Command Control Center)

नगर निगम भागलपुर के कार्यालय में नगर प्रबंधक के नेतृत्व में एक नगर कंट्रोल रूम आपदा के प्रारंभ से लेकर समाप्ति की घोषणा तक 24**X**7 क्रियाशील रहेगा। इस कंट्रोल रूम में एक लैंडलाईन फोन, एक मोबाईल फोन तथा इन्टरनेट सुविधा के साथ कम्प्यूटर, प्रिंटर, वेबकैमरा तथा स्पीकर स्थापित किया जायेगा। इसके माध्यम से सूचना प्राप्त करने, इसका संकलन करने, प्राधिकृत अधिकारी तक इस सूचना को पहुँचाने तथा उनके निर्देशों को पुनः संबंधित अधिकारी तक पहुँचाने के लिए तीनों पाली में 2–2 की संख्या में प्रशिक्षित कर्मी नियोजित किये जायेंगे। नगर कन्ट्रोल रूम में निम्न पंजियों का रख–रखाव किया जायेगा :–

i. उपस्थिति पंजी
ii. शिकायत पंजी
iii. सूचना एवं संदेश पंजी
iv. शिकायत निवारण पंजी

8.3 स्थानीय आपातकालीन प्रत्युत्तर स्वयंसेवक बल (Local Emergency Response Volunteers Force)

प्रभावी प्रत्युत्तर दल बनाने के लिए संभावित कार्यों हेतु उपकरण की पहचान, आपूर्ति और सौंपे गए कार्यों को करने के लिए प्रत्युत्तर एजेंसियों के द्वारा आवश्यक कर्मियों की प्रतिनियुक्ति करने की आवश्यकता है। प्रत्युत्तर दल में अनिवार्य रूप से खोज और बचाव, निकासी, संचार, योजना और प्रत्युत्तर गतिविधियों के समन्वय आदि के लिए आवश्यक रणनीति और संसाधनों की रूपरेखा प्रस्तुत होगी।

भागलपुर नगर निगम से आपातकालीन प्रत्युत्तर स्वयंसेवकों के बल को बढ़ाने का अनुरोध है जो आपदा के मामले में First Responder के रूप में काम करेंगे। इन स्थानीय स्वयंसेवकों को बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और नगर प्रशासन के परामर्श से राज्य आपदा मोचन बल, नागरिक सुरक्षा और होमगार्ड के अनुभवी व्यक्तियों द्वारा प्रशिक्षित किया जाएगा जिससे खोज और बचाव, प्राथमिक चिकित्सा, निकासी और आपदाओं के प्रभावी प्रत्युत्तर और प्रबंधन के अन्य पहलुओं में क्षमता में वृद्धि होगी।

8.4 स्थानीय खोज और बचाव दल (Local Search and Rescue Team)

स्थानीय वार्ड स्तर पर खोज और बचाव कार्यों का नेतृत्व करने के लिए एक समर्पित समूह के गठन की आवश्यकता है। समूह के सदस्य स्थानीय वार्ड स्तर के प्रतिनिधि, गैर सरकारी संगठन अथवा स्थानीय स्वयंसेवक आदि हो सकते हैं। हालांकि, वर्तमान में नगर स्तर पर, नागरिक सुरक्षा, होमगार्ड और संभागीय अग्निशमन कार्यालय, एक समर्पित समूह के रूप में संयुक्त रूप से खोज और बचाव का काम कर रहे हैं। बाढ़ और डूबने के दौरान बचाव कार्य के लिए नगर में प्रशिक्षित गोताखोर उपलब्ध हैं। प्रशिक्षित गोताखोरों की सूची **अनुलग्नक 14** में **सारणी 14.1.7** में साझा की गई है।

सारणी 8.4

क्र.सं.	नगर स्तर पर खोज एवं बचाव कार्य सौंपने वाले अधिकारियों के नाम एवं पदनाम	संपर्क नंबर के साथ पता
1	अग्निशमन विभाग, भागलपुर सिटी	7485805896 7485805897 0641–2420202
2	विकास कुमार सिंह	6200887894
3	मोहम्मद इमरान	9708377862

स्रोतः अग्निशमन विभाग, भागलपुर 2022

8.5 चिकित्सा प्रत्युत्तर (Medical Response)

आपदा के बाद प्रभावित आबादी की मदद के लिए विशेष चिकित्सा देखभाल की आवश्यकता होगी। महामारी और बीमारियों के प्रकोप को रोकने के लिए दवा देनी पड़ सकती है।

इसके अलावा, वार्ड स्तर पर, आपात स्थिति के समय समर्पित चिकित्सा दल सक्रिय किए जाएंगे, जिसमें (माँग पर) डॉक्टर, नर्स, पैथोलॉजिस्ट, पैरामेडिक्स, आशा कार्यकर्ता आदि शामिल होंगे। आपातकालीन आवश्यकताओं से लैस मोबाइल मेडिकल वैन को चिन्हित कर उनको सूचीबद्ध करना होगा।

मेडिकल इमरजेंसी समूह के सदस्यों को अच्छी तरह से प्रशिक्षित करने की आवश्यकता होगी, विशेष रूप से गम्भीर रोगियों को पहले चिकित्सा देने की विधि, अग्रिम जीवन समर्थन, गोल्डन ऑवर–प्लेटिनम मिनट

अवधारणा, प्राथमिक चिकित्सा प्रत्युत्तर, संक्रमित रोगी की जांच, क्वारंटाइन, महामारी उपचार प्रोटोकॉल, सामाजिक दूरी आदि की विस्तृत जानकारी से अवगत करना होगा।

नगर में सदर अस्पताल में बेसिक और एडवांस लाइफ सपोर्ट सिस्टम वाली 10 एंबुलेंस हैं। इसके अलावा मेडिकल इमरजेंसी के लिए 70 निजी एंबुलेंस संचालक हैं। सरकारी सर्कुलर के मुताबिक एंबुलेंस सेवा को आधे घंटे में मरीज तक पहुंचना होता है। आपात स्थिति में एम्बुलेंस के लिए लोग 102 तथा 1911 आपातकालीन टोल फ्री नंबर का उपयोग करते हैं। भागलपुर में सरकार द्वारा संचालित कॉल सेंटर के माध्यम से एम्बुलेंस सेवाओं का प्रबंधन किया जाता है और नेटवर्क पी.एच.सी / अस्पतालों के माध्यम से आपातकालीन सेवाएं प्रदान की जाती है।

भागलपुर सदर में 2 ब्लड बैंक, एक जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज अस्पताल के अलावा 3 निजी ब्लड बैंक हैं। सिविल अस्पताल द्वारा नियमित रक्तदान शिविर आयोजित किए जाते हैं। लायंस क्लब, रोटरी क्लब और अन्य नागरिक समाज और परोपकारी संगठन नगर में नियमित रक्तदान शिविर आयोजित करके रक्त जुटाने में सिविल अस्पताल का समर्थन करते हैं। भागलपुर में आपातकालीन आपूर्ति अस्पतालों की सूची **अनुलग्नक 14** में **सारणी 14.1.10** में साझा किया गया है।

8.6 अस्थायी आश्रय, क्वारंटाइन केन्द्र / आइसोलेशन केंद्र (Temporary Shelter, Quarantine Centers/ Isolation Centers)

कुछ अस्थायी आश्रय स्थल हैं जिनका उपयोग आपातकाल के समय किया जा सकता है और इन स्थानों का गर्मी, शीतलहर आदि के मामले में सुरक्षित आश्रयों के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। विवरण सारणी 8.6 में प्रस्तुत किया गया है। राहत शिविर की सूची **अनुलग्नक 14** में **सारणी 14.1.6** में साझा किया गया है।

सारणी 8.6: नगर स्तर पर सुरक्षित आश्रयों का नाम व पता

क्रमांक	नगर स्तर पर नामित सुरक्षित आश्रयों /क्वारंटाइन केन्द्रों / आइसोलेशन केन्द्रों का नाम	बिस्तरों की व्यवस्था, भोजन ,निःशुल्क रसोई, पेयजल, शौचालय एवं स्वच्छता सुविधाओं की व्यवस्था के लिए सम्पर्क करें।
1	सेवा कुटीर, जिछो	अजय कुमार–8862819599
2	कटहलबाड़ी, काली मंदिर स्थान के पास	पूनम देवी – 9534257607 एक समय में 50 व्यक्तियों की क्षमता
3	आदमपुर, टेलीफोन एक्सचेंज के सामने	रंजीत हरी एक समय में 25 व्यक्तियों की क्षमता
4	बड़ी खंजरपुर चौक, भारत माता चौक	सुनीता देवी – 8051265814 एक समय में 25 व्यक्तियों की क्षमता
5	कोतवाली, सब्जी मंडी के पास	रहान एक समय में 25 व्यक्तियों की क्षमता
6	नाथनगर, जवाहर सिनेमा के पास	जवाला हरी एक समय में 24 व्यक्तियों की क्षमता
7	हाई स्कूल बरारी	स्वीटी कुमारी – 8674842389 एक समय में 25 व्यक्तियों की क्षमता
8	पारसनाथ मंदिर गली, वार्ड नंबर – 2	एक समय में 50 व्यक्तियों की क्षमता

स्रोतः भागलपुर नगर निगम 2022

8.6.2 भागलपुर नगर में उपलब्ध गैर सरकारी संगठन / समुदाय आधारित संगठन हैः

सारणी 8.6.2

क्र.सं.	गैर सरकारी संगठनों का नाम और पता	संपर्क नंबर संबंधित व्यक्ति का
1	समवेद	8544570864
2	किलकारी	8544570864
3	परिधि, नौगछिया	6204704056
4	नौजन लोक, नौगछिया	9934426113

स्रोतः बाल विकास परियोजना अधिकारी, भागलपुर 2022

8.7 अग्निशमन सेवाएं (Fire Services)

आपातकाल के समय नगर की आवश्यकता से निपटने के लिए भागलपुर नगर में पर्याप्त अग्नि शमन सेवाएं उपलब्ध हैं। दमकल विभाग के सामने समस्या सड़क पर अतिक्रमण, दमकल का मार्ग और ट्रैफिक जाम की आती है।

सारणी 8.7: अग्निशमन विभाग के साथ सूची

क्र.सं.	भंडार	प्रकार और क्षमता
1	बड़ा वाहन	12000 लीटर (1), 4500 लीटर (3), 3000 लीटर (1)
2	मध्यम वाहन	1 ट्रक – 2000 लीटर
3	छोटा वाहन	13 छोटे वाहन – 400 लीटर, 4 छोटे वाहन - 50 लीटर
4	पोर्टेबल पंप	50 फुट के 12 होज पाइप
5	फायर फाइटर	22
6	ड्राइवर	27
7	अग्निशमन अधिकारी	2

स्रोतः अग्निशमन विभाग – विकास कुमार सिंह (6200887894) 2022

8.8 घटना प्रत्युत्तर तंत्र और मानक संचालन प्रत्युत्तर (Incident Response System and Standard Operating Procedure)

भागलपुर नगर के किसी भी वार्ड या वार्ड समूहों में अथवा पूरे नगर में आने वाली विभिन्न आपदाओं के दौरान जिलाधिकारी के नेतृत्व एवं निर्देशन में उपरोक्त आपात समर्थन कार्य हेतु नगर निगम द्वारा निम्न कार्यवाही की जायेगी। इस दौरान बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 के अनुच्छेद 30 एवं 31 के अनुसार गठित वार्डों की समिति तथा वार्ड समिति को सक्रिय किया जायेगा।

1. **सूचना आदान–प्रदानः**–जिला आपदा नियंत्रण कक्ष से किसी आपदा के घटित होने की पूर्व सूचना प्राप्त होते ही नगर निगम कार्यालय का नियंत्रण कक्ष चौबीस घंटे कार्य करना प्रारंभ कर देगा जो आपदा की समाप्ति की घोषणा तक जारी रहेगा

2. **कानून व्यवस्था :–** जिलाधिकारी द्वारा प्राधिकृत मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में पुलिस प्रशासन तथा नागरिक सुरक्षा इकाई द्वारा कानून व्यवस्था का संधारण किया जायेगा।
3. **खोज एवं बचाव :–** L_1 स्तर की अत्यंत साधारण आपदा काल में वार्ड स्तर पर गठित खोज, बचाव एवं निष्कासन दल द्वारा सम्पन्न किया जायेगा। किसी गंभीर आपदा के समय जिलाधिकारी स्तर पर SDRF, NDRF या सेना को खोज एवं बचाव कार्यों के लिए आमंत्रित किया जायेगा।
4. **राहत एवं आश्रय :–** जिलाधिकारी द्वारा निर्देशित सभी आश्रय स्थलों के निकट चलन्त शौचालय या अस्थाई स्वच्छ शौचालय का निर्माण, पर्याप्त जलापूर्ति की व्यवस्था हेतु अस्थाई चापाकल की स्थापना, जलमल निकासी एवं निपटान की व्यवस्था, ठोस कचरा निपटान एवं ब्लीचिंग पाउडर तथा सैनिटाइजर का छिड़काव एवं अन्य व्यवस्थाएं जिलाधिकारी के निर्देशन में की जाएंगी।
5. **स्वास्थ्य एवं स्वच्छता :–** भागलपुर नगर में आंधी, भूकम्प, अग्नि, जल जमाव, मौसमी बीमारी, वैश्विक महामारी तथा अन्य व्यापक प्रभाव वाली आपदाओं के दौरान नगर की सफाई व्यवस्था, स्वच्छता को निर्बाध बनाये रखने का हर संभव प्रयास नगर निगम द्वारा किया जायेगा।
6. **पालतू पशु आश्रय एवं चारा :–**जहाँ कहीं भी अस्थाई पालतू पशु आश्रय शिविर बनाये जाते हैं, वहाँ पशुओं के मल–मूत्र की सफाई तथा उसके इर्द–गिर्द स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जायेगा। इसके लिए एक चिन्हित कार्य बल जरूरी यंत्र–संयत्र तथा कचरा परिवहन गाड़ियां तैनात की जायेंगी। डी.डी.टी., ब्लीचिंग पाउडर तथा सैनिटाइजर की व्यवस्था की जायेगी।
7. **पेयजल आपूर्ति :–** जहाँ कहीं पाईप एवं नल द्वारा पेयजल आपूर्ति की जाती हैं उन वार्डो में आपदा के कारण व्यवधान आने पर तत्काल टैंकर द्वारा जलापूर्ति की व्यवस्था की जायेगी अथवा अस्थाई चापाकल गाड़े जायेंगे। साथ ही व्यवधान को शीघ्र दूर करते हुए जलापूर्ति व्यवस्था पुनर्बहाल की जायेगी।
8. **ऊर्जा आपूर्ति :–** ऊर्जा प्रवाह बाधित होने पर दक्षिण बिहार पावर होल्डिंग कम्पनी लि0 (SBPHCL) द्वारा आवश्यक कदम उठाये जायेंगे। इसके अतिरिक्त आश्रय शिविर स्थलों पर विद्युत मुहैया करायी जायेगी।
9. **परिवहन व्यवस्था :–** आपदा काल में प्रभावितों को शरणस्थली तक पहुँचाने तथा अन्य आपातकालीन कार्यो के लिए जरूरी परिवहन व्यवस्था, जिला परिवहन पदाधिकारी भागलपुर द्वारा की जायेगी।
10. **लोक निर्माण कार्य :–**सभी प्रकार के आकस्मिक निर्माण एवं रख–रखाव कार्य निर्माण विभागों के द्वारा किये जायेंगे।
11. **मलबा निपटान एवं सफाई :–** विभिन्न आपदाओं में भिन्न–भिन्न प्रकार का मलबा इकट्ठा होता है। जिसे यथाशीघ्र उस जगह से हटाकर सामान्य जीवन व्यवहार बहाल करना आवश्यक होता है।

आपदावार मलबा निपटान एवं सफाई के लिए निम्न प्रकार के आपातकालीन समर्थन कार्य की तैयारी नगर निगम द्वारा की जायेगी।

(क) भूकम्प –आपदावार मलबा निपटान के दौरान जमींदोज हो गये भवन या पानी की टंकी का मलबा हटाने के लिए डोजर, डम्फर, जेसीबी इत्यादि मशीनों का तैयार रखा जायेगा। कंक्रीट के छोटे–छोटे टुकड़ों में काटकर तथा कंक्रीट के भीतर के सरिये को लेजर बीम से काटने का प्रबंध किया जायेगा। इन छोटे टुकड़ों को जे.सी.बी तथा डोजर से समेट कर डंपर ट्रक में लोड कर दिया जायेगा। जिसे नगर के इर्द–गिर्द नीचे गड्ढों को भरने के लिए अथवा ठोस कचरा निपटान स्थल पर भेज दिया जायेगा।

(ख) जलजमाव / नगरीय बाढ़ – नगर में यह आपदा वार्ड सं0– 4, 9, 17, 18, 22, 23, 25, एवं 28 को प्रभावित करती है। जलजमाव के बाद नगरों की गलियों, सड़कों तथा घरों से गाद एवं गीला कूड़ा बहुत बड़ी मात्रा में फैले मिलते हैं। इनको समेटने के लिए वाइपर तथा डोजर का प्रयोग किया जायेगा तथा इसे भी नगर के निकट किसी गड्ढा या पूर्व निर्धारित कचरा निपटान स्थल पर भेज दिया जायेगा। अतिवृष्टि के कारण नगर निगम क्षेत्र में उत्पन्न समस्याओं का निराकरण करने तथा सभी नागरिक सुविधाओं में आई रूकावट को दूर करने के लिए जल निकासी हेतु पंपों का उपयोग कर जल निकासी के उपरांत संक्रामक रोगों से बचने के उपाय, जल भरे गड्ढों को चिन्हित कर मेन होल को बंद रखने की समुचित व्यवस्था की जायेगी।

(ग) अग्निः – अग्नि की अवस्था में तुरंत प्रत्युत्तर की कार्यवाही की जा सके, इसके लिए आपदा प्रबंधन विभाग, पटना के द्वारा एक मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) बनाई गई है, जिसका उपयोग अगलगी की स्थिति में किया जा सकेगा।

(घ) तेज़ हवा / आंधीः इस आपदा के दौरान आमतौर पर बड़े–बड़े पेड़ सड़कों पर गिरकर आवागमन बाधित कर देते हैं। इनको जल्द से जल्द हटाना आवश्यक होगा। छोटे–मोटे पेड़ पौधों को हटाने के लिए कुल्हाड़ी, कुदाल अथवा मोबाइल आरी मशीन से काटकर इनके छोटे टुकड़ों को एकत्रित कर इनका भंडारण किसी खुले स्थान में कर दिया जायेगा। जहाँ से यह वन विभाग को हस्तान्तरित कर दिया जायेगा।

इस आपदा के दौरान टीन की छतों के बिखरे अवशेष तथा अन्य हल्के पदार्थ बेतरतीब तरीके से सड़कों पर फैलकर आवागमन को बाधित करते हैं। इनको इकट्ठा कर समुचित निपटान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त आपदा के दौरान मृत लावारिस पशु तथा मनुष्य के शवों का विधिवत निपटान यथा दफनाने/जलाने का कार्य भी नगर निगम की आपदाकालीन प्रत्युत्तर की विशेष टीम द्वारा किया जायेगा।

12. क्षति आकलन – अध्याय 9 उपखंड 9.1 पर देखा जा सकता है।

13. सूचना प्रवाह तथा सहायता केन्द्र :–सभी विभागों/संभागों के साथ समन्वित ढंग से सूचना का प्रवाह बनाये रखने का कार्य नगर कंट्रोल रूम के माध्यम से किया जायेगा।

14. दान प्रबंधन :– आपदा की स्थिति में गैर सामुदायिक संगठनों एवं अन्य माध्यमों से सामग्री तथा राशि की सहायता प्रदान की जाती है। ऐसे में इस कार्य हेतु एक नोडल ऑफिसर नामित होंगे जो दान-दाता संगठनों को आवश्यक वस्तुओं की जानकारी उपलब्ध करायेंगे तथा इनसे प्राप्त दान को एक समुचित पंजी में दर्ज करेंगे।

15. मीडिया प्रबंधन :– संभावित या घटित आपदाओं की स्थिति में विभिन्न मीडिया स्रोतों से सूचना का आदान–प्रदान सुनिश्चित करना श्रेयस्कर होगा। इस हेतु नगर निकाय, जिला प्रशासन या नामित नोडल ऑफिसर तय समय पर मीडिया ब्रीफिंग करेंगे। ऐसा करने से प्रशासन द्वारा किये जाने वाले कार्यों के बारे में आम जनता को जानकारी दी जा सकेगी।

9. राहत, पुनर्निर्माण और पुनर्वास (RECOVERY, RECONSTRUCTION AND REHABILITATION)

9.1 विस्तृत क्षति और हानि का आकलन (Detailed Damage and Loss Assessment)

राजस्व विभाग, आपदा प्रबंधन विभाग, स्थानीय प्रशासन की सहायता से आपदा हानि और क्षति की पहचान करेगा। भागलपुर नगर निगम की भूमिका राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग का समर्थन करने व उन्हें पूरक सहायता प्रदान करने की होगी।

भागलपुर नगर निगम आपदा के दौरान फंसे / खाली किए गए लोगों के लिए पके हुए भोजन और कपड़ों के रूप में सहायता प्रदान करता है। यह फॉगिंग, सफाई और ब्लीचिंग के माध्यम से सड़कों और आश्रयों की सफाई की भी व्यवस्था करता है। समुदाय की आवश्यकता के पर्यवेक्षण के लिए प्रति शिविर 1 व्यक्ति आवंटित किया जाता है। स्थानीय गैर सरकारी संगठन और रेड क्रॉस सोसाइटी भी भागलपुर नगर निगम के राहत प्रयासों के पूरक हैं।

वर्तमान में बाढ़ के समय, प्रभावित समुदाय के पशुओं के लिए अस्थायी आश्रयों की स्थापना की जाती है। इसे पोलो फील्ड में पशु चिकित्सा विभाग द्वारा स्थापित किया जाता है, सुझी घाट और नगर के पशुधन को अमरपुर हाईस्कूल ले जाया जाता है। प्रभावित पशुओं को दवा के लिए पशु चिकित्सा विभाग में लाया जाता है, वे पशुओं के लिए भोजन की व्यवस्था करते हैं और बाढ़ या आपात स्थिति के समय शिविर प्रदान करते हैं। इसको भागलपुर में जारी रखा जाएगा।

मुर्गी, सुअर और बकरी फार्म को मुआवजा दिया जाता है। जो इस प्रकार है:

- 50% सामान्य के लिए
- 60% SC, ST के लिए है।

9.2 क्षतिग्रस्त इमारतों / सामाजिक बुनियादी ढांचे का पुनर्निर्माण (Reconstruction of Damaged Buildings / Social Infrastructure)

पुनर्निर्माण प्रक्रिया के लिए प्रभावी व समयबद्ध योजना बनाई जाए। तत्काल बहाली के लिए नागरिक केंद्र का पुनर्निर्माण एक महत्वपूर्ण क्षेत्र होगा। यह भागलपुर नगर निगम के पी.डब्ल्यू.डी. और बिजली विभाग को तत्काल करना होगा।

9.3 आधारभूत संरचनाओं का पुनर्स्थापन (Restoration of Infrastructure)

आधारभूत संरचना यथा प्रशासनिक भवन, अस्पताल भवन, विद्यालय भवन, विद्युत सुधार, सड़क संपर्क, दूर संचार, पेयजल आपूर्ति इत्यादि से संबंधित आधारभूत संरचनाओं का पुनर्स्थापन तयशुदा मानक और मापदंडो पर किया जायेगा। इसके लिए आपदा प्रबंधन विभाग संबंधित कार्यान्वयन एजेंसियों को निधि उपलब्ध करायेगा तथा संबंधित एजेंसी युद्ध स्तर पर इसका पुनर्स्थापन सुनिश्चित करें।

9.4 महत्वपूर्ण भवनों की मरम्मती (Repair of Vital Buildings)

जल–जमाव, नगरी बाढ़ तथा भूकंप से क्षतिग्रस्त भवन जो किसी समुदाय अथवा समाज के दैनिक कार्य के लिए अति महत्वपूर्ण हो, उन भवनों की यथाशीघ्र मरम्मत कर उपयोग में लाने की कार्रवाई सुनिश्चित

की जायेगी। आपातकालीन संचालन केन्द्र अस्पताल तथा राहत शिविरों के लिए उपयोगी भवनों की मरम्मत युद्ध स्तर पर सुनिश्चित की जायेगी।

9.5 जीविका का पुनर्स्थापन (Restoration of Livelihood)

आपदा के दायरे में पड़ने वाले क्षेत्र के निवासियों की जीविका के विभिन्न साधन फसल इत्यादि भी नष्ट या क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। पशुपालन के व्यवसाय पर कुप्रभाव पड़ता है। आवागमन प्रभावित होते हैं। आर्थिक गतिविधियां ठप पड़ जाती है। ऊर्जा की समस्या कुटीर उद्योग के उत्पादन को प्रभावित करती है। इस तरह की कई समस्याओं से वहाँ के समुदाय अथवा समाज की जीविका पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसे पुनः पूर्ववत् स्थिति में लाने के लिए सभी आवश्यक उपाय किये जाने चाहिए तथा प्रभावितों को अनुदान, कर्ज, बीमा इत्यादि उपलब्ध कराकर जीविका के साधन को पुनर्स्थापित किया जा सकता है।

पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन की प्रक्रिया में वर्तमान में राज्य सरकार के कृषि विभाग, समाज कल्याण, स्वास्थ्य विभाग, पशुपालन एवं मत्स्य संसाधन तथा नगर विकास कार्यक्रमों में तरजीह दी जायेगी।

9.6 अंशकालिक एवं दीर्घकालिक रिकवरी कार्यक्रम (Short & Long term Recovery Programs)

आपदा के बाद पुनर्वास और पुनर्निर्माण अनिवार्य रूप से स्थानीय निकायों (जिला / नगर निगम आदि) और विभिन्न सरकारी विभागों और बोर्डों द्वारा किया जाए। सभी मुद्दों को ठीक से निपटाने के लिए सरकार और प्रभावित, दोनों का योगदान महत्वपूर्ण है।

सारणी 9.1: तत्काल और दीर्घकालिक वसूली योजना गतिविधियां

नुकसान का आकलन	शवों का निपटान	घरों के लिए सहायता का संवितरण	सहायता पैकेज तैयार करना
विफलता के मामले	अस्वीकृत मामले, मकानों का कब्जा न होना	नगर नियोजन और विकास योजनाएं	आवास प्रतिस्थापन नीति के रूप में पुनर्निर्माण
जागरूकता और क्षमता निर्माण	आवास बीमा	शिकायतों का निष्पादन	

पुनर्वासः पुनर्वास में आश्रय, आजीविका, शिक्षा, बुनियादी ढांचे और स्वास्थ्य जैसे विभिन्न पहलू शामिल हैं। पुनर्वास के लिए आवास का संबंध है, भागलपुर नगर निगम को जहाँ तक वैकल्पिक घरों के निर्माण के लिए स्थान (स्थानों) का फैसला करना पड़ सकता है। प्रस्तावित घरों के स्थान और आकार पर निर्णय लेते समय भूमि अधिग्रहण, वित्तीय प्रभावों और स्थान (स्थानों) की पहचान पर विचार किया जाए। यह उन लोगों के लिए आजीविका के साधन खोजने का है जो इस घटना के कारण इसे खो चुके हैं।

10.रोकथाम और शमन उपाय (PREVENTION AND MITIGATION PLAN)

इस अध्याय में मुख्य रूप से समाधान व नुकसान की रोकथाम के माध्यम से समुदायों पर आपदाओं के प्रभाव को कम करने के विभिन्न तरीकों और साधनों पर प्रकाश डाला गया है। खतरा, जोखिम, संवेदनशीलता तथा क्षमता आकलन के आधार पर चिह्नित विभिन्न प्रकार के खतरों के लिए आवश्यक शमन योजनाओं का क्रियान्वयन किया जायेगा। न्यूनीकरण योजनाएँ क्षेत्र विशिष्ट होंगी, संरचनात्मक और गैर–संरचनात्मक दोनों पहलुओं से निपटेंगी।

सटीक और विस्तृत जोखिम डेटा की योजना बनाना और एकत्र करना प्राथमिकता होगी। पूरी प्रक्रिया आपदा पहचान और आपदा जागरूकता के साथ कमजोर समुदायों को शामिल करते हुए बहु–हितधारक भागीदारी का पालन करेगी और भागलपुर नगर निगम के लिए शमन योजना तैयार करने के लिए अंतर–विभागीय समन्वय सुनिश्चित करेगी।

बिहार रोड मैप और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना 2019 के अनुसार, भागलपुर नगर निगम द्वारा निम्नलिखित उपाय करके नगर स्तर के जोखिम शमन उपायों को सुनिश्चित किया जायेगा :

1. भागलपुर नगर निगम और नगर के वार्ड समुदाय को नगर के व्यापक संदर्भ में नगरीय विकास और जलवायु परिवर्तन के बदलते आयामों के साथ जोखिमों और उनके बदलते स्वरूप को पहचानने और समझने का प्रयास किया जाएगा। वार्ड स्तर पर आवश्यकता के अनुसार प्रत्येक वर्ष इस जोखिम आकलन का अद्यतन किया जाएगा।

2. नगर निगम की विकास योजना और अन्य विभागीय योजनाओं में आपदा जोखिम संबंधी जानकारी सामुदायिक जुड़ाव के माध्यम से की जा सकती है। भागलपुर नगर निगम को वार्ड समुदायों के बीच आपदा जोखिम संबंधी जानकारी प्रसार के लिए एक परामर्शी / संवादात्मक तंत्र विकसित करने की आवश्यकता होगी।

3. भागलपुर नगर निगम को जोखिम संभावित क्षेत्रों में विकास की नियमित रूप से निगरानी और रिपोर्ट करने की आवश्यकता है, उदाहरण के लिए अवैध निर्माण, अतिक्रमण, भवन नियमों के उल्लंघन और भवन उप–नियमों और कोड को लागू करने की सूचना संकलित करना।

4. भागलपुर नगर निगम को आवास निर्माण के लिए सुरक्षित क्षेत्रों पर विचार करने की आवश्यकता है। आयुक्त कार्यालय भवन, विद्यालय, अस्पताल, अग्निशमन सेवाएं, बिजली और संचार जैसे महत्वपूर्ण भवनों को फिर से बनाना और उनका उचित रख–रखाव करना आवश्यक होगा।

5. भागलपुर नगर निगम को नगर के प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र जैसे जंगल, जल निकायों आदि की पहचान, सुरक्षा और निगरानी के लिए नगर प्रशासन के साथ काम करने की आवश्यकता है क्योंकि वे आपदाओं के प्रभाव को कम करते हैं और सूखे और आग के विनाशकारी प्रभावों को कम करते हैं।

6. भागलपुर नगर निगम को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि विद्यालयों, उच्च शिक्षा, विश्वविद्यालयों और कार्यस्थल के भीतर शिक्षा पाठ्यक्रम में आपदा जागरूकता गतिविधियां शामिल की जाए और प्रशिक्षण समुदाय को विभिन्न आपदाओं के बारे में जागरूक करने का सशक्त माध्यम है।

7. सक्रिय रूप से अंतर–एजेंसी समन्वय से (गैर सरकारी संगठन, समुदाय आधारित संगठन, स्वयंसेवकों, शैक्षणिक संस्थानों) वार्ड में सुरक्षित और सतत विकास गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ाने की दिशा में काम किया जाएगा।

8. भागलपुर नगर निगम को वार्ड के लिए नियोजित DRR हस्तक्षेपों के लिए संसाधन जुटाने की दृष्टि से विशेष रूप से नगर प्राधिकरण और योजना विभाग के साथ काम करने की जरूरत होगी।

9. वार्ड के सबसे कमजोर वर्गों जैसे गरीबी रेखा के नीचे, वृद्ध, निराश्रित, महिलाओं और विशेष जरूरतों वाले लोगों के लिए बजट के एक हिस्से को अलग रखने के लिए मुंगेर नगर निगम स्तर पर विशेष उपाय करने होंगे। वित्तीय सहायता, कौशल निर्माण, महिला सहकारी समितियों का गठन और सूक्ष्म वित्त के माध्यम से उद्यमों को बढ़ावा दिया जाएगा।

10. भागलपुर नगर निगम पारिस्थितिकी तंत्र जागरूकता, शिक्षा और संरक्षण कार्यक्रमों को विकसित करने के लिए नगर के प्राधिकरण के साथ काम कर सकता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वार्ड समुदाय पारिस्थितिकी तंत्र के सुरक्षात्मक उपायों को समझता है और कार्य करता है और मौजूदा जोखिमों को दूर करने और नए जोखिमों को रोकने के लिए पर्यावरण संरक्षण के लिए उपयुक्त उपायों का क्रियान्वयन किया जायेगा।

11. भागलपुर नगर निगम को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि वार्ड की बुनियादी सुविधाएं जैसे पानी, स्वच्छता, स्वास्थ्य, बिजली और परिवहन हमेशा तैयार स्थिति में रहे।

12. भागलपुर नगर निगम को वार्ड स्तर पर तीव्र झटके या तनाव की स्थिति में महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे के संचालन को सुनिश्चित करने के लिए सिस्टम और तंत्र स्थापित करने की आवश्यकता है। जोखिमों के संयोजन से निपटने के लिए अतिरिक्त क्षमता (Redundancy) की जाएगी।

10.1 शमन योजना (Mitigation Plan)

न्यूनीकरण योजना बताती है कि विशिष्ट जोखिमों से कैसे निपटा जाएगा और उन्हें पूरा करने के लिए क्या आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।

10.1.1 भूकंप

भूकंप आपदा जोखिम का शमनीकरण :– बिहार भवन निर्माण उपविधि 2014 में भूकम्परोधी भवन निर्माण की मानक विधियॉ तथा विशिष्टतायें निर्धारित की गयी हैं। भूकम्प तीव्रता की दृष्टि से भागलपुर नगर जोन IV में स्थित है। यहाँ के विद्यालय, कॉलेज और अन्य शैक्षणिक संस्थाओं, अस्पताल और नर्सिंग होम, मॉल अथवा प्रेक्षागृह, पुल–पुलिया, परिपथ, रेलवे स्टेशन, बस अड्डे जैसी जनोपयोगी संरचनाएं प्रशासन और व्यवसाय से जुड़े महत्वपूर्ण भवनों की संरचना एवं साज–सज्जा की प्राथमिकता के आधार पर भूंकप सुरक्षा की दृष्टि से जांच कर उन्हें सुरक्षित करने का प्रयास किया जायेगा। इन भवनों /संरचनाओं का विस्तृत एवं सुरक्षित निर्धारण कराया जायेगा। इसके अंतर्गत भूकंपीय झटकों को सहन करने वाले संरचनात्मक उपायों (Components) के साथ–साथ भंडारित सामग्री, साज–सज्जा और अन्य आंतरिक संयोजन (Fittings) की जांच की जायेगी कि वे भूकंपीय झटकों को किस हद तक सहन कर पाते हैं।

इस संबंध में बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने **पद्म श्री डॉ0 आनंद स्वरूप आर्या** के द्वारा त्वरित जांच कार्य विधियां डिजाइन कराई हैं। इसमें सभी प्रकार के भवन विन्यासों यथा ईट/पत्थर, मिटटी के

गारे के साथ चिनाई किये गये भवन या RCC ढांचे में सीमेंट गारे से ईट/पत्थर/ब्लाक की चिनाई वाले भवनों के लिए सर्वेक्षण प्रपत्र तैयार कराये हैं। इस जांच विधि का उपयोग करते हुए प्राथमिकता के आधार पर सभी सरकारी भवनों/सरंचनाओं का Rapid Visual Screening कराया जायेगा। निजी भवनों की जांच के लिए निजी क्षेत्र के वास्तुविद /अभियंताओं को उपयुक्त प्रशिक्षण की व्यवस्था कर इनका क्षमतावर्द्धन किया जायेगा।

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा भूकम्प सुरक्षा के दृष्टिकोण से जारी की गई निम्नांकित मार्ग-दर्शिकाएं जनोपयोगी हैं जो www.bsdma.org पर उपलब्ध हैं।

i. भूकम्प जोन IV हेतु भूकम्परोधी सुरक्षित मकान की मार्गदर्शिका (जिसमें फ्लाई ऐश ईंटों का प्रयोग भी होता है)
ii. बांस निर्मित आपदारोधी मकानों की निर्माण विधि।
iii. बिहार में ईट जोड़ाई दीवार पर आधारित भवनों के लिए Retrofitting की मार्गदर्शिका।
iv. अपने मकान की भूकम्प से सुरक्षा हेतु स्वयं जांच कैसे करें।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जारी Guidelines on Seismic Retrofititing of Deficient Building & Structure को भी संदर्भित किया जायेगा। वर्षों पूर्व, बिना नक्शा स्वीकृति के बने मकानों की वर्तमान भूकंपीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए निम्नांकित व्यवस्था और निरंतर प्रयास किये जाएंगेः–

- मौजूदा निर्माण की सुरक्षित स्थिति तैयार की जायेगी।
- इन निर्माणों की सुरक्षा का निर्धारण किया जायेगा।
- असुरक्षित पाये गये भवनों/ सरंचनाओं की प्राथमिकता निर्धारित की जायेगी।
- प्राथमिकता क्रम से इनका जीर्णोद्धार /रेट्रोफिटिंग किया जायेगा।

10.1.2 जल–जमाव /अतिवृष्टि /नगरी बाढ़

(क) नगरी बाढ़/जल जमाव के खतरे को कम करने के लिए जल निकास प्रणाली का निर्माण करना। नगर निगम पक्की नालियों को विस्तारित कर इसे किसी प्राकृतिक ढलान वाली स्वतः प्रवाहित जलमार्ग अथवा कृत्रिम नाले से जोड़ेगी। सभी प्राकृतिक जल बहाव मार्गो को अतिक्रमण मुक्त बनाये रखने का प्रयत्न करेगी।

(ख) नगर स्तर पर कूड़ा प्रबंधन करने हेतु विकेंद्रित व्यवस्था अपनाना। इस हेतु वार्ड स्तर पर ठोस अपशिष्ट प्रणाली को समुदाय के सहयोग से संचालित करना।
संप्रति, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु गैर सरकारी संस्था के साथ करार किया गया है। वार्ड स्तर पर नगरवासियों का सहयोग प्राप्त किया जा रहा है। स्रोत पर ही ठोस कचरा की छटाई करने पर बल दिया जाता है ताकि पुनर्चक्रण योग्य कचरा को अलग कर लिया जाये। जैव चिकित्सा अपशिष्ट का संग्रहण भागलपुर स्थित निपटान केन्द्र भेजा जाता है।

(ग) बाढ़ एवं जल-जमावग्रस्त क्षेत्रों में बाढ़रोधी मकान बनानाः– इस संदर्भ में बिहार भवन निर्माण उपविधि 2014 का सभी संशोधनों के साथ अनुपालन कराया जा रहा है। आपदा सुरक्षित मकानों के निर्माण पर विशेष जोर दिया जा रहा है।

(घ) पुराने जर्जर भवनों एवं विद्युत पोलों, टावरों को नष्ट करने हेतु संबंधित व्यक्ति/संस्थान एवं विभागों को नोटिस देनाः–

नगर निगम द्वारा असुरक्षित एवं जर्जर मकान या अन्य अंतः संरचनाओं की ''लाईफ एक्सपेक्टेंसी'' की जांच कराकर मरम्मत योग्य नहीं पाये जाने पर उन्हें सुरक्षित तरीके से ध्वस्त करके इसके मलबे के सुरक्षित निपटान की व्यवस्था की जायेगी।

(ड़) लाईफ लाइन भवनों एवं सड़क, पुल, जलापूर्ति व्यवस्था जैसी महत्वपूर्ण संरचनाओं को बाढ़ से सुरक्षित करना तथा उन्हें आपदारोधी बनाना :–

उपरोक्त सार्वजनिक संरचनाओं का बहु आपदा सुरक्षा आडिट कराकर इनका सुदृढ़ीकरण करते हुए आपदा सुरक्षित नगर की परिकल्पना को साकार किया जायेगा।

(च) बाढ़ के दौरान पेयजल की उपलब्धता के लिए ऊँचे स्थलों पर पेयजल स्त्रोत का निर्माण करना। नगर निगम समुचित कार्यवाही सुनिश्चित करेगा।

(छ) जिला योजना में उपबंधित उपर्युक्त शमनीकरण कृत्य के अतिरिक्त भी अधिनियम के अनुच्छेद 41(1)(ग) के संदर्भ में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा नगरी बाढ़ प्रबंधन हेतु 2010 में जारी मार्गनिर्देशिका में सीवेज ड्रेनेज के रख रखाव के लिए दिये गये दिशानिर्देश का अनुपालन करते हुए निम्न उपाय किये जायेंगे।

- सभी प्रमुख नालियों का मानसून पूर्व डि–सिल्टिंग प्रत्येक वर्ष 31 मार्च तक पूरा किया जायेगा।
- सभी नालियों की सफाई के लिए एक रोस्टर बनाकर निश्चित समय अंतराल पर इसकी सफाई करायी जायेगी।
- प्रमुख और छोटी नालियों से हटाये गये सभी अपशिष्ट को सूखने के लिए नाली के बाहर रखने की अनुमति आमतौर पर नहीं होगी। इसके बजाय गीले सिल्ट को एक निर्वाध कंटेनर में जमा किया जायेगा और जैसे ही इसे नाले से निकाला जाता है इसे अपशिष्ट निपटान केन्द्र पहुँचा दिया जायेगा।
- सभी नालियों के सफाई कार्यो पर Resident Welfare Association, Slum Dwellers Association वार्ड समिति के सदस्यों अथवा विधान सभा /लोक सभा के सदस्यों के अधिकृत स्थानीय प्रतिनिधि द्वारा तृतीय पक्ष से प्रमाणित कराना आवश्यक होगा।
- सॉलिड वेस्ट मेनेजमेंट रूल्स/मेनूअल्स का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- छोटी नालियों की सफाई इसके Outfall Point से शुरू करके ऊपर की ओर ऊपरी मुहाने तक की जायेगी।
- उपयुक्त संख्या में सफाई कर्मियों का नियोजन, उनके लिए स्वच्छता सुरक्षा किट जैसे दस्ताना, जूते, हेलमेट, यंत्र–संयत्र, मशीनरी अन्य विशिष्ट उपकरणों की आपूर्ति के लिए नगर निगम के बजट में यथोचित प्रावधान रखे जायेंगे।
- बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल द्वारा नगरी क्षेत्रों की बाढ़ प्रभावित एवं जल जमाव वाले क्षेत्रों की पहचान की गई है। अध्याय 4 में बाढ़/जल जमाव संवेदनशीलता की विवेचना की गई है, जहाँ इन क्षेत्रों का विवरण देखा जा सकता है।

- बाढ़ आपदा के संदर्भ में पूर्व जानकारी प्राप्त करने के लिए गंगा नदी के जलस्तर एवं बहाव की मात्रा की निगरानी करने आदि के लिए बाढ़ चौकी की स्थापना की जायेगी एवं किसी खतरे की स्थिति में संबंधित एजेंसियों एवं विभागों के साथ इसे साझा किया जायेगा।
- मानसून के समय बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल के स्तर पर बाढ़ सूचना केन्द्र की स्थापना की जायेगी तथा उस पर सतत् काम करने वाले कर्मचारियों की नियुक्ति की जायेगी।
- आपातकालीन संचालन केंद्र के साथ समन्वय हेतु नोडल पदाधिकारी की नियुक्ति की जायेगी।

10.1.3 अग्नि सुरक्षा

बिहार अग्निशमन सेवा अधिनियम 2021 की कंडिका 23(घ) के अनुसार प्रत्येक हाईड्रेंट एवं जलस्रोतों के आकार को उपदर्शित किये जाने वाला पहचान प्लेट संबंधित भवन, या परिसर के स्वामी अथवा अधिभोगी द्वारा लगाया जायेगा एवं ऐसे सभी हाईड्रेंट एवं जलस्रोतों का संबंधित प्राधिकार द्वारा अनुरक्षण सुनिश्चित किया जायेगा। अधिनियम की कंडिका (च) के अनुसार सभी सरकारी एवं सार्वजनिक भवनों में अग्निशमन हेतु अबाध जलापूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।

अधिनियम की कंडिका 25 के अनुसार भवन निर्माण कार्य में संलग्न विभागों, इकाईयों जैसे भवन निर्माण विभाग, स्वास्थ्य विभाग, नगर विकास विभाग,शिक्षा विभाग, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम इत्यादि में अग्नि अभियंत्रण कोषांग का गठन किया जायेगा।

इस नियमावली की कंडिका 12 के अनुसार, ''राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति 2007 के आलोक में बिहार अग्निशमन सेवा, राज्य के आपदा प्रबंधन की एक मौलिक इकाई होगी। इसका विस्तारण बाध्यकारी रूप से राज्य के सभी अग्नि आपदाओं के समय राहत एवं बचाव के अलावा आपदा न्यूनीकरण तथा सामुदायिक जागरूकता कार्यक्रमों तक होगा।

कंडिका 13 के अनुसार अधिनियम 6–2014 की धारा 17 तथा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति 2007 के आलोक में बिहार अग्निशमन सेवा समुदाय की अनिवार्य एवं विशेष सेवा होगी।

कंडिका 14 के आलोक में सभी व्यावसायिक एवं सार्वजनिक भवनों विशेषकर नाजुक संस्थानों यथा विद्यालयों, सार्वजनिक भवनों, अस्पतालों के लिए अग्नि सुरक्षा एवं निकास योजना (Fire Safety – Evacuation Plan) विकसित की जायेगी।

कंडिका 15 के आलोक में सभी संवदेनशील भवनों के लिए राष्ट्रीय भवन संहिता 2016, समय–समय पर यथा संशोधित के अग्नि एवं जीवन सुरक्षा से संबंधित भाग IV के नियमित अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा।

कंडिका 17(क) के आलोक में अधिनियम की धारा 25(2), 27, 34 एवं 35 के प्रयोजनार्थ भवन एवं परिसर में अग्नि सुरक्षा एवं निवारण हेतु राष्ट्रीय भवन संहिता 2016 समय–समय पर यथा संशोधित, बिहार भवन उपविधि 2014 समय–समय पर यथा संशोधित एवं अन्य विधि के अंतर्गत निर्धारित किये गये मानक लागू किये जायेंगे।

कंडिका 18(क) अधिनियम की धारा 25, 26 एवं 27 के प्रयोजनार्थ पंडाल के अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा हेतु भारतीय मानक ब्यूरो, नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित IS8758:1993 एवं अन्य विहित विधि के अंतर्गत अधिसूचित सभी मानक लागू किये जायेंगे। जिसका अनुपालन पंडाल का निर्माणकर्ता स्वयं करेगा।

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा 2018 में जारी ''अगलगी की रोकथाम जोखिम न्यूनीकरण, पूर्व तैयारी एवं क्षमतावर्द्धन संबंधी मार्गदर्शिका के आलोक में निम्न शमनीकरण कार्य किये जायेंगे:-

(क) प्रत्येक तीन वर्ष के अंतराल पर अग्नि सुरक्षा सप्ताह का आयोजन नगर विकास एवं आवास विभाग के पत्रांक 675 दि0 30.05.2019 के आलोक में नगर निगम स्तरीय नगरों में अवस्थित बहुमंजिलीं इमारतों

/विशेष सार्वजनिक भवनों में लगे अग्नि सुरक्षा उपकरणों की कार्य क्षमता की जांच कर इन्हें सुदृढ़ करवाया जायेगा।

(ख) नगर विकास एवं आवास विभाग के ज्ञापांक 546 दि0 30.04.2019 के आलोक में निम्नांकित कार्य किये जायेंगेः

- वार्ड स्तर पर बैठकों में पूर्व की अगलगी के आधार पर कारणों का सामाजिक आडिट करना तथा इसके मद्देनजर रोकथाम/शमनीकरण के उपाय करना।

कई समिति की बैठकों में उपरोक्त अंकित कार्य किये जायेंगे तथा इसके प्रतिवेदन के आधार पर पदाधिकारियों की सहभागिता के साथ शमनीकरण के सभी कार्य किये जायेंगे।

- स्थानीय सरकारी कर्मियों एवं पदाधिकारयों के साथ अगलगी रोकथाम/न्यूनीकरण हेतु समन्वयः– जिला प्रशासन अग्निशमन कार्यालय, पुलिस प्रशासन, जिला स्वास्थ्य समिति तथा जिला आपदा प्राधिकरण के पदाधिकारियों के साथ पूर्ण समन्वय स्थापित करते हुए आवश्यकता आधारित जरूरी उपाय किये जायेंगे।
- नगर निगम द्वारा अगलगी की रोकथाम तथा तैयारी संबंधी लिए गये सभी निर्णयों का नगर आपदा प्रबंधन समिति द्वारा अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एवं जिला प्राधिकरण एवं जिला प्रशासन को सभी संभव समुचित सहयोग प्रदान किया जायेगा। नगर निगम क्षेत्र में अवस्थित निजी व्यावसायिक भवनों /बहुमंजिली इमारतों एवं सरकारी भवनों में अग्नि सुरक्षा संबंधी कार्य योजना :–

बिहार बिल्डिंग बायलॉज 2014 में निहित प्रावधानों के अनुसार नगरी क्षेत्र में नियमावली के अध्याय IV के नियम 15 के आलोक में वर्णित सभी संवेदनशील श्रेणियों के भवनों के निर्माण पूर्व नक्शों की स्वीकृति हेतु अग्निशमन सेवा से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना तथा इसका अद्यतन अनिवार्य है। इस प्रक्रिया को सुगम बनाने हेतु नगर निगम /जिला अग्निशमन कार्यालय द्वारा ऑनलाईन व्यवस्था कर इसे पारदर्शी बनाया जायेगा। नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा वर्ष 2019 में नगर निगम स्तर के सभी निकायों में उक्त भवनों का सुरक्षा आडिट भी कराया गया है तथा पाई गई त्रुटियों का निराकरण कराया जा रहा है। इस प्रकार के सुरक्षा आडिट अधिनियम 2021 की कंडिका 22 के अथवा एक निश्चित सम अंतराल पर विभिन्न श्रेणी के संवेदनशील भवनों विशेष रूप से अस्पतालों, शैक्षणिक संस्थानों का प्राथमिकता के आधार पर पुराने भवनों का आडिट कराया जायेगा।

1	बिहार बिल्डिंग बायलॉज 2014 (यथा संशोधित 2016) का अनुपालन तथा उस अनुरूप भवन के नक्शे की स्वीकृति।	• नगर निगम • भवन निर्माण विभाग
2	बिहार राज्य अग्निशमन सेवा नियमावली 2021 के अनुसार भवन का अग्नि अनापत्ति प्रमाण पत्र हासिल करना।	• नगर निगम • जिला अग्निशामालय
3	समय–समय पर विभिन्न स्थलों का फॉयर सेफ्टी आडिट कर तदनुसार कलर कोड तैयार कर अनुश्रवण की श्रेणी तय करना।	• जिला प्रशासन • जिला अग्निशामालय
4	अस्पताल की फॉयर सेफ्टी योजना सुनिश्चित करना।	• सिविल सर्जन • चिकित्सा महाविद्यालय • जिला अग्निशामालय

5	सभी बड़े मॉल तथा भवनों में 'स्मोक डिटेक्शन यंत्र' स्थापित करना।	• नगर निगम • जिला अग्निशामालय • भवन के मालिक
6	चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल में सदैव एक फॉयर टेंडर का मौजूद रहना	• जिला अग्निशामालय
7	भवन, अपार्टमेंट्स में 'असेंबली प्लेस' की पहचान	• नगर निगम • भवन निर्माण
8	सरकारी भवनों एवं अन्यत्र विद्युत कनेक्शन का नहीं होना।	• जिला प्रशासन • भवन प्रंमडल • जिला अग्निशामालय • साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लि0
9	कारखाना एवं उद्योग में अग्नि सुरक्षा सुनिश्चित करना एवं तीव्रता के अनुरूप कलर कोडिंग करना।	• कारखाना निरीक्षक • ब्यालर निरीक्षक

10.1.4 मलिन बस्तियों की अग्नि सुरक्षा

भागलपुर नगर के 51 वार्डो में 165 मलिन बस्तियां हैं। इस इलाके में रोड घनत्व अपेक्षाकृत बहुत कम है, बारहमासी रोड का अभाव है। कई बस्तियों तक पहुँचने तथा इससे निकलने के मार्ग कच्चे तथा संकरे हैं। यहाँ आग लगने पर अग्निशमन वाहनों का पहुँचना या निकलना दुष्कर है।

नगर निगम आपदा काल में इन बस्तियों तक पहुँचने तक निकलने का रूट मैप तैयार कर चौड़ा तथा बारहमासी सड़क संपर्क निर्माण करने का प्रयास करेगी। इन्हीं मार्गों से अग्निशमन वाहनों राहत सामग्री पहुॅचाने तथा विकट स्थिति में निकासी एवं बचाव कार्य किये जायेंगे।

10.1.5 गर्मी/लू

प्रत्येक वर्ष ग्रीष्म ऋतु के अप्रैल एवं मई महीने में प्रचंड गर्मी और कभी–कभी गर्म हवाओं का प्रवाह लू के रूप में सामने आता है। जलवायु परिवर्तन जनित समस्या के रूप में तापमान में दिनोंदिन वृद्धि की आशंका भी व्यक्त की जा रही है। इसके प्रभावों को कम करने के लिए निम्न उपाय किये जायेंगे:-

- प्राकृतिक या कृत्रिम सभी प्रकार के सतही जल भण्डारण यथा नदी, धार, तालाब, पोखर इत्यादि जल भंडारों का संरक्षण एवं विस्तार किया जायेगा।
- हरित आच्छादन एवं हरित घनत्व में वृद्धि की जायेगी।
- घने रिहाईशी/ व्यावसायिक इलाको में बने बड़े–बड़े कंक्रीट के मकान अथवा टिन, जी.आई. शीट की छत को ठंडा रखने के संरचनात्मक उपाय किये जायेंगे।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जारी गृह स्वामियों के लिए छत और दीवार ठंडा रखने के लिए दिशानिर्देश 2021 के अनुपालन को संवेदनशील इलाकों में प्रोत्साहित किया जायेगा।

नगर विकास एवं आवास विभाग के संकल्प संख्या 374 दि. 05.02.21 द्वारा राज्य के सभी नगर निगम क्षेत्रों के अंतर्गत निर्मित सभी पार्कों का अनुरक्षण एवं विकास पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

द्वारा कराये जाने के संबंध में आदेश दिया गया है। वन संरक्षक, भागलपुर तथा वन प्रमंडल, पदाधिकारी भागलपुर के साथ समन्वित प्रयास द्वारा हरित आच्छादन संवर्धित किया जायेगा।

बिहार सरकार आपदा प्रबंधन विभाग के पत्रांक 1194 दि. 29.4.21 द्वारा भीषण गर्मी एवं लू के विपरीत प्रभाव से लोगों को बचाने के लिए विभिन्न विभागों के कृत्य निर्धारित किये गये हैं। इसके अनुसार नगर विकास विभाग के निम्नांकित कृत्यों को साकार किया जायेगा :–

- नगरी क्षेत्रों में सार्वजनिक जगहो पर प्याऊ की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी। इन स्थानों पर गर्म हवाओं तथा लू से बचने के संबंध में सूचना प्रदर्शित की जायेगी। यह कार्य नगर विकास एवं आवास प्रमंडल भागलपुर द्वारा किया जायेगा।
- सार्वजनिक चापाकलों तथा खराब पड़े सार्वजनिक नल की मरम्मत प्रत्येक वर्ष 31 मार्च से पूर्व करा ली जायेगी।
- सभी आश्रय स्थलों/रैन बसेरों में पेयजल आपूर्ति तथा आकस्मिक दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जायेगी।

10.1.6 शीतलहर

इसके प्रभाव में कमी लाने के उद्देश्य से नगरीय क्षेत्र में अवस्थित सभी आश्रय स्थलों/रैन बसेरों में मूलभूत आवश्यक सेवाएं यथा भोजन, पेयजल, रोशनी दवा उपलब्ध कराये जायेंगे।

10.1.7 मौसम आधारित एवं जलवायु परिवर्तन उत्प्रेरित आपदा जोखिम का शमनीकरण

अतिवृष्टि, ठनका, ओलावृष्टि या तेजगति हवा (काल वैशाखी) मौसम आधारित इन आपदाओं के दौरान जानमाल को इनकी चपेट में आने से बचाकर ही उन्हें सुरक्षित रखा जा सकता है। इन खतरों का प्रभाव कब और कहाँ होने वाला है, इसकी जितनी सटीक जानकारी तथा कम से कम समय अंतराल पर उपलब्ध होगी, हम अपने जानमाल की सुरक्षा का उतना ही ठोस प्रबंध करने में सक्षम होंगे। लोअर गंगा बेसिन के इस भाग की भू पारिस्थितिकी के कारण इस इलाके में तीव्रगति हवा 'काल वैशाखी' के रूप में अपना रौद्र रूप दिखाती है। इस विभीषिका से बचने के लिए कम लागत के टिन की छतों वाले मकान का डिजाईन एवं निर्माण विधि, प्राधिकरण द्वारा जारी की गयी है। उसकी जानकारी सभी संवेदनशील नागरिकों तक बारम्बार पहुँचाई जा रही है तथा इसे अपनाने को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

10.1.8 सड़क सुरक्षा

नगर के विभिन्न हॉट स्पॉट जहाँ अक्सर दुर्घटना होती है, उनकी पहचान कर ली गयी है। इसका विस्तृत विवरण अध्याय 4 के कंडिका 4.1.8 पर देखा जा सकेगा। जिला सड़क सुरक्षा समिति में उन कारणों को भी चिन्हित करने का प्रयास किया गया है जिसके कारण दुर्घटना घटित होती है। जिला सड़क सुरक्षा समिति द्वारा प्रदत्त सुझावों के आलोक में ट्रैफिक व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण उपयुक्त साइनेज की स्थापना, सड़क से अतिक्रमण हटाने तथा क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत कर जोखिम को कम करने का हर संभव प्रयास किया जायेगा।

क्र.सं.	गतिविधि	संबंधित विभाग
1	संवेदनशील स्थल (हॉट स्पॉट) का निरंतर अध्ययन करना।	पथ निर्माण विभाग।
2	सड़क सुरक्षा वार्षिक कार्य योजना	

3	सड़क दुर्घटना में मृतक तथा घायलो को क्षतिपूर्ति देने के नियमों में बदलाव तथा गुड सेमेरिटन को पुरस्कृत करने की योजना का प्रचार प्रसार करना।	बीमा कंपनी /जिला प्रशासन /पुलिस प्रशासन /जिला परिवहन कार्यालय/अनुमंडल पदाधिकारी
4	फुटपाथ/फ्लैक का निर्माण एवं मरम्मत।	पथ निर्माण प्रमंडल /नगर निगम/नगरी विकास प्रमंडल।
5	सड़क सुरक्षा ऑडिट	पथ निर्माण प्रमंडल।
6	नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत सड़क दुर्घटना की जानकारी एवं समीक्षा।	नगर निगम/सिटी मैनेजर /पथ परिवहन कार्यालय।
7	नगर निगम से प्राप्त प्रतिवेदन का समेकित कार्य योजना में समावेश।	पथ प्रमंडल /नगरी विकास प्रमंडल /जिला सड़क सुरक्षा समिति।
8	सड़कों पर पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था।	नगर निगम/विद्युत प्रयोग।
9	पॉट होल का दुरूस्त रहना।	पथ प्रमंडल /नगर विकास प्रमंडल/नगर निगम।
10	यातायात अवरोधक ट्रॉली, पार्किंग स्थल।	ट्रैफिक पुलिस/नगर निगम,
11	वेंडिंग जोन का निर्धारण।	नगर निगम।
12	हेलमेट धारण, सीट बेल्ट का उपयोग तथा वाहन चलाते वक्त मोबाईल का उपयोग नहीं करना।	जिला प्रशासन/यातायात पुलिस।
13	ट्रॉमा सेन्टर की स्थापना या उसकी अनुपस्थिति में निजी ट्रामा सेन्टर से समझौता।	जिला प्रशासन/असैन्य चिकित्सा सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी (स्वास्थ्य विभाग)।
14	त्वरित चिकित्सा प्रतिक्रिया (प्रत्युत्तर) दल (QMRT) का गठन।	असैन्य चिकित्सा–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी /सदर अस्पताल।
15	सरकारी एम्बुलेंस नहीं होने पर मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना से क्रय एम्बुलेंस का प्रयोग।	
16	घायलों के मदद करने वाले मददगार व्यक्ति (गुड सेमेंरिटन) को प्रोत्साहित करना।	जिला प्रशासन/पुलिस प्रशासन /स्वास्थ्य विभाग/ परिवहन कार्यालय।
17	सड़क दुर्घटना में मृतक तथा घायलों को क्षतिपूर्ति देने के नियमों में बदलाव तथा गुड सेमेरिटन को पुरस्कृत करने की योजना का प्रचार प्रसार करना।	बीमा कंपनी/जिला प्रशासन/पुलिस प्रशासन/जिला परिवहन कार्यालय/अनुमंडल पदाधिकारी।
18	स्कूली पाठ्यक्रम (नवमी एवं दशमी) में सड़क सुरक्षा से संबंधित पाठ्यक्रम /सुरक्षित शनिवार विषयो को शामिल करना, एन.सी.सी. का जुड़ाव, महाविद्यालय में सड़क सुरक्षा एम्बेसडर का चयन।	शिक्षा विभाग (विद्यालय एवं उच्च शिक्षा) संबंधित महाविद्यालय, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद्।
19	सड़क सुरक्षा से संबंधित प्रचार–प्रसार तथा संबंधी स्लोगन, बैनर, हैंडबिल, माईकिंग, नुक्कड़ नाटक आदि को प्रदर्शित करना।	जिला प्रशासन/जिला परिवहन/जिला जनसंपर्क कार्यालय।
20	बस/टेम्पू स्टैंड में ड्राईवर जागरूकता कार्यक्रम तथा उनका स्वास्थ्य एवं नेत्र परीक्षण।	नगर निगम/पुलिस अधीक्षक/अपर समार्हता/जिला

		परिवहन पदाधिकारी / सिविल सर्जन।
21	पथ प्रमंडल के अभियंताओं, यातायात पुलिस के सड़क सुरक्षा उपकरणों का उपयोग करने वाले पदाधिकारियों को सड़क निर्माण तथा ट्रैफिक के विभिन्न आयामो (लेन ड्राइविंग हेतु मार्किंग समेत) पर प्रशिक्षण	पथ निर्माण प्रमंडल / पुलिस प्रशासन / राज्य एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण।
22	गुड सेमेरिटन व्यक्तियों का प्रचार तथा यूनिवर्सल हैल्पलाइन की स्थापना एवं इसका प्रचार–प्रसार।	असैन्य शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी / परिवहन कार्यालय / जिला जन संपर्क कार्यालय।
23	सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाना, जागरूकता रैली, विद्यालय कॉलेज में विचार विमर्श आदि।	जिला प्रशासन / जिला शिक्षा पदाधिकारी / महाविद्यालय / ट्रेफिक पुलिस।
24	सड़क सुरक्षा मद में सडक सुरक्षा निधि' से वर्तमान वार्षिक आवंटन (रू0 50000 / –) में वृद्धि की जाए	पुलिस अधीक्षक / जिला परिवहन कार्यालय।
25	विद्यालय बसों में बैठाने की क्षमता, चालक का नाम, मोबाइल नंबर, प्राथमिक उपचार किट हेतु बस मालिक एवं विद्यालयों से समन्वय स्थापित करना।	जिला परिवहन पदाधिकारी / मोटरयान निरीक्षक, प्रवर्तन अवर निरीक्षक।
26	जिले में उपलब्ध संयंत्र लगे दो क्रेन तथा दो वाहनों का उपयोग सुनिश्चित कराना।	पुलिस अधीक्षक / जिला परिवहन पदाधिकारी / सिविज सर्जन।
27	भारत सरकार के द्वारा सड़क दुर्घटना संबंधित आंकड़े तैयार करने के 17 बिन्दुओं के फार्मेट में भरा जाना।	पुलिस अधीक्षक का कार्यालय

10.1.9 अपशिष्ट प्रबंधन के अंतर्गत अनिवार्य अनुपालन

विभिन्न प्रकार के अपशिष्टों के प्रबंधन के बारे में अध्याय–3 में विस्तृत चर्चा की गई है। यह सुनिश्चित किया जायेगा कि विभिन्न हितधारकों द्वारा इन समस्याओं को रोकने तथा न्यूनीकरण हेतु क्रियाशील प्रत्युत्तर अपनाई जाए। सभी संबंधित इकाईयों / हितधारकों को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1980 के संगत नियमों के तहत अनिवार्य रूप से प्रत्येक वर्ष पिछले साल की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का प्रावधान है। यह एक वैधानिक प्रत्युत्तर है जिसका समयबद्ध तरीके से निश्चित रूप से अनुपालन किया जाना है।

10.1.10 भगदड़

- बड़े आयोजनों के समय योजना और समन्वय पर विचार किया जाना चाहिएः

1) कार्यक्रम का प्रकार और अवधि।

2) उपस्थित लोगों की अपेक्षित भीड़ का आकार, लिंग और आयु प्रोफाइल जानना चाहिए ।

- तदनुसार, कार्यक्रम के आयोजक पुलिस, अग्निशमन, स्वास्थ्य, वन, राजस्व, पी.डब्ल्यू.डी विभागों की मदद से योजना, पूर्वाभ्यास और सुरक्षा अभ्यास करें।
- उदाहरण के लिए धार्मिक आयोजनो में, अनुमानित भीड़ के आकार के आधार पर– एक बड़ी सभा से बचने के लिए 'मेला' या 'दर्शन' की अवधि को और अधिक दिनों तक बढ़ाएँ।

- कार्यक्रम स्थल और निकटतम रेलवे/बस स्टॉप के बीच शटल बस सेवा प्रदान करें ताकि कार्यक्रम स्थल पर कम भीड़भाड़ हो।
- वीआईपी के लिए भी यातायात और पार्किंग नियमों को सख्ती से लागू करना चाहिए।
- हॉकरों को स्टोव का उपयोग करने या सिगरेट / माचिस / तेज सीटी / डरावने मास्क / पटाखे और अन्य खतरनाक वस्तुओं को बेचने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए जिनका दुरुपयोग किया जा सकता है।

10.1.11 नाव डूबना

- दोषपूर्ण नाव डिजाइन और स्थिरता एक मुद्दा हो सकता है।
- नाव संचालन में लापरवाही भी दुर्घटना का कारण बनती है।
- नाव या जलयान के बोर्ड पर उपकरण की विफलता के कारण भी नाव दुर्घटना हो सकती है।
- खराब मौसम में नाव के प्रयोग से बचना चाहिए।
- प्रत्येक नाव में जीवनरक्षक उपकरण होने चाहिए।
- प्रत्येक नाव में 5 यात्रियों के लिए एक लाइफबॉय प्रदान किया जाना चाहिए।
- यात्रा शुरू होने से पहले व्यक्तियों को लाइफ जैकेट प्रदान की जानी चाहिए।
- एक मान्यता प्राप्त मानक का एक बहुउद्देशीय पोर्टेबल अग्निशामक ले जाना चाहिए।
- रात में चलने वाले जहाजों को नेविगेशन लाइट से लैस किया जाना चाहिए।
- पोर्टेबल Very High Frequency Broadcast Station Class की आवश्यकता हो सकती है, इसलिए उसे ले जाना चाहिए।
- नावों में आग और विस्फोट की रोकथाम के लिए सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

खोज और बचाव

- सभी हितधारकों के नियमित मॉक ड्रिल और टेबल टॉप अभ्यास होने चाहिए।
- प्रत्येक हितधारक / स्थापना की जिम्मेदारी काफी पहले से तय की जानी चाहिए।
- चालक दल के सदस्यों को बोर्ड पर अपने नियमित कर्तव्यों के अलावा सभी प्रकार की आपातकालीन स्थितियों से निपटने में कुशल होना चाहिए।

10.1.12 सूखे की स्थिति

- चेतावनी, अपडेट और निर्देशों के लिए रेडियो सुने, टीवी देखें और समाचार पत्र पढ़ें।
- वर्षा जल संचयन करना चाहिए।
- बरसात के मौसम से पहले स्थानीय जल निकायों की मरम्मत और कायाकल्प करना चाहिए।
- भूजल स्तर को बढ़ाने में मदद करने के लिए गहरे गड्ढों की खुदाई करें।
- इस्तेमाल किए गए घरेलू पानी को घास और पौधों में पानी डालकर इस्तेमाल करें।
- ऐसे शौचालयों का निर्माण करें जिनमें फ्लशिंग के लिए कम पानी की आवश्यकता हो।
- रिसाव को रोकने के लिए नियमित रूप से टैंकों, नलों आदि की जांच करना चाहिए।
- जितना हो सके पानी का पुनः उपयोग करना चाहिए।

- सिंचाई के लिए स्प्रिंकलर विधि / ड्रिप सिंचाई विधि का प्रयोग करें शाम के समय फसलों की सिंचाई करें।
- मौसम के दौरान मानसून के देर से आने / सूखी अवधि के मामले में उपयुक्त फसल पैटर्न के साथ आकस्मिक योजना तैयार करना चाहिए।

10.1.13 सभी बस स्टैंडों, रेलवे स्टेशनों और सार्वजनिक कार्यालयों के साथ–साथ सिनेमा थिएटर और मॉल में सी.सी.टी.वी लगाएं।

शमन उपाय (दीर्घकालिक)

- बाढ़ से बचने के लिए बाहरी नालियों के लिए निचले इलाकों में जल निकासी में सुधार।
- नदी के किनारे एक उचित नदी तट का निर्माण करके बाढ़ से बचा जा सकता है।
- सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सड़कों का चौड़ीकरण, जंक्शन सुधार और यातायात प्रबंधन
- सड़कों की सतह में सुधार।
- ओवर ब्रिज, हाईवे, एयरोड्रम का निर्माण /सुधार।
- ड्रेनेज लाइन ढलान के अनुसार बिछाई जानी चाहिए।
- स्वास्थ्य कर्मियों के भौतिक बुनियादी ढांचे और प्रशिक्षण के प्रावधान के माध्यम से सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली को सुव्यवस्थित करना और अस्पताल की आपातकालीन तैयारी में सुधार करना।
- आपदा प्रबंधन योजना को ठीक से लागू करना।

10.2.1 विकास योजनाओं में जोखिम न्यूनीकरण को एकीकृत करना (Mainstreaming Risk Reduction in Development Schemes)

शमन योजना निर्माण (संरचनात्मक और गैर–संरचनात्मक तत्वों), बुनियादी ढांचे, मरम्मत और रखरखाव, परिवहन, स्वच्छता, अनुसंधान और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और भूमि उपयोग योजना के प्रासंगिक मुद्दों को संबोधित और संरेखित करेगी। पी.एम.ए.वाई, जैसे राष्ट्रीय विकास कार्यक्रमों के साथ आपदा न्यूनीकरण संबंधों को मजबूत करने के लिए भागलपुर नगर निगम लाइन विभागों के साथ काम करेगी, और राज्य, नगर और स्थानीय स्तर की संबद्ध पहलों को सुरक्षित विकास के मुद्दों को कवर करेगी, जोकि भागलपुर नगर निगम की ओर से शुरुआत की जा चुकी है।

भागलपुर नगर निगम की अमृत परियोजना के चल रहे प्रोजेक्ट में आपदा जोखिम में कमी पर मुख्य रूप से बल दिया जा रहा है। अमृत जैसी विकास परियोजनाओं को तैयार करते समय, भागलपुर नगर निगम के नगर नियोजन विभाग ने एक परामर्शी दृष्टिकोण का पालन किया और समस्याओं और प्राथमिकताओं पर नगर के समुदायों के इनपुट एकत्र किए। वार्ड समुदायों के प्रत्युत्तर के अनुसार, पहचान की गई प्राथमिकताएं इस प्रकार हैं:

- सार्वजनिक परिवहन
- आंधी के कारण जलजमाव की निकासी
- पीने योग्य पानी की आपूर्ति।
- मलप्रवाह–पद्धति और सेप्टेज प्रबंधन

- हरित स्थानों और पार्कों का विकास।

अमृत परियोजनाओं का प्रमुख बल भागलपुर नगर की सेवा बुनियादी ढांचे को फिर से तैयार करने और मजबूत करने पर है जो जोखिमों को कम करेगा और आपदाओं और जलवायु परिवर्तन के खिलाफ नगर के अनुकूलन में सहायक होगा।

इसके अलावा, समय–समय पर भवन मूल्यांकन अनुसूची, जोनिंग कानूनों का पालन, संभावित रूप से कमजोर इमारतों की रेट्रोफिटिंग पर तकनीकी कानूनी व्यवस्था की स्थिति और नगर के स्तर पर असुरक्षित महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे मौजूदा नियमों के उचित प्रवर्तन को सुनिश्चित करेंगे और अधिनियम वार्ड के भवन स्टॉक की ताकत को बढ़ाएंगे।

10.2.1a: भागलपुर स्मार्ट सिटी परियोजना

भागलपुर स्मार्ट सिटी परियोजना 2018 से कार्यान्वित की जा रही है। स्मार्ट सिटीज मिशन के तहत रेट्रोफिटिंग (retrofitting), नगर का अद्यतन (पुनर्विकास) और नगर का विस्तार (ग्रीनफील्ड विकास) और एक पैन–सिटी की पहल है, जिसमें नगर के बड़े हिस्से को कवर करते हुए स्मार्ट समाधान लागू किए जाते हैं। मिशन पर्याप्त और बेहतर जल आपूर्ति, स्वच्छता, बिजली, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, गरीबों के लिए किफायती आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा, परिवहन और गतिशीलता, महिलाओ, बच्चों, बुजुर्गों, विकलांग लोगों जैसे कमजोर वर्गों की सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करता है।

भागलपुर स्मार्ट सिटी मिशन के तहत शुरू की गई प्रमुख परियोजनाएं इस प्रकार है:

1. **रूफ टॉप सोलर–** परियोजना के तहत शहर के 07 सरकारी भवनों पर कुल 336 किलो वॉट क्षमता का प्लांट अधिष्ठापित किया गया है। यह परियोजना ऑन ग्रिड है अर्थात कार्यालय में उपयोग के पश्चात् शेष बची विद्युत ग्रिड में स्थान्तरित हो जाती है। सभी प्लान्ट कार्यरत हैं।
2. **नाइट शेल्टर**– इस परियोजनान्तर्गत मायागंज अस्पताल के पास 100 बेड वाले नाइट शेल्टर का निर्माण किया गया है। उक्त नाइट शेल्टर से मरीजों के अभिभावकों को रात्रि विश्राम में सुविधा होगी। इसके संचालन हेतु एजेन्सी का चयन नगर निगम द्वारा कर लिया गया है। शीघ्र ही एजेन्सी द्वारा इसे कार्यरत किया जायेगा।
3. **हाई मास्ट लाईट**– इस योजनान्तर्गत शहर में 08 स्थानों पर हाई मास्ट लाईट का अधिष्ठापन किया गया है। साथ ही शहर के 16 स्ट्रीट में सोलर लाईट अधिष्ठापित करते हुए कार्यशील किया गया है।
4. **सरफेस पार्किंग**– इस योजनान्तर्गत व्यवहार न्यायालय के दक्षिण द्वार के नजदीक पार्किंग विकसित किया गया है, जिसमें 18 कार एवं 40 बाईक पार्क की सुविधा है। परियोजना कार्य पूर्ण हैं।
5. **सैंडिस कम्पाउण्ड का सौंदर्यीकरण** – इस परियोजनान्तर्गत सैन्डिस कम्पाउण्ड के 80.00 एकड़ के क्षेत्रफल में विभिन्न अवयवों का उन्नयन/नवनिर्माण किया गया है। इनमें स्पोर्टस कम्पलेक्स, किड्स प्ले एरिया, टॉयलेट ब्लॉक, लॉन टेनिस, बासकेट बॉल कोर्ट, बैडमिन्टन कोर्ट, पाथ वे, स्वीमिंग पुल, नेहरू मेंमोरियल, कैफेटेरिया इत्यादि अवयव मुख्य हैं। इस परियोजना से शहर के सभी उम्र एवं सभी वर्ग के नागरिकों को स्वास्थ्य, खेल इत्यादि में सुविधा होगी। साथ ही भागलपुर में पर्यटन विकास को बढ़ावा मिलेगा।

6. **टॉउन हॉल**– इस योजनान्तर्गत एक हजार व्यक्तियों के बैठने की क्षमता वाला टॉउन हॉल का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें अत्याधुनिक ऑडियो-वीडियो सिस्टम की सुविधा होगी। परियोजना का कार्य प्रगति पर है।
7. **जोगसर में सार्वजनिक मनोरंजन स्थल का विकास**:– इस योजनान्तर्गत बुढ़ानाथ घाट पर सार्वजनिक मनोरंजन स्थल का विकास किया जा रहा है जिसमें घाट का निर्माण, पार्क का सौंदर्यीकरण प्रमुख हैं। इससे पर्यटको को बढ़ावा मिलेगा एवं आमजनों को मनोरंजन सुविधा मुहैया होगी।
8. **विद्यालयों का आधुनिकीकरण**:– इस योजनान्तर्गत शहर के पांच विद्यालयों जिसमें राजकीय इन्टरस्तरीय जिला विद्यालय, मोक्षदा बालिका उच्च विद्यालय, राजकीय बालिका उच्च विद्यालय, झुनझुनवाला उच्च विद्यालय एवं सारो साहू मध्य विद्यालय सम्मलित है, का आधुनिकीकरण किया गया है। इन विद्यालयों में स्मार्ट क्लास के अलावे खगोलीय विज्ञान की जानकारी हेतु अत्याधुनिक प्रयोगशाला का निर्माण कराया गया है।
9. **एकीकृत कमांड एवं कट्रोल सेन्टर** :– इस योजना के अन्तर्गत Pan city में 151 km का Optical Fibre Network बिछाया जा रहा है जिसके द्वारा 1844 अद्द CCTV कैमरों को एकीकृत करने की योजना है। उक्त योजना में Intelligent Traffic Management System भी एक मुख्य अवयव है जिसके द्वारा शहर के ट्रैफिक सिस्टम को एकीकृत कर कमान्ड एवँ कन्ट्रोल सेन्टर से जोड़ा जायेगा। इस योजना में अन्य अवयव Variable Message System, Environment Monitoring System, Vehicle Tracking GPS Device इत्यादि हैं। परियोजना कार्य प्रगति पर है।
10. **एकीकृत कमांड एवं कट्रोल सेन्टर भवन** :– इस योजना के अन्तर्गत B+G+5 भवन का निर्माण किया जा रहा है। एकीकृत कमांड एवं कट्रोल सेन्टर परियोजना हेतु भवन का 1st, 2nd एवं 3rd Floor हैं। शेष Floor पर स्मार्ट सिटी का कार्यालय एवं सभागार है, जबकि Basement में पार्किंग की सुविधा है। परियोजना कार्य प्रगति पर है।
11. **बरारी घाट का सौंदर्यीकरण** :– इस योजना के तहत River Front Development किया जाना है। घाटों का निर्माण, वाक वे, क्रिमेटोरियम इत्यादि प्रमुख अवयव हैं। इस परियोजना से पयर्टकों एवं आमजनों को सुविधा प्राप्त होगी। वर्तमान में वन विभाग से Wild Life Clearance अप्राप्त रहने के कारण परियोजना कार्य रूका है।
12. **भैरवा तालाब का सौंदर्यीकरण** :– इस योजना के अन्तर्गत भैरवा तालाब के सौंदर्यीकरण की योजना है। उक्त योजना में तालाब सौन्दर्यीकरण के अतिरिक्त चाहरदिवारी, Children Play Area, Walkway, Lighting टॉयलेट ब्लाक, मुख्य द्वार इत्यादि अवयव हैं। परियोजना कार्य प्रगति पर हैं।
13. **स्मार्ट रोड नेटवर्क** :– इस योजना के तहत शहर में वैकल्पिक बायपास सहित कई सड़कों का निर्माण/उन्नयन/चौड़ीकरण किया जा रहा है। उक्त परियोजना में सड़क किनारे नाला, फुटपाथ, चौराहों का विकास भी सम्मलित हैं। परियोजना कार्य प्रगति पर हैं।
14. **स्ट्रीट वेंडिंग जोन** :– इस योजना के अन्तर्गत मायागंज अस्पताल के पास 26 अद्द वेंडिग Kiosk विकसित किये गये है। शेष Vending Kiosk हेतु लाजपत पार्क एवं जीरोमाइल को चिन्हित किया गया है। परियोजना कार्य प्रगति पर है।
15. **स्मार्ट टॉयलेट** :– इस योजना के अन्तर्गत शहर में 12 स्थानों पर 25 अद्द स्मार्ट टॉयलेट का अधिष्ठापन किया जाना है। परियोजना कार्य प्रगति पर है।

16. **ट्रांसफर स्टेशन** :– इस योजना के अन्तर्गत कचरा उठाव हेतु ट्रांसफर स्टेशन का निर्माण किया जा रहा है, ताकि आस–पास के क्षेत्र से कचरा एकत्रित कर इसका उठाव किया जा सके। परियोजना कार्य प्रगति पर है।
17. **मल्टीलेवल कार पार्किंग** :–इस योजना के अन्तर्गत समाहरणालय के नजदीक Automated Multilevel Car Parking System का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें 45 अद्द कार एवं 40 अद्द बाईक पार्किंग का प्रावधान किया गया है। साथ ही इलेक्ट्रिक वाहनों के चार्ज की सुविधा का भी प्रावधान किया गया है। परियोजना का कार्य प्रगति पर है।
18. **मुशहरी घाट का विकास** :– इस योजना के अन्तर्गत मुशहरी घाट में मूर्ति विसर्जन हेतु राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के मानकों के अनुरूप तालाब का निर्माण किया जा रहा है। परियोजना कार्य प्रगति पर है।
19. **एयरपोर्ट का परिधीय विकास** :– इस योजना के अन्तर्गत Airport के चारों तरफ चाहरदिवारी, गेट निर्माण इत्यादि का कार्य किया जाना है।

उपरोक्त योजनाओं से आम नागरिकों की सुरक्षा, पर्याप्त रोशनी, स्वास्थ्य, आवागमन में सुविधा, पार्किंग की सुविधा, छात्र/छात्राओं हेतु शिक्षण की सुविधा, कचरा प्रबधन की सुविधा एवं मूर्ति विसर्जन हेतु राष्ट्रीय हरित अधिकरण के मानकों के अनुरूप तालाब की सुविधा मुहैया होगी। इससे भागलपुर का सामाजिक एवं आर्थिक विकास सुदृढ़ होगा।

10.2.1b: नमामि गंगे परियोजना के तहत भागलपुर: रिवर फ्रंट को पटना के समान बनाने के लिए गंगा घाटों को आपस में जोड़ा जाएगा। केंद्र सरकार की योजना के तहत नमामि गंगे ऐतिहासिक घाट (बरारी घाट, सीढ़ी घाट, हनुमान घाट) को एक साथ जोड़कर रिवरफ्रंट बनाया जाएगा।

इससे भागलपुर में यात्रियों को प्रोत्साहन मिलेगा और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। पर्यटकों के लिए रोशिनी और शौचालय की व्यवस्था होगी और घाटों पर बेंच भी लगाई जाएंगी। नदी की पहुंच में सुधार और 'घाटों' के सौंदर्यीकरण के अलावा, परियोजना के तहत 'घाटों' तक पहुंचने वाले आगंतुकों की सुरक्षा को पर्याप्त महत्व दिया गया है। इसे निरंतर जन जागरूकता और शिक्षा के माध्यम से और बढ़ाया जा सकता है।

10.2.1C: मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना के तहत भागलपुर नगर क्षेत्र की मूलभूत सुविधाओं के विकास के लिए 3 योजना लागू हैं:

1. **हर घर नल जल -** इस योजना के तहत भागलपुर नगर निगम द्वारा हर घर को नल जल की सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है।

2. **घर तक पक्की गलियां** – इस योजना के तहत भागलपुर नगर निगम द्वारा हर एक गली के रास्ते को पक्का किया जा रहा है।

3. **शौचालय निर्माण घर का सम्मान** – इस योजना के तहत भागलपुर नगर निगम द्वारा लगभग हर घर में शौचालय बनवाया जा चुका है और भागलपुर को खुले में शौचमुक्त नगर घोषित किया गया है।

10.2.2 अन्य विकास योजनाओं के साथ अभिसरण (Convergence with Other Development Plans)

निम्नांकित योजनाओं के तहत भागलपुर नगर निगम परिक्षेत्र में विभिन्न विकासात्मक कार्य किये जा रहे हैं, जिनका अभिसरण करते हुए भागलपुर को सुरक्षित नगर, सुरक्षित अंतः संरचना, सुरक्षित सार्वजनिक सेवा तथा सुरक्षित आजीविका सुनिश्चित किया जाना सम्भव होगा। सरकार द्वारा आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लक्ष्यों को प्राप्त करना तथा आपदाओं का प्रभावी प्रबंधन किया जा सकेगा।

1. मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम (संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना)[एमपीलैडस]: भारत सरकार, साख्यिंकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमपीलैडस प्रभाग) का परिपत्र सं0 सी–05/2020 एमपीलैडस दि0 02.2021 द्वारा एमपीलैडस के अंतर्गत आपदा प्रतिरोध क्षमतापूर्ण परिसंपत्ति/ अवसरंचना संबंधी आदेश दिये गये हैं।

आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धाराओं को ध्यान में रखते हुए एमपीलैडस अनिवार्य लाइफ लाईन भवनों को नई सुविधाओं सहित जैसे कि सरकारी अस्पताल, सरकारी विद्यालय और आपातकाल में आश्रय के रूप में उपयोग किये जाने वाले सरकारी भवन तथा प्रभावी आपदा न्यूनीकरण के लिए प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली भी उपलब्ध कराते है। (स्त्रोत: www.mplads/circular/hindicircular)

प्राकृतिक एवं मानवजनित आपदाओं के मामले में एमपीलैडस निधियों के आवरण के लिए वार्षिक सीमा को 25 लाख रूपये तक बढा दिया गया है। संबंधित राज्य के अप्रभावित क्षेत्रों के लोकसभा सांसद भी उस राज्य के प्रभावित क्षेत्रों में अधिकतम 25 लाख रू प्रतिवर्ष तक के अनुमेय कार्यो की अनुशंसा कर सकते हैं।

2. प्रधानमंत्री आवास योजना (नगरी) सभी के लिए घर: इस योजना के तहत स्लम निवासियों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोग अथवा निम्न वर्ग के लिए जो अस्थाई निर्मित मकानों में रह रहे हैं तथा बहु आपदा संवेनदशीलता धारण करते हैं, उनकी सहायता के लिए पक्का मकान बनाकर देने का प्रावधान है।

3. बिहार नगरी आजीविका मिशन यह योजना के निम्न अवयव नगरी गरीबों को आर्थिक तौर पर सशक्त बनाकर उनकी आपदा संवेदनशीलता कम करते हुए उनके क्षमतावर्द्धन में सहायक होते हैं।
   - सामाजिक जागरूकता एवं संस्था विकास।
   - कौशल प्रशिक्षण नियोजन के माध्यम से रोजगार।
   - नगरी पथ विक्रेताओं हेतु सहायता।
   - दीनदयाल अंत्योदय योजना –राष्ट्रीय नगरी आजीविका मिशन
   - क्षमता संवर्द्धन एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम
   - नगरी गरीबों हेतु आश्रय स्थल

4. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशनः– यह एक सार्वभौमिक स्वास्थ्य योजना है जो आपदा से पूर्व एवं बाद के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होती है।

5. जवाहर लाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूएबल मिशन नगरी अंतःसंरचना एवं आधारभूत सेवा को सुदृढ़ करने की राष्ट्रीय योजना है। इससे परिवहन, यातायात, यात्री सुविधा एंव अन्य संरचनाएं विकसित की जा सकती है।

6. राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजनाः– आपदा के दौरान शारीरिक संघात होने पर बीपीएल परिवार के सदस्यों के लिए चिकित्सा सुरक्षा प्रदान करने वाली राष्ट्रीय योजना आयुष्मान योजना में 5 लाख तक की प्रति परिवार प्रति वर्ष चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करायी जाती है।

इन योजनाओं के अतिरिक्त राज्य बजट से संपोषित सडक निर्माण, भवन निर्माण, लघु सिचाई, जल संसाधन विभाग, ऊर्जा विभाग, नगरी आवास तथा विकास विभाग, सूचना प्रौद्यागिकी विभाग, समाज कल्याण विभाग, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग, अल्पसंख्यक, कल्याण विभाग, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग इत्यादि के विभिन्न कार्यक्रमों के साथ आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा समन्वय किया जायेगा।

10.2.3 जोखिम प्रबंधन वित्तपोषण (Risk Management Funding)

सामुदायिक स्तर पर आपदा न्यूनीकरण गतिविधियों को बनाए रखने के लिए निधियों के निरंतर स्रोत का विकास महत्वपूर्ण है। यह नगरी /वार्ड समुदाय समूहों को आपदा जोखिम में कमी और तैयारी गतिविधियों को लागू करने की अनुमति देगा।

अल्पकालिक प्रावधानों में आपदाओं के कारण तत्काल नुकसान, संपत्ति और तत्काल आजीविका के उपायों को कवर करने के लिए राहत और शीघ्र वसूली हस्तक्षेप शामिल होंगे। जबकि दीर्घकालिक प्रावधानों में संरचनात्मक और गैर–संरचनात्मक उपाय शामिल हैं जैसे कि फायर स्टेशनों की स्थापना, कमजोर विद्यालयों, अस्पतालों की रेट्रोफिटिंग, जलविभाजन प्रबंधन, जागरूकता पैदा करना, प्रशिक्षण, सड़क के किनारे पेड़ लगाना आदि।

चल रहे अमृत मिशन, स्वच्छ भारत मिशन (नगरी), सभी के लिए आवास (नगरी), आजीविका मिशन (नगरी) और जल–जीवन–हरियाली से विभिन्न योजनाओं की प्राथमिकताओं और उपलब्ध प्रावधानों के अनुसार अभिसरण के माध्यम से धन जुटाया जा सकता है। सार्वजनिक सुरक्षा और नगर की आपदा शमन गतिविधियों को सुनिश्चित करने के लिए संसाधन जुटाने के लिए सार्वजनिक–निजी भागीदारी को भी प्रोत्साहित किया जा सकता है।

अभी तक, भागलपुर नगर निगम में कोई वार्ड फंडिंग तंत्र नहीं है। हालांकि, CDMC अपनी प्राथमिकताओं की पहचान कर सकता है। अन्य हस्तक्षेपों में भागलपुर नगर निगम की विकास योजना और विभागीय योजनाएं भी शामिल हैं।

उचित सुझावः –

- CDMC का गठन किया जाए।
- आपदा प्रबंधन में CDMC का उन्मुखीकरण किया जाए।
- समर्पित संसाधन की कमी को भरा जाए।
- बाढ़ से बचाव के लिए तटबंध बनाया जाए।
- नमामि गंगे परियोजना के तहत 6–7 घाटों को एक साथ जोड़कर रिवरफ्रंट बनाया जाएगा। अन्य शेष घाटों का भी निर्माण / अद्यतन किया जाए ताकि ये सुरक्षित बन सकें और बाढ़ को भी कम किया जा सके।
- रखरखाव के साथ खुले में शौच को रोकने के लिए चलंत शौचालय बनाया जाए।
- पटाखों का संचालन और भंडारण नियंत्रण में किया जाए।
- किसी भी तरह की गलत सूचना या अफवाह से बचने के लिए सरकार द्वारा दी जा रही योजनाओं के बारे में घोषणाएँ या जन जागरूकता की जाए।

• दुर्घटना और डूबने की स्थिति को रोकने के लिए पुलों, क्रॉसिंग और गंगा तट पर साइनबोर्ड लगाया जाए।

• बिना किसी सुरक्षा के गंगा नदी में आने वाले पर्यटकों और गहराई या अन्य सावधानियों को न जानने के कारण डूबने के मामले अधिक होते हैं।

• अधिक संख्या में प्रशिक्षित गोताखोरों को तैनात किया जाए।

• भागलपुर नगर निगम के अधिकांश वार्ड में अलग–अलग कमजोरियां, जरूरतें और क्षमताएं हैं। अतः आपदाओं के प्रभावी प्रबंधन के लिए वार्ड स्तर पर आपदा प्रबंधन योजना बनाई जाए।

• नगर के लिए बाढ़ और जलजमाव एक बड़ी चुनौती है। निचले इलाकों में पर्याप्त संख्या में जल निकासी पंप (De-watering Pump) की व्यवस्था की जाए।

• पीने के पानी के स्रोत और पानी की आपूर्ति पाइपलाइन के साथ अनुपचारित सीवेज का पानी मिलने के कारण गंभीर स्वास्थ्य खतरा बना रहता है। नगर की आबादी को सुरक्षित और स्वच्छ पेयजल सुनिश्चित करने के लिए अपशिष्ट जल उपचार के लिए पर्याप्त प्रावधान किये जाएं।

• नगर निगम और जिला प्रशासन के बीच समन्वय और तालमेल को मजबूत किया जाए।

• नगर निगम की समस्याओं के समाधान प्रदान करने के लिए स्थानीय गैर सरकारी संगठनों जैसे 'जीवन जागृति' और शैक्षणिक संस्थानों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए।

• नगरी आपदा प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं पर नगर के अधिकारियों और वार्ड पार्षदों के संवेदीकरण, और प्रशिक्षण का प्रावधान किया जाए।

• आपातकालीन राहत, प्रत्युत्तर और शमन में अच्छी प्रथाओं का दस्तावेजीकरण किया जाए।

• राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय अच्छी प्रथाओं को सीखना सुनिश्चित करने के लिए नगर के अधिकारियों और वार्ड पार्षदों के इंटरसिटी एक्सपोजर दौरे पर जाने चाहिए।

• चूंकि नगर नियमित रूप से बाढ़ और जलजमाव का सामना करता है, इसलिए नगर निगम को पर्याप्त संख्या में नावों की व्यवस्था करने की आवश्यकता है।

• विशेष रूप से बाढ़ के मौसम में और विषहरी मूर्ति विसर्जन के दौरान नगर के लिए ओवरहेड लटकते / टूटे बिजली के तार एक बड़ी चुनौती हैं। बिजली से मौत की घटनाएं सामने आई हैं। ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए नगर प्रशासन को उन दिनों में बिजली आपूर्ति में कटौती करने की आवश्यकता है, जो एक प्रमुख सार्वजनिक असंतोष का कारण रहा है।

• वार्ड नंबर 7 के दो प्रमुख खतरे खुले नाले और लटकते बिजली के तार हैं। मानसून के दौरान यह प्रमुख स्वास्थ्य और सुरक्षा खतरे पैदा करता है। अतः ओवरहेड तारों को कवर या इसे भूमिगत किया जाए।

11.आपदा प्रबंधन के लिए वित्तीय संसाधन (FINANCIAL RESOURCES FOR DISASTER MANAGEMENT)

यह अध्याय आपदा प्रबंधन योजना तैयार करने और क्रियान्वित करने में नगर स्तर पर किए गए वित्तीय संसाधनों, प्रावधानों और आवंटन पर केंद्रित है।

11.1 स्थानीय आपातकालीन प्रत्युत्तर कोष (Local Emergency Response Fund)

यह आपदा प्रत्युत्तर, राहत और पुनर्वास भाग पर जोर देगा। भागलपुर नगर निगम और राजस्व विभाग के माध्यम से इस आपातकालीन आवश्यकता को पूरा करने के लिए प्रावधान करने की सिफारिश की गई है। हालांकि, राज्य आपदा प्रत्युत्तर कोष (SDRF) और मुख्यमंत्री राहत कोष भी नगर स्तर पर किसी भी आपातकालीन आवश्यकता को पूरा करने के लिए उपलब्ध है। किसी भी आपातकालीन आवश्यकता के मामले में अन्य स्थानीय नगर स्तर के वित्त पोषण प्रावधानों का भी पता लगाया जाए।

11.2 नगर आपदा शमन कोष (City Disaster Mitigation Fund)

यह मुख्य रूप से आपदा न्यूनीकरण और तैयारी की गतिविधियों को कवर करेगा। आवश्यक वित्तीय आवश्यकताओं को उनके वार्षिक बजटीय आवंटन और चल रहे विकास कार्यक्रमों का एक हिस्सा बनाया जाए, जिसमें आपदा न्यूनीकरण और तैयारी उपायों को शामिल किया जाए। उदाहरण के लिए मनरेगा, सर्व शिक्षा अभियान (SSA), प्रधानमंत्री आवास योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, MLA LADS और MP LADS योजनाओं आदि को भागलपुर नगर में आपदा शमन और तैयारी गतिविधियों के लिए गठबंधन और प्रावधान करें।

11.3 आपदा जोखिम बीमा (Disaster Risk Insurance)

आपदा जोखिम बीमा उद्देश्य के लिए वित्तीय घटक को संबोधित करने के लिए संबंधित एजेंसियों द्वारा आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले विकल्पो में से एक हैं।

बीमा निर्माण में बिल्डिंग कोड, दिशानिर्देशों, मानदंडों और गुणवत्ता सामग्री का पालन करके बुनियादी ढांचे और सुरक्षा की संस्कृति में जागरूकता लाता है। यह जवाबदेही लाकर सुरक्षा मानकों को लागू करेगा। खतरनाक क्षेत्रों को अधिसूचित, घोषित और सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित किया जाए ताकि लोगों को उन क्षेत्रों में न बसने के लिए प्रेरित किया जा सके और बीमा संभावित क्षेत्रों में बीमा अनिवार्य किया जाए।

भागलपुर नगर में जोखिम बीमा के लिए उपलब्ध प्रमुख योजनाएं हैं:

1. **प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना** – एक व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना, जो दुर्घटना के कारण मृत्यु या विकलांगता से सुरक्षा प्रदान करती है, जो 12/– रुपये प्रति वर्ष के प्रीमियम पर उपलब्ध है। 2,00,000/– रुपये के कुल कवरेज के साथ।

2. **प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना** – जीवन बीमा योजना 330/– रुपये प्रति वर्ष के प्रीमियम पर उपलब्ध है। 2,00,000/– रुपये के कुल कवरेज के साथ।

3. संबंधित योजनाएंः

क्र.सं.	पंचायत का नाम	योजना नाम	राशि
1	भागलपुर नगर निगम	कबीर अंत्येष्टि योजना (BPL और वारिस के लिए)	3000 प्रति परिवार
2	भागलपुर नगर निगम	बाढ़ राहत राशि	6000 प्रति परिवार
3	भागलपुर नगर निगम	दुर्घटना (आग, बाढ़, सड़क दुर्घटना, कोविड, बिजली, भूकंप और डूबना)	4 लाख प्रति व्यक्ति
4	भागलपुर नगर निगम	अंत्योदय योजना (BPL के लिए)	35 किलो (गेहूं. चावल)
5	भागलपुर नगर निगम	इंदिरा आवास योजना (घर के निर्माण / अद्यतन के लिए)	प्रति परिवार 2 लाख
6	भागलपुर नगर निगम	पात्र गृहस्थी राशन कार्ड	प्रति व्यक्ति 5 किलो (चावल. गेहूं)

स्रोतः समाज कल्याण विभाग – रोहित कुमार 9113456641, भागलपुर

4. भागलपुर नगर निगम के तहत भागलपुर में बिहार राज्य पेंशन योजनाएं

क्र. सं.	पंचायत का नाम	योजना नाम	योजना प्राप्त करने वाले कुल व्यक्ति (नाथनगर)
1	भागलपुर नगर निगम	बिहार राज्य विकलांगता पेंशन	2384
2	भागलपुर नगर निगम	विकलांग व्यक्ति	1492
3	भागलपुर नगर निगम	वृद्धावस्था पेंशन – 400 रुपये प्रति व्यक्ति	6112
4	भागलपुर नगर निगम	मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना – 400 रुपये प्रति व्यक्ति	7559
5	भागलपुर नगर निगम	विधवा पेंशन – 400 रुपये प्रति व्यक्ति	520

स्रोतः समाज कल्याण विभाग – रोहित कुमार 9113456641, भागलपुर

अन्य योजनाओं जैसे पशुधन बीमा योजना, संपत्ति बीमा को राज्य और केंद्र सरकारों के परामर्श से बढ़ावा दिया जाए। चूंकि भागलपुर नगर में कई क्षेत्र बहु–खतरों से ग्रस्त हैं, इसलिए बहु–जोखिम बीमा प्रावधान किये जाए। भवनों, घरों और अन्य महत्वपूर्ण संसाधनों के लिए सभी प्राकृतिक और मानवजनित आपदाओं के खिलाफ बीमा किया जाना चाहिए। जोखिम प्रवणता के आधार पर प्रीमियम लिया जा सकता है।

11.4 वर्तमान आय स्रोत (Current Income Sources)

- होल्डिंग टैक्स
- व्यापार लाइसेंस
- दुकान किराया
- सैरात बन्दोबस्ती

- स्टाम्प शुल्क
- नक्शा शुल्क
- राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान
- केन्द्र सरकार से प्राप्त अनुदान

11.5 संभावित आय के स्रोत (Potential Income Sources)

- बिहार नगर निगम अधिनियम 2007 में किये गये संशोधन
- सम्पत्ति (निर्धारण/ संग्रहण एवं वसूली) नियमांवली, 2013
- बिहार नगरपालिका सम्पत्ति का (निर्धारण/ संग्रहण एवं वसूली) नियमावली, 2013
- बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 एवं सम्पत्ति कर नियमांवली 2012 के अन्तर्गत खाली पड़े भूखण्डों पर कर
- मोबाइल संचार नियमावली, 2012
- विज्ञापन कर एवं शुल्क से संबंधित दिशा निर्देश एवं विनिमय
- पार्किंग शुल्क से संबंधित दिशा निर्देश
- करों की आनलाईन संग्रह की सुविधा
- संस्था के माध्यम से कर संग्रह
- व्यापार अनुज्ञा शुल्क
- स्मार्ट मीटर की स्थापना
- घर से कचरा उठाव (ठोस कचरा प्रबंधन)
- नामान्तरण
- प्रोफेशन कर
- वाहन पार्किंग
- ठोस, कचरा प्रबंधन

12.योजना मूल्यांकन और अद्यतनीकरण (MONITORING, EVALUATION AND UPDATION OF PLAN)

यह अध्याय निगरानी, Mock Drill, नगर स्तर पर योजना के निगरानी मूल्यांकन और योजना को समय-समय पर अद्यतन करने की आवश्यकता पर केंद्रित है।

12.1 अभ्यास के माध्यम से निगरानी और जांच (Monitoring and Checking through Mock Drills)

भागलपुर नगर आपदा प्रबंधन योजना की वास्तविक तैयारी और निष्पादन की निगरानी और जांच के लिए आवश्यक अनुकरण अभ्यास और Mock Drill आयोजित किये जाएं। ये अभ्यास कमियों की पहचान करने और किसी भी घटना / आपदा का सामना करने के लिए आवश्यक कौशल पर प्रशिक्षित कर्मियों की क्षमताओं को जानने में भी मदद करते हैं।

12.2 योजना मूल्यांकन (Plan Evaluation)

नगर आपदा प्रबंधन योजना का मूल्यांकन संसाधनों की उपलब्धता, सामुदायिक भागीदारी, विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय, गैर सरकारी संगठनों / समुदाय आधारित संगठन और अन्य संगठनों के साथ साझेदारी जानने के लिए आवश्यक है। आपदा के बाद मूल्यांकन तंत्र, भारत आपदा ज्ञान नेटवर्क (IDKN) और भारत आपदा संसाधन नेटवर्क (IDRN) पर संसाधनों को समय–समय पर डाला जाए। आपदा के बाद, योजना की प्रभावशीलता की पूरी तरह से जाँच की जाए।

12.3 योजना अद्यतन (Plan Update)

नगर आपदा प्रबंधन योजना की समीक्षा की जाए और वार्षिक अद्यतन किया जाए। विभागों में परिवर्तन, स्थानान्तरण, मोबाइल नंबर / संपर्क नंबरो में परिवर्तन और संगठनात्मक संरचनाओं में परिवर्तन के मामले में भी इसे अद्यतन किया जाए।

सभी संबंधित एजेंसियों और विभागों को वार्षिक बैठकों में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाए और विशिष्ट मुद्दों पर उनके सुझाव प्राप्त किये जाएं। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, राज्य आपदा मोचन बल, सेना और अन्य जिला स्तर की एजेंसियों, गैर सरकारी संगठनों और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों को भी वार्षिक बैठकों में शामिल किया जाए।

13.आपदा प्रत्युत्तर योजना (DISASTER RESPONSE PLAN)

भागलपुर नगर निगम के लिए शहर विशिष्ट योजना

A. भूकंप आपदा (Earthquake Hazard):

भूकम्प सोचने–समझने एवं प्रत्युत्तर के लिए ज्यादा समय नहीं देता है, इसलिए आवश्यक हो जाता है कि हमें पता हो कि भूकम्प आने पर क्या किया जाना सुरक्षा की दृष्टि से आवश्यक है, जिसे इस योजना में सम्मिलित किया गया है।

❖ भागलपुर शहरी क्षेत्र में भूकंप आपदा का इतिहासः–

- भागलपुर भूकंपीय क्षेत्र IV में आता है।
- वर्ष 1900 से भागलपुर नगर ने 0 से 5 रिक्टर पैमाने के 37 भूकंप आपदाओं का सामना किया है, जिसमें 4 से 5 रिक्टर पैमाने के बीच 21 भूकंप, 3 से 4 रिक्टर पैमाने के बीच 13 भूकंप, 2 से 3 रिक्टर पैमाने के बीच 1 भूकंप और 5 रिक्टर पैमाने के 2 भूकंप।
- 25–26 अप्रैल 2015 और 12 मई 2015 को नेपाल में भूकंप के केंद्र के साथ, रिक्टर पैमाने पर 7.5 और 7.8 की उच्च तीव्रता वाले भूकंप ने भागलपुर सहित पूर्वी और उत्तर भारत के कई हिस्सों को प्रभावित किया था।
- भागलपुर में पुराने और विरासती भवन, कच्चे घर और गैर– इंजीनियर्ड संरचनाएं मौजूद हैं, जो बड़े भूकंप की वजह से क्षतिग्रस्त हो सकते है।

❖ पूर्व तैयारियां एवं भूकंप आपदा जोखिम न्यूनीकरण उपायः–

✓ भूकम्प से सुरक्षा के लिये तैयारी ही एकमात्र विकल्प है। थोड़ी सी तैयारी हमारे प्रियजनों की जान बचा सकती है। परिवार के प्रत्येक सदस्य को भूकम्प सुरक्षा के संबंध में जानकारी रहनी चाहिए।

✓ घर के हर कमरे में सुरक्षित स्थान तय करें (दीवार के सहारे, दरवाजे की चौखट के नीचे, मेज के नीचे) सुनिश्चित करें कि इन स्थानों पर किसी भारी वस्तु के गिरने से खतरा नहीं है (अलमारी, दीवार पर लटकता सामान)

✓ भूकम्प में प्रत्युत्तर के लिये बहुत कम समय मिलता है इसलिए बचने और सिर बचाने का अभ्यास

करें।

- ✓ घर के अन्दर खतरनाक स्थानों को चिन्हित करें। (खिड़की, शीशे, लटकते सामान व अलमारी के आस–पास) और भूकम्प के समय स्वयं को इन स्थानों से दूर रखें।
- ✓ बाहर सुरक्षित स्थान तय करें। यह मकानों, पुलों, पेड़ों, बिजली के तारों व खम्भों से दूर होने चाहिए। घर छोड़ने के प्रत्येक मार्ग की सभी जानकारी होनी चाहिए एवं इन रास्तों में किसी भी प्रकार का व्यवधान नहीं होना चाहिए।
- ✓ आपको व आपके परिवार के समस्त सदस्यों को प्राथमिक चिकित्सा की जानकारी होनी चाहिए व कुछ जरूरी दवाइयां सदैव पास रखी जानी चाहिए।

❖ <u>भूकंप आपदा प्रतिक्रिया का निष्पादन</u>

1. प्रारंभिक चरण (Preparatory Stage)

विशेष भूकंप आपदा प्रतिकिया शुरू करने के लिए निम्नलिखित तैयारियों की योजना हैः–

- ✓ सभी आवश्यक उपकरण यथा ट्रैक्टर–ट्रेलर, हाइवा, पोकलेन, ऑटो टिपर, जेसीबी / फ्रंट–एंड लोडर इत्यादि के साथ एक टीम इस प्रकार तैयार रहेंगी जो 30 मिनट के अंदर आपदा प्रभावित क्षेत्र तक पहुंचने में सक्षम हो।
- ✓ टीम के सभी सदस्य आपदा प्रतिक्रिया में कुशल होंगे तथा सदस्यगण मानव प्रबंधन और राशन प्रबंधन में भी सक्षम होंगे।
- ✓ दवाओं के साथ आवश्यक सुविधाओं से लैस एक एम्बुलेंस, मेडिकल टीम के साथ उपलब्ध रहेगा।

2. क्रियात्मक चरण (Activation Stage)

भूकंप आपदा की स्थिति में सहायता हेतु यह चरण सक्रिय होता है।

- ✓ भूकंप की तीव्रता और प्रभाव को देखते हुए जिला प्रशासन/नगर प्रशासन द्वारा टीम को सक्रिय किया जायेगा।
- ✓ मानवीय सहायता और आपदा राहत के लिए टीम को आपदा का स्थान, भूकंप का समय, भूकंपीय केन्द्र और भूकंप की तीव्रता, हताहतों की संख्या यदि कोई हो, प्रभावित लोगों की संख्या, कुल क्षेत्रफल और प्रभावित दूरी, सहायता की आवश्यकता और पहले से उपलब्ध संसाधन प्रभावितो तक पहुंचने का मार्ग और सड़क की स्थिति, संचार का माध्यम, नोडल अधिकारियों का संर्पक संख्या इत्यादि सूचना जिला प्रशासन/नगर प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी।

3. गतिमान चरण (Mobilisation Stage)

इस चरण में आपदा राहत टीम और आवश्यक उपकरण मुख्यालय से भूकंप प्रभावित क्षेत्र के लिए स्थानांतरित किया जायेगा ताकि संकटग्रस्त लोगों को बचाया जा सके।

- ✓ तीस मिनट के अंदर आपदा राहत टीम आवश्यक उपकरणों के साथ भूकंप प्रभावी क्षेत्र तक पहुंचने में सक्षम होगी।
- ✓ प्राथमिकता के आधार पर टीम द्वारा जिला प्रशासन/नगर प्रशासन को भूकंप प्रभावी क्षेत्र तक पहुंचने की सूचना प्रदान की जाएगी।
- ✓ टीम द्वारा भूकंप प्रभावी क्षेत्र में जानमाल के नुकसान के संबंध में जिला प्रशासन/नगर प्रशासन

को आंकड़ा उपलब्ध कराया जायेगा।

4. संचालन चरण (Operation Stage)

- ✓ भूकंप प्रभावी क्षेत्र पहुंचने के पश्चात् टीम अपना संचालन केन्द्र स्थापित करेगी और भूकंप आपदा राहत हेतु कार्य करेगी।

5. निष्क्रीय चरण (De-activation Stage):

- ✓ इस चरण में टीम संचालन के दौरान हुए अनुभवों से संबंधित प्रतिवेदन जिला प्रशासन/नगर प्रशासन को समर्पित करेगी, जिससे भविष्य में इसका उपयोग किया जा सके।

❖ **भागलपुर शहरी क्षेत्र में संस्थागत तंत्र एवं कार्यान्वयन योजनाः–**

✓ **भागलपुर जिला प्रशासनः–**

जिला प्रशासन द्वारा भूकंप पीड़ितों की सहायता एवं सुरक्षा हेतु जिला आपातकालीन नियंत्रण कक्ष का संचालन एकीकृत कमांड एवं कंट्रोल सेंटर (Intregated Command & Control Center) से किया जायेगा, जिसके माध्यम से विभिन्न प्रकार की सूचना, आकड़ों एवं निर्देशों का प्रचार–प्रसार किया जायेगा।

एकीकृत कमांड एवं कंट्रोल सेंटर में इमरजेंसी कॉल बॉक्स, पब्लिक एड्रेस सिस्टम, सीसीटीवी कैमरा, पार्किंग प्रबंधन, जीआईएस मैपिंग, यातायात प्रवर्तन प्रबंधन प्रणाली इत्यादि सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी, जिससे आपदा की विषम परिस्थितियों में भी राहत एवं बचाव कार्य पर प्रतिकूल असर नहीं होगा। उक्त नियंत्रण कक्ष में वैकल्पिक विद्युत आपूर्ति की सुविधा रहेगी जिससे विद्युत आपूर्ति बाधित होने पर भी राहत कार्य निर्बाध रूप से हो सकेगा। नियंत्रण कक्ष में Artificial Intelligence (AI) टूल्स की मदद से आपदा की स्थिति में अफवाह से बचा जा सकेगा। आपातकालीन स्थिति में, आवश्यकतानुसार सभी ट्रैफिक सिग्नल हरे किये जा सकते हैं, जहां से आपातकालीन वाहन गुजरेंगे।

B. अग्नि आपदा (Fire Hazard):

इसके लिए विशेष टीम एवं उपकरण की आवश्यकता होती है, जिससे आग के फैलाव को रोकते हुए आग पर काबू पाया जा सके। अग्नि आपदा से सुरक्षा हेतु उपायों एवं सावधानियों को इस योजना में सम्मिलित किया गया है।

❖ **भागलपुर शहरी क्षेत्र में अग्नि दुर्घटना के संवेदनशील क्षेत्र एवं अग्निशमन केन्द्र**

अतिसंवदेनशील वार्ड

- वार्ड संख्या 07, 09, 11, 14, 30, 38, 39, में घनी बस्ती होने के कारण आग लगने की आशंका बनी रहती है।
- भागलपुर शहरी क्षेत्र में 4 अग्निशमन केन्द्र कार्यरत हैं जो चंपानगर, तिलकामांझी, उर्दू बाजार एवं

बहादुरपुर में अवस्थित हैं।

- भागलपुर नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत खलीफाबाग चौक पर 28 फरवरी 2023 को लगी भीषण आग का भयावह दृश्य।

अग्निशमन दस्ते ने तत्परता दिखाते हुए दमकल की दो गाड़ियों को 30 मिनट के भीतर भेजकर किसी भी तरह की जान का नुकसान होने से बचा लिया।

❖ अग्नि दुर्घटना का वर्गीकरणः–

अग्नि दुर्घटना को उत्पत्ति के अनुसार निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया जा सकता हैः–

- ✓ वर्ग 1 – लकड़ी, कपड़ा, कागज इत्यादि के कारण अग्नि दुर्घटना।
- ✓ वर्ग 2 – तरल पदार्थ यथा डीजल, पेट्रोल, किरोसिन इत्यादि के कारण अग्नि दुर्घटना।
- ✓ वर्ग 3 – गैस यथा एल.पी.जी. इत्यादि के कारण अग्नि दुर्घटना।
- ✓ वर्ग 4 – औद्योगिक अग्नि दुर्घटना यथा प्लास्टिक, मेटल, खाद्य पदार्थ, कपड़ा, पेन्टस एवं अन्य रसायनिक उद्योग इत्यादि के कारण अग्नि दुर्घटना।
- ✓ वर्ग 5 – विद्युत उपकरणों/विद्युत वितरण, शॉर्ट सर्किट से आवासीय/ व्यावसायिक भवनों में अग्नि दुर्घटना।

❖ पूर्व की तैयारियां एवं सुरक्षा के उपायः–

- ✓ आवासीय/ व्यावसायिक भवनों के निर्माण में अग्निरोधक सामग्रियों का उपयोग।
- ✓ भवनों में आवश्यकतानुसार अग्निशमन यंत्र यथा फायर फाईटिंग उपकरण, रेत की बाल्टी का अधिष्ठापन एवं इसका निश्चित अंतराल पर संधारण।
- ✓ भवनों में आग/धुआं एलार्म का अधिष्ठापन।
- ✓ अग्निकांड के समय बाहर निकलने हेतु भवनों में दिशा संकेत की सुविधा।
- ✓ बड़े व्यावसायिक भवनों में Fire Stairs की सुविधा।
- ✓ बड़े व्यावसायिक भवनों के चारों तरफ पर्याप्त जगह छोड़ना ताकि अग्निशमन वाहनों का आवागमन हो सके।
- ✓ ग्रीष्म काल में अगलगी की घटना को रोकने हेतु अग्निशमन पदाधिकारियों को सामाजिक संस्थानों के साथ बैठक कर अग्नि दुर्घटना के प्रति जागरूकता अभियान चलना होगा।

- ✓ अग्निशमन वाहन, उपकरण इत्यादि का उचित संधारण सुनिश्चित करना।
- ✓ घर से बाहर जाते समय विद्युत उपकरण एवं गैस के रेगुलेटर को बंद करना।

Fire Stairs

Fire Smoke detector

Fire escape symbol

Fire extinguisher

❖ **अग्नि आपदा प्रतिक्रिया हेतु मानक संचालन प्रत्युत्तर**

- ✓ अग्नि कांड की सूचना प्राप्त होते ही जिला प्रशासन/नगर प्रशासन द्वारा अग्निशमन पदाधिकारियों से समन्वय कर आवश्यकतानुसार उपकरणों यथा अग्निशमन वाहन, रेत से भरी बाल्टी, मिनी जेटिंग मशीन, जेटिंग मशीन इत्यादि के साथ एक टीम आपदा प्रभावित क्षेत्र के लिए रवाना करेगा।
- ✓ टीम के सभी सदस्य अग्नि आपदा प्रतिक्रिया में कुशल होंगे।
- ✓ दवाओं के साथ आवश्यक सुविधाओं से लैस एक एम्बुलेंस टीम फौरन उपलब्ध रहेगी।

❖ **भागलपुर शहरी क्षेत्र में संस्थागत तंत्र एवं कार्यान्वयन योजनाः–**

✓ **भागलपुर जिला प्रशासनः–**

जिला प्रशासन द्वारा अग्नि आपदा में सहायता एवं सुरक्षा हेतु जिला आपातकालीन नियंत्रण कक्ष का संचालन एकीकृत कमांड एवं कंट्रोल सेंटर (Integrated Command & Control Center) से किया जायेगा, जिसके माध्यम से विभिन्न प्रकार की सूचना, आकड़ों एवं निर्देशों का प्रचार–प्रसार किया जायेगा। एकीकृत कमांड एवं कंट्रोल सेंटर (Integrated Command & Control Center) पुलिस लाइन भागलपुर के अंदर सैंडीस कंपाउंड मुख्य द्वार के सामने स्थित है।

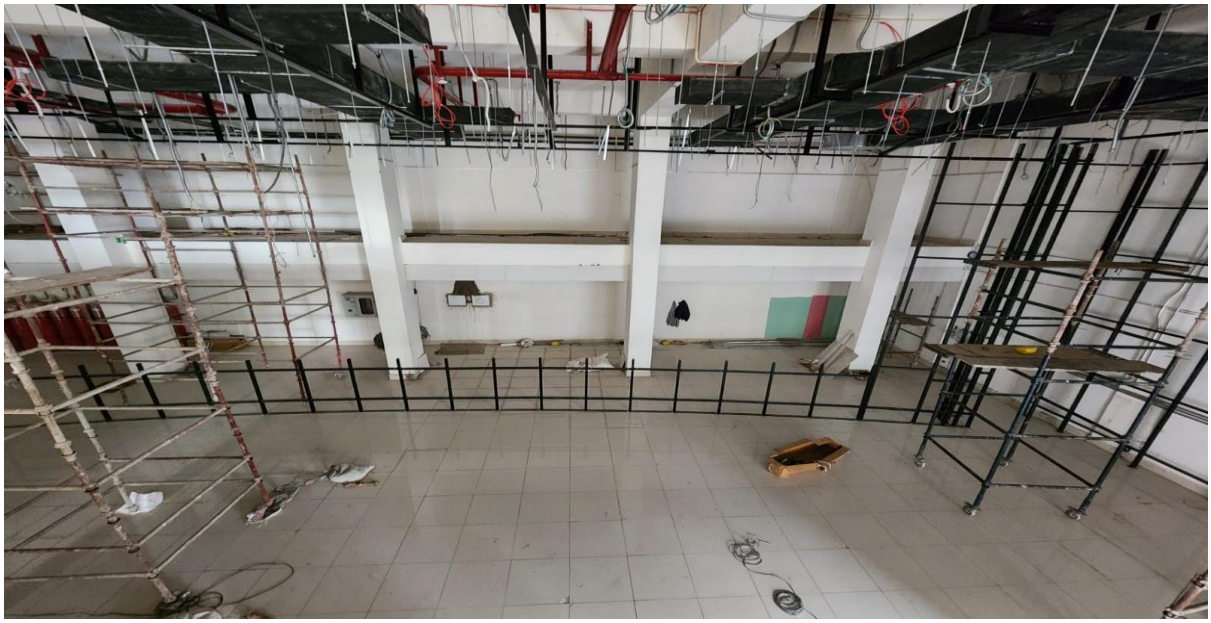

एकीकृत कमांड एवं कंट्रोल सेंटर में इमरजेंसी कॉल बॉक्स, पब्लिक एड्रेस सिस्टम, सीसीटीवी कैमरा, पार्किंग प्रबंधन, जीआईएस मैपिंग, यातायात प्रवर्तन प्रबंधन प्रणाली इत्यादि सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी जिससे आपदा की विषम परिस्थतियों में भी राहत एवं बचाव कार्य पर प्रतिकूल असर नही होगा। उक्त नियंत्रण कक्ष में वैकल्पिक विद्युत आपूर्ति की सुविधा रहेंगी जिससे विद्युत आपूर्ति बाधित होने पर भी राहत कार्य निर्बाध रूप से हो सकेगा। नियंत्रण कक्ष में Artificial Intelligence के इस्तेमाल से आपदा की स्थिति में अफवाह से बचा जा सकेगा। आपातकालीन स्थिति में, आवश्यकतानुसार सभी ट्रैफिक सिग्नल हरे किये जा सकते हैं जहां से आपातकालीन वाहन गुजरेंगे।

C. शहरी बाढ़ (Urban Flood):

आपदा आने या उसके तुरंत बाद होने वाले उपाय को इस योजना में सम्मिलित किया गया है, जो इस प्रकार हैं:–

शहरी बाढ़, भागलपुरः–

भागलपुर शहर का विकास गंगा नदी के किनारे हुआ है। इसलिए इस शहरी क्षेत्र के कई वार्ड वर्षा ऋतु में अतिवृष्टि के कारण जलमग्न हो जाते हैं। भागलपुर शहरी क्षेत्र की आबादी 400146 (जनगणना 2011 के अनुसार) हैं। निगम क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति में लगभग 19% आबादी प्रभावित होती हैं।

❖ **भागलपुर शहरी क्षेत्र में बाढ़ का इतिहासः–**

विगत कई वर्षों में भागलपुर शहरी क्षेत्र वर्ष 2013, 2016, 2019, 2020 एवं 2021 में बाढ़ से प्रभावित हुआ है। भागलपुर शहरी क्षेत्रान्तर्गत मुख्यतः निम्नांकित वार्ड प्रभावित होते हैः–

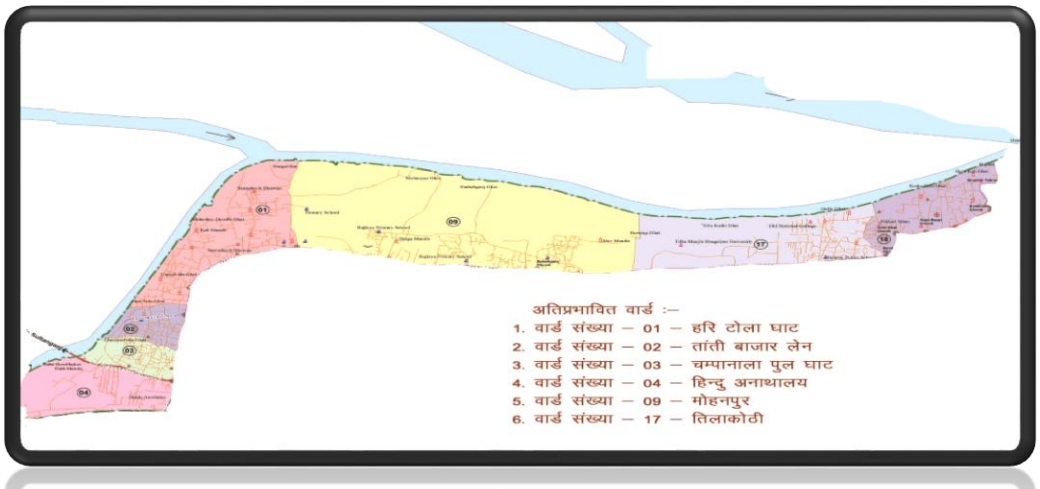

अतिप्रभावित वार्ड :–

- वार्ड संख्या – 01 – हरि टोला घाट
- वार्ड संख्या – 02 – तांती बाजार लेन
- वार्ड संख्या – 03 – चम्पानाला पुल घाट
- वार्ड संख्या – 04 – हिन्दू अनाथालय
- वार्ड संख्या – 09 – मोहनपुर
- वार्ड संख्या – 17 – टिलहा कोठी
- वार्ड संख्या – 18 – कसबा गोलाघाट

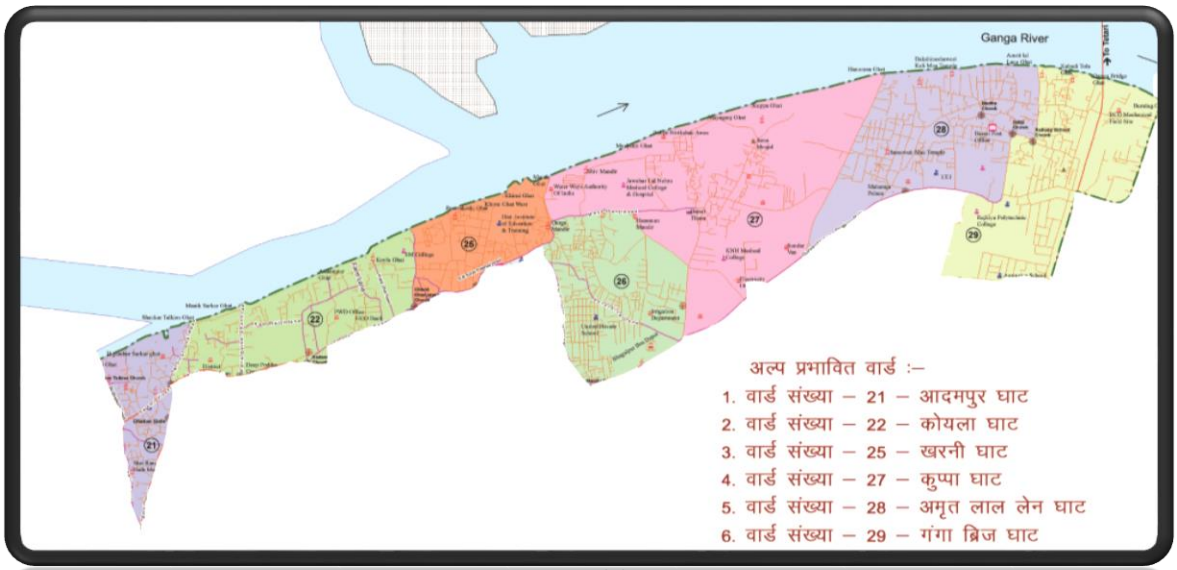

अल्प प्रभावित वार्ड :–

1. वार्ड संख्या – 21 – आदमपुर घाट
2. वार्ड संख्या – 22 – कोयला घाट
3. वार्ड संख्या – 25 – खिरनी घाट
4. वार्ड संख्या – 27 – कुप्पा घाट
5. वार्ड संख्या – 28 – अमृत लाल लेन घाट
6. वार्ड संख्या – 29 – गंगा ब्रिज घाट

बाढ़ आने की स्थिति में गंगा नदी तट से लगे क्षेत्रों एवं दियारा क्षेत्र में प्रभावित लोग अपनी जान–माल की सुरक्षा के लिए भागलपुर शहरी क्षेत्र की ओर पलायन करते है, जहाँ जिला प्रशासन एवं नगर निगम प्रशासन द्वारा उनके हितों के लिए विशेष कार्य योजनानुसार विभिन्न प्रकार की सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाती है।

❖ **कारणः–**

भागलपुर शहर के विभिन्न वार्डों के बाढ़ से प्रभावित होने के मुख्य कारण इस प्रकार हैंः–

i. नदी में भारी गाद के कारण नदियों का तल स्तर ऊँचा होना,
ii. नदी की पानी ले जाने की क्षमता का कम होना,
iii. River Flood Plain Area में घरों का निर्माण,
iv. Low Lying Area में बस्तियों की बसावट,
v. फरक्का बैराज का प्रभाव,
vi. गंगा जलस्तर में वृद्धि से Back Water के कारण।

उदाहरण के लिए बूढ़ानाथ, जोगसर का फोटोग्राफ संलग्न हैः–

❖ **पूर्व तैयारियाँः–**

✓ संभावित आपात स्थितियों को पहचानना तथा उस संदर्भ में विशेष कार्य योजना के अनुसार कार्य करना।
✓ बाढ़ के प्रति संवेदनशील वार्डों को चिह्नित करना एवं यह भी सुनिश्चित करना कि सरकार के सभी विभागों तथा प्राधिकार द्वारा आपदा की रोकथाम एवं उसके प्रभाव के शमन के लिए उपाय कर दिये गये हैं।
✓ राहत और बचाव सामग्री के भंडार की स्थापना करना और सुनिश्चित करना कि कम समय में राहत सामग्री उपलब्ध कराने की तैयारी पूरी है।
✓ पूर्व चेतावनी की जानकारी के त्वरित प्रसारण के लिए जन सम्पर्क विभाग द्वारा तंत्र विकसित करना।

बाढ़ जोखिम न्यूनीकरण उपायः–

✓ महत्वपूर्ण भवन या निजी मकान का निर्माण गंगा तट पर रोकने के साथ–साथ ये भवन ऊँचे स्थान पर और कॉलम पर बनाना।
✓ छोटे–छोटे जलाशयों का निर्माण तथा जो जलाशय पूर्व से हैं उनका जीर्णोद्धार ताकि बाढ़ के पानी को अस्थायी रूप से कम किया जा सकें।
✓ प्रशासन स्तर से 24 घंटे पूर्ण दुरूस्त नावें उपलब्ध रहें।
✓ सुरक्षित क्षेत्र में पुनर्वास का दीर्घकालीन फ्लड पलेन जोनिंग के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए योजना चलाना एवं जागरूकता फैलाना।

❖ **भागलपुर शहरी क्षेत्रान्तर्गत कार्यान्वयन योजनाः–**

1. राहत एवं बचाव दल का गठन :–

आपदा काल में वार्ड स्तर पर गठित, खोज, बचाव एवं निष्कासन दल द्वारा राहत एवं बचाव का कार्य कराया जाएगा। गंभीर समय में जिलाधिकारी स्तर पर SDRF / NDRF या सेना को प्रोटोकॉल का अनुपालन करने हेतु एवं खोज एवं बचाव कार्यों के लिए शीघ्र आमंत्रित किया जाएगा।

✓ **नाव परिचालन से प्रभावित परिवारों का बचाव :–**

जिला प्रशासन के आदेशानुसार SDRF / NDRF की टीम के द्वारा बाढ़ प्रभावित व्यक्तियों को पानी के बहाव से बचाव करते हुए सुरक्षित स्थल पर लाया जाता है तथा बाढ़ राहत शिविर में विस्थापित किया जाता है। जिला प्रशासन द्वारा राहत एवं बचाव दल का गठन करते हुए बाढ़ पीड़ितों की सहायता एवं सुरक्षा की जाती है।

2. अस्थाई शिविर की व्यवस्थाः–

जिला प्रशासन द्वारा बाढ़ आपदा राहत के लिए मानक संचालन प्रक्रिया निर्धारित है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से पलायन एवं विस्थापित परिवारों हेतु शरण स्थल, ऊँचे स्थानों पर विद्यालय अथवा अन्य ऊँची भूमि की पहचान और उनके प्रबंधन का कार्य किया जाना है।

विगत वर्ष में भागलपुर शहरी क्षेत्र में बाढ़ के कारण विस्थापित/पलायन परिवारों को भागलपुर के निम्नांक्ति स्थलों पर राहत शिविर की व्यवस्था कराई गई, जो इस प्रकार हैंः–

a. भागलपुर हवाई अड्डा,
b. रविन्द्र भवन,
c. राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, बरारी भागलपुर,
d. बाल निकेतन, मारवाडी कॉलेज के पीछे,
e. कर्पूरी ठाकुर छात्रावास,
f. महाशय ड्योढ़ी नाथनगर,
g. टी.एन.बी. कॉलेजिएट
h. सी.टी.एस. नाथनगर
i. महादेव सिंह कॉलेज

उपरोक्त स्थल के अतिरिक्त यदि अन्य कोई ऊँचा उपयुक्त स्थल हो तो चिह्नित कर राहत शिविर की व्यवस्था कराई जा सकती है।

अस्थायी शिविर को चिह्नित करने तथा उसके संचालन एवं प्रबंधन में निम्नांकित विभाग की भागीदारी एवं योगदानः–

✓ **भागलपुर जिला प्रशासनः–**

जिला प्रशासन के द्वारा बाढ़ प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों के लिए स्थल को चिह्नित करते हुए राहत शिविर का संचालन कराया जाएगा। इसमें रहने वाले लोागें के लिए निबंधन पंजी, स्टॉक पंजी एवं भोजन ग्रहण करने वाले व्यक्तियों के लिए पंजी तैयार करायेगा।

✓ **भागलपुर पुलिस प्रशासनः–**

जिला प्रशासन चिह्नित एवं संचालित राहत शिविर में विधि–व्यवस्था का संधारण कराएगी।

✓ **निगम प्रशासनः–**

जिला द्वारा संचालित राहत शिविर में समुचित साफ–सफाई, चूना–ब्लीचिंग का छिड़काव, डेंगू/मलेरिया से बचाव हेतु कीटनाशक का छिड़काव, समुचित पथ रोशनी की व्यवस्था कराएगी।

3. सामुदायिक रसोईः–

विगत वर्ष में भागलपुर क्षेत्र में आई बाढ़ के कारण विस्थापित/पलायन किये परिवारों को भागलपुर शहरी क्षेत्र अन्तर्गत निम्नांकित स्थलों पर सामुदायिक रसोई की व्यवस्था कराई गई, जो इस प्रकार हैः–

a. भागलपुर हवाई अड्डा,
b. रविन्द्र भवन,
c. राजकीय पॉलिटेकनिक कॉलेज, बरारी भागलपुर,
d. बाल निकेतन, मारवाडी कॉलेज के पीछे,
e. कर्पूरी ठाकुर छात्रावास,
f. महाशय ड्योढ़ी नाथनगर,
g. टी.एन.बी. कॉलेजिएट
h. सी.टी.एस. नाथनगर
i. महादेव सिंह कॉलेज

उपरोक्त स्थल के अतिरिक्त अन्य उपयुक्त स्थल पर भी सामुदायिक रसोई की व्यवस्था जिला प्रशासन के द्वारा कराई जा सकती है।

✓ **भागलपुर जिला प्रशासनः–**

जिला प्रशासन के द्वारा बाढ़ राहत सामुदायिक रसोई की व्यवस्था की जाएगी, जिसमें विस्थापित/पलायन हुए परिवारों के निबंधन पंजी, स्टॉक पंजी एवं भोजन ग्रहण करने वाले व्यक्तियों की पंजी का संधारण किया जाएगा। प्रत्येक शिविर में प्रभारी पदाधिकारी की नियुक्ति जिला स्तर से की जाती है।

विस्थापितों को पका हुआ भोजन दो बार (सुबह एवं शाम) कराये जाने का प्रावधान है। शिविर के प्रभारी पदाधिकारी के द्वारा आवासित व्यक्तियों को संख्या के अनुरूप भोजन की व्यवस्था कराई जाएगी। यदि आवश्यक हो तो छोटे–छोटे भाग में अलग–अलग किचन की व्यवस्था कराई जाए ताकि प्रभावित परिवारों को आसानी से भोजन मुहैय्या हो सके।

पैकेटों में सूखे राशन जैसे :– चूड़ा, गुड, बच्चों के लिए दूध आदि की व्यवस्था कराई जाती है।

4. मेडिकल कैम्पः–

✓ **स्वास्थ्य विभागः–**

राहत शिविर में विस्थापित परिवारों को First Aid किट एवं आवश्यकतानुसार गंभीर रोग की दवाई की व्यवस्था एवं वितरण कराना, एम्बुलेंस की व्यवस्था करना। साथ ही गर्भवती एवं धातृ महिला के लिए आवश्यक विशेष व्यवस्था कराई जाती है।

5. शुद्ध पेयजल की व्यवस्था

✓ **लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण/नगर निगमः–**

सभी बाढ़ प्रभावित वार्डों के पेयजल स्रोतों यथा– चापाकल, कुआँ इत्यादि को दूषित मुक्त करने हेतु सभी आवश्यक कार्रवाई करना एवं बाढ़ राहत शिविरों में शौचालय एवं पेयजल की पर्याप्त व्यवस्था करना।

6. जिला अपातकालीन संचालन एवं नियंत्रण कक्ष

बाढ़ नियंत्रण कक्ष एवं एकीकृत कमांड एण्ड कन्ट्रोल सेन्टर बाढ़ संबंधी सूचना प्राप्त होते ही कार्यशील हो जायेगा, जिससे सूचना का सही समय और सही संस्था/व्यक्ति तक पहुँच सके।

✓ **जिला स्तरीय आपदा प्रबंधन शाखाः–**

जिला प्रशासन द्वारा बाढ़ पीड़ितों की सहायता एवं सुरक्षा हेतु जिला आपातकालीन नियंत्रण कक्ष का संचालन किया जाता है। जिसके माध्यम से विभिन्न प्रकार की सूचनाओं, आकड़ों एवं आदेशों का आदान प्रदान किया जाता है।

✓ **इंटीग्रेटेड कमांड एण्ड कन्ट्रोल सेन्टरः–**

इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर एक सहयोगी कार्यक्षेत्र है, जहां प्रमुख निर्णयकर्ता वास्तविक समय में घटना प्रत्युत्तर गतिविधियों की निगरानी और प्रबंधन करते हैं, जिससे उनकी स्थितिजन्य जागरूकता बढ़ती है। ICCC सभी कार्यों के सभी व्यावसायिक संचालनों के लिए एक स्रोत प्रदान करता है, भले ही वे किसी भी स्थान या विभाग का प्रतिनिधित्व करते हों। यह संगठनों को निर्णय लेने के लिए आवश्यक जानकारी से लैस करता है। इसका उपयोग दिन–प्रतिदिन के संचालन, भविष्य की परियोजनाओं की योजना बनाने और आपात स्थिति की भविष्यवाणी करने के लिए किया जा सकता है। आपदा प्रबंधन के लिए यह कमांड और कंट्रोल उपकरण (कमांड स्ट्रक्चर) निर्णय लेने के अधिकार का विकेंद्रीकरण करता है और अधीनस्थों को कार्रवाई की महत्वपूर्ण स्वतंत्रता देता है जो अव्यवस्थित स्थितियों से निपटने की क्षमता में सुधार करता है। एकीकृत कमांड एवं कंट्रोल सेंटर (Intregated Command & Control Center) पुलिस लाइन भागलपुर के अंदर सैंडीस कंपाउंड मुख्य द्वार के सामने स्थित है। आपातकालीन स्थिति में, सभी ट्रैफिक सिग्नल हरे हो सकते हैं जहां से आपातकालीन वाहन गुजरेंगे।

एकीकृत कमांड और नियंत्रण केंद्र के घटकों का विवरण–

- इमरजेंसी कॉल बॉक्स
- पब्लिक एड्रेस सिस्टम का अधिष्ठापन
- सी.सी.टी.वी निगरानी
- पार्किंग प्रबंधन
- जीआईएस मैपिंग
- लोक शिकायतें और ई–सेवाओं की उपलब्धता
- यातायात प्रवर्तन प्रबंधन प्रणाली

7. तैयारियों के लिए मॉक ड्रिल का आयोजनः–

✓ **भागलपुर जिला प्रशासनः–**

जिला प्रशासन की देख–रेख में NDRF / SDRF एवं प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों/कर्मियों के द्वारा तैयारियों की मॉकड्रिल की जाती है।

8. रोशनी की व्यवस्था

✓ **विद्युत विभाग/नगर निगमः–**

बाढ़ प्रभावित वार्डों एवं शिविरों में पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था की जाएगी।

9. शौचालय/ साफ–सफाई एवं कीटनाशक दवा छिड़काव की व्यवस्था :–

✓ **नगर निगम, भागलपुर :–**

नगर निगम, भागलपुर के द्वारा सभी अस्थायी शिविरों को मोबाईल टॉयलेट, साफ–सफाई, कीटनाशक दवा के छिड़काव की व्यवस्था कराई जाएगी।

10. पशुचारा की व्यवस्थाः–

✓ **भागलपुर जिला प्रशासन :–**

विषम बाढ़ की आपदा के समय विस्थापित/पलायन किये हुए परिवारों के पशु के भोजन हेतु जिला पुशपालन विभाग के द्वारा पशुचारा के वितरण की समुचित व्यवस्था की जाएगी।

11. गृह क्षति की प्रतिपूर्ति राशि का भुगतान/राहत शिविर में बर्तन वितरण/राहत कोष का वितरण/ बाढ़ प्रभावित इलाकों में हुई फसल क्षति की प्रतिपूर्तिः–

पूर्णतः एवं अत्यंत क्षतिग्रस्त मकानों, बर्बाद झोपड़ियों तथा मुफ्त सहायता वितरण का कार्य अविलंब राज्य आपदा प्रत्युत्तर निधि के प्रचलित मानदर के रूप में किया जाएगा।

✓ **भागलपुर जिला प्रशासन :–**

उक्त कार्यों का निष्पादन भागलपुर जिला प्रशासन के निर्देशानुसार प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों के द्वारा कराया जाता है।

12. बाढ़ से प्रभावित सड़क /पथ को दुरूस्त करना

✓ **राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमण्डल/निगम प्रशासनः–**

बाढ़ प्रभावित वार्डों में क्षतिग्रस्त हुए पथों एवं सड़कों का सर्वेक्षण करते हुए अविलंब संबंधित पथों को यथास्थिति एवं मोटरेबुल करने हेतु आवश्यक कार्रवाई की जाती है।

13. अग्नि से सुरक्षाः–

✓ **अग्निशमन विभाग एवं दमकल विभागः–**

बाढ़ प्रभावित वार्डों में संचालित शिविरों में अचानक आग लग जाने से बचाव के लिए अग्नि सेवा/दमकल विभाग द्वारा बचाव कार्य किया जाता है।

14. सामाजिक/गैर सरकारी संगठनः–

आपदा की स्थिति में गैर सामुदायिक संगठनों एवं अन्य माध्यमों से सामग्री तथा राशि की सहायता प्रदान की जाएगी। ऐसे में इस कार्य हेतु एक नोडल पदाधिकारी नामित होंगे, जो संगठनों तथा आवश्यक वस्तुओं की जानकारी उपलब्ध करायेंगे तथा इनसे प्राप्त दान एक समुचित पंजी में दर्ज करेंगे।

D. शहरी जल–जमाव (Urban Water Logging):

जल जमावः–

भागलपुर एक ऐतिहासिक शहर है। भागलपुर शहर समुद्र तल से 141 फीट की ऊँचाई पर अवस्थित है। इस क्षेत्र में मध्यम मात्रा में वर्षा होती है। भौगौलिक स्थिति के मद्देनजर पूर्व में नाले, बड़े नाले, मध्यम नाले एवं छोटे नाले का निर्माण कार्य कराया गया है, जिस कारण भागलपुर शहर में आम तौर पर जल जमाव की स्थिति नहीं होती है, परंतु बारिश के मौसम में नगर का दक्षिणी क्षेत्र एवं निचले इलाके (Low lying Areas) के कुछ क्षेत्र जल जमाव से प्रभावित हो जाते हैं।

❖ **इतिहासः–**

भागलपुर की औसत वर्षा लगभग 1111 मिमी है। अधिकतम वर्षा जून और सितंबर के बीच होती है और जुलाई और अगस्त में औसतन लगभग 250 मिमी वर्षा होती है।

क्र0	वर्ष	वर्षा मिमी
1.	2022	औसत वर्षा - 642.47 मिमी
2.	2021	औसत वर्षा- मिमी 1320.49
3.	2020	औसत वर्षा – 1333.95मिमी
4.	2019	औसत वर्षा - 1241.1मिमी
5.	2018	औसत वर्षा - 911.33मिमी

भागलपुर नगर निगम शहरी क्षेत्र में 27 नाले हैं एवं 704 बड़े, मध्य एवं छोटे नाले हैं, जिसकी साफ–सफाई नियमित रूप से, विशेषकर मानसून के पूर्व अभियान चलाकर की जाती है।

प्रभावित वार्ड/स्थल :–

- भोलानाथ पुल
- शितलास्थान चौक
- आकाशवाणी चौक
- वारसलीगंज
- हरिजन टोला वार्ड सं. – 45
- हाफिज हुसैन लेन, वार्ड सं. – 49
- महेशपुर, वार्ड सं. – 42
- विश्वविद्यालय गेट के पास

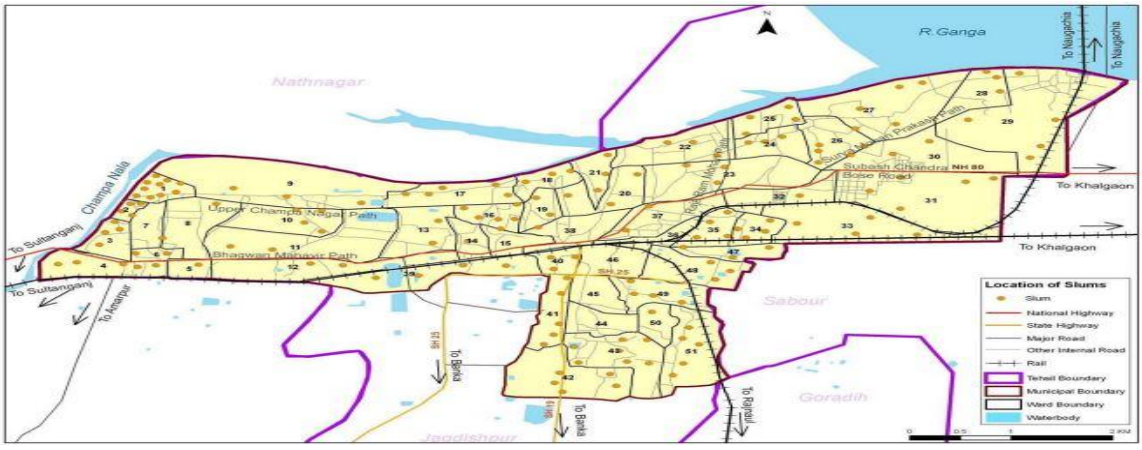

जल निकास मानचित्र– भागलपुर नगर निगम

उपरोक्त प्रभावित स्थलों पर जल जमाव की स्थिति में नगर निगम भागलपुर के पास मौजूद Dedicated Dewatring Motor Pump, Desilting Machine/Suction machine के माध्यम से जल निकासी की जाती हैं, जो इस प्रकार हैः–

क्र0	मशीन का नाम	संख्या
1.	Dewatring Motor Pump	03
2.	Desilting Machine	02
3.	Mini Desilting Machine	02

❖ **कारणः–**

शहर का कुछ हिस्सा निचले स्तर पर स्थित है, जहाँ अतिवृष्टि में जल–जमाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है।

❖ **पूर्व तैयारियाँः–**

✓ मानसून के पूर्व सभी बड़े, छोटे तथा मध्यम नालों की गाद (सिल्ट) की समुचित सफाई कराना।
✓ सामान्य जल–जमाव वाले स्थल पर मानसून के पूर्व Dewatering हेतु मोटर पम्प की व्यवस्था करना।
✓ अधिक जल–जमाव वाले स्थल पर Desilting Machine/Suction Machine को दुरूस्त रखना ताकि जल जमाव के समय उपयोग किया जा सके।
✓ विद्युत विभाग के द्वारा मानसून के पूर्व बिजली के जर्जर तारों को बदलने तथा सुदृढ़ीकरण का कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा।

❖ **जल–जमाव़ जोखिम न्यूनीकरण उपायः–**

✓ शहरी क्षेत्रान्तर्गत सभी कच्चे नालों को पक्का कराया जाए।
✓ सभी बड़े, छोटे, मध्यम तथा हथिया नालों की नियमित रूप से सफाई कराना।
✓ सरकारी योजनाओं के माध्यम से इस स्थिति से निपटना। उदाहरण के लिए भोलानाथ पुल पर ROB का निर्माण कराया जा रहा है, जिससे भविष्य में जल–जमाव की स्थिति से निपटा जा सकेगा।

❖ **कार्यान्वयन योजनाः–**

1. नियंत्रण कक्ष एवं एकीकृत कमाण्ड एण्ड कन्ट्रोल सेन्टर :–

जिला आपदा नियंत्रण कक्ष से आपदा घटित होने के पूर्व/पश्चात् सूचना प्राप्त होते ही सभी विभागों/संभागों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए जिला/नगर निगम कार्यालय का नियंत्रण कक्ष एवं एकीकृत कमाण्ड एण्ड कन्ट्रोल सेन्टर 24 घंटे कार्य करना प्रारंभ कर देगा जो आपदा की समाप्ति तक जारी रहेगा।

2. आधुनिक मशीनों का प्रयोगः–

✓ **निगम प्रशासनः–**

✓ शहर के मुख्य मार्ग पर या जल–जमाव वाले स्थलों पर यथाशीघ्र गड़ढों को आधुनिक मशीनों के प्रयोग से भरा जाएगा ताकि जल जमाव ना हो तथा किसी भी प्रकार की दुर्घटना ना हो।
✓ उच्च शक्ति पम्प, वाईपर, डोजर, Desilting Machine/Suction Machine का प्रयोग इस स्थिति से निपटने में किया जाएगा।

3. स्वास्थ्य संबंधी उपायः–

✓ **निगम प्रशासनः–**

✓ वर्षा के दिनों में डेंगू एवं मलेरिया के प्रकोप से बचाव हेतु जल–जमाव वाले स्थलों पर Larvacidal दवाई का छिड़काव कराया जाएगा। साथ ही मच्छरों से बचाव हेतु नियमित फॉगिंग के माध्यम

Insecticides का छिड़काव कराया जाएगा ताकि संक्रमण से बचा जा सके।

✓ **स्वास्थ्य विभागः–**

✓ डेंगू, मलेरिया एवं संक्रामक बीमारियों से बचाव हेतु कैम्प का आयोजन किया जाएगा। साथ ही साथ उचित दवाओं का वितरण करते हुए प्राथमिक उपचार की व्यवस्था की जाएगी।

4. रोशनी की व्यवस्था

✓ **विद्युत विभाग/नगर निगमः–**

जल–जमाव वाले वार्डों में पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था की जाएगी एवं इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि किसी भी स्थिति में विद्युत तार क्षतिग्रस्त होकर जल–जमाव वाले क्षेत्र में ना गिरे।

5. यातायात व्यवस्थाः–

✓ **ट्रैफिक पुलिसः–**

जल–जमाव वाले क्षेत्रों से ट्रैफिक रूट परिवर्तित करते हुए यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाये रखना।

6. क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मतः–

✓ **पथ निर्माण विभाग/नगर निगम :–**

जल–जमाव वाले वार्डों में जल जमाव के पूर्व एवं पश्चात् क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत करायी जाए।

7. जन जागरूकताः–

✓ **जिला प्रशासन/नगर निगम :–**

एकीकृत कमांड एण्ड कन्ट्रोल सेन्टर के माध्यम से P.A सिस्टम तथा Bulk SMS के माध्यम से लोगों को जागरूक एवं सचेत किया जाएगा ताकि किसी तरह की अप्रिय घटना से बचा जा सके।

8. सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट (STP):–

सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट प्रदूषण के खिलाफ पर्यावरण का बचाव है। एसटीपी प्लांट से गंदे और दूषित पानी को फिर से इस्तेमाल करने योग्य बनाया जाता है। एसटीपी तकनीक नदियों, झीलों और महासागरों तक दूषित पानी के पहुंचने से पहले उसके अंदर की अशुद्धियों को हटा देता है। यह तकनीक पानी के उपचार के लिए सबसे अच्छी तकनीक मानी जाती है। इसी तकनीक की मदद से भागलपुर नगर निगम बुडको के माध्यम से दूषित पानी को स्वच्छ करने की योजना पर काम कर रहा है।

✓ **बुडको** :–भागलपुर नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत जनित दूषित जल उपचार हेतु 45 एम.एल.डी. का STP एवं 70 एम.एल.डी. का MPS (Motor Pumping Station), जो 10 पंपिंग स्टेशन के माध्यम से चलाया जाएगा निर्माणाधीन है. शहरी क्षेत्र में कुल 30.6 कि.मी. सीवेज लाईन का निर्माण कराया जा रहा है।

सिवरेज ट्रीटमेंन्ट प्लान, भागलपुर

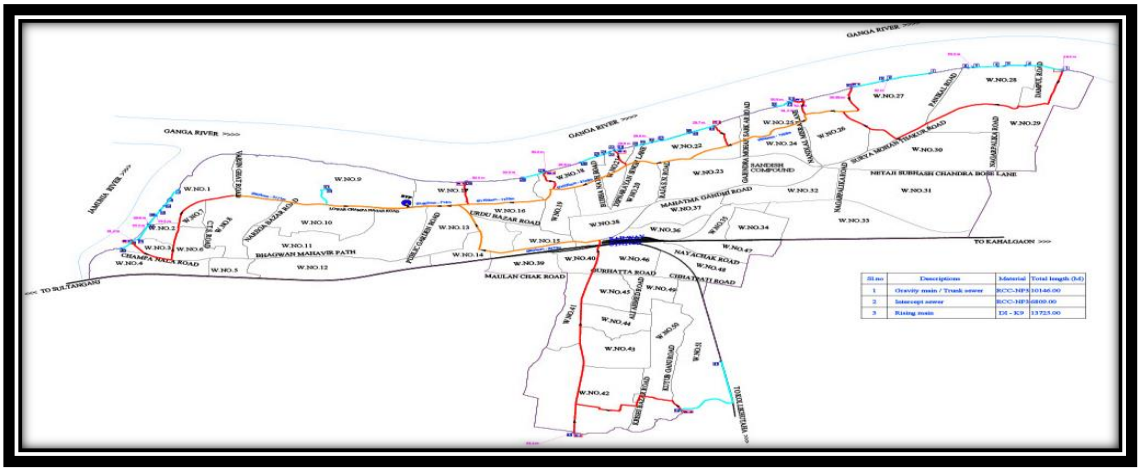

IPS (Intermediate Pumping Station) की सूची इस प्रकार हैः–

- बरारी घाट नाला
- काली घाट नाला
- मंदिर घाट नाला
- कोयला घाट नाला
- मंसूर गंज नाला
- नया बाजार नाला
- विश्वविद्यालय नाला
- चंपा नाला
- वार्ड नंबर 42 नाला
- सूर्य लोक कॉलोनी नाला

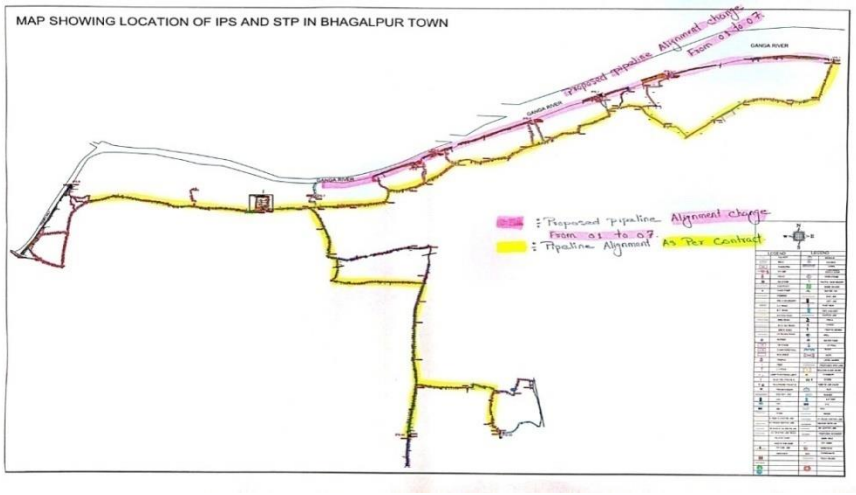

नीदरलैण्ड की विकसित टेक्नॉलोजी का प्रयोग कर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की मदद से दूषित जल सीधे नगर निगम के नाले में नहीं गिर कर उपचार के बाद नदी में प्रवाहित किया जाएगा, जिससे नाले में मल एवं गाद की समस्या काफी कम हो जाएगी, जिससे जल–जमाव की स्थिति कम की जा सकेगी।

E. शीतलहर (Cold Wave):

मैदानी इलाकों के लिये शीतलहर की घोषणा तब की जाती है जब न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस या उससे नीचे हो और लगातार दो दिनों तक सामान्य से 4.5 डिग्री सेल्सियस कम तापमान हो। सर्दियों में, दिसंबर के अंतिम सप्ताह से जनवरी के तीसरे सप्ताह तक भागलपुर शहर में, शीतलहर की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। गंगा नदी से सटे होने एवं भौगोलिक स्थिति मैदानी क्षेत्र होने के कारण तेज सर्द हवाएँ चलती हैं, जिसके कारण न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाता है। शीतलहर के दिनों में लोगों के स्वास्थ्य पर बहुत ही प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। शीतलहर के दौरान मनुष्य, जानवर तथा पशु-पक्षी सभी प्रभावित होते हैं। यह सार्वजनिक सेवाओं, व्यावसायिक गतिविधियों, शैक्षणिक तथा प्रशासनिक क्रियाकलापों को भी प्रभावित करता है। गृहविहीन तथा साधनविहीन जनता, वृद्ध जनों तथा बच्चों के स्वास्थ्य पर विशेष प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। BSDMA ने शीतलहर से बचाव के लिए सुरक्षा एडवाइजरी जारी की है।

❖ **इतिहासः—**

भागलपुर शहर में विगत 05 वर्षों में जनवरी माह में न्यूनतम औसत तापमान 8° जबकि अधिकतम औसत तापमान 19° रिकॉर्ड किया गया है। न्यूनतम तापमान दिसम्बर माह से जनवरी माह के बीच दर्ज किया गया है।

अलर्ट. दक्षिण-मध्य बिहार रहेगा ज्यादा सर्द और उत्तर-पूर्व में कम पड़ेगी ठंड

भागलपुर में स्कूल तीन तक रहेंगे बंद

कोहरे में छिपा रहा सूरज

अधिकतम व न्यूनतम तापमान के बीच का अंतर आठ डिग्री के करीब रहा

अधिकतम तापमान 21 डिग्री से कम होकर 16 तक पहुंचा

कोहरे में छिपा रहा सूरज

अधिकतम व न्यूनतम तापमान के बीच का अंतर आठ डिग्री के करीब रहा

क्र0	वर्ष	न्यूनतम तापमान (डिग्री से0)	अधिकतम तापमान (डिग्री से0)
1.	19 जनवरी 2023	6°	21°
2.	20 जनवरी 2022	7°	17°
3.	05 जनवरी 2021	11°	21°
4.	14 जनवरी 2020	9°	18°
5.	03 जनवरी 2019	8°	20°

COLD WAVE ALERT TODAY

PLACE	Max temp (°C)	Min temp (°C)
Patna	19.7	8.1
Gaya	20.8	5.5
Bhagalpur	19.8	9.1
Aurangabad	20.7	7.1
Chhapra	18.2	8.7
Muzaffarpur	19.0	9.3

Yellow coloured warning for cold wave in southern and central parts of the state on Tuesday and Wednesday

Moderate to dense fog predicted in the morning hours

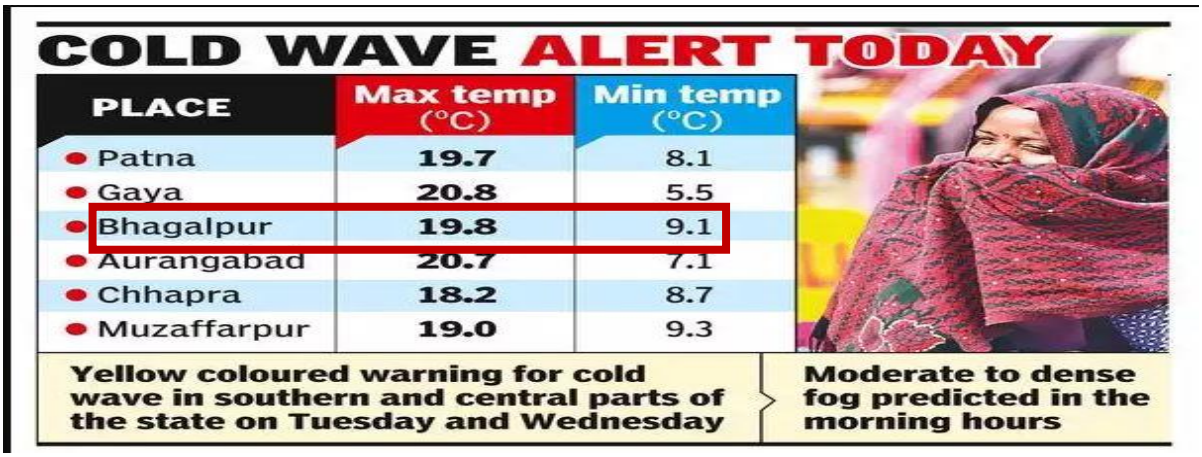

❖ **कारणः–**

a) ऊपरी हिमालय में बर्फबारी से क्षेत्र की ओर ठंडी हवाओं का चलना।

b) इस क्षेत्र में ठंडी हवा का अधोगमन (Subsidence)। ठंडी एवं शुष्क हवा का पृथ्वी की सतह के पास नीचे की ओर गति हवाओं का अधोगमन (Subsidence of Air) कहलाता है।

c) गंगा नदी से सटे होने एवं भौगोलिक स्थिति मैदानी क्षेत्र होना।

❖ **जिला प्रशासन एवं निगम प्रशासन के द्वारा पूर्व वर्षों में किये गये उपायः–**

निगम प्रशासन के द्वारा शीतलहर के प्रकोप से बचाव हेतु भागलपुर शहर के निःशक्त व्यक्तियों के लिए रात्रि में अलाव की व्यवस्था की जाती है।

वार्डवार कम्बल का वितरण भी किया जाता है।

निगम प्रशासन के द्वारा मायागंज के निकट अस्थायी रैन बसेरा का निर्माण कराया जाता है, जिसमें गरीब एवं निःशक्त व्यक्तियों के आश्रय की व्यवस्था की जाती है।

भागलपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के द्वारा मायांगज हॉस्पीटल के समीप 100 बेड के रैन बसेरा का निर्माण कराया गया है, जिसमें गरीब एवं निःशक्त व्यक्तियों के आश्रय की व्यवस्था की जाती है।

❖ **पूर्व तैयारियाँः–**

- ✓ **परामर्श और पूर्व चेतावनीः** समय पर परामर्श और भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के समन्वय से शीतलहर की पूर्व चेतावनी से जान–माल के संभावित नुकसान या क्षति को कम किया जा सकता है। सभी संबंधित हितधारकों को पूर्व चेतावनी का समय पर प्रसार किया जाए।
- ✓ **स्वास्थ्य और चिकित्सा सुविधाएंः** जानमाल की क्षति को कम करना और शीतलहर से संबंधित बीमारियों को रोकना सर्वोच्च प्राथमिकता है। अतएव शीतलहर के प्रभावों से निपटने के लिए पर्याप्त स्वास्थ्य और चिकित्सा सुविधाओं की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है।
- ✓ **कृषिः** शीतलहर/पाला का कृषि पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है, जिससे फसल की क्षति होती है। अतएव शीतलहर/पाला से होने वाली फसल क्षति से बचाव हेतु समुचित व्यवस्था करने की आवश्यकता है।
- ✓ **पशुधन की सुरक्षाः** शीतलहर/पाला से पशुधन की भी क्षति होती है। अतएव शीतलहर/पाला से पशुओं की सुरक्षा आवश्यक है, क्योंकि पशुपालन बड़ी संख्या में परिवारों की आजीविका का हिस्सा है।
- ✓ **ऊर्जाः** शीतलहर के प्रबंधन में शक्ति/ऊर्जा की भूमिका महत्वपूर्ण है। निर्बाध बिजली आपूर्ति आंतरिक वातावरण को गर्म रखने में मदद करती है और यह चिकित्सा सेवाओं में भी मदद करती हैं।
- ✓ **परिवहन और यातायात प्रबंधनः** शीतलहार के दौरान कोहरे के मद्देनज़र सुरक्षात्मक उपाय करते हुए यातायात के नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है।

❖ **कार्यान्वयन योजनाः–**

1. **नियंत्रण कक्ष एवं एकीकृत कमाण्ड एण्ड कन्ट्रोल सेन्टर :–**

जिला आपदा नियंत्रण कक्ष एवं एकीकृत कमाण्ड एण्ड कन्ट्रोल सेन्टर आपदा घटित होने के पूर्व मौसम विभाग/ आईएमडी की ओर से जारी एडवाइजरी को सभी विभागों/संभागों एवं नगरवासियों तक मेसेज तथा अनाउंसमेंट के माध्यम से पूर्व सूचना दे कर अलर्ट करेगा ताकि लोग समय रहते उचित उपाय कर सकें। साथ ही आई.एम.डी. के द्वारा निर्गत मौसम तापक्रम ग्राफ को शहर में अधिष्ठापित वेरिएबल मेसेज डिस्प्ले (VMD) बोर्ड पर प्रदर्शित करेगा। शहर में अधिष्ठापित आपातकाल कॉल बॉक्स के माध्यम से कमांड कन्ट्रोल एण्ड सेन्टर में प्रतिनियुक्त कर्मी 24X7 सहायता के लिए मौजूद रहेंगे।

2. **कम्बल वितरण :–**

बेघर (Homeless) गरीबों, रिक्शा चालकों, दैनिक मजदूरों, निःशक्त व्यक्तियों एवं ऐसे सदृश्य श्रेणी के लोगों के बीच आवश्यकतानुसार कम्बल के वितरण की व्यवस्था निगम प्रशासन तथा समाज कल्याण विभाग द्वारा की जायेगी।

3. **अलाव की व्यवस्थाः–**

शहर के मुख्य चौक–चौराहों, रेलवे स्टेशन के पास, बस स्टैण्ड के पास जिला प्रशासन/नगर निगम प्रशासन के द्वारा अलाव की व्यवस्था की जाएगी।

4. **रैन बसेरा/अस्थायी शरण स्थलों की व्यवस्था :–**

भागलपुर नगर निगम क्षेत्र अन्तर्गत बेघर (Homeless) गरीबों, रिक्शा चालकों, दैनिक मजदूरों, निःशक्त व्यक्तियों के लिए जिला प्रशासन/निगम प्रशासन के स्तर से रैन बसेरा/अस्थायी शरण स्थलों की समुचित व्यवस्था की जाएगी और साथ ही पर्याप्त कम्बल रखे जायेंगे।

5. **निरीक्षण एवं अनुश्रवण :–**

जिला प्रशासन एवं निगम प्रशासन के द्वारा नियुक्त नोडल पदाधिकारी शहर में घूम–घूम कर अलाव, कम्बल वितरण, अस्थायी रैन बसेरा में रहने वाले लोगों का निरीक्षण एवं सघन अनुश्रवण करेंगे।

6. **प्रिंट एवं इलेक्टॉनिक मीडिया के साथ समन्वय :–**

जिला प्रशासन एवं निगम प्रशासन भागलपुर शहरी क्षेत्र शीतलहर के प्रकोप से बचाव हेतु किये गये उपायों एवं दी गयी सुविधाओं की जानकारी प्रिंट एवं इलेक्टॉनिक मीडिया के माध्यम से आम लोगों तक पहुँचायेंगे।

7. **विशेष मेडिकल यूनिट :–**

शीतलहर से पीड़ित व्यक्तियों के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा आवश्यक दवाइयों का स्टॉक पूर्व में ही संधारित करते हुए उनका वितरण किया जाएगा। उदाहरण के लिए बी.पी., हार्ट अटैक, एन्टीबायोटिक, आदि दवाइयाँ। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा शीतलहर के दौरान अलग से विशेष मेडिकल यूनिट की व्यवस्था की जाएगी। बेड रिजर्व रखे जाएंगे। आवश्यकतानुसार विशेषज्ञ डाक्टर, नर्स, पैरा मेडिकल कर्मी आदि सहयोगी कर्मी 24x7 कार्य करेंगे।

8. **सामाजिक संगठन एवं एन.जी.ओ. :–**

भागलपुर शहर के गरीब एवं निःशक्त व्यक्तियों के बीच शीतलहर के बचाव के लिए विभिन्न सामाजिक संगठनों एवं एन.जी.ओ. के द्वारा कम्बल का वितरण किया जाएगा।

F. लू (Heat Wave):

लम्बे समय तक अत्यधिक गर्म मौसम बरकरार रहने से हीटवेव बनता है। हीटवेव असल में एक स्थान के वास्तविक तापमान और उसके सामान्य तापमान के बीच के अन्तर से बनता है। आईएमडी के मुताबिक, यदि एक स्थान का अधिकतम तापमान मैदानी इलाकों में कम–से–कम 40 डिग्री सेल्सियस तक और पहाड़ी क्षेत्रों में कम–से–कम 30 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है तो हीटवेव चलती है। यदि वृद्धि 6. 4 डिग्री से अधिक है और वास्तविक तापमान 47 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाए, तो इसे एक गम्भीर हीटवेव कहा जाता है। तटीय क्षेत्रों में, जब अधिकतम तापमान से 4.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाए या तापमान 37 डिग्री सेल्सियस हो जाए तो हीटवेव चलती है।

❖ **इतिहासः–**

सांख्यिकी कार्यालय भागलपुर के आंकड़ों के मुताबिक विगत 05 वर्षों में मई से जुलाई माह के बीच का अधिकतम औसत तापमान 33.8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है।

क्र0	वर्ष	अधिकतम तापमान
1.	2022	46.4°
2.	2021	46.1°
3.	2020	45.8°
4.	2019	46.0°
5.	2018	46.3°

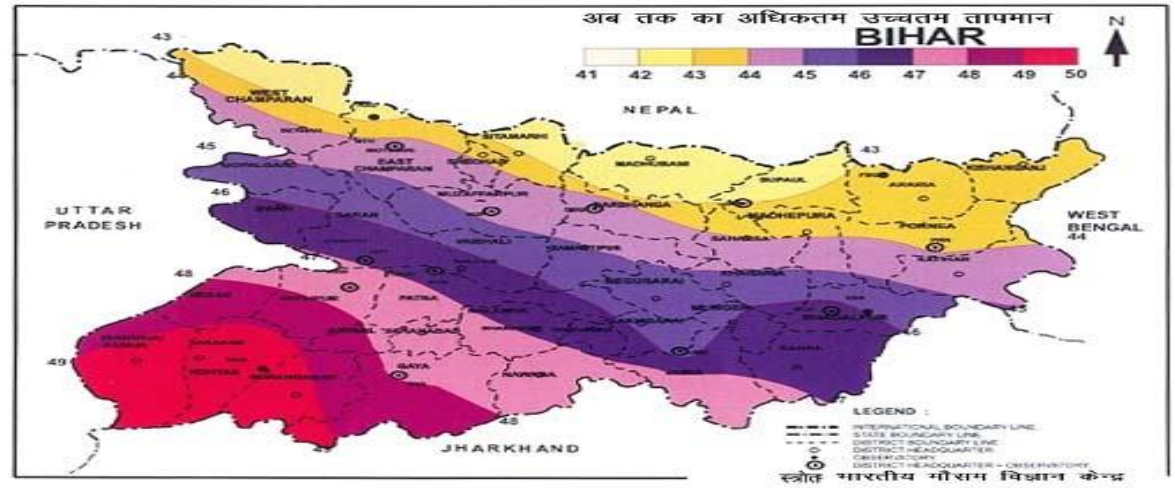

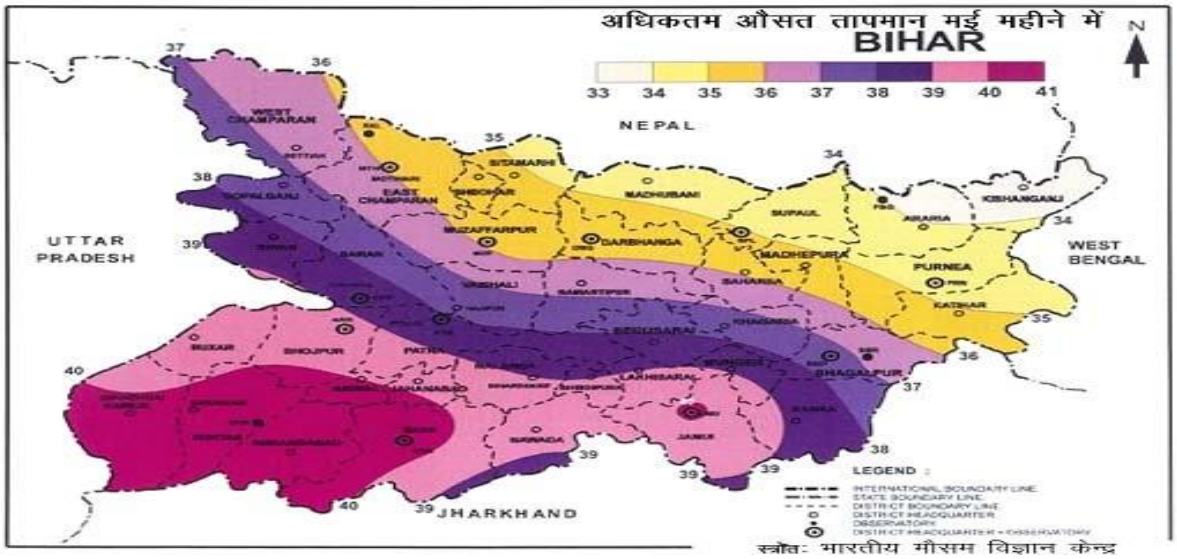

❖ **कारणः–**

भीषण गर्मी के बढ़ने के कई कारण हैं, जो निम्न हैंः–

a. कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड – शक्तिशाली ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन।
b. विनिर्माण उद्योग द्वारा ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन।
c. वनों की कटाई, कृषि और अन्य भूमि उपयोग परिवर्तनों के साथ, वैश्विक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन।
d. परिवहन के लिए ऊर्जा के उपयोग में उल्लेखनीय वृद्धि।
e. हीटिंग और कूलिंग के लिए बढ़ती ऊर्जा की मांग।

❖ **जिला प्रशासन एवं निगम प्रशासन के द्वारा पूर्व वर्षों में किये गये उपायः–**

a) जिला प्रशासन के द्वारा लू से बचाव हेतु विभिन्न प्रकार की सूचना प्रकाशित की जाती है।
b) निगम प्रशासन द्वारा जलापूर्ति हेतु प्याऊ तथा डीप बोरिंग का निर्माण कराया जाता है।
c) विभिन्न वार्डों में आम नागरिकों के लिए पब्लिक स्टैण्ड पोस्ट से जल की आपूर्त्ति कराई जाती है।
d) भीषण गर्मी के कारण भू–जल स्तर में गिरावट आ जाती है, जिससे बहुत सारे ट्यूबवेल सूख जाते है। अतः ऐसी परिस्थिति में आवश्यकतानुसार टैंकरों के माध्यम से पेयजल की व्यवस्था कराई जाती है।
e) पी.एच.ई.डी. के द्वारा खराब चापाकलों की मरम्मत युद्ध स्तर पर कराई जाती है।
f) स्वास्थ्य विभाग के द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर लू से प्रभावित लोगों के ईलाज हेतु विशेष व्यवस्था कराई जाती है, जहां पर्याप्त मात्रा में ओ.आर.एस. पैकेट, आई.वी. फ्लूईड एवं जीवनरक्षक दवायें मुहैय्या कराई जाती है।

❖ **कार्यान्वयन योजनाः–**

1. **नियंत्रण कक्ष एवं एकीकृत कमाण्ड एण्ड कन्ट्रोल सेन्टर :–**

जिला आपदा नियंत्रण कक्ष एवं एकीकृत कमाण्ड एण्ड कन्ट्रोल सेन्टर आपदा घटित होने के पूर्व मौसम विभाग/ आईएमडी की ओर से जारी एडवाइजरी को सभी विभागों/संभागों एवं नगरवासियों तक मैसेज तथा अनाउंसमेंट के माध्यम से पूर्व सूचना देकर अलर्ट करेगा ताकि लोग समय रहते उचित उपाय कर सकें। साथ ही आई.एम.डी. के द्वारा निर्गत मौसम तापक्रम ग्राफ को शहर में अधिष्ठापित वेरिएवल मैसेज डिस्प्ले बोर्ड पर प्रदर्शित करेगा। शहर में अधिष्ठापित आपातकाल कॉल बॉक्स के माध्यम से कमांड कन्ट्रोल एण्ड सेन्टर में प्रतिनियुक्त कर्मी 24X7 सहायता के लिए मौजूद रहेंगे।

2. **स्वास्थ्य विभाग–**

अत्यधिक गर्मी से पीड़ित व्यक्तियों के ईलाज हेतु आवश्यकतानुसार अस्पतालों में आईसोलेसन वार्ड की व्यवस्था की जाए एवं लू से पीड़ित बच्चों, बूढ़ों, गर्भवती महिलाओं तथा गम्भीर रूप से बीमार व्यक्तियों का विशेष ध्यान रखा जाए। आवश्यकतानुसार प्रभावित जगहों हेतु स्टैटिक/चलंत चिकित्सा दल की भी व्यवस्था की जाए।

3. **लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग–**

खराब चापाकलों की मरम्मत युद्ध स्तर पर करायी जाए। जिन स्थानों पर नल का जल नही पहुँचता हो एवं चापाकलों में पानी की कमी हो गयी हो, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा पेयजल संकट से निबटने हेतु निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार टैंकरों के माध्यम से पेयजल पहुंचाने की व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाएगी। भूगर्भ जलस्तर की लगातार समीक्षा कर इस पर सतत् निगरानी रखी जाएगी।

4. **शिक्षा विभाग–**

स्कूली बच्चों को भीषण गर्मी से बचाने के लिए आवश्यक है कि विद्यालय या तो सुबह की पाली में ही संचालित हो अथवा गर्मी की छुटियाँ निर्धारित समय से पूर्व घोषित कर दी जाए। गर्मी की स्थिति को देखते हुए विद्यालयों को अल्प अवधि के लिए बन्द किया जा सकता है। इस हेतु जिला पदाधिकारी, भागलपुर के द्वारा समीक्षा कर निर्णय लिया जाएगा।

सभी आंगनबाड़ी केन्द्रों पर पेयजल की समुचित व्यवस्था करायी जाए एवं वहाँ पर गर्म हवाओं एवं लू से बचाव से संबंधित IEC (बच्चों को समझने हेतु सामग्री) प्रदर्शित कर जनता को जागरूक किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से आंगनबाड़ी केन्द्रों पर जीवनरक्षक घोल (ORS) की व्यवस्था की जाएगी। सभी विद्यालयों एवं परीक्षा केन्द्रों में पेयजल, ORS की व्यवस्था सुनिश्चित करायी जाएगी। गर्म हवाएं / लू से बचाव के उपाय से संबंधित IEC सामग्री स्थानीय स्तर पर मुद्रित कर पम्पलेट / पोस्टर के माध्यम से प्रचार–प्रसार किया जाएगा। साथ ही, स्थानीय प्रचार माध्यमों का भी उपयोग किया जा सकता है।

5. **समाज कल्याण विभाग–**

नवजात शिशु, बच्चों, धातृ एवं गर्भवती महिलाओं के लिए स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से विशेष चिकित्सा सुविधा की व्यवस्था की जानी चाहिए।

6. **पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग**

सरकारी ट्यूबवेल के समीप अथवा अन्य सुविधायुक्त स्थानों पर गड्ढा खुदवा कर पानी इक्कट्ठा किया जाएगा ताकि पशु–पक्षियों को पानी मिल सके।

पशुओं के बीमार पड़ने पर चिकित्सा दल की व्यवस्था की जाएगी।

7. **श्रम संसाधन विभाग**

लू से बचाव हेतु मजदूरों की कार्य अवधि सुबह 6.00 बजे से 11.00 बजे तक तथा अपराह्न 3.30 बजे से 6.30 बजे तक किया जाएगा। कार्य स्थल पर पेयजल की व्यवस्था तथा लू लगने पर प्राथमिक उपचार की व्यवस्था की जानी चाहिए।

खुले में काम करने वाले भवन बनाने वाले तथा कल–कारखानों में काम करने वाले मजदूरों के लिए ठंडे पेजयल के साथ–साथ विश्राम करने के लिए बेंच या बेड की व्यवस्था करनी चाहिए। साथ ही लू से बचाव हेतु औद्योगिक मजदूरों एवं अन्य मजदूरों के बीच जागरूकता कैम्प लगवाया जाए।

8. **परिवहन विभाग**

लू चलने की अवधि में जहाँ तक संभव हो वाहनों का परिचालन कम से कम करना चाहिए तथा पूर्वाहन 11.00 बजे से अपराहन 3.30 बजे तक सार्वजनिक परिवहन की गाड़ियों के परिचालन को नियंत्रित किया जाएगा।

सार्वजनिक परिवहन की गाड़ियों में पेयजल तथा ओ.आर.एस. के साथ–साथ प्राथमिक उपचार की भी व्यवस्था की जाएगी।

9. **ऊर्जा विभाग**

प्रायः बिजली के तारों के ढीला रहने के कारण हवा चलने पर वे आपस में टकराते रहते हैं। इससे चिंगारी निकलने की आशंका रहती है। इन चिनगारियों के कारण भी अगलगी की घटनाएँ होती हैं। अतएव बिजली के ढीले तारों को भी ठीक करवाने की व्यवस्था की जाएगी। निर्बाध बिजली की आपूर्ति की व्यवस्था की जाएगी।

10. **पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग**

गर्मियों के दिनों में लू चलने से वन्य जीव भी प्रभावित होते हैं। अतः वन्य जीव उद्यानों तथा अभ्यारण्यों में पानी की व्यवस्था की जाएगी।

अभ्यारण्यों में गड्ढे खोदकर वन्य जीवों के लिए जल की व्यवस्था की जानी चाहिए। पर्यटन स्थलों पर पेयजल की व्यवस्था की जाए। साथ ही लू से बचाव हेतु पर्यटकों के लिए एडवाइजरी निर्गत की जाएगी।

11. **राज्य अग्निशमन निदेशालय**

भीषण गर्मी के कारण अगलगी की घटनाओं में भी वृद्धि हो जाती है। अगलगी की घटनाओं से निबटने एवं उनकी रोकथाम के लिए मानक संचालन प्रक्रियानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करायी जाए।

12. **सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग**

गर्म हवाएं / लू से बचाव के उपाय से संबंधित विज्ञापन का प्रचार–प्रसार प्रिंट मीडिया एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से कराया जाए। साथ ही गर्म हवाएं / लू से बचाव के उपाय से संबंधित जिंगल को भी भागलपुर शहर के एफ एम एवं आकाशवाणी के रेडियो चैनलों के माध्यम से प्रचारित कराया जाएगा। इसे सोशल मीडिया यथा–Facebook, WhatsApp एवं Twitter आदि के माध्यम से भी प्रचारित कराया जाए।

13. **नगर निगम, भागलपुर/एकीकृत कमाण्ड एण्ड कन्ट्रोल सेन्टरः–**

गर्म हवाएं / लू से बचाव हेतु भागलपुर शहरी क्षेत्रान्तर्गत मॉनिटरिंग के लिए डैशबोर्ड / इन्टरफेस बनाया जा रहा है, जिसके माध्यम से बल्क एस.एम.एस. भेजने की व्यवस्था के साथ ही साथ सभी संबंधित विभागों से समन्वय स्थापित कर अद्यतन स्थिति की सूचना का आदान–प्रदान किया जाएगा।

शहरी क्षेत्रों में सार्वजनिक जगहों पर स्थानीय निकायों द्वारा प्याऊ की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। इन स्थानों पर गर्म हवाओं एवं लू से बचाव से संबंधित सूचनाओं को भी प्रदर्शित किया जाएगा, ताकि आम जन इनसे भली-भाँति अवगत हो सकें।

अपने क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत खराब चापाकलों की मरम्मत संबंधित विभाग से समन्वय स्थापित करते हुए युद्ध स्तर पर कराई जाएगी। आश्रय स्थलों में पेयजल की व्यवस्था की जाएगी।

आवश्यकतानुसार डीप बोरिंग, प्याऊ, पब्लिक स्टैण्ड पोस्ट का निर्माण कराया जाएगा। सभी नागरिक सेवाओं को ऑनलाईन प्राप्त करने तथा निर्गत करने की व्यवस्था कराई जाएगी ताकि आम नागरिकों की आवाजाही कम हो सके।

14. **सामाजिक संगठन एवं एन.जी.ओ. :–**

भागलपुर शहर के गरीब एवं निःशक्त व्यक्तियों को लू के बचाव के लिए विभिन्न सामाजिक संगठनों एवं एन.जी.ओ. की तरफ से मुख्य चौक–चौराहों, स्टेशन, बाजार, घनी आबादी क्षेत्रों में पेयजल का स्टॉल लगााया जाएगा।

G. सड़क दुर्घटना (Road Accident):

अर्थव्यवस्था की गति को रफ्तार देती सड़कें विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। सड़कें उत्पादकों को बाजार से, श्रमिको को नौकरियों से, छात्रों को विद्यालय से और बीमारों को अस्पताल से जोड़ती हैं। हालांकि सड़कें विकास में केवल तभी योगदान दे सकती हैं, जब ये सुरक्षित हों। मानव पूंजी को देखते हुए सड़क हादसों की संख्या काफी भयावह नजर आती है, परंतु एक अच्छी बात यह है कि बिहार में सड़क दुघर्टनाओं से होने वाली मौत की संख्या लगातार घट रही है। बिहार के आर्थिक समीक्षा 2021–22 के अनुसार बिहार में जहाँ, 2019 में 10007 सड़क दुर्घटनायें हुई थी, वहीं 2020 में यह घटकर 8639 रह गईं, जिसमें 6699 लोगों की मृत्यु हुई। हालांकि दुर्घटना से मृत्यु का प्रतिशत काफी चिंतनीय है।

भागलपुर में सड़क दुर्घटना के आंकड़ों को निम्नांकित चार्ट में दिखाया गया है:–

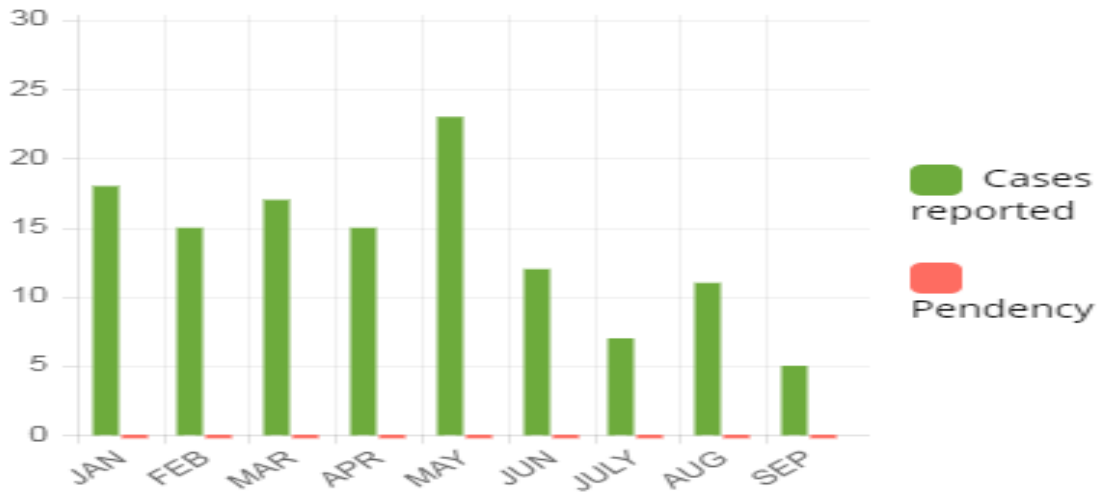

❖ **<u>सड़क दुर्घटना के प्रमुख कारण:–</u>**

✓ **यातायात नियमों का उल्लंघन** – आंकड़ों के मुताबिक लगभग तीन–चौथाई सड़क दुर्घटनाएँ केवल ओवर स्पीड और गलत साइड पर गाड़ी चलाने जैसे यातायात नियमों के उल्लंघन के कारण होती है।

✓ **ट्रैफिक इंजीनियरिंग** – कुल सड़क दुर्घटनाओं में दोपहिया वाहन और पैदल चलने वालों की हिस्सेदारी सबसे अधिक है, जिसपर ध्यान देने की जरूरत है। वर्तमान में सड़क यातायात इंजीनियरिंग केवल सड़कों को विस्तृत करने तक ही सीमित है।

✓ **आपातकालीन चिकित्सा सुविधाओं की कमी** – दुर्घटना स्थल पर प्राथमिक चिकित्सा और पीड़ित को अस्पताल ले जाने के लिए परिवहन की व्यवस्था में कमी देखी गई है, जिसके कारण दुर्घटना में मरने वालों की संख्या अधिक है।

✓ **निगरानी की कमी** – निगरानी के बुनियादी ढांचे के अभाव के कारण अधिकांश मामलों में जाँच ही संभव नहीं हो पाती है।

✓ **गुणवत्तापूर्ण ड्राइविंग स्कूलों की कमी** – वाहन चालकों में लगभग 80 प्रतिशत के पास प्रशिक्षण

का अभाव होता है। वे पारंपरिक तरीके से ड्राइविंग सीखकर सड़क पर वाहन चलाते हैं, जिसके कारण उनमें गुणवत्ता की कमी होती है। इसका प्रमुख कारण ऐसे स्कूलों की कमी व उनका प्रचलन में न होना है।

✓ **सामाजिक एवं धार्मिक कार्यक्रमों में भीड़** – प्रायः जगह के अभाव में ऐसे कार्यक्रमों में काफी भीड़ जमा हो जाती है और भगदड़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिसके नियंत्रण हेतु आधुनिक व्यवस्था किये जाने की जरूरत है।

✓ **पार्किंग का अभाव** – शहर की सड़कों पर वाहनों की अवैध पार्किंग करने से भी दुर्घटनाएँ बढ़ रही हैं। जहाँ एक ओर सड़क की चौड़ाई कम है, वहीं दूसरी ओर सड़कों पर अवैध पार्किंग होने से जाम की समस्या उत्पन्न हो जाती है। ऐसा प्रायः प्रमुख पर्व–त्योहारों जैसे–होली, काली पूजा, दुर्गा पूजा, छठ पूजा, मुहर्रम, ईद आदि अवसरों पर विशेष रूप से देखा जाता है। इसके लिए भीड़ नियंत्रण तंत्र की आवश्यकता है।

❖ **जिला प्रशासन एवं निगम प्रशासन द्वारा पूर्व की तैयारियां:**

✓ **नीतिगत उपायों की रूपरेखा** – पुलिस विभाग, स्वास्थ्य विभाग, परिवहन विभाग एवं पथ निर्माण विभाग के समेकित प्रयास से Integrated Road Accident Database (IRAD) तैयार किया गया है। साथ ही ब्लैक स्पॉट चिन्हित किये गये हैं, ताकि ऐसे स्थानों पर विशेष सुरक्षा के प्रावधान अपनाये जा सकें। वाहन और सारथी एप के माध्यम से वाहन पंजीकरण और ड्राइविंग लाइसेंस हेतु प्रक्रिया की जा रही है, जिससे वाहन पंजीकरण और ड्राईविंग लाईसेंस कार्य का त्वरित निष्पादन किया जा सके।

✓ **जागरूकता अभियान** – सड़क सुरक्षा सप्ताह, जागरूकता रैली, आदि के माध्यम से लोगों को जागरूक किये जाने के लगातार प्रयास किये जा रहे हैं। 23 जनवरी को सुभाष चन्द्र बोस की जयंती पर सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है।

✓ **इंटिग्रेटेड सड़क सूचना डेटाबेस** – जिला प्रशासन के सहयोग से एकीकृत डेटाबेस बनाया गया है। डेटाबेस के आंकड़ों को नियमित रूप से अपडेट किया जा रहा है ताकि भविष्यगामी रूपरेखा तैयार करने में सरलता हो।

✓ **सुरक्षित बुनियादी ढाँचे** – सड़क दुर्घटना न्यूनीकरण के लिए सड़क निरूपण/निर्माण Indian Road Congress (IRC) के मानकों के अनुसार सड़कों की रचना यथा Carriage way (CW), Shoulder, Footpath, Road Studs, Road Surface Marking, Zebra Crossing, घनी आबादी में रोड बैरीकेंडिंग, गति–सीमा, दायें–बायें दिशा का निशान, विद्यालय जोन, इत्यादि में साइनेज का प्रावधान किया गया है।

✓

✓ **सड़क सुरक्षा कानून का प्रवर्त्तन** – यातायात नियमों के अनुपालन के लगातार प्रयास किये जा रहें हैं, ताकि सड़क दुर्घटना को न्यूनतम किया जा सके। दुर्घटना की स्थिति में तुरंत सहायता हेतु टोल फ्री नम्बर 18003456161 जारी किया गया है ताकि दुर्घटना की स्थिति में तुरंत सहायता मुहैया कराई जा सके। वाहनों में अधिष्ठापित वाहन ट्रैकिंग उपकरण के माध्यम से दुर्घटना की स्थिति में वाहन को ट्रैक किया जा सकता है ताकि वांछित सहायता पहुंचाई जा सके।

❖ भविष्य के लिए कार्यान्वयन योजना –

✓ सड़क सुरक्षा से संबंधित उपायों यथा दोपहिया वाहनों के लिए हेलमेट का उपयोग, चार पहिया वाहनों के लिए सीटबेल्ट का उपयोग ट्रैफिक सिग्नल के नियमों का पूर्णतः अनुपालन, आम नागरिकों को जेब्रा क्रॉसिंग का उपयोग, विद्यालय जोन/घनी आबादी वाले क्षेत्रों में धीमी गति से वाहन चलाना, रोड साइनेज के अनुसार वाहन चलाना इत्यादि जैसे निर्देशों का एकीकृत कंमाड एव कंट्रोल सेन्टर (Integrated command and Control Centre) के Variable Message Display (VMD), Public Address System (PAS), Electronic Message System (EMS) द्वारा समुचित प्रचार-प्रसार किया जा रहा है।

✓ लोगों के व्यवहार में परिवर्तन का प्रयास निरंतर जारी रखना है। हेलमेट और सीटबेल्ट के प्रयोग को प्रोत्साहित किये जाने की आवश्यकता है, क्योंकि अधिकांश सड़क दुर्घटनाओं में अधिकतम नुकसान इन्हीं कारणों से होता है। लोगों को नशे की हालत में गाड़ी न चलाने के प्रति जागरूक और सचेत किया जा रहा है।

✓ दुर्घटना के पश्चात तत्काल प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराने और पीड़ित को जल्द से जल्द अस्पताल पहुँचाने की व्यवस्था करना ताकि लोगों की जान बचाई जा सके, जिससे मृत्यु दर में

कमी हो।

- ✓ लोगों में जागरूकता लायी जा रही है जिससे दुर्घटना की स्थिति में घायल/घायलों की जान बचायी जा सके।

- ✓ सड़क दुर्घटना न्यूनीकरण के लिए सड़क निरूपण/निर्माण Indian Road Congress (IRC) के मानकों के अनुसार करना अनिवार्य किया गया है।

- ✓ लोगों में हेलमेट, सीटबेल्ट जैसे सुरक्षा उपायों के लिए मास मीडिया और सोशल मीडिया का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा रहा है।

- ✓ विद्यालयों और कॉलेजों के पाठ्य प्रणाली में सड़क सुरक्षा को लेकर पाठ्य सामग्री शामिल करना ताकि शुरू से ही सड़क सुरक्षा के महत्व से आमजन अवगत हो सकें।

- ✓ पार्किंग की समुचित व्यवस्था की जा रही है, ताकि शहर की सड़कों पर वाहनों की अवैध पार्किंग न हो जिससे सड़क दुर्घटना की संख्या को न्यूनतम किया जा सके।

बिहार सरकार

सड़क दुर्घटना के पश्चात की जाने वाली कार्रवाई

कार्यविधि

दुर्घटना

दुर्घटना में घायल लोगों को तुरंत उपचार की सुविधा।

जिला नियंत्रण कक्ष द्वारा दुर्घटना से संबंधित सभी एजेन्सियों यथा स्वास्थ्य विभाग/पुलिस/नगर–निगम/गैर सरकारी संगठन/परिवहन एवं पथ निर्माण को सक्रिय

अगर घायलों को अस्पताल ले जाया गया है, तो तुरंत अस्पताल प्रशासन द्वारा नियंत्रण कक्ष को जानकारी देना।

घायलों के परिजनों को सूचना देना ।

जहां दुर्घटना हुई है, उस क्षेत्र में दुर्घटनाओं के खतरों का आकलन करते हुए परिवहन एवं पथ निर्माण विभाग द्वारा Black Spots घोषित करना।

परिवहन विभाग एवं पथ निर्माण विभाग द्वारा Black Spots को सुधारना।

H. वज्रपात (Lightning), ओलावृष्टि (Hailstorm), आंधी (Storm):

वज्रपात– बादलों के घर्षण से उत्पन्न नेगटिव चार्ज़ जब धरती पर गिरते है, तो उसे बिजली का गिरना अथवा वज्रपात (Thunderbolt or Lightning Strikes or Lightning) कहते हैं। इसकी ताकत दस करोड़ वोल्ट तक होती है जिससे भीषण जानमाल की क्षति होती है।

ओलावृष्टि– इसमें तेज़ हवा के साथ बर्फ के टुकड़े आसमान से धरती पर गिरते हैं, जिससे जानमाल की क्षति होती है।

आंधी – वातावरण के विभिन्न सतहों में तापमान के अंतर से उच्च दबाव एवं निम्न दबाव का क्षेत्र बनने के कारण तेज़ हवा चलती है, जिससे जानमाल की भारी क्षति होती है।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकार की मार्गदर्शिका के अनुसार वज्रपात, ओलावृष्टि, आंधी आपदाओं के लिए भागलपुर संवेदनशील क्षेत्रों में से एक है जहां मार्च से जून माह के दौरान इन आपदाओं की आशंका रहती है। इस योजना में इन आपदाओं हेतु प्रारंभिक तैयारी तथा आपदा से होने वाले नुकसान को कम करने हेतु रणनीतियों को सम्मलित किया गया है।

❖ **प्रारंभिक तैयारियां**

✓ बहुमंजिली इमारत, सरकारी भवनों, मीनार इत्यादि पर तड़ित चालक का अधिष्ठापन करना।

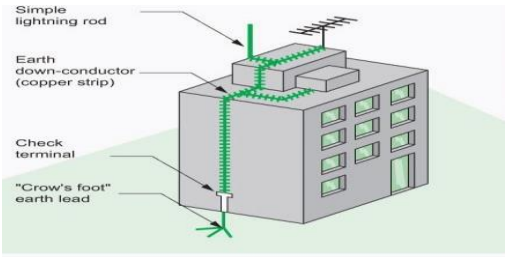

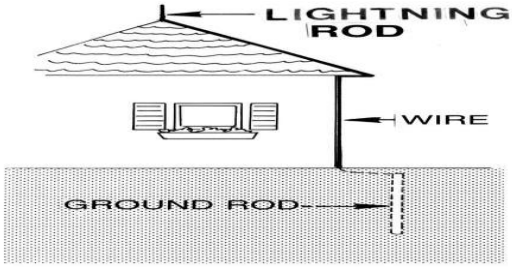

✓ मौसम विभाग, स्वास्थ्य विभाग एवं आपदा प्रबंधन विभाग को इन आपदाओं से निपटने हेतु सक्रिय करना।

✓ आंधी के कारण नुकसान से बचने हेतु भवन में चारों तरफ से ढालदार छत का निर्माण करना।

✓ सामाजिक संगठनों को वज्रपात, ओलावृष्टि आंधी इत्यादि आपदाओं से निपटने के लिए प्रशिक्षित करना जब भी आंधी-तूफान आये और आसमान में घने बादल मंडराएं तो अपने घर के इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे टीवी, रेडियो, कंप्यूटर आदि के पॉवर प्लग निकाल दें। घर में अर्थिंग वाला तार जरूर लगाएं। जहाँ तक हो अपना मोबाइल भी स्विच ऑफ कर दें। फर्श या जमीन पर चलते समय रबर की चप्पल पहनें। ऐसे मौसम में बिजली के उपकरणों को बंद कर दें और उससे दूर रहें। बारिश के मौसम में जब बिजली कड़क रही हो तो पेड़ के नीचे या खुले मैदान में ना जाएं।

- ✓ वज्रपात, ओलावृष्टि, आंधी आपदाओं से निपटने के लिए पर्याप्त संख्या में वृक्षारोपण करना।

❖ **जिला प्रशासन/नगर प्रशासन द्वारा आपदा जोखिम न्यूनीकरण हेतु रणनीति**

- ✓ व्यापक जन जागरूकता अभियान उपयुक्त प्रशिक्षण तथा समय–समय पर की जाने वाली मॉक ड्रिल के साथ सभी हितधारकों तथा संवेदनशील नगर निवासियों को भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा लांच किये गये मोबाईल एप यथा DAMINI, RAIN ALARM, MAUSAM, UMANG, MEGHDOOT, INDRAVAJRA के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करना।
- ✓ मौसम विभाग से वज्रपात, ओलावृष्टि, आंधी आपदाओं के संबंध में सूचना प्राप्त होने पर नियंत्रण कक्ष / एकीकृत कमांड एवं कंट्रोल सेंटर के Variable Message Display (VMD), Public Address System (PAS), Electronic Message System (EMS) द्वारा नगर निवासियों को अलर्ट जारी करना।
- ✓ स्वास्थ्य विभाग आपदा प्रबंधन विभाग अग्निशमन विभाग को सक्रिय करना ताकि वज्रपात, ओलावृष्टि, आंधी आपदाओं से जानमाल की क्षति को कम किया जा सके।
- ✓ पूर्व के वज्रपात, ओलावृष्टि, आंधी आपदाओं से संबंधित आकड़ों की विवेचना करते हुए भविष्य में इन आपदाओं से निपटने हेतु रूपरेखा तैयार करना।
- ✓ सामाजिक संगठनों से समन्वय कर वज्रपात, ओलावृष्टि, आंधी आपदाओं से निपटने के उपायों के संबंध में आम नागरिकों को जागरूक करना।

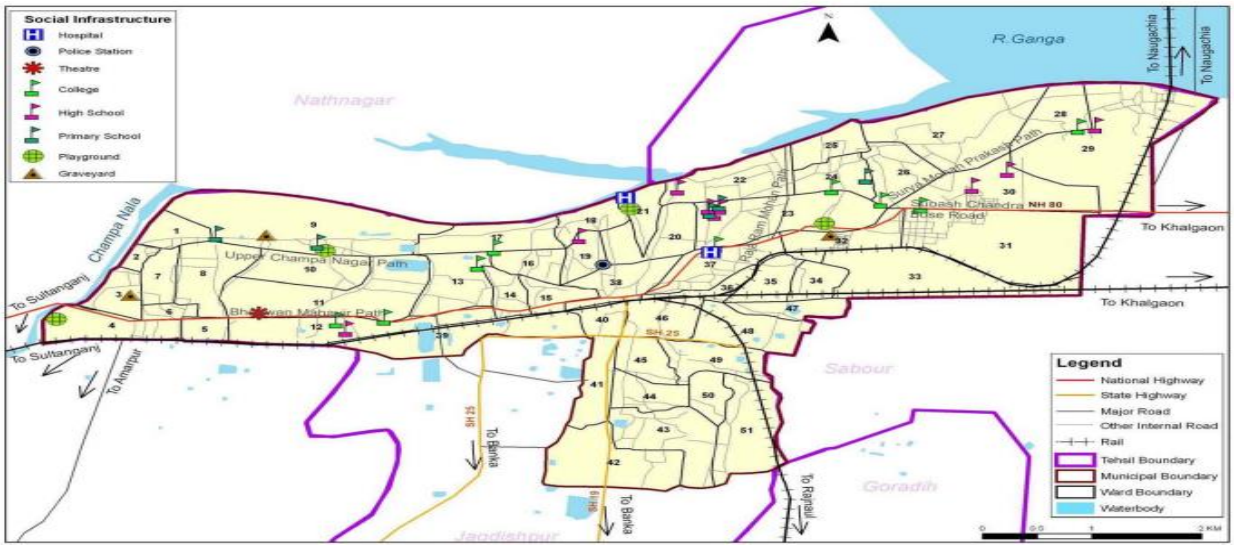

स्रोत: नगर विकास योजना 2010 - 2030

I. भीड़/भगदड़ प्रबंधन (Crowd / Stampede Management):

भागलपुर शहर में समय–समय पर ऐसी गतिविधियां होती रहती हैं जिसमें एक साथ बड़ी संख्या में लोग एकत्रित होते हैं। लोगों के व्यापक स्तर पर इकट्ठे होने से उत्पन्न होने वाली संभावित चुनौतियां काफी विस्तृत भी हो जाती है, जिसमें चोटें लगना एवं मृत्यु होना तक शामिल है। त्योहारों या समारोहों के दौरान, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, **राजनीतिक रैलियां, धार्मिक सभाओं/जुलूसों,** आदि स्थानों पर लोगों की संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि हो जाती है, जिससे भीड़/भगदड़ की आशंका बनी रहती है। इस योजना में भीड़/भगदड़ से सार्वजनिक सुरक्षा के लिए रणनीतिक उपायों को सम्मिलित किया गया है।

❖ भीड़/भगदड़ के प्रबंधन के उपाय

- ✓ राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार पंडालों, मेलों और भीड़–भाड़ वाले क्षेत्रों के आसपास यातायात को समुचित एवं व्यवस्थित रूप से विनियमित करने का प्रावधान है।
- ✓ कार्यक्रम स्थल तक पहुँचने के लिए रूट मैप और आपातकालीन निकास मार्ग रणनीतिक बिंदुओं पर लगाए जाने चाहिए।
- ✓ भीड़ को नियंत्रित करने के लिए कतार/बैरिकेडिंग से लोगों की आवाजाही को नियंत्रित किया जा सकता है।
- ✓ झपटमारी और अन्य छोटे अपराधों के जोखिम को कम करने के लिए पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की तैनाती एवं सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जानी चाहिए।
- ✓ कार्यक्रम स्थल पर आपात स्थिति में प्राथमिक चिकित्सा हेतु एम्बुलेंस, डॉक्टर एवं स्वास्थ्य कर्मी की तैनाती की जानी चाहिए।
- ✓ आयोजकों को सुरक्षा दिशानिर्देशों का ध्यान रखते हुए बिजली, अग्निशमन यंत्रों का अधिकृत उपयोग सुनिश्चित करना चाहिए।

❖ जिला प्रशासन/निगम प्रशासन द्वारा किये जा रहें कार्य/प्रयास –

- ✓ **जिला एवं मोहल्ला शांति समिति का गठन –** जिला प्रशासन द्वारा विभिन्न पर्व/त्योहार पर नागरिक समाज का सहयोग प्राप्त करने हेतु शहर के प्रमुख व्यक्तियों के सहयोग से शांति समिति

का गठन किया गया है, जिससे आपसी सहयोग एवं समन्वय के साथ लोगों की भागीदारी सुनिश्चित होती है।

✓ **एकीकृत कमांड एंड कंट्रोल सेंटर** – भीड़ के समेकित रूप से नियंत्रण व निगरानी हेतु नियंत्रण कक्ष की व्यवस्था की गई है, जिसमें अधिष्ठापित सी.सी.टी.वी. से निगरानी में सहायता होती है। नियंत्रण कक्ष के माध्यम से एकीकृत कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के विभिन्न अवयवों यथा Variable Message Display (VMD), Public Address System (PAS), Electronic Message System (EMS) से प्रभावी रूप में भीड़/भगदड़ को नियंत्रित किया जा सकता है। स्मार्ट सिटी के तहत भागलपुर शहर में 16 ITMS (ट्रैफिक सिग्नल) लगाए गए हैं, जिसके माध्यम से ट्रैफिक को सुचारु रूप से नियंत्रित किया जा रहा है।

✓ **दण्डाधिकारी की प्रतिनियुक्ति** –पर्व त्योहारों में आवश्यकतानुसार दण्डाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की जाती है, जिससे भीड़/भगदड़ नियंत्रण में सहयोग होता है।

✓ **प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधा का प्रावधान** – भीड़/भगदड़ में घायल हुए लोगों को चिकित्सा सेवा की सुविधा कार्यक्रम स्थल के आसपास ही स्वास्थ्य शिविर में प्रदान करना अनिवार्य है ।

✓ **कार्यक्रम स्थल पर अग्निशमन सेवा की सुविधा –** आयोजन के दौरान आग से संबंधित आपदा की स्थिति में अग्निशमन सेवा की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, जिसके लिए कार्यक्रम स्थल पर आवश्यकतानुसार अग्निशमन वाहन, अग्निशमन कर्मियों की प्रतिनियुक्ति को अनिवार्य किया गया है।

✓ **कार्यक्रम स्थल पर एन.डी.आर.एफ. टीम की प्रतिनियुक्ति –** कार्यक्रम स्थल पर भीड़/भगदड़ आपदा की स्थिति से निपटने कि लिए पर्याप्त संख्या में आपदा कर्मियों की प्रतिनियुक्ति को अनिवार्य किया गया है ताकि आपदा से होने वाले जानमाल की हानि को कम किया जा सके।

✓ **जागरूकता अभियान –** सामाजिक संगठनों से समन्वय कर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिससे आम नागरिकों को भीड़/भगदड़ की स्थिति से निपटने में सहायता होगी।

J. विस्फोटक आपदा (Explosion Hazard) :

भागलपुर शहर में आतिशबाजी, ज्वलनशील पदार्थ यथा डीजल-पेट्रोल, एल.पी.जी. गैस इत्यादि के भंडारण में विस्फोट होने की आशंका बनी रहती है। विस्फोटक आपदा में प्रतिक्रिया हेतु कम समय होता है और जानमाल का अधिक नुकसान होता है। इस आपदा से सुरक्षा हेतु उपायों एव सावधानियों को इस योजना में सम्मिलित किया गया है, ताकि जानमाल की अधिक क्षति से बचाव हो सके।

❖ **भागलपुर शहरी क्षेत्र में अग्नि दुर्घटना की संवेदनशील क्षेत्र**

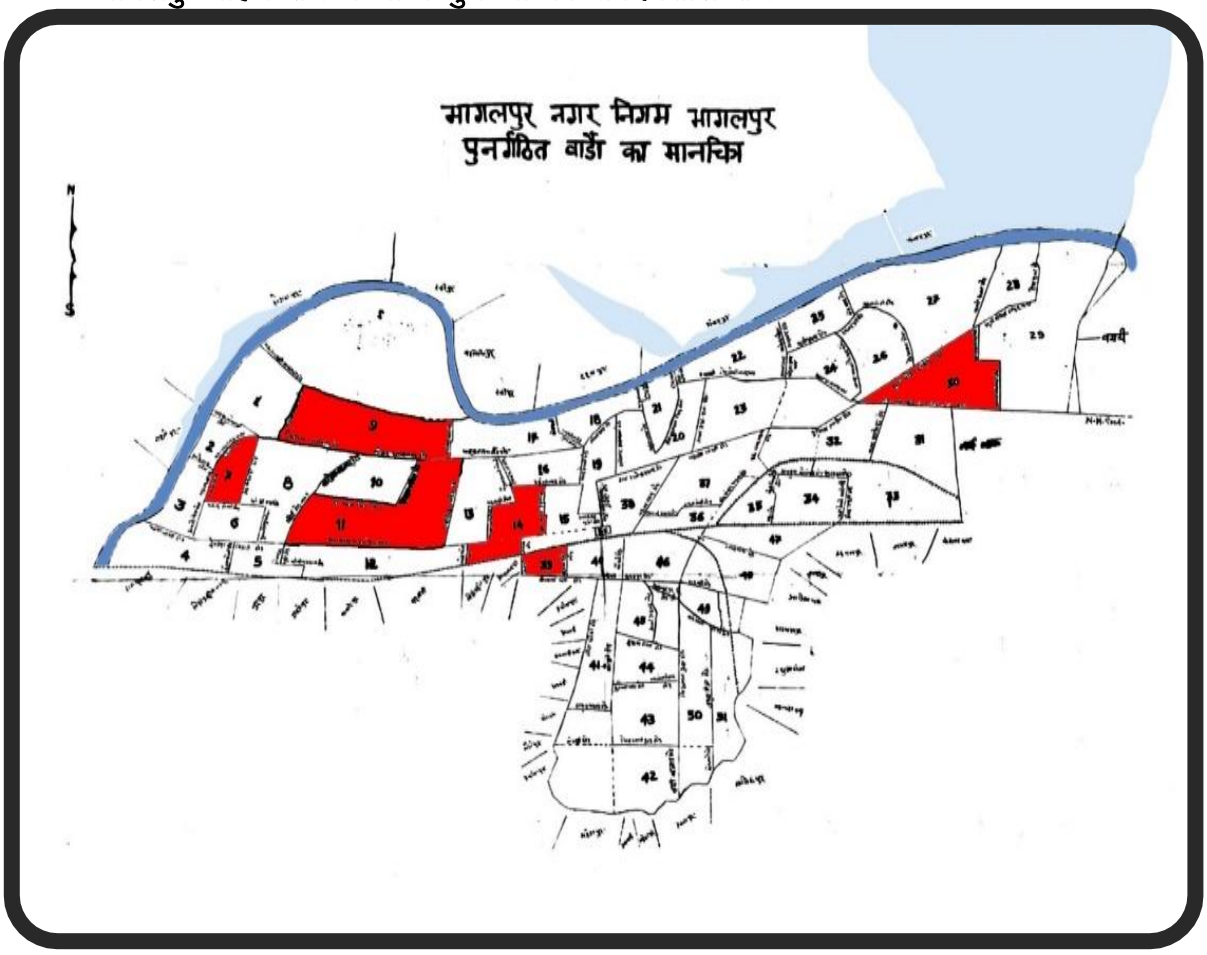

पूर्व की तैयारियां एवं सुरक्षा के उपायः–

- ✓ आवासीय / व्यावसायिक भवनों के निर्माण में अग्निरोधक सामग्रियों का उपयोग।
- ✓ भवनों में आवश्यकतानुसार अग्निशमन यंत्र यथा फायर फाइटिंग उपकरण, रेत की बाल्टी का अधिष्ठापन एवं इसका निश्चित अंतराल पर संधारण।
- ✓ भवनों में आग / धुआं अलार्म का अधिष्ठापन।
- ✓ अग्निकांड के समय बाहर निकलने हेतु भवनों में दिशा संकेत की सुविधा।
- ✓ बड़े व्यावसायिक भवनों में Fire Stairs की सुविधा।
- ✓ बड़े व्यावसायिक भवनों के चारों तरफ पर्याप्त जगह छोड़ना ताकि अग्निशमन वाहनों का आवगमन हो सके।
- ✓ ग्रीष्म काल में अगलगी की घटना को रोकने हेतु अग्निशमन पदाधिकारियों को सामाजिक संस्थानों के साथ बैठक कर अग्नि दुर्घटना के प्रति जागरूकता अभियान चलाना चाहिए।

- ✓ अग्निशमन वाहन, उपकरण इत्यादि का उचित संधारण सुनिश्चित करना।
- ✓ घर से बाहर जाते समय विद्युत उपकरण एवं गैस के रेगुलेटर को बंद करना।

Fire Stairs

Fire Smoke detector

Fire esacape symbol

Fire extinguinsher

❖ **अग्नि आपदा प्रतिक्रिया हेतु मानक संचालन प्रत्युत्तर**

- ✓ अग्नि कांड की सूचना प्राप्त होते ही जिला प्रशासन/नगर प्रशासन द्वारा अग्निशमन पदाधिकारियों से समन्वय कर आवश्यकतानुसार उपकरणों यथा अग्निशमन वाहन, रेत से भरी बाल्टी, इत्यादि के साथ एक टीम आपदा प्रभावित क्षेत्र के लिए रवाना करेगा।
- ✓ टीम के सभी सदस्य अग्नि आपदा प्रतिक्रिया में कुशल होंगे।
- ✓ दवाओं के साथ आवश्यक सुविधाओं से लैस एक एम्बुलेंस टीम के साथ उपलब्ध रहेगा।

❖ **भागलपुर शहरी क्षेत्र में संस्थागत तंत्र एवं कार्यान्वयन योजनाः–**

✓ **भागलपुर जिला प्रशासनः–**

जिला प्रशासन द्वारा अग्नि आपदा में सहायता एवं सुरक्षा हेतु जिला आपातकालीन नियंत्रण कक्ष का संचालन एकीकृत कमांड एवं कंट्रोल सेंटर (Intregated Command & Control Center) से किया जायेगा, जिसके माध्यम से विभिन्न प्रकार की सूचना, आकड़ों एवं निर्देशों का प्रचार – प्रसार किया जायेगा।

एकीकृत कमांड एवं कंट्रोल सेंटर में इमरजेंसी कॉल बॉक्स, पब्लिक एड्रेस सिस्टम, सीसीटीवी कैमरा, पार्किंग प्रबंधन, जीआईएस मैपिंग, यातायात प्रवर्तन प्रबंधन प्रणाली इत्यादि सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी जिससे आपदा की विषम परिस्थतियों में भी राहत एवं बचाव कार्य पर प्रतिकूल असर नहीं होगा। उक्त नियंत्रण कक्ष में वैकल्पिक विद्युत आपूर्ति की सुविधा रहेगी जिससे विद्युत आपूर्ति बाधित होने पर भी राहत कार्य निर्बाध रूप से हो सकेगा। नियंत्रण कक्ष में Artificial Intelligence के इस्तेमाल से आपदा की स्थिति में अफवाहों से बचा जा सकेगा।

- जिला प्रशासन तंत्र

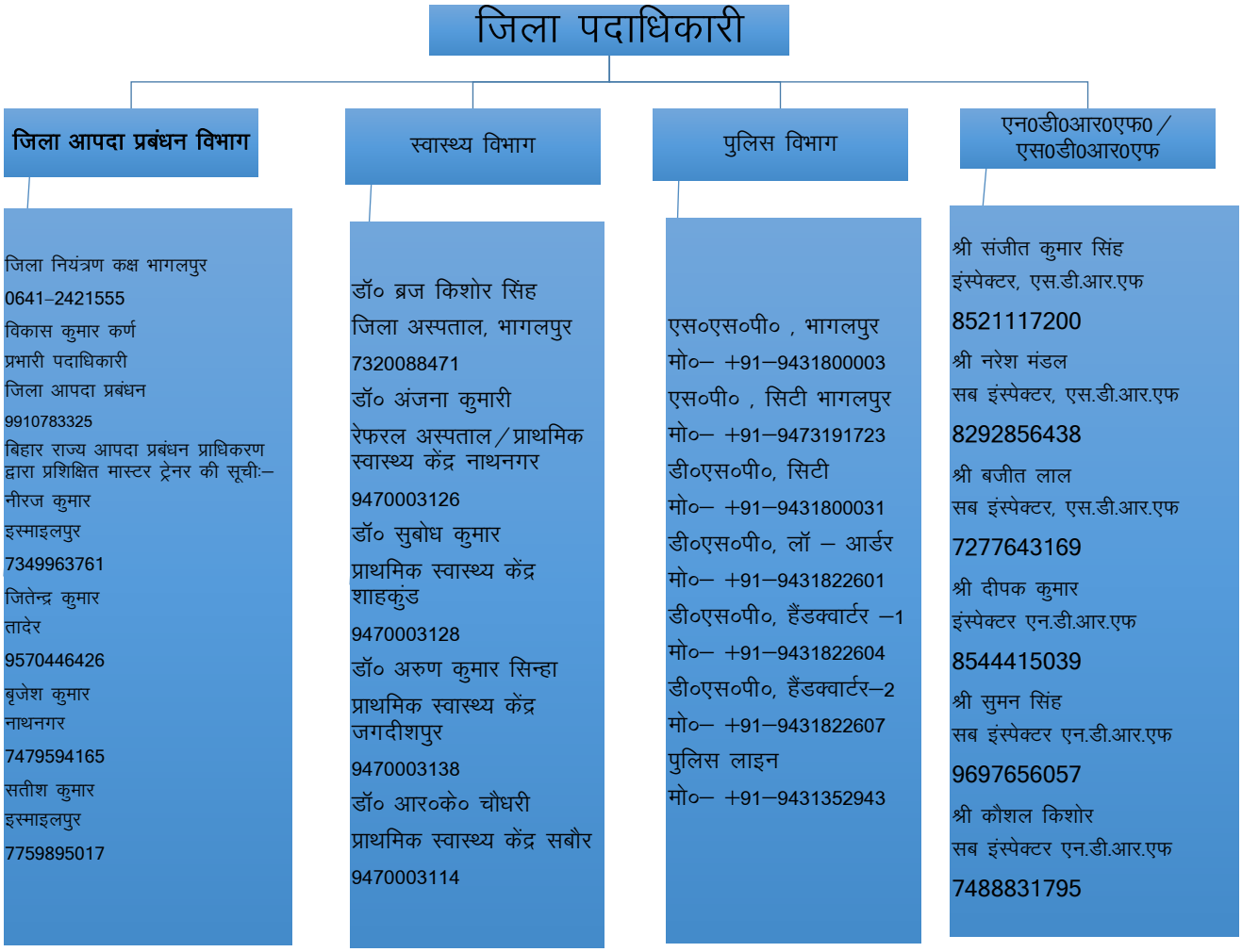

- निगम प्रशासन तंत्रः–

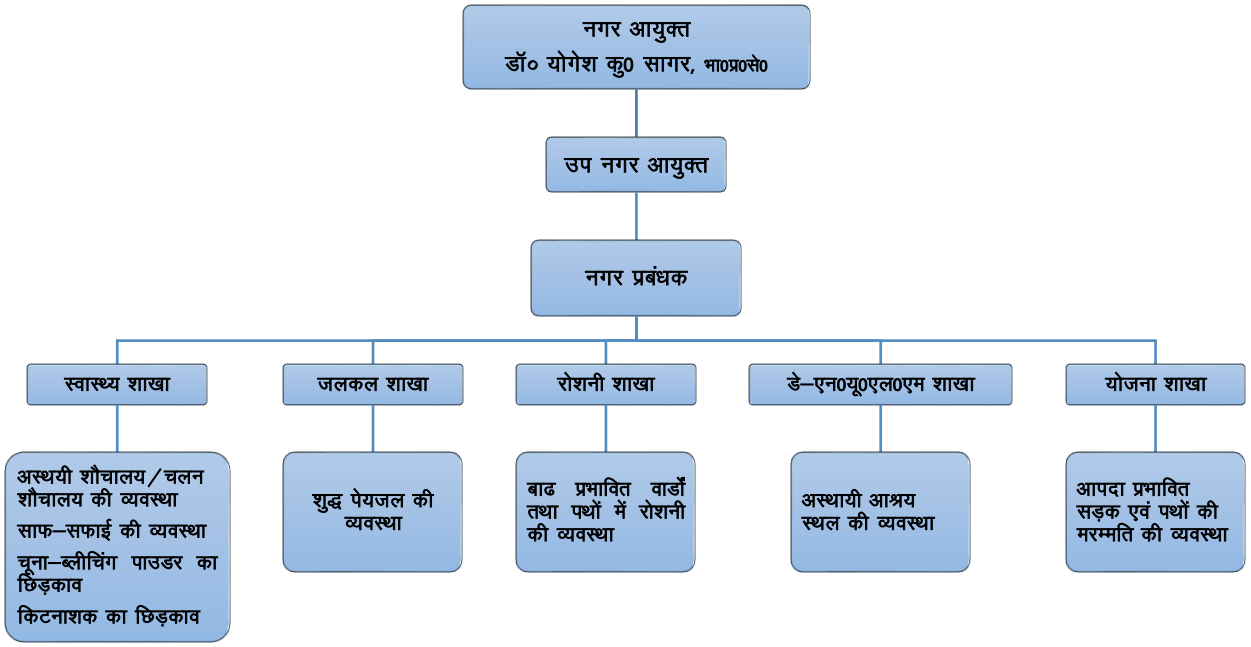

14.अनुलग्नक (ANNEXURE)

14.1 महत्वपूर्ण संपर्क नंबर (Important Contact Numbers)

आपातकालीन संचालन केंद्र, नगर आपदा प्रबंधन समिति के सदस्यो, जिला अधिकारी कार्यालय, आपदा प्रबंधन सेल, नगर कार्यालय, भागलपुर नगर निगम, राजस्व विभाग, अग्नि, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण, पुलिस, और अन्य नोडल सहित नगर स्तर के प्रमुख अधिकारियों, व्यक्तियों और एजेंसियों के नवीनतम महत्वपूर्ण संपर्क नंबर सारणी 14.1.1 में दिये गये हैं।

सारणी 14.1.1: महत्वपूर्ण संपर्क नंबर

.क्र.सं	नाम	पद	पता	फोन
1	श्री दयानिधान पाण्डेय	प्रमंडलीय आयुक्त	भागलपुर	06412401001
2	श्री विवेकानंद	D.I.G	भागलपुर	06412400202
3	श्री सुब्रत कुमार सेन	जिला पदाधिकारी	भागलपुर	9473191381
4	श्री आनंद कुमार	एस.एस.पी भागलपुर	भागलपुर	943180003
5	डॉ योगेश कुमार सागर	नगर आयुक्त	भागलपुर	9473191433
6	श्री सुशांत कुमार सरोज	एस.पी नवगछिया	नवगछिया	9431800005
7	श्री कुमार अनुराग	डी.डी.सी	भागलपुर	9431818374
8	श्री महफूज आलम	अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी		9473191382
9	श्री अरुण प्रकाश	अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी कानूनी जिला पीजीआरओ		8340378305
10	सुश्री अन्नू कुमारी	जिला परिवहन अधिकारी	भागलपुर	9718890939
11	श्री मधुसूदन पासवान	जिला शिक्षा अधिकारी	भागलपुर	854441115
12	श्री दिनेश प्रसाद	प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, नौगछिया	नवगछिया	8084005644
13	श्रीमती नीलिमा कुमारी (आई/सी)	आई/सी अधिकारी मिड डे मील	भागलपुर	9264428989
14	ए.डी.एम विभागीय निरीक्षण	ए.डी.एम विभागीय निरीक्षण	भागलपुर	9473191382 0641-2400891
15	डी.एल.ओ	डी.एल.ओ	भागलपुर	9471660260
16	डी.एस.ओ	डी.एस.ओ	भागलपुर	8877772785
17	वरिष्ठ उप समाहर्ता स्थापना प्रकोष्ठ एवं गोपनीय प्रकोष्ठ	वरिष्ठ उप.समाहर्ता स्थापना प्रकोष्ठ एवं गोपनीय प्रकोष्ठ	भागलपुर	7488061813
18	जिला पंचायत राज अधिकारी	जिला पंचायत राज अधिकारी	भागलपुर	9931471355
19	वरिष्ठ उप समाहर्ता, बंदोबस्त	वरिष्ठ उप समाहर्ता, बंदोबस्त	भागलपुर	9931010833
20	जिला कार्यक्रम अधिकारी–सह–वरिष्ठ उप समाहर्ता	जिला कार्यक्रम अधिकारी–सह–वरिष्ठ उप समाहर्ता	भागलपुर	94313331907
21	वरिष्ठ उप समाहर्ता (विधि अनुभाग)	वरिष्ठ उप समाहर्ता (विधि अनुभाग)	भागलपुर	9473030834

22	वरिष्ठ उप कलेक्टर (सामान्य अनुभाग)	वरिष्ठ उप कलेक्टर (सामान्य अनुभाग)	भागलपुर	8083582966
23	जिला जनसंपर्क अधिकारी	जिला जनसंपर्क अधिकारी	भागलपुर	9430427585
24	आबकारी अधीक्षक भागलपुर	आबकारी अधीक्षक भागलपुर	भागलपुर	9473400621
25	एलडीएम	एल.डी.एम	भागलपुर	9546677120
26	कोषाधिकारी भागलपुर	कोषाधिकारी भागलपुर	भागलपुर	9473191386
27	जिला सहकारिता अधिकारी	जिला सहकारिता अधिकारी	भागलपुर	9470837762
28	सिविल सर्जन	सिविल सर्जन	भागलपुर	9470003118
29	उपायुक्त वाणिज्यिक कर	उपायुक्त वाणिज्यिक कर	भागलपुर	9470001717
30	सरकारी अस्पताल	भागलपुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल	भागलपुर	2409555–0641
31	डॉ. अंजना कुमारी	आरएच पीएचसी नाथनगर	भागलपुर	9470003126
32	भास्कर प्रियदर्शिनी	प्रभारी – बाल विकास	भागलपुर	8210811171
33	विकास कुमार कर्ण	प्रभारी अधिकारी Disaster management cell	भागलपुर	9910783325

स्रोतः भागलपुर नगर निगम

वर्तमान में 13 जिलों में स्थायी रूप से तैनात हैं SDRF (राज्य आपदा मोचन बल):

सूबे के 13 जिले क्रमशः सहरसा, पूर्णिया, भागलपुर, मधुबनी, खगड़िया, सीतामढ़ी, पटना, वैशाली, मुजफ्फरपुर, मधेपुरा, बेगूसराय, सारण और पश्चिमी चंपारण जिले में SDRF की टीम को स्थायी तौर पर प्रतिनियुक्त किया गया है। SDRF बिहार में कुल 690 लोग, 13 जिलों में तैनात हैं। SDRF और NDRF (राष्ट्रीय आपदा मोचन बल) के अधिकारियों के संपर्क नंबर सारणी 14.1.2 में दिये गये हैं।

सारणी 14.1.2:

क्र.सं.	नाम	पद	फोन
1	श्री संजीत कुमार सिंह	इंस्पेक्टर, एस.डी.आर.एफ	8521117200
2	श्री नरेश मंडल	सब इंस्पेक्टर, एस.डी.आर.एफ	8292856438
3	श्री बजीत लाल	सब इंस्पेक्टर, एस.डी.आर.एफ	7277643169
4	श्री दीपक कुमार	इंस्पेक्टर एन.डी.आर.एफ	8544415039
5	श्री सुमन सिंह	सब इंस्पेक्टर एन.डी.आर.एफ	9697656057
6	श्री कौशल किशोर	सब इंस्पेक्टर एन.डी.आर.एफ	7488831795

स्रोतः जिला आपातकालीन संचालन केंद्र

सारणी 14.1.3: अन्य महत्वपूर्ण संपर्क नंबर

विभाग	सम्पर्क करने का विवरण
COVID 19 के लिए जिला नियंत्रण कक्ष भागलपुर	0641–2409555
जिला नियंत्रण कक्ष भागलपुर	0641–2421555 / 2402082
पुलिस नियंत्रण कक्ष भागलपुर	0641–2400701
पुलिस	100
रोगी वाहन	102 108

भारतीय रेलवे (सामान्य जांच)	139
जिज्ञासा (सामान्य जानकारी के लिए)	0612–2233333
कृषि (स्वास्थ्य देखभाल)	0612–2200814
बिहार कृषक आयोग	0612–6452289ध2232062
मुख्य निर्वाचन अधिकारी	0612–2215106
मुख्यमंत्री लोक शिकायत कार्यालय	0612–2205800
जागरूकता	1800110180
बाल सहायता केंद्र	1098
आपदा प्रबंधन नियंत्रण कक्ष	0612–2217305
ऊर्जा विभाग पटना नियंत्रण कक्ष	0612–2285032
खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण	0612–2210902
स्वास्थ्य विभाग	1911 / 102
महादलित आयोग पटना	0612–2521111
मनरेगा ई–शक्ति	18003452245
नफद बिहार	0612–2580103
सड़क निर्माण विभाग	18003456161
ग्रामीण विकास	0612–2210000
महिला हेल्पलाइन नंबर	18003456247 0612–2320047 / 2214318
जिला नियंत्रण कक्ष भागलपुर	2421555–0641
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण	18003456345

स्रोतः भागलपुर नगर निगम

सारणी 14.1.4: भागलपुर में पुलिस स्टेशन

क्र.सं.	पुलिस स्टेशन का नाम और अधिकारी	कार्यालय का फोन	मोबाइल
1	पुलिस स्टेशन महिला		9431671465
2	पुलिस स्टेशन हरिजन	0641–2611549	9431822620
3	पुलिस स्टेशन यातायात		9924793145
4	पुलिस स्टेशन नाथनगर	0641–2500801	9431822621

स्रोतः भागलपुर नगर निगम

सारणी 14.1.5: बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा प्रशिक्षित मास्टर ट्रेनर की सूची

क्र.सं.	नाम	गांव का नाम	संपर्क नंबर
1	नीरज कुमार	इस्माइलपुर	7349963761
2	जितेन्द्र कुमार	तादेर	9570446426
3	बृजेश कुमार	नाथनगर	7479594165
4	सतीश कुमार	इस्माइलपुर	7759895017
5	चंदन कुमार तांती	घोघा	7631831570

स्रोतः बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

478 राजमिस्त्रियों की सूची वेबसाइट पर हैं, केवल 7 राजमिस्त्रियों की सूची दी गई है और शेष लिंक से देखे जा सकते हैं http://bsdma.org/Training-Workshops.aspx?id=1 पर

सारणी 14.1.6: बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा प्रशिक्षित राजमिस्त्री की सूची

क्र.सं.	राजमिस्त्री का नाम	गांव का नाम	आयु	अनुभव	संपर्क नंबर
1	बिपिन प्रसाद सिंह	अमघरता	55	30	7079476468
2	अखिलेश पंडित	तेतरी	53	20	9534655611
3	अजीत कुमार पंडित	तेतरी	45	20	7631255938
4	आनंद सिंह	प्रताप नगर	59	25	9934477741
5	मंटू सिंह	कदवा	49	10	9931356890
6	विनोद कु. सिंह	कदवा	38	10	8210912420
7	रंजीत सिंह	पचरड़िया	35	12	7667096794

स्रोतः बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

जिला स्तर पर प्रमुख हितधारकों के लिए बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा आयोजित महत्वपूर्ण आपदा प्रबंधन और DRR प्रशिक्षण का वेब लिंक निम्नलिखित है http://bsdma.org/Training-Workshops.aspx?id=1

उपरोक्त लिंक से हम आपदा प्रबंधन में प्रशिक्षित अधिकारियों और भागलपुर में प्रशिक्षित राजमिस्त्री की पहचान कर सकते हैं।

सारणी 14.1.7: राहत शिविर की सूची

क्र. सं.	क्षेत्र	राहत शिविर का नाम	पता	शिविर की क्षमता
1	नाथनगर	जन कपूरी छात्रावास, नाथनगर, भागलपुर	कबीरपुर, नाथनगर	650
2	नाथनगर	बाल निकेतन	कंपनीबाग	400
3	नाथनगर	टीला कोठी, भागलपुरी	विश्वविद्यालय, भागलपुर	1500
4	नाथनगर	टी.एन.बी कॉलेजिएट, भागलपुर	नयाबाजार, भागलपुर	800
5	नाथनगर	महाशय ड्योढ़ी, नाथनगर	नाथनगर	1000
6	नाथनगर	चर्च मैदान	नरगा नाथनगर	2400
7	नाथनगर	महादेव सिंह कॉलेज	सराय	600

स्रोतः जिला आपातकालीन संचालन केंद्र, भागलपुर

सारणी 14.1.8: गोताखोरों की सूची, भागलपुर

क्र.सं.	गोताखोरों का नाम	गांव का नाम	संपर्क नंबर
1	कुंदन कुमार	किसनपुर, नाथनगर	8935912872
2	नंदन यादव	किसनपुर, नाथनगर	7643045408
3	मिथिलेश कुमार यादव	किसनपुर, नाथनगर	9341578824
4	संजीत कुमार	किसनपुर, नाथनगर	7079189737
5	निरंजन यादव	किसनपुर, नाथनगर	8986981479
6	विद्यासागर	किसनपुर, नाथनगर	9341578824
7	बृजेश कुमार	किसनपुर, नाथनगर	7488274722
8	सुभाष कुमार	किसनपुर, नाथनगर	6935912872
9	बिपिन कुमार	किसनपुर, नाथनगर	6728285560

10	चंदन कुमार यादव	नवतोलिया, नाथनगर	8051560607
11	बाल्मीकि प्रसाद यादव	नवतोलिया, नाथनगर	8434067369
12	गोविंद कुमार	किसनपुर, नाथनगर	8935912872
13	दिवाकर कुमार	नवतोलिया, नाथनगर	8051560607
14	साजन कुमार	किसनपुर, नाथनगर	6434067369
15	मिथिलेश कुमार	किसनपुर, नाथनगर	7634828562
16	मनोज कुमार	नाथनगर	7549216575
17	विनीत प्रसाद यादव	नवतोलिया, नाथनगर	9798455446
18	नवल किशोर	किसनपुर, नाथनगर	7549275690
19	अमरजीत कुमार	खंजनपुर	7643045408
20	सोनू कुमार	करेला	6205725331
21	धर्मेंद्र कुमार	नाथनगर	7282858556
22	आशीष कुमार	किसनपुर, नाथनगर	6206213525
23	चंदन कुमार	किसनपुर, नाथनगर	7079184737
24	मिठू कुमार	किसनपुर, नाथनगर	7282858556
25	पंकज कुमार यादव	नाथनगर	8809974441

स्रोतः जिला आपातकालीन संचालन केंद्र, भागलपुर

सारणी 14.1.9: भागलपुर आपातकालीन वाहन

क्र. स.	वाहन वर्ग	मालिक का नाम	वर्तमान पता	मोबाइल नंबर	सीट क्षमता
1	खुदाई (वाणिज्यिक)	हरिहर पंडित	गांवः उपरबंध, भागलपुर, बिहार, 813209	8051442513	1
2	फायर टेंडर	डीआईजी सह उप कमांडेंट	होमगार्ड्स हैड क्वार्टर, पटना, बिहार, 800001	7011316036	5
3	फायर टेंडर	डीआईजी सह उप कमांडेंट जनरल	बिहार होम गार्ड्स हैड क्वार्टर, छज्जूबाग, पटना, बिहार, 800001	7011315944	5
4	फायर टेंडर	डीआईजी सह उप कमांडेंट	होम गार्ड और फायर सर्विसेज, बिहार होम गार्ड हैड क्वार्टर, छज्जूबाग पटना, पटना, बिहार, 800001	7011315944	5
5	अग्निशमन वाहन	डीआईजी सह उप कमांडेंट जनरल	होम गार्ड और फायर सर्विसेज, बिहार होम गार्ड्स हैड क्वार्टर, छज्जूबाग, पटना, बिहार, 800001	8207154992	5
6	फायर टेंडर	डीआईजी सह उप कमांडेंट	होम गार्ड और फायर सर्विसेज, बिहार होम गार्ड्स हैड क्वार्टर, पटना, बिहार, 800001	7011316036	5
7	रोगी वाहन	बिजय कुमार गुप्ता	संग्रामपुर, मुंगेर, बिहार, 812001	8709276904	6
8	रोगी वाहन	रणधीर कुमारी	तिनटंगा करी, ब्लॉक–गोपालपुर,	6299330166	5

			भागलपुर, बिहार, 853205		
9	रोगी वाहन	अरुणेश कुमारी	गोपालपुर, भागलपुर, बिहार, 853205	6203626347	5
10	रोगी वाहन	श्याम कुमार पासवान	जोत गोविंद, पीएस– इस्माइलपुर, ब्लॉक– इस्माइलपुर, भागलपुर, बिहार, 853205	8862976113	5
11	रोगी वाहन	शैलेंद्र कुमार	इस्माइलपुर, ब्लॉक– इस्माइलपुर, भागलपुर, बिहार, 853205	6299686473	5
12	रोगी वाहन	सुनील रजाकी	गांव– मधुवन टोला, प्रखंड– प्रिपैंती, भागलपुर, बिहार, 813209	9199635132	5
13	रोगी वाहन	पुरेंद्र कुमार मंडली	गांव– मधुवन टोला, प्रखंड– पीरपैंती, भागलपुर, बिहार, 813209	8578049411	5
14	रोगी वाहन	संतोष कुमार प्रिया	बुद्धूचक, ब्लॉक– कहलगांव, भागलपुर, बिहार, 813222	6205363647	5
15	रोगी वाहन	कुंदन कुमारी	ग्राम– भुवलपुर, भागलपुर, बिहार, 812006	6200490298	5
16	रोगी वाहन	हरिदर्शन कुमारी	वार्ड नं– 13, गांव– सकुचा, नौगछिया, भागलपुर, बिहार, 853204	7870020979	5

17	रोगी वाहन	भगवान दास	गांव– शाहाबाद, बिहपुर, भागलपुर, बिहार, 853203	8676065896	5
18	रोगी वाहन	अंकेश कुमार मंडल	धुआबाई, ब्लॉक– संहौला, भागलपुर, बिहार, 813204	9113429435	5
19	रोगी वाहन	जीवीके आपातकालीन प्रबंधन और अनुसंधानकर्ता	एनटीपीसी, कहलगांव, भागलपुर,बिहार,812001	9648487641	10

स्रोतः भागलपुर परिवहन कार्यालय

सारणी 14.1.10: भागलपुर में आपातकालीन चिकित्सा सेवा प्रदान करने वाले अस्पतालों की सूची

Sr No	District	Name of the Hospital / Clinic	Type of Hospital	Name of Departments / Wards	No of Beds	Owner Name	Contact No. (Mobile No./Tel No.)	Address
1	Bhagalpur	J.P MULTI SPECIALITY HOSPITAL	Private	HEALTH BHAGALPUR	10	DR V.C YADAV	8862804989	CHOTI GOPALPUR NEAR AIRPORT BHAGALPUR
2	Bhagalpur	RAHMAN CLINIC	Private	HEALTH BHAGALPUR	10	DR. ISTIYAJUL RAHMAN	9431214324	TATARPUR BHAGALPUR
3	Bhagalpur	PULSE HOSPITAL	Private	HEALTH BHAGALPUR	35	SUSHIL THAKUR	7004521611	BARARI ROAD BHAGALPUR
4	Bhagalpur	CITY MULTI HOSPITAL	Private	HEALTH BHAGALPUR	9	DR. NITIL SINGH	9931729562	MANALI CHOWK KHANJARPUR BHAGALPUR
5	Bhagalpur	HINDAL HOSPITAL	Private	HEALTH BHAGALPUR	25	DR. NOOR	7903268522	ALIGANJ BHAGALPUR
6	Bhagalpur	PARADISE BHAGALPUR	Private	HEALTH BHAGALPUR	20	DR. RAKESH KUMAR	8271580282	TILKAMANJHI BHAGALPUR
7	Bhagalpur	TAPASWI NURSING HOME	Private	HEALTH BHAGALPUR	25	DR. JOSHI	9431376315	ADAMPUR BHAGALPUR
8	Bhagalpur	SHRIRAM HOSPITAL	Private	HEALTH BHAGALPUR	24	NITISH KUMAR	8825395771	ZERO MILE BHAGALPUR
9	Bhagalpur	C.N.M HOSPITAL	Private	HEALTH BHAGALPUR	30	KRISHNANAD	8826515585	ZERO MILE BHAGALPUR
10	Bhagalpur	GLOCAL HOSPITAL	Private	HEALTH BHAGALPUR	100	PATHAK JI	7302923601	BANSITIKAR, NEAR AIRPORT BHAGALPUR
11	Bhagalpur	PHC GORADIH	Govt	HEALTH BHAGALPUR	6	DR, A K JAISWAL	9470003135	PHC GORADIH
12	Bhagalpur	PHC NARAYANPUR	Govt	HEALTH BHAGALPUR	6	DR. B.K. VIDYARTHI, MOIC	9470003113	PHC NARAYANPUR
13	Bhagalpur	PHC KHARIK	Govt	HEALTH BHAGALPUR	6	DR. KARAM CHAND, MOIC	9470003107	PHC KHARIK
14	Bhagalpur	SHC SHAHKUND	Govt	HEALTH BHAGALPUR	30	DR. SUBODH KUMAR, MOIC	9470003128	SHC SHAHKUND
15	Bhagalpur	SHC JAGDISHPUR	Govt	HEALTH BHAGALPUR	30	DR. ARUN SINHA, MOIC	9470003138	SHC JAGDISHPUR
16	Bhagalpur	SHC SANHAULA	Govt	HEALTH BHAGALPUR	30	DR H K SINGH, MOIC	9934189909	SHC SANHAULA
17	Bhagalpur	SHC SABOUR	Govt	HEALTH BHAGALPUR	30	DR. R K CHAUDHARY, MOIC	9470003114	SHC SABOUR
18	Bhagalpur	SHC ISMAIILPUR	Govt	HEALTH BHAGALPUR	30	DR. SUDHANSHU KUMAR, MOIC	9065279895	SHC ISMAIILPUR
19	Bhagalpur	SHC GOPALPUR	Govt	HEALTH BHAGALPUR	30	DR. SUDHANSHU KUMAR ,MOIC	9470003123	SHC GOPALPUR

20	Bhagalpur	SHC RANGRA	Govt	HEALTH BHAGALPUR	30	DR. RANJAN KUMAR ,MOIC	9470003104	SHC RANGRA
21	Bhagalpur	SHC BIHPUR	Govt	HEALTH BHAGALPUR	30	DR. C P MISHRA ,MOIC	9470003127	SHC BIHPUR
22	Bhagalpur	RH SULTANGANJ	Govt	HEALTH BHAGALPUR	30	DR. J P SINGH ,MOIC	9470003132	RH SULTANGANJ
23	Bhagalpur	RH NATHNAGAR	Govt	HEALTH BHAGALPUR	30	DR. ANJANA KUMARI ,MOIC	9470003126	RH NATHNAGAR
24	Bhagalpur	SDH PIRPAINTI	Govt	HEALTH BHAGALPUR	30	DR. NAGENDRA KUMAR VERMA,	7903459907	RH PIRPAINTI
25	Bhagalpur	SDH KAHALGOAN	Govt	HEALTH BHAGALPUR	30	DR. LAKHAN MURMU, DS KAHALGAON	9835046429	SDH KAHALGOAN
26	Bhagalpur	SDH NAUGACHIA	Govt	HEALTH BHAGALPUR	30	DR. V D ROY, DS NAUGACHIA	9934999944	SDH NAUGACHIA
27	Bhagalpur	SADAR HOSPITAL BHAGALPUR	Govt	HEALTH BHAGALPUR	100	DR. BRAJ KISHOR SINGH	9470003118	SADAR HOSPITAL BHAGALPUR

स्रोत: बिहार राज्य आपदा संसाधन नेटवर्क

सारणी 14.1.11: भागलपुर में खोज और बचाव उपकरणों की सूची

क्रमांक	वस्तु / उपकरण का नाम	आपदा / खतरे में प्रयुक्त उपकरण का नाम	उपलब्ध मात्रा	संपर्क नंबर	पता
1	Inflatable Lighting Tower (Ashaka)	भूकंप, बाढ़, दुर्घटनाएं (रेल, सड़क, वायु), पतन संरचना	1	9910783325	आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ भागलपुर भंडारण कक्ष, भागलपुर
2	MOTOAR BOAT	बाढ़, डूबना / नाव पलटना,	2	9910783325	एसडीआरएफ केंद्र, खिरनी घाट, खंजरपुर, भागलपुर - 812001
3	Net Big	बाढ़, डूबना / नाव पलटना,	2	9910783325	एसडीआरएफ केंद्र, खिरनी घाट, खंजरपुर, भागलपुर - 812001
4	Polythene sheets	भूकंप, बाढ़, संरचना का ढहना, बाढ़, आग, चक्रवाती तूफान, डूबना / नाव पलटना,	13448	9910783325	आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ भागलपुर भंडारण कक्ष
5	Inflatable boat with OBM (FRP)	बाढ़, डूबना / नाव पलटना,	18	9955568113	एसडीआरएफ, खिरनी घाट, खंजरपुर, भागलपुर - 812001
6	Life Jackets	भूकंप, बाढ़, दुर्घटनाएं (रेल, सड़क, वायु),	85	9910783325	डीएम कार्यालय भागलपुर
7	Plate vibrator	भूकंप, बाढ़,	1	7634093203	भागलपुर संपर्क नंबर 7634093203
8	Plate vibrator	भूकंप, बाढ़,	1	9122101717	भागलपुर संपर्क नंबर 9122101717

9	Plate vibrator	भूकंप, बाढ़,	1	9934278722	भागलपुर संपर्क नंबर 9934278722
10	Plate vibrator	भूकंप, बाढ़,	1	7250497418	भागलपुर संपर्क नंबर 7250497418
11	Niddle vibrator	भूकंप, बाढ़,	1	7634093203	भागलपुर संपर्क नंबर 7634093203
12	Niddle vibrator	भूकंप, बाढ़,	1	9122101717	भागलपुर संपर्क नंबर 9122101717
13	Niddle vibrator	भूकंप, बाढ़,	1	9934278722	भागलपुर संपर्क नंबर 9934278722
14	Niddle vibrator	भूकंप, बाढ़,	1	7250497418	भागलपुर संपर्क नंबर 7250497418
15	Mixture Machine	भूकंप, बाढ़,	1	9122101717	भागलपुर संपर्क नंबर 9934278722
16	BATTERY CHARGER	डूबना ६ नाव पलटना, भूकंप, बाढ़, आग, दुर्घटनाएं (रेल, सड़क, वायु),	1	7632067730	फायर स्टेशन भागलपुर
17	HYDENT	भूकंप, बाढ़, आग, चक्रवाती तूफान, दुर्घटनाएं (रेल, सड़क, वायु),	1	7632067730	फायर स्टेशन भागलपुर
18	ROPE	भूकंप, बाढ़, आग, दुर्घटनाएं (रेल, सड़क, वायु), डूबना / नाव पलटना, संरचना का ढहना,	1	7632067730	फायर स्टेशन भागलपुर
19	LARGE AXE	भूकंप, आग, भूकंप, आग,	2	7632067730	फायर स्टेशन भागलपुर
20	SPADE	भूकंप, आग, भूकंप, आग,	2	7632067730	फायर स्टेशन भागलपुर
21	Chisel 01"	भूकंप, आग, दुर्घटनाएं (रेल, सड़क, वायु), डूबना / नाव पलटना,	2	7632067730	फायर स्टेशन भागलपुर
22	Chisel 01"	भूकंप, आग, दुर्घटनाएं (रेल, सड़क, वायु), डूबना / नाव पलटना,	2	7632067730	फायर स्टेशन भागलपुर
23	CEILING HOOK	भूकंप, बाढ़, आग, दुर्घटनाएं (रेल, सड़क, वायु), पतन संरचना,	2	7632067730	फायर स्टेशन भागलपुर
24	ROAD BRAKER	भूकंप, आग, दुर्घटनाएं (रेल, सड़क, वायु),	2	7632067730	फायर स्टेशन भागलपुर
25	D.C.P FIRE EXTINGUISHER	आग, रासायनिक आपदा,	1	7632067730	फायर स्टेशन भागलपुर
26	BOLT CUTTER	भूकंप, आग, दुर्घटनाएं (रेल, सड़क, वायु), पतन संरचना,	1	7632067730	फायर स्टेशन भागलपुर

27	BATTERY	भूकंप, बाढ़, आग, चक्रवाती तूफान, दुर्घटनाएं (रेल, सड़क, वायु), डूबना / नाव पलटना, संरचना का ढहना,	1	7632067730	फायर स्टेशन भागलपुर
28	WIRELESS SET	भूकंप, बाढ़, आग, चक्रवाती तूफान, दुर्घटनाएं (रेल, सड़क, वायु), डूबना / नाव पलटना, ढहना संरचना, रासायनिक आपदा, जैविक आपदा, रेडियोलॉजिकल आपदा, परमाणु आपदा,	1	7632067730	फायर स्टेशन भागलपुर
29	GENERATER	भूकंप, बाढ़, आग, दुर्घटनाएं (रेल, सड़क, वायु),	1	7632067730	फायर स्टेशन भागलपुर
30	HOGE PIPE	भूकंप, बाढ़, आग, दुर्घटनाएं (रेल, सड़क, वायु), डूबना / नाव पलटना, संरचना का ढहना,	10	7632067730	फायर स्टेशन भागलपुर
31	LADDER	भूकंप, आग, दुर्घटनाएं (रेल, सड़क, वायु),	2	7632067730	फायर स्टेशन भागलपुर
32	Water Tender	आग, दुर्घटनाएं (रेल, सड़क, वायु), परमाणु आपदा, आग, दुर्घटनाएं (रेल, सड़क, वायु), आग,	2	7485805900	फायर स्टेशन भागलपुर
33	LETHER HAND GLOVES	आग, दुर्घटनाएं (रेल, सड़क, वायु),	2	6429226684	फायर स्टेशन भागलपुर
34	RUBER HAND GLAVES	भूकंप, आग, दुर्घटनाएं (रेल, सड़क, वायु),	2	6429226684	फायर स्टेशन भागलपुर
35	HOGE PIPE	भूकंप, बाढ़, आग, दुर्घटनाएं (रेल, सड़क, वायु), डूबना / नाव पलटना, संरचना का ढहना,	9	6412420202	फायर स्टेशन भागलपुर
36	BOLT CUTTER	भूकंप, आग, दुर्घटनाएं (रेल, सड़क, वायु), पतन संरचना,	1	6429226684	फायर स्टेशन भागलपुर

37	BOLT CUTTER	भूकंप, आग, दुर्घटनाएं (रेल, सड़क, वायु), पतन संरचना,	5	6412420202	फायर स्टेशन भागलपुर
38	DOOR BREAKER	भूकंप, आग, दुर्घटनाएं (रेल, सड़क, वायु), डूबना / नाव पलटना, आग,	10	6412420202	फायर स्टेशन भागलपुर
39	SPADE	भूकंप, आग, भूकंप, आग,	1	6429226684	फायर स्टेशन भागलपुर
40	SPADE	भूकंप, आग, भूकंप, आग,	3	6412420202	फायर स्टेशन भागलपुर
41	PICKAXE	भूकंप, आग,	1	6429226684	फायर स्टेशन भागलपुर
42	PICKAXE	भूकंप, आग,	4	6412420202	फायर स्टेशन भागलपुर
43	LARGE AXE	भूकंप, आग, भूकंप, आग,	1	6429226684	फायर स्टेशन भागलपुर
44	LARGE AXE	भूकंप, आग, भूकंप, आग,	6	6412420202	फायर स्टेशन भागलपुर
45	FIRE MAN AXE	आग, दुर्घटनाएं (रेल, सड़क, वायु), बाढ़, आग,	1	6429226684	फायर स्टेशन भागलपुर
46	FIRE MAN AXE	आग, दुर्घटनाएं (रेल, सड़क, वायु), बाढ़, आग,	10	6412420202	फायर स्टेशन भागलपुर
47	CROW BAR	भूकंप, आग, दुर्घटनाएं (रेल, सड़क, वायु), भूकंप, बाढ़, डूबना / नाव पलटना,	2	6429226684	फायर स्टेशन भागलपुर
48	CROW BAR	भूकंप, आग, दुर्घटनाएं (रेल, सड़क, वायु), भूकंप, बाढ़, डूबना / नाव पलटना,	6	6412420202	फायर स्टेशन भागलपुर
49	ROPE	भूकंप, बाढ़, आग, दुर्घटनाएं (रेल, सड़क, वायु), डूबना / नाव पलटना, संरचना का ढहना,	2	6412420202	फायर स्टेशन भागलपुर
50	Thermal Imaging camera	भूकंप, बाढ़, आग, चक्रवाती तूफान, दुर्घटनाएं (रेल, सड़क, वायु), पतन संरचना, आग,	1	6412420202	फायर स्टेशन भागलपुर
51	MANNUAL COMBI TOOLS	भूकंप, आग,	1	6429226684	फायर स्टेशन भागलपुर
52	MANNUAL COMBI TOOLS	भूकंप, आग,	1	6412420202	फायर स्टेशन भागलपुर

53	B.A SET (BREATHING APPARATUS)	भूकंप, आग, दुर्घटनाएं (रेल, सड़क, वायु), रासायनिक आपदा, परमाणु आपदा,	4	6412420202	फायर स्टेशन भागलपुर
54	LADDER	भूकंप, आग, दुर्घटनाएं (रेल, सड़क, वायु),	2	6429226684	फायर स्टेशन भागलपुर
55	LADDER	भूकंप, आग, दुर्घटनाएं (रेल, सड़क, वायु),	12	6412420202	फायर स्टेशन भागलपुर
56	FIRE MIST-TECHNOLOGY	आग, दुर्घटनाएं (रेल, सड़क, वायु), रासायनिक आपदा,	3	6429226684	फायर स्टेशन भागलपुर
57	FIRE MIST-TECHNOLOGY	आग, दुर्घटनाएं (रेल, सड़क, वायु), रासायनिक आपदा,	4	7485805900	फायर स्टेशन भागलपुर
58	FIRE MIST-TECHNOLOGY	आग, दुर्घटनाएं (रेल, सड़क, वायु), रासायनिक आपदा,	9	6412420202	फायर स्टेशन भागलपुर
59	FIRE WATER BOWSER	भूकंप, आग, दुर्घटनाएं (रेल, सड़क, वायु),	1	6412420202	फायर स्टेशन भागलपुर
60	RESCUE TENDER	भूकंप, आग, चक्रवाती तूफान, दुर्घटनाएं (रेल, सड़क, वायु), पतन संरचना, रासायनिक आपदा,	1	6412420202	फायर स्टेशन भागलपुर
61	Water Tender	आग, दुर्घटनाएं (रेल, सड़क, वायु), परमाणु आपदा, आग, दुर्घटनाएं (रेल, सड़क, वायु), आग,	2	6429226684	फायर स्टेशन भागलपुर
62	Water Tender	आग, दुर्घटनाएं (रेल, सड़क, वायु), परमाणु आपदा, आग, दुर्घटनाएं (रेल, सड़क, वायु), आग,	2	4785805900	फायर स्टेशन भागलपुर
63	FOME TENDER	आग, रासायनिक आपदा,	1	6412420202	फायर स्टेशन भागलपुर
64	Water Tender	आग, दुर्घटनाएं (रेल, सड़क, वायु), परमाणु आपदा, आग, दुर्घटनाएं (रेल, सड़क, वायु), आग,	5	6412420202	फायर स्टेशन भागलपुर
65	ROPE	भूकंप, बाढ़, आग, दुर्घटनाएं (रेल, सड़क, वायु), डूबना / नाव	1	9546237870	फायर स्टेशन बाढ़, पटना

		पलटना, संरचना का ढहना,			
66	AUTO CLAVE HP HORIZONTAL 400X600 MM	भूकंप, दुर्घटनाएं (रेल, सड़क, वायु), पतन संरचना,	1	9470002753	एसडीआरएफ एचपीसीएल बिहटा पटना 80110 के पास
67	FLEXIBLE SPLINT	भूकंप, बाढ़, दुर्घटनाएं (रेल, सड़क, वायु), पतन संरचना,	12	9470002753	एसडीआरएफ एचपीसीएल बिहटा पटना 801103 के पास
68	RIGID SPLINT	भूकंप, बाढ़, दुर्घटनाएं (रेल, सड़क, वायु), पतन संरचना,	1	9470002753	एसडीआरएफ एचपीसीएल बिहटा पटना 801103 के पास
69	PNUMETIC SPLINT	भूकंप, बाढ़, दुर्घटनाएं (रेल, सड़क, वायु), पतन संरचना,	1	9470002753	एसडीआरएफ एचपीसीएल बिहटा पटना 801103 के पास
70	FACE MASK	भूकंप, आग, दुर्घटनाएं (रेल, सड़क, वायु),	100	9470002753	एसडीआरएफ एचपीसीएल बिहटा पटना 801103 के पास
71	CPR MASK	भूकंप, दुर्घटनाएं (रेल, सड़क, वायु),	1	9470002753	एसडीआरएफ एचपीसीएल बिहटा पटना 801103 के पास
72	BLACK CAT TORCH	बाढ़ ,	1	9470002753	एसडीआरएफ एचपीसीएल बिहटा पटना 801103 के पास
73	OXYGEN CYLINDER	भूकंप, बाढ़, आग, दुर्घटनाएं (रेल, सड़क, वायु), पतन संरचना, रासायनिक आपदा, जैविक आपदा, भूकंप, आग, चक्रवाती तूफान, दुर्घटनाएं (रेल, सड़क, वायु), पतन संरचना, भूकंप , बाढ़, दुर्घटनाएं (रेल, सड़क, वायु), पतन संरचना,	2	9470002753	एसडीआरएफ एचपीसीएल बिहटा पटना 801103 के पास
74	FIRST ADD BOX	भूकंप, बाढ़, आग, दुर्घटनाएं (रेल, सड़क, वायु), पतन संरचना,	2	9470002753	एसडीआरएफ एचपीसीएल बिहटा पटना 801103 के पास
75	CERVICAL COLLAR (SHORT, TALL REGULAR,PEDRETIC)	भूकंप, दुर्घटनाएं (रेल, सड़क, वायु), पतन संरचना,	10	9470002753	एसडीआरएफ एचपीसीएल बिहटा पटना 801103 के पास
76	TRIAGE RIBBON (RED,YELLOW , GREEN,BLACK)	भूकंप, दुर्घटनाएं (रेल, सड़क, वायु), पतन संरचना,	20	9470002753	एसडीआरएफ एचपीसीएल बिहटा पटना 801103 के पास

77	ARTERY FORSHEP CURVED	भूकंप, बाढ़, दुर्घटनाएं (रेल, सड़क, वायु), पतन संरचना,	1	9470002753	एसडीआरएफ एचपीसीएल बिहटा पटना 801103 के पास
78	ROLLER BANDAGE 6"	भूकंप, दुर्घटनाएं (रेल, सड़क, वायु),	2 पैकेट	9470002753	एसडीआरएफ एचपीसीएल बिहटा पटना 801103 के पास
79	LATEX GLOVE	भूकंप, दुर्घटनाएं (रेल, सड़क, वायु),	2 पैकेट	7004013180	एसडीआरएफ एचपीसीएल बिहटा पटना 801103 के पास
80	HANDIPLAST	भूकंप, दुर्घटनाएं (रेल, सड़क, वायु), पतन संरचना,	2	9470002753	एसडीआरएफ एचपीसीएल बिहटा पटना 801103 के पास
81	CRACK BANDAGE SMALL	भूकंप, बाढ़, आग, दुर्घटनाएं (रेल, सड़क, वायु), पतन संरचना,	5	9470002753	एसडीआरएफ एचपीसीएल बिहटा पटना 801103 के पास
82	CRACK BANDAGE BIG	भूकंप, बाढ़, चक्रवाती तूफान, दुर्घटनाएं (रेल, सड़क, वायु), पतन संरचना,	9	9470002753	एसडीआरएफ एचपीसीएल बिहटा पटना 801103 के पास
83	ARTERY FORTHEP STRAIGHT	भूकंप, दुर्घटनाएं (रेल, सड़क, वायु), पतन संरचना,	1	9470002753	एसडीआरएफ नियर एचपीसीएल बिहटा पटना 801103 (बिहार)
84	BITE STICK	दुर्घटनाएं (रेल, सड़क, वायु),	1	9470002753	एसडीआरएफ नियर एचपीसीएल बिहटा पटना 801103 (बिहार)
85	ADHESIVE TAPE SMALL	भूकंप, बाढ़, दुर्घटनाएं (रेल, सड़क, वायु), पतन संरचना,	5	9470002753	एसडीआरएफ नियर एचपीसीएल बिहटा पटना 801103 (बिहार)
86	ADHESIVE TAPE BIG	भूकंप, दुर्घटनाएं (रेल, सड़क, वायु), पतन संरचना,	5	9470002753	एसडीआरएफ नियर एचपीसीएल बिहटा पटना 801103 (बिहार)
87	KIDENY TRAY	भूकंप, दुर्घटनाएं (रेल, सड़क, वायु), पतन संरचना,	1	9470002753	एसडीआरएफ नियर एचपीसीएल बिहटा पटना 801103 (बिहार)
88	S.S. TRAY SMALL	भूकंप, बाढ़, दुर्घटनाएं (रेल, सड़क, वायु), पतन संरचना,	1	9470002753	एसडीआरएफ नियर एचपीसीएल बिहटा पटना 801103 (बिहार)
89	URINE CANA	भूकंप, दुर्घटनाएं (रेल, सड़क, वायु), पतन संरचना,	1	9470002753	एसडीआरएफ नियर एचपीसीएल बिहटा पटना 801103 (बिहार)
90	DIGITAL THEMOMETER	बाढ़, दुर्घटनाएं (रेल, सड़क, वायु),	1	9470002753	एसडीआरएफ नियर एचपीसीएल बिहटा पटना 801103 (बिहार)

91	PARMMEDICAL SEIZER	भूकंप, बाढ़, आग, दुर्घटनाएं (रेल, सड़क, वायु), पतन संरचना,	1	9470002753	एसडीआरएफ नियर एचपीसीएल बिहटा पटना 801103 (बिहार)
92	TRIANGULAR BANDAGE	भूकंप, दुर्घटनाएं (रेल, सड़क, वायु), पतन संरचना,	34	9470002753	एसडीआरएफ नियर एचपीसीएल बिहटा पटना 801103 (बिहार)
93	PEN LIGHT	भूकंप, बाढ़, दुर्घटनाएँ (रेल, सड़क, वायु), पतन संरचना, रासायनिक आपदा, जैविक आपदा, भूकंप, बाढ़, दुर्घटनाएँ (रेल, सड़क, वायु), पतन संरचना,	1	9470002753	एसडीआरएफ नियर एचपीसीएल बिहटा पटना 801103 (बिहार)
94	GAUGE DRESSING	भूकंप, बाढ़, आग, दुर्घटनाएं (रेल, सड़क, वायु), पतन संरचना,	4	9470002753	एसडीआरएफ नियर एचपीसीएल बिहटा पटना 801103 (बिहार)
95	CHILD BIRTH KIT	बाढ़ ,	4	9470002753	एसडीआरएफ नियर एचपीसीएल बिहटा पटना 801103 (बिहार)
96	BAG VALVE MASK (1 SMALL, 1 BIG	भूकंप, आग, दुर्घटनाएं (रेल, सड़क, वायु),	2	9470002753	एसडीआरएफ नियर एचपीसीएल बिहटा पटना 801103 (बिहार)
97	AIRWAY OROPHENGOL (0-4)	दुर्घटनाएं (रेल, सड़क, वायु),	4	9470002753	एसडीआरएफ नियर एचपीसीएल बिहटा पटना 801103 (बिहार)
98	JELONET	दुर्घटनाएं (रेल, सड़क, वायु),	1	9470002753	एसडीआरएफ नियर एचपीसीएल बिहटा पटना 801103 (बिहार)
99	B.P. APPARATUS DIGITAL	भूकंप, दुर्घटनाएं (रेल, सड़क, वायु),	1	9470002753	एसडीआरएफ नियर एचपीसीएल बिहटा पटना 801103 (बिहार)
100	B.P. Apparatus with dial	भूकंप, दुर्घटनाएँ (रेल, सड़क, वायु), डूबना / नाव पलटना,	2	9470002753	एसडीआरएफ नियर एचपीसीएल बिहटा पटना 801103 (बिहार)
101	SATETHO SCOPE	भूकंप, बाढ़, आग, दुर्घटनाएं (रेल, सड़क, वायु), पतन संरचना,	2	9470002753	एसडीआरएफ नियर एचपीसीएल बिहटा पटना 801103 (बिहार)
102	MFR BAG	भूकंप, बाढ़, आग, चक्रवाती तूफान, दुर्घटनाएं (रेल, सड़क, वायु), पतन संरचना, रासायनिक आपदा, जैविक आपदा, रेडियोलॉजिकल	3	9470002753	एसडीआरएफ कैंप लाई रोड एचपीसीएल बिहटा के पास, जिला - पटना - 801103 (बिहार) टेलीफोन / फैक्स नंबर - 06115252028

		आपदा, परमाणु आपदा,			
103	umbrella	बाढ़ ,	5	9470002753	एसडीआरएफ कैंप लाई रोड एचपीसीएल बिहटा के पास, जिला - पटना - 801103 (बिहार) टेलीफोन / फैक्स नंबर - 06115252028 ईमेल आईडी - sdrfbihar125@gmail.com
104	repair kit	बाढ़, डूबना / नाव पलटना, ढहना संरचना,	6	9470002753	एसडीआरएफ कैंप लाई रोड एचपीसीएल बिहटा के पास, जिला - पटना - 801103 (बिहार) टेलीफोन / फैक्स नंबर - 06115252028 ईमेल आईडी - sdrfbihar125@gmail.com
105	obm rack wooden	बाढ़, डूबना / नाव पलटना,	1	9470002753	एसडीआरएफ कैंप लाई रोड एचपीसीएल बिहटा के पास, जिला - पटना - 801103 (बिहार) टेलीफोन / फैक्स नंबर - 06115252028 ईमेल आईडी - sdrfbihar125@gmail.com
106	bansi	बाढ़ ,	3	जिला विद्यालय भागलपुर	एसडीआरएफ कैंप लाई रोड एचपीसीएल बिहटा के पास, जिला - पटना - 801103 (बिहार) टेलीफोन / फैक्स नंबर - 06115252028 ईमेल आईडी - sdrfbihar125@gmail.com
107	oxygen cylinder	भूकंप, बाढ़, आग, दुर्घटनाएं (रेल, सड़क, वायु), पतन संरचना, रासायनिक आपदा, जैविक आपदा, रेडियोलॉजिकल आपदा, परमाणु आपदा, भूकंप, आग, चक्रवाती तूफान, दुर्घटनाएं (रेल, सड़क, वायु), पतन संरचना,	2	9470002753	एसडीआरएफ कैंप लाई रोड एचपीसीएल बिहटा के पास, जिला - पटना - 801103 (बिहार) टेलीफोन / फैक्स नंबर - 06115252028 ईमेल आईडी - sdrfbihar125@gmail.com

		भूकंप , बाढ़, दुर्घटनाएं (रेल, सड़क, वायु), पतन संरचना,			
108	deep diving set	बाढ़ ,	2	9470002753	एसडीआरएफ कैंप लाई रोड एचपीसीएल बिहटा के पास, जिला - पटना - 801103 (बिहार) टेलीफोन / फैक्स नंबर - 06115252028 ईमेल आईडी - sdrfbihar125@gmail.com
109	battery charger	डूबना/नाव पलटना, भूकंप, बाढ़, आग, दुर्घटनाएं (रेल, सड़क, वायु),	5	जिला विद्यालय भागलपुर	एसडीआरएफ कैंप लाई रोड एचपीसीएल बिहटा के पास, जिला - पटना - 801103 (बिहार) टेलीफोन / फैक्स नंबर - 06115252028 ईमेल आईडी - sdrfbihar125@gmail.com
110	battery charger (4.5 amp)	डूबना / नाव पलटना,	1	9470002753	एसडीआरएफ कैंप लाई रोड एचपीसीएल बिहटा के पास, जिला - पटना - 801103 (बिहार) टेलीफोन / फैक्स नंबर - 06115252028
111	battery blower	डूबना / नाव पलटना,	5	9470002753	एसडीआरएफ कैंप लाई रोड एचपीसीएल बिहटा के पास, जिला - पटना - 801103 (बिहार) टेलीफोन / फैक्स नंबर - 06115252028
112	bettery 12 volt	डूबना / नाव पलटना,	5	9470002753	एसडीआरएफ लाई रोड बिहटा पटना 801103
113	rain coat	बाढ़ ,	10	9470002753	एसडीआरएफ बिहटा पटना 801103
114	spanner 16"-17"	डूबना / नाव पलटना,	6	9470002753	एसडीआरएफ बिहटा पटना
115	jhaggar	बाढ़ ,	3	9470002753	एसडीआरएफ बिहटा पटना
116	foot pump	डूबना / नाव पलटना, बाढ़, चक्रवाती तूफान, डूबना / नाव पलटना,	6	9470002753	एसडीआरएफ कैंप लाई रोड बिहटा, एचपीसीएल के पास
117	safety rope	भूकंप, आग, डूबना / नाव पलटना,	6	9470002753	एसडीआरएफ कैंप लाई रोड बिहटा, एचपीसीएल के पास
118	fuel tank	डूबना / नाव पलटना, बाढ़, चक्रवाती तूफान, डूबना / नाव पलटना,	6	9470002753	एसडीआरएफ कैंप लाई रोड बिहटा, एचपीसीएल के पास

119	fuel pipe	बाढ़, डूबना / नाव पलटना,	6	9470002753	एसडीआरएफ कैंप लाई रोड बिहटा, एचपीसीएल के पास
120	chappu	डूबना / नाव पलटना, बाढ़, चक्रवाती तूफान, डूबना / नाव पलटना,	10	9470002753	एसडीआरएफ कैंप लाई रोड बिहटा, एचपीसीएल के पास
121	flore plate	बाढ़, डूबना / नाव पलटना,	5	9470002753	एसडीआरएफ कैंप लाई रोड बिहटा, एचपीसीएल के पास
122	channel	डूबना / नाव पलटना, भूकंप, बाढ़, डूबना / नाव पलटना, ढांचा ढहना,	10	9470002753	एसडीआरएफ कैंप लाई रोड बिहटा, एचपीसीएल के पास
123	Jerycane 35 Ltr	संक्षिप्त संरचना,	3	9470002753	एसडीआरएफ कैंप लाई रोड बिहटा, एचपीसीएल के पास
124	Come along strachure folding	आग, दुर्घटनाएं (रेल, सड़क, वायु), पतन संरचना,	1	9470002753	एसडीआरएफ कैंप लाई रोड बिहटा, एचपीसीएल के पास
125	come along lifting harness	संक्षिप्त संरचना,	2	9470002753	एसडीआरएफ कैंप लाई रोड बिहटा, एचपीसीएल के पास
126	Level 12"	संक्षिप्त संरचना,	7	9470002753	एसडीआरएफ कैंप लाई रोड बिहटा, एचपीसीएल के पास
127	Poly propylene nylon rope 12mm	भूकंप, आग, दुर्घटनाएं (रेल, सड़क, वायु), पतन संरचना,	100 मी	9470002753	एसडीआरएफ कैंप लाई रोड बिहटा, एचपीसीएल के पास
128	Poly propylene nylon rope 14mm	भूकंप, आग, दुर्घटनाएं (रेल, सड़क, वायु), पतन संरचना,	50 मीटर	9470002753	एसडीआरएफ कैंप लाई रोड बिहटा, एचपीसीएल के पास
130	Safety cone	आग, दुर्घटनाएं (रेल, सड़क, वायु), पतन संरचना,	5	9470002753	एसडीआरएफ कैंप लाई रोड बिहटा, एचपीसीएल के पास
131	Chisel 01"	भूकंप, आग, दुर्घटनाएं (रेल, सड़क, वायु), डूबना / नाव पलटना,	6	9470002753	एसडीआरएफ कैंप लाई रोड बिहटा, एचपीसीएल के पास
132	Hacksaw blade	भूकंप, बाढ़, दुर्घटनाएं (रेल, सड़क, वायु), पतन संरचना,	6	9470002753	एसडीआरएफ कैंप लाई रोड बिहटा, एचपीसीएल के पास
133	carpenter hammer	डूबना / नाव पलटना,	8	9470002753	एसडीआरएफ कैंप लाई रोड बिहटा, एचपीसीएल के पास
134	Spade Kudal	भूकंप, बाढ़, आग, दुर्घटनाएं (रेल, सड़क, वायु), पतन संरचना,	12	9470002753	एसडीआरएफ कैंप लाई रोड बिहटा, एचपीसीएल के पास
135	Spade swale	भूकंप, बाढ़, आग, ढहने की संरचना,	9	9470002753	एसडीआरएफ कैंप लाई रोड बिहटा, एचपीसीएल के पास
136	pick matock (gaitti)	भूकंप, दुर्घटनाएं (रेल, सड़क, वायु), पतन संरचना,	6	9470002753	एसडीआरएफ कैंप लाई रोड बिहटा, एचपीसीएल के पास

137	yellow Rope 14mm	भूकंप, पतन संरचना,	1	9470002753	एसडीआरएफ कैंप लाई रोड बिहटा, एचपीसीएल के पास
138	Makita tool kit	संक्षिप्त संरचना,	3	9470002753	एसडीआरएफ कैंप लाई रोड बिहटा, एचपीसीएल के पास
139	Plastic jarycane 10Ltr	आग ,	2	9470002753	एसडीआरएफ कैंप लाई रोड बिहटा, एचपीसीएल के पास
140	Iron Rack (big)	भूकंप, बाढ़, आग,	2	9470002753	एसडीआरएफ कैंप लाई रोड बिहटा, एचपीसीएल के पास
141	stabilizer 110 volt	भूकंप, दुर्घटनाएं (रेल, सड़क, वायु), पतन संरचना,	6	9470002753	एसडीआरएफ कैंप लाई रोड बिहटा, एचपीसीएल के पास
142	steel box (small)	संक्षिप्त संरचना,	17	9470002753	एसडीआरएफ कैंप लाई रोड बिहटा, एचपीसीएल के पास
143	Funnel (kip)	संक्षिप्त संरचना,	10	9470002753	एसडीआरएफ कैंप लाई रोड बिहटा, एचपीसीएल के पास
144	Extention cord	भूकंप, दुर्घटनाएं (रेल, सड़क, वायु), पतन संरचना,	6	9470002753	एसडीआरएफ कैंप लाई रोड बिहटा, एचपीसीएल के पास
145	hand saw	संक्षिप्त संरचना,	6	9470002753	एसडीआरएफ कैंप लाई रोड बिहटा, एचपीसीएल के पास
146	search light	भूकंप, बाढ़, आग, दुर्घटनाएँ (रेल, सड़क, वायु), ढहने की संरचना, भूकंप, बाढ़, आग, चक्रवाती तूफान, दुर्घटनाएँ (रेल, सड़क, वायु), डूबना / नाव पलटना,	4	9470002753	एसडीआरएफ कैंप लाई रोड बिहटा, एचपीसीएल के पास
147	mega phone (ahuja)	भूकंप, आग, दुर्घटनाएं (रेल, सड़क, वायु), पतन संरचना,	6	9470002753	एसडीआरएफ कैंप लाई रोड बिहटा, एचपीसीएल के पास
148	hydrolic tools combination cutter, spreader, pump	भूकंप, दुर्घटनाएं (रेल, सड़क, वायु), पतन संरचना,	1	9470002753	एसडीआरएफ कैंप लाई रोड बिहटा, एचपीसीएल के पास
149	Generator Set 2.5 Kva	भूकंप, दुर्घटनाएं (रेल, सड़क, वायु), पतन संरचना,	2	9470002753	एसडीआरएफ कैंप लाई रोड बिहटा, एचपीसीएल के पास
150	came along 1.5 tons	संक्षिप्त संरचना,	1	9470002753	एसडीआरएफ कैंप लाई रोड बिहटा, एचपीसीएल के पास
151	tower light	भूकंप, बाढ़, आग, दुर्घटनाएं (रेल, सड़क, वायु), पतन संरचना,	2	9470002753	एसडीआरएफ कैंप लाई रोड बिहटा, एचपीसीएल के पास
152	hydrolic jack	भूकंप, दुर्घटनाएं (रेल, सड़क, वायु), पतन संरचना,	1	9470002753	एसडीआरएफ कैंप लाई रोड बिहटा, एचपीसीएल के पास

153	Carcular Saw	भूकंप, दुर्घटनाएं (रेल, सड़क, वायु), पतन संरचना,	6	9470002753	एसडीआरएफ कैंप लाई रोड एचपीसीएल बिहटा के पास, जिला - पटना - 801103 (बिहार) टेलीफोन / फैक्स नंबर - 06115252028
154	Carcular Saw	भूकंप, दुर्घटनाएं (रेल, सड़क, वायु), पतन संरचना,	6	9470002753	एसडीआरएफ कैंप लाई रोड एचपीसीएल बिहटा के पास, जिला - पटना - 801103 (बिहार) टेलीफोन / फैक्स नंबर - 06115252028
155	Reci Procating Saw (Bosch)	भूकंप, दुर्घटनाएं (रेल, सड़क, वायु), पतन संरचना,	7	9470002753	एसडीआरएफ कैंप लाई रोड एचपीसीएल बिहटा के पास, जिला - पटना - 801103 (बिहार) टेलीफोन / फैक्स नंबर - 06115252028
156	Cordless Drill Machine (Bosch)	भूकंप, दुर्घटनाएं (रेल, सड़क, वायु), पतन संरचना,	1	9470002753	एसडीआरएफ कैंप लाई रोड एचपीसीएल बिहटा के पास, जिला - पटना - 801103 (बिहार) टेलीफोन / फैक्स नंबर - 06115252028
157	Chippingh Hammer Heavy Weight 25-30 k	भूकंप, बाढ़, दुर्घटनाएं (रेल, सड़क, वायु), पतन संरचना,	2	9470002753	एसडीआरएफ, बिहटा, पटना
158	Electric Drill Machine (bosch)	भूकंप, बाढ़, दुर्घटनाएं (रेल, सड़क, वायु), पतन संरचना,	2	9470002753	एसडीआरएफ, बिहटा, पटना
159	Airway Oral 60 mm / 80mm / 90mm / 100mm (Set)	दुर्घटनाएं (रेल, सड़क, वायु), दुर्घटनाएं (रेल, सड़क, वायु),	5	9470002753	एसडीआरएफ कैंप लाई रोड एचपीसीएल बिहटा के पास, जिला - पटना - 801103 (बिहार
160	Glasses Eye Protection	भूकंप, आग, दुर्घटनाएं (रेल, सड़क, वायु), पतन संरचना,	50	9470002753	एसडीआरएफ कैंप लाई रोड एचपीसीएल बिहटा के पास, जिला - पटना - 801103 (बिहार
161	Safety Helmet	भूकंप, बाढ़, आग, दुर्घटनाएँ (रेल, सड़क, वायु), ढहने की संरचना, भूकंप, बाढ़, आग, चक्रवाती तूफान, दुर्घटनाएँ (रेल, सड़क, वायु), डूबना / नाव पलटना, ढहना संरचना, रासायनिक आपदा, जैविक आपदा,	30	9470002753	एसडीआरएफ कैंप लाई रोड एचपीसीएल बिहटा के पास, जिला - पटना - 801103 (बिहार

		रेडियोलॉजिकल आपदा, परमाणु आपदा,			
162	Life buoys	बाढ़, डूबना / नाव पलटना,	10	9470002753	एसडीआरएफ कैंप लाई रोड एचपीसीएल बिहटा के पास, जिला - पटना - 801103 (बिहार
163	Life Jackets	बाढ़, डूबना / नाव पलटना, दुर्घटनाएँ (रेल, सड़क, वायु),	70	9470002753	एसडीआरएफ कैंप लाई रोड एचपीसीएल बिहटा के पास, जिला - पटना - 801103 (बिहार
164	Inflatable boat with OBM (FRP)	बाढ़, डूबना / नाव पलटना,	5	9470002753	एसडीआरएफ कैंप लाई रोड एचपीसीएल बिहटा के पास, जिला - पटना - 801103 (बिहार
165	Oxygen Cylinder	भूकंप, बाढ़, आग, दुर्घटनाएं (रेल, सड़क, वायु), पतन संरचना, रासायनिक आपदा, जैविक आपदा, रेडियोलॉजिकल आपदा, परमाणु आपदा, भूकंप, आग, चक्रवाती तूफान, दुर्घटनाएं (रेल, सड़क, वायु), पतन संरचना, भूकंप , बाढ़, दुर्घटनाएं (रेल, सड़क, वायु), पतन संरचना,	2	9470002753	एसडीआरएफ कैंप लाई रोड एचपीसीएल बिहटा के पास, जिला - पटना - 801103 (बिहार)
166	Bullet chain saw	भूकंप, भूकंप, आग, दुर्घटनाएं (रेल, सड़क, वायु), पतन संरचना,	2	9470002753	एसडीआरएफ कैंप लाई रोड एचपीसीएल बिहटा के पास, जिला - पटना - 801103 (बिहार)
167	Generator Portable 2500 W Kerosence fuel	भूकंप, बाढ़, आग, चक्रवाती तूफान, पतन संरचना, रासायनिक आपदा, जैविक आपदा,	2	9470002753	एसडीआरएफ कैंप लाई रोड एचपीसीएल बिहटा के पास, जिला - पटना - 801103 (बिहार)
168	Rope Manila	संक्षिप्त संरचना,	3	9470002753	एसडीआरएफ कैंप लाई रोड एचपीसीएल बिहटा के पास, जिला - पटना - 801103 (बिहार
169	Full body harness	बाढ़, पतन संरचना,	3	9470002753	एसडीआरएफ कैंप लाई रोड एचपीसीएल बिहटा के पास,

					जिला - पटना - 801103 (बिहार)
170	Nose Mask	भूकंप, बाढ़, आग, चक्रवाती तूफान, दुर्घटनाएं (रेल, सड़क, वायु), डूबना / नाव पलटना, ढहना संरचना, रासायनिक आपदा, जैविक आपदा, रेडियोलॉजिकल आपदा, परमाणु आपदा,	100	9470002753	एसडीआरएफ कैंप लाई रोड एचपीसीएल बिहटा के पास, जिला - पटना - 801103 (बिहार)
171	Fire Extinguisher 20 lbs	आग, संक्षिप्त संरचना,	3	9470002753	एसडीआरएफ कैंप लाई रोड एचपीसीएल बिहटा के पास, जिला - पटना - 801103 (बिहार)
172	Heavy Duty work gloves	आग, दुर्घटनाएं (रेल, सड़क, वायु), डूबना / नाव पलटना, संरचना का ढहना,	8	9470002753	एसडीआरएफ कैंप लाई रोड एचपीसीएल बिहटा के पास, जिला - पटना - 801103 (बिहार)
173	Heavy Duty work gloves	आग, दुर्घटनाएं (रेल, सड़क, वायु), डूबना / नाव पलटना, संरचना का ढहना,	8	9470002753	एसडीआरएफ कैंप लाई रोड एचपीसीएल बिहटा के पास, जिला - पटना - 801103 (बिहार)
174	Knee Pad Cusion 1"	संक्षिप्त संरचना,	8	9470002753	एसडीआरएफ कैंप लाई रोड एचपीसीएल बिहटा के पास, जिला - पटना - 801103 (बिहार)
175	Knee Pad Cusion 1"	संक्षिप्त संरचना,	8	जिला विद्यालय भागलपुर	एसडीआरएफ कैंप लाई रोड एचपीसीएल बिहटा के पास, जिला - पटना - 801103 (बिहार)
176	Earplug	भूकंप, पतन संरचना,	100	9470002753	एसडीआरएफ कैंप लाई रोड एचपीसीएल बिहटा के पास, जिला - पटना - 801103 (बिहार)
177	Spray paint Orange	संक्षिप्त संरचना,	12	9470002753	एसडीआरएफ कैंप लाई रोड एचपीसीएल बिहटा के पास, जिला - पटना - 801103 (बिहार)
178	Paint brush 3'/4'	दुर्घटनाएँ (रेल, सड़क, वायु), पतन संरचना,	18	9470002753	एसडीआरएफ कैंप लाई रोड एचपीसीएल बिहटा के पास, जिला - पटना - 801103 (बिहार)

179	Hacksaw replacement blades 12" L	दुर्घटनाएँ (रेल, सड़क, वायु), पतन संरचना,	6	9470002753	एसडीआरएफ कैंप लाई रोड एचपीसीएल बिहटा के पास, जिला - पटना - 801103 (बिहार)
180	Hacksaw replacement blades 12" L	दुर्घटनाएँ (रेल, सड़क, वायु), पतन संरचना,	6	9470002753	एसडीआरएफ कैंप लाई रोड एचपीसीएल बिहटा के पास, जिला - पटना - 801103 (बिहार)
181	Safety vest	भूकंप, बाढ़, आग, चक्रवाती तूफान, दुर्घटनाएं (रेल, सड़क, वायु), डूबना / नाव पलटना, ढहना संरचना, रासायनिक आपदा, जैविक आपदा, रेडियोलॉजिकल आपदा,	30	9470002753	एसडीआरएफ कैंप लाई रोड एचपीसीएल बिहटा के पास, जिला - पटना - 801103 (बिहार)
182	Dust mask	भूकंप, बाढ़, आग, दुर्घटनाएं (रेल, सड़क, वायु), डूबना / नाव पलटना, संरचना का ढहना, रासायनिक आपदा, जैविक आपदा, रेडियोधर्मी आपदा, परमाणु आपदा,	100	9470002753	एसडीआरएफ कैंप लाई रोड एचपीसीएल बिहटा के पास, जिला - पटना - 801103 (बिहार)
183	Pry bar 6'	भूकंप, पतन संरचना,	11	9470002753	एसडीआरएफ कैंप लाई रोड एचपीसीएल बिहटा के पास, जिला - पटना - 801103 (बिहार)
184	File Flat 12 "	भूकंप, पतन संरचना,	6	9470002753	एसडीआरएफ कैंप लाई रोड एचपीसीएल बिहटा के पास, जिला - पटना - 801103 (बिहार)
185	File Flat 12 "	भूकंप, पतन संरचना,	6	9470002753	एसडीआरएफ कैंप लाई रोड एचपीसीएल बिहटा के पास, जिला - पटना - 801103 (बिहार)
186	Tin Snip 12"	भूकंप, बाढ़, पतन संरचना,	6	9470002753	एसडीआरएफ कैंप लाई रोड एचपीसीएल बिहटा के पास, जिला - पटना - 801103 (बिहार)
187	Tin Snip 12"	भूकंप, बाढ़, पतन संरचना,	6	9470002753	एसडीआरएफ कैंप लाई रोड एचपीसीएल बिहटा के पास,

					जिला - पटना - 801103 (बिहार)
188	Crow Bar 36"	आग, दुर्घटनाएं (रेल, सड़क, वायु), पतन संरचना,	10	9470002753	एसडीआरएफ कैंप लाई रोड एचपीसीएल बिहटा के पास, जिला - पटना - 801103 (बिहार)
189	Crow Bar 36"	आग, दुर्घटनाएं (रेल, सड़क, वायु), पतन संरचना,	10	9470002753	एसडीआरएफ कैंप लाई रोड एचपीसीएल बिहटा के पास, जिला - पटना - 801103 (बिहार)
190	Screw Driver Set	बाढ़, आग, दुर्घटनाएं (रेल, सड़क, वायु), पतन संरचना,	6	9470002753	एसडीआरएफ कैंप लाई रोड एचपीसीएल बिहटा के पास, जिला - पटना - 801103 (बिहार)
191	Screw Driver Set	बाढ़, आग, दुर्घटनाएं (रेल, सड़क, वायु), पतन संरचना,	6	9470002753	एसडीआरएफ कैंप लाई रोड एचपीसीएल बिहटा के पास, जिला - पटना - 801103 (बिहार)
192	Chisel for concrete 1/2"	भूकंप, बाढ़, पतन संरचना,	6	9470002753	एसडीआरएफ कैंप लाई रोड एचपीसीएल बिहटा के पास, जिला - पटना - 801103 (बिहार)
193	Plier 8"	भूकंप, आग, ढहने की संरचना,	4	9470002753	एसडीआरएफ कैंप लाई रोड एचपीसीएल बिहटा के पास, जिला - पटना - 801103 (बिहार)
194	Generator Portable 2500 W Kerosene fuel	भूकंप, दुर्घटनाएं (रेल, सड़क, वायु), पतन संरचना,	2	9470002753	एसडीआरएफ कैंप लाई रोड एचपीसीएल बिहटा के पास, जिला - पटना - 801103 (बिहार)
195	Bolt cutter 30"	भूकंप, दुर्घटनाएं (रेल, सड़क, वायु), पतन संरचना, भूकंप, दुर्घटनाएं (रेल, सड़क, वायु), पतन संरचना,	4	9470002753	एसडीआरएफ कैंप लाई रोड एचपीसीएल बिहटा के पास, जिला - पटना - 801103 (बिहार)
196	Bolt cutter 30"	भूकंप, दुर्घटनाएं (रेल, सड़क, वायु), पतन संरचना, भूकंप, दुर्घटनाएं (रेल, सड़क, वायु), पतन संरचना,	4	9470002753	एसडीआरएफ कैंप लाई रोड एचपीसीएल बिहटा के पास, जिला - पटना - 801103 (बिहार)
197	Chipping Hammer (1050 W. Lmp 280/mte)	भूकंप, दुर्घटनाएं (रेल, सड़क, वायु), पतन संरचना,	5	9470002753	एसडीआरएफ कैंप लाई रोड एचपीसीएल बिहटा के पास, जिला - पटना - 801103 (बिहार)

198	Rotary rescue saw petrol driven (100cc)	भूकंप, दुर्घटनाएं (रेल, सड़क, वायु), पतन संरचना,	8	जिला विद्यालय भागलपुर	एसडीआरएफ कैंप लाई रोड एचपीसीएल बिहटा के पास, जिला - पटना - 801103 (बिहार) टेलीफोन / फैक्स नंबर - 06115252028

स्रोत: बिहार राज्य आपदा संसाधन नेटवर्क

14.2 भागलपुर वार्ड संपर्क और संसाधन सूची (Bhagalpur Ward-Wise Resources and Contact List)

भागलपुर वार्ड संख्या 1:संपर्क और संसाधन सूची

क्र. सं.	विवरण	संपर्क के लिए नाम और पता	मोबाइल नं.
	महत्वपूर्ण व्यक्ति		
1	पार्षद	प्रीति देवी – महाशय ड्योढ़ी भागलपुर	7070205395
	भौतिक संसाधन		
1	टेंट हाउस	बनर्जी टेंट हाउस – ड्योढ़ी भागलपुर	9661033736
2	जनवितरण दुकान	प्रदीप मंडल – ड्योढ़ी भागलपुर	6205759488
3	सरकारी विद्यालय	प्राथमिक विद्यालय – ड्योढ़ी भागलपुर	
4	निजी विद्यालय	इंडियन पब्लिक विद्यालय – ड्योढ़ी भागलपुर	7947114929
5	खुला पार्क	महाशय ड्योढ़ी दुर्गास्थान भागलपुर	8869757666
	यांत्रिक संसाधन		
1	ट्रैक्टर - 4	प्रदीप मंडल – ड्योढ़ी भागलपुर	8789366992
2	जनरेटर सेट - 1	अशोक बनर्जी – ड्योढ़ी भागलपुर	7279951819
	निजी मानव संसाधन		
1	बिजली मिस्त्री	कन्हैया बनर्जी – ड्योढ़ी भागलपुर	8271626015
2	प्लम्बर मिस्त्री	कन्हैया बनर्जी – ड्योढ़ी भागलपुर	8271626015
3	राज मिस्त्री	सुमित ननन्द – ड्योढ़ी भागलपुर	9555575133
4	बढ़ई मिस्त्री	शर्मा जी – ड्योढ़ी भागलपुर	8054562783

भागलपुर वार्ड संख्या 2:संपर्क और संसाधन सूची

क्र. सं.	विवरण	संपर्क के लिए नाम और पता	मोबाइल नं.
	महत्वपूर्ण व्यक्ति		
1	पार्षद	सोनी देवी – गरखेड़ा चंपानगर भागलपुर	7488263022
	भौतिक संसाधन		
1	जनवितरण दुकान	विकी साव – चंपानगर भागलपुर	8651044559
2	दवा की दुकान थोक	अब्बास मेडिकल एजेंसी – चंपानगर भागलपुर	9801711275
3	सामुदायिक भवन	सही मस्जिद – ड्योढ़ी चंपानगर भागलपुर	9801711275
4	सरकारी विद्यालय	पीएस गरखेड़ा चंपानगर भागलपुर	
5	निजी विद्यालय	डॉन वास्को पब्लिक विद्यालय – चंपानगर भागलपुर	9308078937
6	सेवा समिति भवन	डॉन वास्को भवन – चंपानगर भागलपुर	9308078937
	यांत्रिक संसाधन		
1	जनरेटर सेट - 3	अमनदीप – चंपानगर भागलपुर	9031542022
	निजी मानव संसाधन		
1	बिजली मिस्त्री	असफाक चंपानगर भागलपुर	7352760383
2	प्लम्बर मिस्त्री	असफाक चंपानगर भागलपुर	7352760383
3	राज मिस्त्री	इजहर अंसारी चंपानगर भागलपुर	9934625570
4	बढ़ई मिस्त्री	जीवन चंपानगर भागलपुर	9934702565

भागलपुर वार्ड संख्या 3:संपर्क और संसाधन सूची

क्र. सं.	विवरण	संपर्क के लिए नाम और पता	मोबाइल नं.
	महत्वपूर्ण व्यक्ति		
1	पार्षद	गुलाम हैदर मोमिन टोला भागलपुर	8789630342
	भौतिक संसाधन		
1	जनवितरण दुकान	शेरशाह जनरल स्टोर – मोमिन टोला भागलपुर	8082444110
2	निजी पानी आपूर्तिकर्ता	वकार एक्वा – मोमिन टोला भागलपुर	8082126216
	यांत्रिक संसाधन		
1	ट्रैक्टर - 1	आसिफ गुलाम मोमिन टोला भागलपुर	9430311112
2	क्रेन	आसिफ गुलाम मोमिन टोला भागलपुर	9430311112
3	एम्बुलेंस	आसिफ गुलाम मोमिन टोला भागलपुर	9430311112
4	जनरेटर सेट	अकूब मियाँ – मोमिन टोला भागलपुर	9234922822
	निजी मानव संसाधन		
1	बिजली मिस्त्री	मुस्तफा–मोमिन टोला भागलपुर	9092229028
2	प्लम्बर मिस्त्री	मुस्तफा–मोमिन टोला भागलपुर	9092229028
3	राज मिस्त्री	अबरार मुन्ना मोमिन टोला भागलपुर	9931289022

भागलपुर वार्ड संख्या 4:संपर्क और संसाधन सूची

क्र. सं.	विवरण	संपर्क के लिए नाम और पता	मोबाइल नं.
	महत्वपूर्ण व्यक्ति		
1	पार्षद	मनीष कुमार – ऊंचा टोला भागलपुर	7004841367
	भौतिक संसाधन		
1	विवाह भवन	अनाथालय रोड भागलपुर	7003239391
2	टेंट हाउस	हरिओम टेंट हाउस – ऊंचा टोला भागलपुर	9061602089
3	जनवितरण दुकान	आयुष जनरल स्टोर – ऊंचा टोला भागलपुर	8082416162
4	दवा की दुकान थोक	मंजूबा मेडिकोज – ऊंचा टोला भागलपुर	7904162041
5	सामुदायिक भवन	अनाथालय भवन – ऊंचा टोला भागलपुर	8796017828
6	सरकारी विद्यालय	माध्यमिक विद्यालय – भावनगर भागलपुर	
7	निजी विद्यालय	अवंतिका विद्यालय – ऊंचा टोला भागलपुर	7004624765
8	सेवा समिति भवन	बाल विकास भवन – ऊंचा टोला भागलपुर	6205584188
	यांत्रिक संसाधन		
1	जनरेटर सेट - 4	आयुष कुमार – ऊंचा टोला भागलपुर	9140421673
	निजी मानव संसाधन		
1	बिजली मिस्त्री	आदिल नाथ – ऊंचा टोला भागलपुर	8002029627
2	प्लम्बर मिस्त्री	शरबत – ऊंचा टोला भागलपुर	9616105949
3	राज मिस्त्री	फंतुश राजा – ऊंचा टोला भागलपुर	9973630310
4	बढ़ई मिस्त्री	राजा यादव – ऊंचा टोला भागलपुर	7870543750

भागलपुर वार्ड संख्या 5:संपर्क और संसाधन सूची

क्र. सं.	विवरण	संपर्क के लिए नाम और पता	मोबाइल नं.
	महत्वपूर्ण व्यक्ति		
1	पार्षद	साहिन – फर्नीचर का कारखाना भागलपुर	9661652089
	भौतिक संसाधन		
1	जनवितरण दुकान	शबनम बानो – बुद्या काली मंदिर भागलपुर	8756023982
2	दवा की दुकान थोक	हसन एजेंसी – बुध काली मंदिर भागलपुर	9430011880
3	निजी विद्यालय	शिशु विद्या मंदिर – भागलपुर	9234762138
	यांत्रिक संसाधन		
1	जनरेटर सेट - 3	उज्जव कुमार – बुध काली मंदिर भागलपुर	7277144309
2	पानी टैंकर व क्षमता	उषा श्रीवास्तव – बुध काली मंदिर भागलपुर	8709754970
	निजी मानव संसाधन		
1	बिजली मिस्त्री	सुमन – बुढ़िया काली मंदिर भागलपुर	7570402804
2	प्लम्बर मिस्त्री	सुमन – बुढ़िया काली मंदिर भागलपुर	9835227716
3	राज मिस्त्री	गौरव शंकर – बुढ़िया काली मंदिर भागलपुर	9931228359
4	बढ़ई मिस्त्री	हुनर कुमार – बुढ़िया काली मंदिर भागलपुर	7935083610

भागलपुर वार्ड संख्या 6:संपर्क और संसाधन सूची

क्र. सं.	विवरण	संपर्क के लिए नाम और पता	मोबाइल नं.
	महत्वपूर्ण व्यक्ति		
1	पार्षद	मनोज पासवान, कुम्हार टोली रोड भागलपुर	8294813992
	भौतिक संसाधन		
1	विवाह भवन	माँ गौरी विवाह भवन कुम्हार टोली रोड भागलपुर	9934066518
2	टेंट हाउस	माँ गौरी विवाह भवन कुम्हार टोली रोड भागलपुर	9934066518
3	जनवितरण दुकान	आनन्द जे0 स्टोर कुम्हार टोली रोड भागलपुर	8235362988
4	दवा की दुकान थोक	पतंजली ओषधी विक्रेता स्टोर	9709920222
5	सामुदायिक भवन	माँ गौरी समुदायिक भवन कुम्हार टोली रोड भागलपुर	9955635301
6	सरकारी विद्यालय	भी0 आई0 पी0 सोसायटी विद्यालय कुम्हार टोली रोड भागलपुर	8252271389
	स्वास्थ्य सम्बन्धी संसाधन		
1	निजी चिकित्सा केंद्र	आरोग्य आयुर्वेदिक	76677089358
2	चिकित्सा दुकान	आरोग्य आयुर्वेदिक	76677089358
	यांत्रिक संसाधन		
1	ट्रैक्टर संख्या	चमन दास कुम्हार टोली रोड भागलपुर	7004950795
2	जनरेटर सेट	शरफर शिया	9934353272
	निजी मानव संसाधन		
1	बिजली मिस्त्री	तरूण तलवार	9934229236
2	राज मिस्त्री	कुशश मांझी	9006496141
3	बढ़ई मिस्त्री	सौदागर शर्मा	8403353917

भागलपुर वार्ड संख्या 7:संपर्क और संसाधन सूची

क्र. सं.	विवरण	संपर्क के लिए नाम और पता	मोबाइल नं.
	महत्वपूर्ण व्यक्ति		
1	पार्षद	नेजाहत अंसारी, चमार लेन, चम्पानगर	9576390309
	भौतिक संसाधन		
1	टेंट हाउस	दिगम्बर टेन्ट हाउस चमार लेन, चम्पानगर	7252808003
2	जनवितरण दुकान	विशु स्टोर चमार लेन, चम्पानगर	8407086042
3	सामुदायिक भवन	गंथा देवी सामुदायिक भवन चम्पानगर	6294484160
4	निजी विद्यालय	दिगम्बर जैन विद्यालय चम्पानगर भागलपुर	8507027474
5	रेन बसेरा	जैन रंग बसेरा चमार लेन, चम्पानगर	7050883655
6	खुला पार्क	जैन मंदिर पार्क चमार लेन, चम्पानगर	
7	सेवा समिति भवन	जैन सेवा समिति भवन चमार लेन, चम्पानगर	9430867228
	स्वास्थ्य सम्बन्धी संसाधन		
1	निजी अस्पताल	दस्तक नरसिंह होम चम्पानगर भागलपुर	7544936780
2	सरकारी चिकित्सा केंद्र	जैन चिकित्सालय चम्पानगर भागलपुर	7563967318
3	चिकित्सा दुकान	बनर्जी दवाखाना चमार लेन, चम्पानगर	8271178063
	यांत्रिक संसाधन		
1	एम्बुलेंस	दिपक जैन चमार लेन, चम्पानगर	9835452308
2	जनरेटर सेट	जैन मंदिर प्रसासक	9430542118

	निजी मानव संसाधन		
1	सरकारी डाक्टर	डॉ0 चाँदनी चमार लेन, चम्पानगर	9199524149
2	निजी डाक्टर	डॉ0 कलीम चमार लेन, चम्पानगर	6205491267
3	बिजली मिस्त्री	शस्त्री जैन चमार लेन, चम्पानगर	9504872836
4	प्लम्बर मिस्त्री	सुभाष चमार लेन, चम्पानगर	7004025328

भागलपुर वार्ड संख्या 8:संपर्क और संसाधन सूची

क्र. सं.	विवरण	संपर्क के लिए नाम और पता	मोबाइल नं.
	महत्वपूर्ण व्यक्ति		
1	पार्षद	मो0 जावीर अंसारी चुलहाय मोहमीन गली	9279909492
	भौतिक संसाधन		
1	विवाह भवन	जब्बार विवाह भवन गढ़कछारी लेन	9234893802
2	टेंट हाउस	गौकुल टेन्ट हाउस नरगा लेन कर्णगढ़	7739181492
3	सरकारी विद्यालय	प्राथमिक विद्यालय सी0 टी0 एस0 रोड कर्णगढ़	9801630541
4	निजी पानी आपूर्तिकर्ता	गोकुल पानी जोकूल नरण लेन कर्णगढ़	7903840225
5	खुला पार्क	चची पार्क कर्णगढ़ नरगा लेन	7646058044
	यांत्रिक संसाधन		
1	जे.सी.बी - 1	CTS नाथनगर में है।	9430028954
2	भारी - 6	CTS नाथनगर में है।	9430028954
3	एम्बुलेंस - 2	CTS नाथनगर में है।	9430028954
4	जनरेटर सेट	कन्टी जेनेरटर वाली नरगा रोड	9801636541
	निजी मानव संसाधन		
1	बिजली मिस्त्री	पवन अग्रवाल नरगा रोड	7004495094
2	प्लम्बर मिस्त्री	विकाश गढ़कछारी लेन	9570138733
3	राज मिस्त्री	तिस्ता	9234345619
4	बढ़ई मिस्त्री	श्याम शर्मा	6201071501

भागलपुर वार्ड संख्या 9:संपर्क और संसाधन सूची

क्र. सं.	विवरण	संपर्क के लिए नाम और पता	मोबाइल नं.
	महत्वपूर्ण व्यक्ति		
1	पार्षद	विभा देवी, दिन मो0 गली नाथनगर, भागलपुर	8271783273
	भौतिक संसाधन		
1	जनवितरण दुकान	पानवाले जे0 स्टोर, बेगु मांझी लेन नाथनगर, भागलपुर	9570761004
2	दवा की दुकान थोक	घोष मेडिकल इटी0एन0 घोष गली नाथनगर, भागलपुर	9661167099
3	सामुदायिक भवन	बंगाली समुदायिक भवन नाथनगर, भागलपुर	9470081719
4	निजी विद्यालय	Truth education school बेगु मांझी लेन	9576903690
5	सेवा समिति भवन	बंगाली सेवा समिति भवन घोष गली नाथनगर, भागलपुर	7079252590
	स्वास्थ्य सम्बन्धी संसाधन		
1	निजी अस्पताल	डॉ0 बनर्जी इटीएन घोष गली नाथनगर, भागलपुर	8935810831
	यांत्रिक संसाधन		
1	जनरेटर सेट	घोष जेनेरटर बाला घोष गली नाथनगर, भागलपुर	7050692583

	निजी मानव संसाधन		
1	बिजली मिस्त्री	चुम्बन अंसारी घोष गली नाथनगर, भागलपुर	8271579253
2	प्लम्बर मिस्त्री	इजहार घोष गली नाथनगर, भागलपुर	9162594103
3	राज मिस्त्री	फकीर घोष गली नाथनगर, भागलपुर	9122159022
4	बढ़ई मिस्त्री	वप्पा वनर्जी घोष गली नाथनगर, भागलपुर	8935810531

भागलपुर वार्ड संख्या 10:संपर्क और संसाधन सूची

क्र. सं.	विवरण	संपर्क के लिए नाम और पता	मोबाइल नं.
	महत्वपूर्ण व्यक्ति		
1	पार्षद	जीवन कुमार – नाथनगर भागलपुर	8507454358
	भौतिक संसाधन		
1	विवाह भवन	राज पैलेस – जैन मंदिर रोड भागलपुर	8407805315
2	जनवितरण दुकान	सुबोध साव – नाथनगर विषहरी स्थान भागलपुर	9995662512
3	निजी विद्यालय	कॉन्वेंट प्राथमिक विद्यालय	9337426727
	यांत्रिक संसाधन		
1	जनरेटर सेट	तवरेज आलम – नाथनगर भागलपुर	9931888327
	निजी मानव संसाधन		
1	बिजली मिस्त्री	तवरेज आलम – नाथनगर भागलपुर	9931888327
2	राज मिस्त्री	गुड्डू सिंह – नाथनगर भागलपुर	8676070812

भागलपुर वार्ड संख्या 11:संपर्क और संसाधन सूची

क्र. सं.	विवरण	संपर्क के लिए नाम और पता	मोबाइल नं.
	महत्वपूर्ण व्यक्ति		
1	पार्षद	सविता देवी – नसरतखानी नाथनगर भागलपुर	9239932661
	भौतिक संसाधन		
1	टेंट हाउस	आकाश टेंट हाउस – नसरतखानी नाथनगर भागलपुर	9006236113
2	जनवितरण दुकान	सुविधा जनरल स्टोर – नसरतखानी नाथनगर भागलपुर	7903280827
3	दवा की दुकान थोक	सावित्री मेडिकल स्टोर – नसरतखानी नाथनगर भागलपुर	9985262321
4	सामुदायिक भवन	काली मंदिर – नसरतखानी नाथनगर भागलपुर	9431296921
5	सरकारी विद्यालय	प्राथमिक विद्यालय काली मंदिर – नसरतखानी नाथनगर भागलपुर	
6	निजी विद्यालय	सावित्री विद्या विहार – नसरतखानी नाथनगर भागलपुर	7061617067
7	निजी पानी आपूर्तिकर्ता	सोनू कुमार – नसरतखानी नाथनगर भागलपुर	
8	खुला पार्क	नरसिंह पार्क	9931296921
	स्वास्थ्य सम्बन्धी संसाधन		
1	निजी चिकित्सा केंद्र	सुनील यादव – नसरतखानी नाथनगर भागलपुर	9835087014
	यांत्रिक संसाधन		
1	जनरेटर सेट	गुफ जी	9006236113
	निजी मानव संसाधन		
1	निजी डाक्टर	डॉ सुनील यादव – नसरतखानी नाथनगर भागलपुर	9835087014
2	राज मिस्त्री	गौतम कुमार – नसरतखानी नाथनगर भागलपुर	8709695478

भागलपुर वार्ड संख्या 12:संपर्क और संसाधन सूची

क्र. सं.	विवरण	संपर्क के लिए नाम और पता	मोबाइल नं.
	महत्वपूर्ण व्यक्ति		
1	पार्षद	सालेहा रानो, भगवान महावीर पथ कबीरपुर	7903058818
	भौतिक संसाधन		
1	विवाह भवन	राज पैलेश कबीरपुर रोड नाथनगर	8298466370
2	टेंट हाउस	कम्पनी टेन्ट हाउस महावीर पथ नाथनगर	9729710865
3	जनवितरण दुकान	मोकतार जे0 स्टॉर कुंडी टोला नाथनगर	8880562598
4	दवा की दुकान थोक	सहजाद मेडिकल एजेन्सी हाफिज गली	9534960819
5	सामुदायिक भवन	मकतब सामूदायिक भवन हाफिज गली	9955985540
6	सरकारी विद्यालय	प्रा0 वि0 कबीरपुर नाथनगर भागलपुर	9934995893
7	निजी विद्यालय	वाहा विकाश विद्यालय, कुंडी टोला भागलपुर	8298820402
8	निजी पानी आपूर्तिकर्ता	अकबर जयजय विद्यालय, कुंडी टोला भागलपुर	9113351587
9	रेन बसेरा	अल्पस्वंयक कलब विद्यालय, कुंडी टोला भागलपुर	8678856199
10	खुला पार्क	नरगा पार्क विद्यालय, कुंडी टोला भागलपुर	7004669192
11	सेवा समिति भवन	मकतब सेवा समिति भवन भागलपुर	7549807129
	स्वास्थ्य सम्बन्धी संसाधन		
1	निजी चिकित्सा केंद्र	सहज्जाद दवाखाना विद्यालय, कुंडी टोला भागलपुर	9507272367
2	चिकित्सा दुकान	सहज्जाद दवाखाना विद्यालय, कुंडी टोला भागलपुर	9507272367
	यांत्रिक संसाधन		
1	भारी वाहन	अदनान सैयद समिति भवन भागलपुर	9122954863
2	ट्रैक्टर - 2	अदनान सैयद समिति भवन भागलपुर	9122954863
3	जनरेटर सेट	अदनान सैयद समिति भवन भागलपुर	9709489371
	निजी मानव संसाधन		
1	सरकारी डाक्टर	डॉ0 अरसद खान समिति भवन भागलपुर	7061202193
2	निजी डाक्टर	डॉ0 बासिद खान समिति भवन भागलपुर	810268435
3	बिजली मिस्त्री	तबरेज आलम समिति भवन भागलपुर	7660847290
4	प्लम्बर मिस्त्री	बासर खान समिति भवन भागलपुर	7739023581
5	राज मिस्त्री	कखारी खान समिति भवन भागलपुर	7791827949

भागलपुर वार्ड संख्या 13:संपर्क और संसाधन सूची

क्र. सं.	विवरण	संपर्क के लिए नाम और पता	मोबाइल नं.
	महत्वपूर्ण व्यक्ति		
1	पार्षद	रंजीत कुमार कम्पनीबाग, नया टोला भागलपुर	9801339547
	भौतिक संसाधन		
1	विवाह भवन	बागवाज विवाह भवन कम्पनीबाग भागलपुर	9534598189
2	टेंट हाउस	बागवाज टेन्ट हाउस कम्पनीबाग भागलपुर	867682620
3	जनवितरण दुकान	भगत जेनरल स्टोर कम्पनीबाग भागलपुर	9852323779
4	दवा की दुकान थोक	आरीफ मेडिकल असानन्दपुर कम्पनीबाग भागलपुर	9835815143
5	सामुदायिक भवन	गाया समुदायिक भवन भाया गली	8271490049
6	सरकारी विद्यालय	एस0 एच0 विद्यालय असानन्दपुर कम्पनीबाग भागलपुर	9534960829
7	निजी विद्यालय	कॉनमेन्ट मायनोरीटी विद्यालय कम्पनीबाग भागलपुर	8298466370

8	निजी पानी आपूर्तिकर्ता	फवाद जल एन0 सी0 गली उर्दू बाजार लेन	8603609177
9	रेन बसेरा	कम्पनीबाग कलब असानन्दपुर	7764808659
	स्वास्थ्य सम्बन्धी संसाधन		
1	सरकारी अस्पताल	पी0 एच0 असानन्दपुर भागलपुर	7549911743
2	निजी चिकित्सा केंद्र	फातिया चिकित्सालय उर्दू बाजार लेन	8789394417
3	चिकित्सा दुकान	फातिया दवाखाना उर्दू बाजार लेन	8002559470
	यांत्रिक संसाधन		
1	जनरेटर सेट	फवाद जेनेरेटर उर्दू बाजार लेन	9934799049
	निजी मानव संसाधन		
1	सरकारी डाक्टर	डॉ0 कैयूम खान उर्दू बाजार लेन	9525807495
2	निजी डाक्टर	डॉ0 कैयूम खान उर्दू बाजार लेन	9525807495

भागलपुर वार्ड संख्या 14:संपर्क और संसाधन सूची

क्र. सं.	विवरण	संपर्क के लिए नाम और पता	मोबाइल नं.
	महत्वपूर्ण व्यक्ति		
1	पार्षद	अनिल कुमार पासवान, नया टोला लब्बू पासी लेन	9934392250
	भौतिक संसाधन		
1	विवाह भवन	अजहर विवाह भवन अजहर गली नया टोला	9955539941
2	टेंट हाउस	अजहर टेन्ट हाउस अजहर गली नया टोला	7209292620
3	जनवितरण दुकान	आमेर जे0 स्टोर अजहर गली नया टोला	840335917
4	दवा की दुकान थोक	मानव मेडिकल अजहर गली नया टोला	9835819553
5	सरकारी विद्यालय	माइनोरीटी प्रा0 वि0 कम्परीताश अजहर गली	7870309377
6	खुला पार्क	बी0 एस0 इ0 बी0 का पार्क असानन्दपुर भागलपरु	9279746264
	यांत्रिक संसाधन		
1	ट्रैक्टर संख्या	4 नाम न मालुम	7631530702
2	जनरेटर सेट	4 सुलेमान	809226735

भागलपुर वार्ड संख्या 15:संपर्क और संसाधन सूची

क्र. सं.	विवरण	संपर्क के लिए नाम और पता	मोबाइल नं.
	महत्वपूर्ण व्यक्ति		
1	पार्षद	एबुन निशा, उर्दू बाजार गली तातारपुर, भागलपुर	8340360818
	भौतिक संसाधन		
1	विवाह भवन	आशयान विभा भवन तातारपुर, भागलपुर	9431454699
2	टेंट हाउस	लक्की टेन्ट हाउस तातारपुर, भागलपुर	9162412883
3	जनवितरण दुकान	लक्की जेनरल स्टॉर तातारपुर, भागलपुर	8570406282
4	दवा की दुकान थोक	राय दास दवाखाना, गुप्ता पथ तातारपुर	9534661686
5	सामुदायिक भवन	मिस्त्री गली सामुदायिक भवन तातारपुर, भागलपुर	7739735411
6	सरकारी विद्यालय	प्रा0 वि0 उर्दू बाजार तातारपुर, भागलपुर	9097777473
7	सेवा समिति भवन	आश्याम सेवा समिति हुसैन लेन तातारपुर, भागलपुर	8709960997
	निजी मानव संसाधन		
1	बिजली मिस्त्री	इज्जत आलम तातारपुर, भागलपुर	930438823
2	प्लम्बर मिस्त्री	रघु दयाल तातारपुर, भागलपुर	8294541467
3	राज मिस्त्री	सिन्धु मिस्त्री तातारपुर, भागलपुर	9543631684

4	बढ़ई मिस्त्री	आमिर अंसारी तातारपुर, भागलपुर	8539068399

भागलपुर वार्ड संख्या 16:संपर्क और संसाधन सूची

क्र. सं.	विवरण	संपर्क के लिए नाम और पता	मोबाइल नं.
	महत्वपूर्ण व्यक्ति		
1	पार्षद	अमृता राज, लाल बाग कॉलोनी, उर्दू बाजार	9504347194
	भौतिक संसाधन		
1	जनवितरण दुकान	राजन दुकान रेकाबगंज, उर्दू बाजार भागलपुर	7903841200
	स्वास्थ्य सम्बन्धी संसाधन		
1	सरकारी अस्पताल	पी0 एच0 सी0 रेकाबगंज उर्दू बाजार भागलपुर	9431232641
	यांत्रिक संसाधन		
1	जनरेटर सेट	आलम अंसारी उर्दू बाजार भागलपुर	8873800888
2	पानी टैंकर व क्षमता	अकलू पिता महफुज अली उर्दू बाजार भागलपुर	8709310047
	निजी मानव संसाधन		
1	सरकारी डाक्टर	महरूफ आलम उर्दू बाजार भागलपुर	7488462367
2	निजी डाक्टर	महताब उर्दू बाजार भागलपुर	7050131786
3	बिजली मिस्त्री	दारूल उर्दू बाजार भागलपुर	920445532
4	प्लम्बर मिस्त्री	खान उलेना उर्दू बाजार भागलपुर	7004833321
5	राज मिस्त्री	हिन्दु रेहान उर्दू बाजार भागलपुर	6205955864
6	बढ़ई मिस्त्री	अली उर्दू बाजार भागलपुर	6202421848

भागलपुर वार्ड संख्या 17:संपर्क और संसाधन सूची

क्र. सं.	विवरण	संपर्क के लिए नाम और पता	मोबाइल नं.
	महत्वपूर्ण व्यक्ति		
1	पार्षद	अशोक कुमार पटेल, पुरानी सराय गली	9931825181
	भौतिक संसाधन		
1	विवाह भवन	सजदा विवह हाउस गोलाघाट मनदरोजा	9278384755
2	टेंट हाउस	साजिद टेन्ट हाउस गोलाघाट मनदरोजा	9801462912
3	जनवितरण दुकान	कसवा जे0 स्टोर गोलाघाट मनदरोजा	9122090601
4	दवा की दुकान थोक	सच्चिदा मेडिकल मंदरोजा	9122090601
5	सामुदायिक भवन	सामुदायिक भवन बूढ़ानाथ रोड मंदरोजा	7979770233
6	सरकारी विद्यालय	एच0 एस0 गंवरोजा भागलपुर	9031157661
7	निजी विद्यालय	एस0 के0 पी0 विद्या बिहार भागलपुर	9495059618
8	खुला पार्क	एस0 के0 पी0 पार्क एवं नगर निगम पार्क भागलपुर	9495059618
	यांत्रिक संसाधन		
1	एम्बुलेंस	एस0 के0 पी0 पार्क एवं नगर निगम पार्क भागलपुर	9495059618
2	जनरेटर सेट	अगरेन्द्र जी 4 सेट मंदरोजा भागलपुर	7979975102
3	पानी टैंकर व क्षमता	यकवीर आलम 10000 ली0 भागलपुर	9631686868
	निजी मानव संसाधन		
1	सरकारी डाक्टर	डॉ0 मूमिहाट वर्मा किलाघाट रोड	9304572232
2	निजी डाक्टर	डॉ0 वासिद वर्मा किलाघाट रोड	9931459833
3	बिजली मिस्त्री	चिलम मिस्त्री वर्मा किलाघाट रोड	7979975102
4	प्लम्बर मिस्त्री	चन्दू वर्मा किलाघाट रोड	9931867258

5	राज मिस्त्री	घनश्याम वर्मा किलाघाट रोड	9430542113
6	बढ़ई मिस्त्री	सोनू वर्मा किलाघाट रोड	9122555161

भागलपुर वार्ड संख्या 18:संपर्क और संसाधन सूची

क्र. सं.	विवरण	संपर्क के लिए नाम और पता	मोबाइल नं.
	महत्वपूर्ण व्यक्ति		
1	पार्षद	कुमकुम सच्चिदानन्द घाट रोड बुढ़ानाथ रोड	9472602070
	भौतिक संसाधन		
1	जनवितरण दुकान	जगरनाथ जे0 स्टोर कसवा गोलाघाट	8210934532
2	सामुदायिक भवन	रामदास सोनवर्षा लेन गोला घाट	9430667786
3	निजी विद्यालय	आर0 एन0 घोष स्कूल घोष गली	7050692582
	स्वास्थ्य सम्बन्धी संसाधन		
1	निजी अस्पताल	अपोलो हॉस्पिटल बुढ़ानाथ रोड भागलपुर	8809486079
2	निजी चिकित्सा केंद्र	अपोलो चिकित्साह बुढ़ानाथ रोड भागलपुर	9852082959
3	चिकित्सा दुकान	अपोलो चिकित्साह बुढ़ानाथ रोड भागलपुर	9852082959
	यांत्रिक संसाधन		
1	जनरेटर सेट	यादव जे0 बुढ़ानाथ रोड भागलपुर	9430953721
	निजी मानव संसाधन		
1	निजी डाक्टर	दारूल मियां बुढ़ानाथ रोड भागलपुर	8868986680
2	बढ़ई मिस्त्री	सकीचन शर्मा बुढ़ानाथ रोड भागलपुर	8832923071

भागलपुर वार्ड संख्या 19:संपर्क और संसाधन सूची

क्र. सं.	विवरण	संपर्क के लिए नाम और पता	मोबाइल नं.
	महत्वपूर्ण व्यक्ति		
1	पार्षद	प्रीति शेखर	9951902322
	भौतिक संसाधन		
1	जनवितरण दुकान	शगुन किराना स्टोर मंदरोजा चौक भागलपुर	7491902581
2	दवा की दुकान थोक	कविता मेडिकल मंदरोजा चौक भागलपुर	9431431190
3	सामुदायिक भवन	वर्नवाल भवन मंदरोजा चौक भागलपुर	7006343230
4	सेवा समिति भवन	श्याम साई मंदिर भवन मंदरोजा चौक भागलपुर	
	स्वास्थ्य सम्बन्धी संसाधन		
1	निजी अस्पताल	विहार होमिओ क्लीनिक मंदरोजा चौक भागलपुर	9431822676
2	चिकित्सा दुकान	शिवा वर्मा मंदरोजा चौक भागलपुर	9431822676
	निजी मानव संसाधन		
1	सरकारी डाक्टर	डॉ उर्मिला	7717791594
2	बढ़ई मिस्त्री	पंचम मामा	8204464853

भागलपुर वार्ड संख्या 20:संपर्क और संसाधन सूची

क्र. सं.	विवरण	संपर्क के लिए नाम और पता	मोबाइल नं.
	महत्वपूर्ण व्यक्ति		
1	पार्षद	सांडिल्या नंदिकेश, डी0 एन0 सिंह रोड भागलपुर	9546984171
	भौतिक संसाधन		
1	टेंट हाउस	चन्डी टेन्ट हाउस घोष लेन भागलपुर	9155690443
2	जनवितरण दुकान	उपेन्द्र स्टॉर, बागची रोड डी0 एन0 सिंह	8210737787
3	रेन बसेरा	कॉमन टॉल जगरनाथ लेन भागलपुर	9570690530
	यांत्रिक संसाधन		
1	जनरेटर सेट	आर्यन कुमार, उमाचरण लेन भागलपुर	8405952715
	निजी मानव संसाधन		
1	बिजली मिस्त्री	उमा झा0 बंशी झा लेन भागलपुर	8804952715
2	प्लम्बर मिस्त्री	बंशी झा0 बंशी झा लेन भागलपुर	7260849357
3	राज मिस्त्री	डोमन झा0 बंशी झा लेन भागलपुर	8084507625
4	बढ़ई मिस्त्री	जनार्दन झा0 बंशी झा लेन भागलपुर	7903121565

भागलपुर वार्ड संख्या 21:संपर्क और संसाधन सूची

क्र. सं.	विवरण	संपर्क के लिए नाम और पता	मोबाइल नं.
	महत्वपूर्ण व्यक्ति		
1	पार्षद	संजय कुमार सिन्हा महैश लेन बूढ़ानाथ	8340284843
	भौतिक संसाधन		
1	विवाह भवन	बूढ़ानाथ विवाह भवन महैश लेन बूढ़ानाथ	7261007458
2	टेंट हाउस	बूढ़ानाथ टेंट हाउस महैश लेन बूढ़ानाथ	6206383627
3	जनवितरण दुकान	शिवा जनरल स्टोर महैश लेन बूढ़ानाथ	7488007385
4	दवा की दुकान थोक	शिवम मेडिकल महैश लेन बूढ़ानाथ	7667371106
5	सामुदायिक भवन	बूढ़ानाथ महैश लेन बूढ़ानाथ	8828205228
6	सरकारी विद्यालय	प्राथमिक विद्यालय महैश लेन बूढ़ानाथ	
7	रेन बसेरा	बूढ़ानाथ मंदिर महैश लेन बूढ़ानाथ	9334725748
8	खुला पार्क	बूढ़ानाथ मंदिर परिसर महैश लेन बूढ़ानाथ	8340344969
9	सेवा समिति भवन	भोला सेवा समिति भवन महैश लेन बूढ़ानाथ	9798098618
	स्वास्थ्य सम्बन्धी संसाधन		
1	निजी चिकित्सा केंद्र	शिवा चिकित्सालय	9572382791
2	चिकित्सा दुकान	खालशा मेडिकल महैश लेन बूढ़ानाथ	6200155224
	यांत्रिक संसाधन		
1	जनरेटर सेट	मंदिर परिसर में महैश लेन बूढ़ानाथ	9693980070
	निजी मानव संसाधन		
1	निजी डाक्टर	डॉ कमला महैश लेन बूढ़ानाथ	8877691184
2	बिजली मिस्त्री	तरुण झा महैश लेन बूढ़ानाथ	9525707501
3	प्लम्बर मिस्त्री	पवन महैश लेन बूढ़ानाथ	9570676112
4	राज मिस्त्री	गोपाल महैश लेन बूढ़ानाथ	7870689123
5	बढ़ई मिस्त्री	शशिधर महैश लेन बूढ़ानाथ	9031113412

भागलपुर वार्ड संख्या 22:संपर्क और संसाधन सूची

क्र. सं.	विवरण	संपर्क के लिए नाम और पता	मोबाइल नं.
	महत्वपूर्ण व्यक्ति		
1	पार्षद	निशा दुबे – सीएमएस स्कूल के पीछे आदमपुर	9431266009
	भौतिक संसाधन		
1	विवाह भवन	आदमपुर भागलपुर	8335098434
2	टेंट हाउस	विशाल टेंट हाउस – आदमपुर भागलपुर	7078195134
3	दवा की दुकान थोक	डॉ रूपा चौधरी – आदमपुर भागलपुर	8409958798
4	सामुदायिक भवन	दीप प्रभा सिनेमा हॉल – आदमपुर भागलपुर	
5	सरकारी विद्यालय	सीएमएस स्कूल आदमपुर भागलपुर	
6	रेन बसेरा	केंद्र गृह–आदमपुर भागलपुर	7004661006
7	खुला पार्क	सैंडी परिसर – आदमपुर भागलपुर	
	स्वास्थ्य सम्बन्धी संसाधन		
1	निजी अस्पताल	डॉ विभा चौधरी नर्सिंग होम भागलपुर	9813077881
	यांत्रिक संसाधन		
1	जे.सी.बी - 3	अमर खेतान – भागलपुर	9955278631
2	भारी वाहन - 4	अमर खेतान – भागलपुर	9955278631
3	ट्रैक्टर - 4	अमर खेतान – भागलपुर	9955278631
4	क्रेन - 3	अमर खेतान – भागलपुर	9955278631
5	एम्बुलेंस - 4	अमर खेतान – भागलपुर	9955278631
	निजी मानव संसाधन		
1	सरकारी डाक्टर	प्रदीप सिंघानिया – भागलपुर	9713322420
2	बिजली मिस्त्री	अरबाज खान– भागलपुर	9346405231
3	प्लम्बर मिस्त्री	रियाज अहमद भागलपुर	8539865423
4	राज मिस्त्री	रियान भागलपुर	9709990150

भागलपुर वार्ड संख्या 23:संपर्क और संसाधन सूची

क्र. सं.	विवरण	संपर्क के लिए नाम और पता	मोबाइल नं.
	महत्वपूर्ण व्यक्ति		
1	पार्षद	रश्मि रंजन, राधारानी सिन्हा रोड भागलपुर	9430693421
	भौतिक संसाधन		
1	जनवितरण दुकान	ख्वाजा स्टोर रोड क्रॉस रोड भागलपुर	8670974321
2	दवा की दुकान थोक	हनुमान मेडिकल मुखर्जी रोड भागलपुर	9852469040
3	सामुदायिक भवन	शतीश सरकार भवन चर्च रोड भागलपुर	8364578134
4	सरकारी विद्यालय	प्राथमिक विद्यालय टी0 एन0 सिंह आलमपुर भागलपुर	9421283721
5	निजी विद्यालय	गौयर स्कूल महात्मा गांधी पथ भागलपुर	8292826285
6	खुला पार्क	अपोलो पार्क महात्मा गांधी पथ भागलपुर	6204139187

भागलपुर वार्ड संख्या 24:संपर्क और संसाधन सूची

क्र. सं.	विवरण	संपर्क के लिए नाम और पता	मोबाइल नं.
	महत्वपूर्ण व्यक्ति		
1	पार्षद	नुसरत, राय वहदूर पथ सकराज राय	9534889163
	भौतिक संसाधन		
1	जनवितरण दुकान	सादिका जे0 स्टॉर, कवाड़ी गली भागलपुर	9128375530
2	रेन बसेरा	राय बहादुर कलब सुकराज राय झा	7677389305
3	खुला पार्क	राय बहादुर पार्क सुकराज राय झा	9470652522
	यांत्रिक संसाधन		
1	जनरेटर सेट	राहुल कुम्हार सुकराज राय झा	8294906820
	निजी मानव संसाधन		
1	राज मिस्त्री	गौतम कुम्हार सुकराज राय झा	9155005306
2	बढ़ई मिस्त्री	भोला कुम्हार सुकराज राय झा	7544979561

भागलपुर वार्ड संख्या 25:संपर्क और संसाधन सूची

क्र. सं.	विवरण	संपर्क के लिए नाम और पता	मोबाइल नं.
	महत्वपूर्ण व्यक्ति		
1	पार्षद	गोविन्द्र बनर्जी, नवटोला छोटी खंजरपुर	8294940750
	भौतिक संसाधन		
1	विवाह भवन	काशी विवाह भवन नवटोला छोटी खंजरपुर	9771512780
2	टेंट हाउस	सूर्य टेन्ट नवटोला छोटी खंजरपुर	8084090229
3	जनवितरण दुकान	विरू जे0 स्टॉर मिस्त्री गली खंजरपुर	7995980292
4	सामुदायिक भवन	मिस्त्री समुदायिक भवन नवटोला छोटी खंजरपुर	8409823450
5	सरकारी विद्यालय	पी0 एस0 छोटी खंजरपुर नवटोला छोटी खंजरपुर	6206641372
6	निजी विद्यालय	झौवा कोठी प्र0 स्कूल नवटोला छोटी खंजरपुर	9534738341
	स्वास्थ्य सम्बन्धी संसाधन		
1	निजी अस्पताल	आमा हड्डा रोग विषेसज्ञ नवटोला छोटी खंजरपुर	9534889122
	यांत्रिक संसाधन		
1	ट्रैक्टर संख्या	जागरण मिस्त्री मकवरा खंजरपुर	9122941626
	निजी मानव संसाधन		
1	बिजली मिस्त्री	नम्रता लाला मकवरा खंजरपुर	8409908094
2	प्लम्बर मिस्त्री	गंगा लाल मकवरा खंजरपुर	9123463140
3	राज मिस्त्री	जूंगा राय मकवरा खंजरपुर	9852494911
4	बढ़ई मिस्त्री	राम हलवाई मकवरा खंजरपुर	6200900379

भागलपुर वार्ड संख्या 26:संपर्क और संसाधन सूची

क्र. सं.	विवरण	संपर्क के लिए नाम और पता	मोबाइल नं.
	महत्वपूर्ण व्यक्ति		
1	पार्षद	प्रीति देवी नंदलाल मिश्रा लेन तिलकामांझी	9939912661
	भौतिक संसाधन		
1	विवाह भवन	तिलक भवन नंदलाल मिश्रा लेन तिलकामांझी	8271138844
2	टेंट हाउस	सुविधा टेंट एवं केटरर नंदलाल मिश्रा लेन तिलकामांझी	9934830281
3	जनवितरण दुकान	अवनी स्टोर नंदलाल मिश्रा लेन तिलक मांझी	8935814949
4	दवा की दुकान थोक	गणेश पतंजलि जनरल स्टोर नंदलाल मिश्रा लेन तिलक मांझी	7739403514
5	सामुदायिक भवन	बीर कुमार भवन नंदलाल मिश्रा लेन तिलक मांझी	
6	निजी विद्यालय	बी. जे. इंटरनेशनल स्कूल	9661206370
7	निजी पानी आपूर्तिकर्ता	पप्पू यादव तिलक पंप नंदलाल मिश्रा लेन तिलक मांझी	8023800142
8	रेन बसेरा	मांझी भवन नंदलाल मिश्रा लेन तिलक मांझी	8863844791
9	खुला पार्क	मांझी पार्क नंदलाल मिश्रा लेन तिलक मांझी	7050189684
10	सेवा समिति भवन	मांझी सरदार भवन नंदलाल मिश्रा लेन तिलक मांझी	7549660044
	स्वास्थ्य सम्बन्धी संसाधन		
1	निजी अस्पताल	डॉ पंकज नर्सिंग होम नंदलाल मिश्रा लेन तिलक मांझी	9709884136
2	सरकारी चिकित्सा केंद्र	प्राकृतिक औषधालय नंदलाल मिश्रा लेन तिलक मांझी	9931681906
3	निजी चिकित्सा केंद्र	डॉ पंकज कुमार नंदलाल मिश्रा लेन तिलक मांझी	9470440330
4	चिकित्सा दुकान	तिलक औषधि केंद्र नंदलाल मिश्रा लेन तिलक मांझी	7050478436
	यांत्रिक संसाधन		
1	जे.सी.बी - 1	रोमा कक्कर बीनंदलाल मिश्रा लेन तिलक मांझी	8877327975
2	ट्रैक्टर - 2	दिव्यम यादव तिलक मांझी	8405913108
3	क्रेन - 1	सुदामा नंदलाल मिश्रा लेन तिलक मांझी	9162439521
4	जनरेटर सेट	महैश नंदलाल मिश्रा लेन तिलक मांझी	9932121719
	निजी मानव संसाधन		
1	सरकारी डाक्टर	डॉ रमन घोष	9279748505
2	निजी डाक्टर	डॉ स्वाति प्रिया	9771929945
3	बिजली मिस्त्री	महैश नंदलाल मिश्रा लेन तिलक मांझी	9932121719
4	प्लम्बर मिस्त्री	बबुआ मिस्त्री	7070910602
5	राज मिस्त्री	बौधि राम	9279242673
6	बढ़ई मिस्त्री	श्री कांत राम	7631463255

भागलपुर वार्ड संख्या 27:संपर्क और संसाधन सूची

क्र. सं.	विवरण	संपर्क के लिए नाम और पता	मोबाइल नं.
	महत्वपूर्ण व्यक्ति		
1	पार्षद	निकेश कुमार – बोसी रोड अलीगंज	8969681332
	भौतिक संसाधन		
1	विवाह भवन	पवन विवाह भवन – अलीगंज भागलपुर	9955524223
2	टेंट हाउस	पवन टेंट हाउस – अलीगंज भागलपुर	9955524223
3	जनवितरण दुकान	सुविधा जनरल स्टोर – अलीगंज भागलपुर	6205526937

4	दवा की दुकान थोक	मामा एजेंसी अलीगंज भागलपुर	6201316784
5	सरकारी विद्यालय	प्राथमिक विद्यालय – अलीगंज भागलपुर	
6	निजी विद्यालय	हंट मिशन स्कूल – अलीगंज भागलपुर	9631704679
7	निजी पानी आपूर्तिकर्ता	एक्वाफिना वाटर प्लांट – अलीगंज भागलपुर	7079479923
8	रेन बसेरा	बोसी रोड – अलीगंज भागलपुर	9372418924
9	खुला पार्क	कोल्ड स्टोर पार्क – अलीगंज भागलपुर	9960344115
10	सेवा समिति भवन	अमन सेवा समिति भवन – अलीगंज भागलपुर	9204294526
	स्वास्थ्य सम्बन्धी संसाधन		
1	सरकारी अस्पताल	प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र– अलीगंज भागलपुर	
2	सरकारी चिकित्सा केंद्र	डॉ सुबोध वर्मा – नर्सिंग होम अलीगंज भागलपुर	9503113856
	यांत्रिक संसाधन		
1	जनरेटर सेट - 6	सज्जाद – अलीगंज भागलपुर	9097791084
	निजी मानव संसाधन		
1	सरकारी डाक्टर	डॉ सुभाष आनंद अलीगंज भागलपुर	6206596687
2	निजी डाक्टर	अमन वर्मा – अलीगंज भागलपुर	7011365527
3	बिजली मिस्त्री	चंदन मेहता – अलीगंज भागलपुर	6204727228
4	प्लम्बर मिस्त्री	चंदन मेहता – अलीगंज भागलपुर	6204727228
5	राज मिस्त्री	सुगंधा – अलीगंज भागलपुर	8581939808
6	बढ़ई मिस्त्री	सुल्तान साह – अलीगंज भागलपुर	9113380393

भागलपुर वार्ड संख्या 28:संपर्क और संसाधन सूची

क्र. सं.	विवरण	संपर्क के लिए नाम और पता	मोबाइल नं.
	महत्वपूर्ण व्यक्ति		
1	पार्षद	साहिदा हॉउसिंग वार्ड कॉलोनी बरारी	9931463026
	भौतिक संसाधन		
1	विवाह भवन	क्रांति विवाह भवन विषहरि रोड बरारी	8757366623
2	जनवितरण दुकान	फौजी किराना दुकान मोदी लेन टेंपल गली	9939048179
3	दवा की दुकान थोक	नील मेडिसिंस बरारी	9122522218
4	सामुदायिक भवन	यादव भवन बरारी	7549045618
5	सरकारी विद्यालय	आर. एच. एम. टी. बी. हाई विद्यालय बरारी बी.जी.पी.	
6	निजी विद्यालय	बिरेंद्र अध्ययन केंद्र किड्स प्ले	9122435528
7	रेन बसेरा	बिंग माई फाउंडेशन बरारी	8986218926
8	सेवा समिति भवन	प्राइवेट क्लब बरारी	9798173995
	स्वास्थ्य सम्बन्धी संसाधन		
1	निजी अस्पताल	डॉ प्रभा वर्मा – सर्जिकल हॉउसिंग वार्ड	9504789304
	यांत्रिक संसाधन		
1	एम्बुलेंस	रानिश यादव 1 डॉइवर	9852028545
	निजी मानव संसाधन		
1	सरकारी डाक्टर	डॉ बाबा राय बरारी	9431277307
2	निजी डाक्टर	डॉ रम्मा सिन्हा बरारी	7004234511
3	बिजली मिस्त्री	गोलू राधा बरारी	9771603545
4	प्लम्बर मिस्त्री	गुण गुण बाबा बरारी	8340796576

5	राज मिस्त्री	गणेश राम बरारी	7992430295
6	बढ़ई मिस्त्री	श्रवण राम बरारी	8709850322

भागलपुर वार्ड संख्या 29:संपर्क और संसाधन सूची

क्र. सं.	विवरण	संपर्क के लिए नाम और पता	मोबाइल नं.
	महत्वपूर्ण व्यक्ति		
1	पार्षद	शिम्पी कुमारी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी भागलपुर	7320082638
	भौतिक संसाधन		
1	विवाह भवन	हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी बरारी भागलपुर	9122242563
2	टेंट हाउस	बरारी टेंट हाउस बरारी भागलपुर	7707016744
3	जनवितरण दुकान	सरकारी राशन एकन् बरारी भागलपुर	9798574641
4	सामुदायिक भवन	बरारी घाट समूदायिक भवन बरारी भागलपुर	9306378121
5	निजी विद्यालय	प्रेरणा पब्लिक विद्यालय बरारी भागलपुर	8446343964
6	निजी पानी आपूर्तिकर्ता	शुद्ध जल नीरज कुमार बरारी भागलपुर	8298865541
7	रेन बसेरा	धर्मशाला बरारी भागलपुर	9430196875
	स्वास्थ्य सम्बन्धी संसाधन		
1	सरकारी अस्पताल	प्राथमिक स्वास्थ केंद्र बरारी भागलपुर	
	निजी मानव संसाधन		
1	निजी डाक्टर	डॉ चंदन हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी भागलपुर	9097171837
2	बिजली मिस्त्री	रोहन यादव	9973294076
3	प्लम्बर मिस्त्री	गवरु डोम बरारी भागलपुर	8650088645
4	राज मिस्त्री	बम बम मांझी बरारी भागलपुर	8507664983
5	बढ़ई मिस्त्री	डून रॉय बरारी भागलपुर	7280069206

भागलपुर वार्ड संख्या 30:संपर्क और संसाधन सूची

क्र. सं.	विवरण	संपर्क के लिए नाम और पता	मोबाइल नं.
	महत्वपूर्ण व्यक्ति		
1	पार्षद	अभिषेक आनंद तुलसी नगर कॉलोनी	7982440408
	भौतिक संसाधन		
1	विवाह भवन	मुसहर विवाह भवन मुसहरी टोला	9431267915
2	टेंट हाउस	मुसहर टेंट हाउस मुसहरी टोला	8935868488
3	जनवितरण दुकान	कमल जनरल स्टोर अमला बासा केंद्रिकारा	8935868488
4	दवा की दुकान थोक	कोकिला मेडिकल आनंदगढ़ कॉलोनी	9431745324
5	सामुदायिक भवन	मुसहर सामुदायिक भवन काली स्थान	7870689123
6	सरकारी विद्यालय	महादलित टोला समिति जवारीपुर	
7	निजी विद्यालय	आशानंद पब्लिक स्कूल जवारीपुर भागलपुर	8294218385
8	निजी पानी आपूर्तिकर्ता	बरारी वाटर तुलसीनगर भागलपुर	8053367879
9	खुला पार्क	हवाई अड्डा तुलसीनगर भागलपुर	8538904159
10	सेवा समिति भवन	महादलित टोला समिति तुलसीनगर भागलपुर	6208311308
	स्वास्थ्य सम्बन्धी संसाधन		
1	निजी चिकित्सा केंद्र	महादलित चिकित्सालय जवारीपुर भागलपुर	9934748280
2	चिकित्सा दुकान	भागलपुर मेडिकल बरारी रोड भागलपुर	9576413200
	यांत्रिक संसाधन		

1	ट्रैक्टर संख्या	योगेंद्र यादव 2 ट्रैक्टर	8053367879
2	जनरेटर सेट	रमन यादव	9611865919
	निजी मानव संसाधन		
1	सरकारी डाक्टर	डॉ गोयनका रॉय तुलसीनगर भागलपुर	9973164153
2	निजी डाक्टर	डॉ अमित यादव	8804830643
3	बिजली मिस्त्री	चंदन यादव	6294484132
4	प्लम्बर मिस्त्री	गोकुल रॉय	8507027474
5	राज मिस्त्री	गौतम रॉय	7544936980
6	बढ़ई मिस्त्री	मजधर रॉय	7050660795

भागलपुर वार्ड संख्या 31:संपर्क और संसाधन सूची

क्र. सं.	विवरण	संपर्क के लिए नाम और पता	मोबाइल नं.
	महत्वपूर्ण व्यक्ति		
1	पार्षद	कुषमा देवी तिलका मांझी भागलपुर	8544036900
	भौतिक संसाधन		
1	विवाह भवन	कुंवर सिंह विवाह भवन तिलका मांझी भागलपुर	
2	टेंट हाउस	बजरंग टेंट हाउस तिलका मांझी भागलपुर	
3	जनवितरण दुकान	ममता पुष्पा जनरल स्टोर तिलका मांझी भागलपुर	9430672025
4	दवा की दुकान थोक	अभिलाषा मेडिकल एजेंसी तिलका मांझी भागलपुर	8639968604
5	सामुदायिक भवन	तिलका मांझी सामुदायिक भवन	9661033736
6	सरकारी विद्यालय	माध्यमिक विद्यालय तिलका मांझी भागलपुर	
7	निजी विद्यालय	अनुपम कौन्वेंट स्कूल तिलका मांझी भागलपुर	7870684196
8	निजी पानी आपूर्तिकर्ता	इंडियन फिना तिलका मांझी भागलपुर	9709266230
9	रेन बसेरा	सेंटर होम तिलका मांझी भागलपुर	9504069764
10	खुला पार्क	चिल्ड्रेन पार्क तिलका मांझी भागलपुर	9112035938
	स्वास्थ्य सम्बन्धी संसाधन		
1	निजी अस्पताल	आभा नर्सिंग होम तिलका मांझी भागलपुर	9027232131
2	निजी चिकित्सा केंद्र	संजीवनी आरोग्य चिकित्सालय तिलका मांझी भागलपुर	7277113145
3	चिकित्सा दुकान	संजीवनी आरोग्य मेडिकल तिलका मांझी भागलपुर	7277113145
	यांत्रिक संसाधन		
1	भारी वाहन	अमन वर्मा भागलपुर	9504096647
2	ट्रैक्टर संख्या	मुंगी यादव	6200936484
3	जनरेटर सेट	राजेश यादव 4 तिलका मांझी भागलपुर	8051678340
4	पानी टैंकर व क्षमता	घूर्वा यादव 2 , 20,000 लीटर तिलका मांझी भागलपुर	6204368420
	निजी मानव संसाधन		
1	सरकारी डाक्टर	विजय सिन्हा	7078195134
2	निजी डाक्टर	गौरव चौरसिया	8409958758
3	बिजली मिस्त्री	मिंडा मांझी	8409858887
4	प्लम्बर मिस्त्री	श्याम मांझी	9813077881
5	राज मिस्त्री	श्याम मांझी	9813077881
6	बढ़ई मिस्त्री	बोतला मांझी	8210591690

भागलपुर वार्ड संख्या 32:संपर्क और संसाधन सूची

क्र. सं.	विवरण	संपर्क के लिए नाम और पता	मोबाइल नं.
	महत्वपूर्ण व्यक्ति		
1	पार्षद	मीरा राय नावाब बाग कॉलोनी तिलका मांझी भागलपुर	8521180111
	भौतिक संसाधन		
1	जनवितरण दुकान	कविता जनरल स्टोर पुलिस लाइन रोड तिलका मांझी	8409524966
2	दवा की दुकान थोक	बर्नवॉल मेडिकल न्यू पुलिस लाइन रोड	8285468311
3	सामुदायिक भवन	कृष्णा सेवा सदन भागलपुर	
4	सरकारी विद्यालय	माध्यमिक विद्यालय नावाब बाग भागलपुर	
5	निजी विद्यालय	अर्नव बाबु साइंस पब्लिक स्कूल भागलपुर	7488379315
6	खुला पार्क	सैंडी कंपाउंड भागलपुर	
	यांत्रिक संसाधन		
1	जनरेटर सेट	2 उच्चेशर शाहू भागलपुर	9313281621
	निजी मानव संसाधन		
1	सरकारी डाक्टर	डॉ नवीन भागलपुर	9934715062
2	निजी डाक्टर	डॉ नंदकिशोर भागलपुर	7631330044

भागलपुर वार्ड संख्या 33:संपर्क और संसाधन सूची

क्र. सं.	विवरण	संपर्क के लिए नाम और पता	मोबाइल नं.
	महत्वपूर्ण व्यक्ति		
1	पार्षद	अफसाना	9473218585
	भौतिक संसाधन		
1	जनवितरण दुकान	7 टू 11 सुपर मार्केट	7462968945
2	दवा की दुकान थोक	रहमान मेडिकल हॉल	9801916101
3	निजी विद्यालय	माउंट अल्हीरा पब्लिक विद्यालय	9931694554
4	निजी विद्यालय	सुदर्शन पब्लिक स्कूल	7549813430
5	खुला पार्क	बरहापुरा ईदगाह के बगल में	
	स्वास्थ्य सम्बन्धी संसाधन		
1	निजी चिकित्सा केंद्र	निदान कुटीर डायबटिक डॉ मोहम्मद कामरान खान	9934554900
2	निजी चिकित्सा केंद्र	अदिब होमियोपैथिक क्लीनिक	6205837645
3	निजी चिकित्सा केंद्र	डॉ मोहम्मद बद्रुद्दीन	9570269283
4	चिकित्सा दुकान	समीर मेडिकल	9973602008
5	चिकित्सा दुकान	सादिया मेडिकल सेंटर	9934202260
	यांत्रिक संसाधन		
1	भारी वाहन	डब्लू डिपो	9204156959
	निजी मानव संसाधन		
1	निजी डाक्टर	डॉ इमरान	9304982964
2	निजी डाक्टर	डॉ रौनक राज	9973366323
3	बिजली मिस्त्री	हिंदुस्तान इलेक्ट्रॉनिक्स एवं हार्डवेयर	9431047350
4	बिजली	एन. के. इलेक्ट्रॉनिक्स	8406982654
5	हार्डवेयर	भरत हार्डवेयर	9308211399

भागलपुर वार्ड संख्या 34:संपर्क और संसाधन सूची

क्र. सं.	विवरण	संपर्क के लिए नाम और पता	मोबाइल नं.
	महत्वपूर्ण व्यक्ति		
1	पार्षद	बलिमा मदीना मस्जिद रोड भिखनपुर	9931208325
	भौतिक संसाधन		
1	जनवितरण दुकान	शादिक जे0 स्टोर गुमटी नं0 3 भिखनपुर	8903527341
2	दवा की दुकान थोक	शादिक मेडिकल गुमटी नं0 3 भिखनपुर	8903527341
3	सरकारी विद्यालय	प्राथमिक विद्यालय भिखनपुर भागलपुर	7205415080
4	निजी विद्यालय	New century school गुमटी नं0 3 भिखनपुर	9431222884
	स्वास्थ्य सम्बन्धी संसाधन		
1	निजी अस्पताल	ओ0 पी0 किलिनिक गुमटी नं0 3 भिखनपुर	9162413267
2	निजी चिकित्सा केंद्र	मनमोहक चिकित्सा केन्द्र भागलपुर	9852119530
3	चिकित्सा दुकान	मनमोहक चिकित्सा केन्द्र भागलपुर	9852119530
	यांत्रिक संसाधन		
1	जनरेटर सेट	अक्षर सेठ	9097308628
	निजी मानव संसाधन		
1	सरकारी डाक्टर	डॉ0 विन्द्रा	7488468786
2	निजी डाक्टर	डॉ0 सुमन	9962547841
3	बिजली मिस्त्री	भिखारी शरण	9431234560
4	प्लम्बर मिस्त्री	रावण शरन	9472886972
5	राज मिस्त्री	फनेश्वर	8271653984
6	बढ़ई मिस्त्री	रतन बढ़ाई	7870546731

भागलपुर वार्ड संख्या 35:संपर्क और संसाधन सूची

क्र. सं.	विवरण	संपर्क के लिए नाम और पता	मोबाइल नं.
	महत्वपूर्ण व्यक्ति		
1	पार्षद	उमेंश मंडल, बैंक गली पूर्वी भाग भीखनपुर	9570001101
	भौतिक संसाधन		
1	विवाह भवन	गियूत्रि विवाह भवन भीखनपुर	7549260151
2	टेंट हाउस	गियूत्रि विवाह टेन्स हाउस भीखनपुर	8986590718
3	जनवितरण दुकान	गोमति दकानदार भीखनपुर	8486590118
4	दवा की दुकान थोक	भागलपुर मेडिकल भीखनपुर	9471462271
5	सामुदायिक भवन	प्राइवेट समूदायिक भवन भीखनपुर	9234823779
6	सरकारी विद्यालय	प्राथमिक विद्यालय भिखनपुर भीखनपुर	
7	निजी विद्यालय	अनोखन ज्ञान स्कूल भीखनपुर	9931829707
	स्वास्थ्य सम्बन्धी संसाधन		
1	निजी अस्पताल	डॉ0 मनोज झा भीखनपुर	8271462271
2	निजी चिकित्सा केंद्र	सुरभि मेडिकल होम गुमटी नं0 2 भीखनपुर	8539026180
3	चिकित्सा दुकान	सुरभि मेडिकल होम गुमटी नं0 2 भीखनपुर	8539026180
	यांत्रिक संसाधन		
1	जनरेटर सेट	अरमान गुमटी नं0 2 भीखनपुर	9431615024
2	पानी टैंकर व क्षमता	डॉ0 मनोज 1000 ली0 गुमटी नं0 2 भीखनपुर	9631843710

	निजी मानव संसाधन		
1	सरकारी डाक्टर	डॉ0 विमा पाण्डेय गुमटी नं0 2 भीखनपुर	7250858908
2	निजी डाक्टर	डॉ0 विमा पाण्डेय गुमटी नं0 2 भीखनपुर	7250858908
3	बिजली मिस्त्री	सुचन सिन्हा गुमटी नं0 2 भीखनपुर	8676821220
4	प्लम्बर मिस्त्री	उच्चेसर गुमटी नं0 2 भीखनपुर	8084371028
5	राज मिस्त्री	पप्पु कु0 गुमटी नं0 2 भीखनपुर	8676974329
6	बढ़ई मिस्त्री	राखी गुमटी नं0 2 भीखनपुर	9552829621

भागलपुर वार्ड संख्या 36:संपर्क और संसाधन सूची

क्र. सं.	विवरण	संपर्क के लिए नाम और पता	मोबाइल नं.
	महत्वपूर्ण व्यक्ति		
1	पार्षद	अमित कुमार गंगा बनर्जी गली भागलपुर	9507424464
	भौतिक संसाधन		
1	जनवितरण दुकान	गिलहरी स्टोर गिरीश बनर्जी गली	9835452308
2	निजी विद्यालय	रामपुकार पब्लिक स्कूल बनर्जी गली भागलपुर	9430542118
3	रेन बसेरा	रिपब्लिक रैन बसेरा बनर्जी गली भागलपुर	7209413080
4	खुला पार्क	गैरम जरुआ खुला पार्क	8963527341
	निजी मानव संसाधन		
1	बिजली मिस्त्री	जस्सू भारती बनर्जी गली भागलपुर	9504872836
2	प्लम्बर मिस्त्री	संदीप भाष्कर बनर्जी गली भागलपुर	6205491267
3	राज मिस्त्री	विक्रम कुमार बनर्जी गली भागलपुर	9195324149
4	बढ़ई मिस्त्री	बालवीर बनर्जी गली भागलपुर	9835452308

भागलपुर वार्ड संख्या 37:संपर्क और संसाधन सूची

क्र. सं.	विवरण	संपर्क के लिए नाम और पता	मोबाइल नं.
	महत्वपूर्ण व्यक्ति		
1	पार्षद	बबीता देवी मुंडीचक डिक्शन रोड	7549626589
	भौतिक संसाधन		
1	जनवितरण दुकान	जानकी स्टोर जानकी रोड	7079290357
2	दवा की दुकान थोक	जानकी मेडिकल पटल बाबू रोड	7079290357
	स्वास्थ्य सम्बन्धी संसाधन		
1	निजी अस्पताल	महावीर चिकित्सालय मुंडीचक	6203326594
2	निजी चिकित्सा केंद्र	महावीर चिकित्सालय मुंडीचक	8051435337
	यांत्रिक संसाधन		
1	जनरेटर सेट	अशोक राय	8709930511
	निजी मानव संसाधन		
1	बिजली मिस्त्री	गोरख मिस्त्री	6203735063
2	प्लम्बर मिस्त्री	रेहान	8709824724
3	राज मिस्त्री	पलामू रमन	9334192842
4	बढ़ई मिस्त्री	बोतल राम	9431267915

भागलपुर वार्ड संख्या 38:संपर्क और संसाधन सूची

क्र. सं.	विवरण	संपर्क के लिए नाम और पता	मोबाइल नं.
	महत्वपूर्ण व्यक्ति		
1	पार्षद	अश्विनी जोशी मोंटी	9934740540
	भौतिक संसाधन		
1	विवाह भवन	भूधरमल धंदनिया धर्मशाला	7979903524
2	टेंट हाउस	भूधरमल धंदनिया धर्मशाला	7979903524
3	सामान्य भंडार	विकास जनरल स्टोर	9304709214
4	सामान्य भंडार	रूपेश जनरल स्टोर	7279912305
5	दवा की दुकान थोक	आत्माराम मेडिकल स्टोर	8969383743
6	सामुदायिक भवन	वृंदावन परिणय स्थल	0641-2421745
	स्वास्थ्य सम्बन्धी संसाधन		
1	निजी अस्पताल	आरोग्य दवाखाना	8986431506
2	निजी चिकित्सा केंद्र	महैश होमियो फार्मेसी	0641-2302004
3	चिकित्सा दुकान	महादेव होम्योफार्मेसी	8809174428
4	चिकित्सा दुकान	शिव शक्ति होमियो हॉल	8210655126
5	चिकित्सा दुकान	मां शारदा मेडिकल एजेंसी	7004576095
	निजी मानव संसाधन		
1	निजी डाक्टर	डॉ एम के दुर्रानी	9431210064
2	चिकित्सक	डॉ मनीष कुमार	8757206666
3	दंत चिकित्सा	डॉ अभिषेक सिन्हा	8757206666
4	निजी डाक्टर	डॉ मुश्ताक रहमान	9162504500
5	हार्डवेयर	रामोतर हार्डवेयर आइटम	9886251876
6	बिजली मिस्त्री	बिजय इलेक्ट्रिक कंपनी	9835473638
7	बिजली मिस्त्री	इलेक्ट्रिक मिस्त्री	8084266288

भागलपुर वार्ड संख्या 39:संपर्क और संसाधन सूची

क्र. सं.	विवरण	संपर्क के लिए नाम और पता	मोबाइल नं.
	महत्वपूर्ण व्यक्ति		
1	पार्षद	शाहीदा खातून शहबाज नगर मौलनाचक	9430275920
	भौतिक संसाधन		
1	जनवितरण दुकान	मौलनाचक जनरल स्टोर शहबाज नगर मौलनाचक	6203160940
2	दवा की दुकान थोक	मेडिकल शहबाज नगर मौलनाचक	8862936112
3	सामुदायिक भवन	सामुदायिक भवन मौलनाचक	7343874638
4	निजी विद्यालय	दिनी गंतव्य स्टेशन रोड	9430981496
5	रेन बसेरा	मौलनाचक मस्जिद शहबाज नगर मौलनाचक	9122238722
6	सेवा समिति भवन	मौलनाचक मस्जिद शहबाज नगर मौलनाचक	7349896971
	स्वास्थ्य सम्बन्धी संसाधन		
1	निजी अस्पताल	शहबाज खान अस्पताल शहबाज नगर मौलनाचक	9110971787
2	निजी चिकित्सा केंद्र	डॉ हामिद चिकित्सालय शहबाज नगर मौलनाचक	7079290357
	यांत्रिक संसाधन		
1	जनरेटर सेट	मस्जिद परिसर मौलनाचक मस्जिद शहबाज नगर	7285857767
	निजी मानव संसाधन		
1	निजी डाक्टर	मोलवीय जी शहबाज नगर मौलनाचक	9495059621

भागलपुर वार्ड संख्या 40:संपर्क और संसाधन सूची

क्र. सं.	विवरण	संपर्क के लिए नाम और पता	मोबाइल नं.
	महत्वपूर्ण व्यक्ति		
1	पार्षद	बदरूद्दीन, सहवाजनगर, भागलपुर	9931865355
	भौतिक संसाधन		
1	जनवितरण दुकान	के0भी0एस0 जे0 स्टोर सहवाजनगर, भागलपुर	9576413200
2	दवा की दुकान थोक	सचिन ड्रग्स हाउस सहवाजनगर, भागलपुर	9304085466
3	सामुदायिक भवन	सहताज नगर समूदायिक भवन भागलपुर	9934291999
	स्वास्थ्य सम्बन्धी संसाधन		
1	निजी अस्पताल	बिहार होमियो कितिनिक	9431872676
2	निजी चिकित्सा केंद्र	डॉ0 सहवाज अहमद सहवाजनगर भागलपुर	857699576
3	चिकित्सा दुकान	डॉ0 सहवाज अडिकल स्टोर सहवाजनगर, भागलपुर	857699576
	यांत्रिक संसाधन		
1	जनरेटर सेट	शबनम गियो सहवाजनगर, भागलपुर	9835144841
	निजी मानव संसाधन		
1	सरकारी डाक्टर	डॉ0 सहताज अहमद सहवाजनगर, भागलपुर	9065716234
2	बिजली मिस्त्री	फकीर अहमद सहवाजनगर, भागलपुर	9162569218
3	प्लम्बर मिस्त्री	बदरूद्दीन सहवाजनगर, भागलपुर	620831130
4	राज मिस्त्री	शुभम गिल सहवाजनगर, भागलपुर	8053367879

भागलपुर वार्ड संख्या 41:संपर्क और संसाधन सूची

क्र. सं.	विवरण	संपर्क के लिए नाम और पता	मोबाइल नं.
	महत्वपूर्ण व्यक्ति		
1	पार्षद	संध्या गुप्ता गौरी सिंह लेन भागलपुर	9609686811
	भौतिक संसाधन		
1	विवाह भवन	ठाकुर विवाह भवन ठाकुर प्रसाद लेन	9430666915
2	टेंट हाउस	बजरंग टेन्ट अलीगंज मिर्जान भागलपुर	7903329911
3	जनवितरण दुकान	अनाज थोक बिक्रेता अलीगंज भागलपुर	7667672636
4	दवा की दुकान थोक	शिप्ला दवा डीलर गौरी सिंह लेन	8804082436
5	निजी विद्यालय	बिलिएन्ट पब्लिक स्कूल ठाकुर प्र0 लेन	9430949787
6	निजी पानी आपूर्तिकर्ता	एकवा फिना जल अलिगंज भागलपुर	7033503066
7	रेन बसेरा	पब्लिक रैन बसेरा अलिगंज भागलपुर	7461845715
8	खुला पार्क	सदावहार पार्क अलिगंज भागलपुर	8340459191
9	सेवा समिति भवन	कायस्त सेवा समिति भवन अलिगंज भागलपुर	9033503067
	स्वास्थ्य सम्बन्धी संसाधन		
1	सरकारी अस्पताल	प्र0 स्वरूप केन्द्र अलिगंज भागलपुर	9973041387
2	निजी अस्पताल	डॉ0 बिजय नरसिंग होम अलिगंज भागलपुर	9431336661
3	चिकित्सा दुकान	डॉ0 बिजय चिकित्सालय अलिगंज भागलपुर	9431336661
	यांत्रिक संसाधन		
1	जे.सी.बी संख्या	1 जे0 सी0 बी0 डॉ0 लोहिया अलिगंज भागलपुर	853594776
2	भारी वाहन	1 भग्गु साव अलिगंज भागलपुर	9431612765
3	ट्रैक्टर संख्या	3 चौधरी साहैब अलिगंज भागलपुर	8780266075
4	जनरेटर सेट	दिनेश कु0	9097255160
5	पानी टैंकर व क्षमता	डॉ0 मनोज कु0 हजार ली0 अलिगंज भागलपुर	6202002421
	निजी मानव संसाधन		
1	सरकारी डाक्टर	डॉ0 अभिलाषा झा अलिगंज भागलपुर	9113777124
2	निजी डाक्टर	डॉ0 मेंहुल चौधरी अलिगंज भागलपुर	9570911377
3	बिजली मिस्त्री	अम्बिका प्रसाद अलिगंज भागलपुर	6200648625
4	प्लम्बर मिस्त्री	चन्द्रलोक साह अलिगंज भागलपुर	9430666996
5	राज मिस्त्री	प्रलोमन मिस्त्री अलिगंज भागलपुर	9234345619
6	बढ़ई मिस्त्री	सिकंदर जी अलिगंज भागलपुर	7004428647

भागलपुर वार्ड संख्या 42:संपर्क और संसाधन सूची

क्र. सं.	विवरण	संपर्क के लिए नाम और पता	मोबाइल नं.
	महत्वपूर्ण व्यक्ति		
1	पार्षद	सरयुग प्रताप साह कन्हैया टोला अलीगंज	9472154462
	भौतिक संसाधन		
1	जनवितरण दुकान	खुशी जनरल स्टोर कन्हैया टोला अलीगंज	9771595728
2	दवा की दुकान थोक	खुशी मेडिकर्ल	8789503211
3	सामुदायिक भवन	ठाकुरवारी मंदिर तेली लेन अलीगंज	8409138801
4	रेन बसेरा	हरिजन पार्क एवं बसेरा	9431259966
5	खुला पार्क	हरिजन पार्क	9431259966
6	सेवा समिति भवन	महादलित टोला समिति अलीगंज	9155208264

	निजी मानव संसाधन		
1	सरकारी डाक्टर	अनुप्रिया अलीगंज	8541978532
2	राज मिस्त्री	भारत भारती	9471464749
3	बढ़ई मिस्त्री	फागुण शमा	9431827493

भागलपुर वार्ड संख्या 43:संपर्क और संसाधन सूची

क्र. सं.	विवरण	संपर्क के लिए नाम और पता	मोबाइल नं.
	महत्वपूर्ण व्यक्ति		
1	पार्षद	अर्शदी बेगम अलीगंज बाई लेन भागलपुर	9304019518
	भौतिक संसाधन		
1	जनवितरण दुकान	टूल्लु रोशनचक अलीगंज भागलपुर	9546038972
2	सामुदायिक भवन	पासी सामुदायिक भवन अलीगंज भागलपुर	9097379944
3	सरकारी विद्यालय	प्राथमिक विद्यालय खरगधारी गली अलीगंज भागलपुर	
4	रेन बसेरा	पासीखाना अलीगंज भागलपुर	9204367740
5	खुला पार्क	करबतला अलीगंज भागलपुर	9263445452
6	सेवा समिति भवन	पासी क्लब अलीगंज भागलपुर	9031559395
	निजी मानव संसाधन		
1	बिजली मिस्त्री	रौनक पासी	9431292867
2	प्लम्बर मिस्त्री	डोमन पासी	7061617067
3	राज मिस्त्री	सौन्दर्य पासी	9531244556
4	बढ़ई मिस्त्री	बप्पा पासी	9934923662

भागलपुर वार्ड संख्या 44:संपर्क और संसाधन सूची

क्र. सं.	विवरण	संपर्क के लिए नाम और पता	मोबाइल नं.
	महत्वपूर्ण व्यक्ति		
1	पार्षद	कहकशा प्रवीण गंगटी रोड अलीगंज भागलपुर	9546382241
	भौतिक संसाधन		
1	विवाह भवन	वधु बालिका भवन पन्ना मिल रोड	7004021133
2	टेंट हाउस	वधु बालिका कन्हैया टोला	7004021133
3	जनवितरण दुकान	ट्विंकल जनरल अलीगंज लेन पन्ना	9430449015
4	सरकारी विद्यालय	एम. विद्यालय महैशपुर अलीगंज	7290047000
5	निजी विद्यालय	बचपन प्ले स्कूल महैशपुर अलीगंज	9608627789
	स्वास्थ्य सम्बन्धी संसाधन		
1	निजी अस्पताल	मोदी अस्पताल गुलाब दर्जी लेन	9608627789
2	चिकित्सा दुकान	उज्ज्वल भारती मेडिकल	7979738694
	निजी मानव संसाधन		
1	बिजली मिस्त्री	अनु चरण	8340509443
2	प्लम्बर मिस्त्री	रामचरण कुमार	8579823208
3	बढ़ई मिस्त्री	जालिम राणा	9113757471

भागलपुर वार्ड संख्या 45:संपर्क और संसाधन सूची

क्र. सं.	विवरण	संपर्क के लिए नाम और पता	मोबाइल नं.
	महत्वपूर्ण व्यक्ति		
1	पार्षद	धीरज कुमार पन्ना मिल रोड सिकंदरपुर	9661053376
	भौतिक संसाधन		
1	जनवितरण दुकान	सरकारी जनवितरण पन्ना मिल रोड सिकंदरपुर	7488468786
2	सरकारी विद्यालय	प्राथमिक विद्यालय न्यू कॉलोनी मिखनपुर	
3	निजी विद्यालय	इंडियन पब्लिक स्कूल मिखनपुर	9962547741
4	निजी पानी आपूर्तिकर्ता	रंजीत एक्वा सिकंदरपुर	9431234560
	यांत्रिक संसाधन		
1	जनरेटर सेट	रंजीत एक्वा सिकंदरपुर	9472886972
	निजी मानव संसाधन		
1	बिजली मिस्त्री	मोमिन अंसारी सिकंदरपुर	8271659984
2	प्लम्बर मिस्त्री	शमशेर अंसारी सिकंदरपुर	7870546732
3	राज मिस्त्री	शोला अंसारी सिकंदरपुर	9944066518
4	बढ़ई मिस्त्री	विकास शर्मा सिकंदरपुर	9799920222

भागलपुर वार्ड संख्या 46:संपर्क और संसाधन सूची

क्र. सं.	विवरण	संपर्क के लिए नाम और पता	मोबाइल नं.
	महत्वपूर्ण व्यक्ति		
1	पार्षद	रूपा देवी नयाचक पूर्वी भाग इशाकचक	9097365130
	भौतिक संसाधन		
1	जनवितरण दुकान	हुसैन जे0 स्टोर पूर्वी भाग इशाकचक	9097732015
2	सरकारी विद्यालय	उर्दू मध्य विद्यालय पूर्वी भाग इशाकचक	
3	खुला पार्क	हुसैन भलि पार्क पूर्वी भाग इशाकचक	6203942203
4	सेवा समिति भवन	मौलवी सेवा समिति भाग पूर्वी भाग इशाकचक	6908248066
	यांत्रिक संसाधन		
1	जनरेटर सेट	फवाद चौधरी पूर्वी भाग इशाकचक	8252415479
	निजी मानव संसाधन		
1	सरकारी डाक्टर	मो0 नकवी आलम पूर्वी भाग इशाकचक	9097732015
2	निजी डाक्टर	मो0 अली डॉ0 पूर्वी भाग इशाकचक	9122789364
3	बिजली मिस्त्री	फारूख साहब पूर्वी भाग इशाकचक	7979044531
4	प्लम्बर मिस्त्री	फातिया जिया पूर्वी भाग इशाकचक	7004496184
5	राज मिस्त्री	जीटर आलम	9709509404
6	बढ़ई मिस्त्री	धूंधर कुखारी	6202386613

भागलपुर वार्ड संख्या 47:संपर्क और संसाधन सूची

क्र. सं.	विवरण	संपर्क के लिए नाम और पता	मोबाइल नं.
	महत्वपूर्ण व्यक्ति		
1	पार्षद	नासरीन बेगम, नयाचक गली इशाकचक	7292952744
	भौतिक संसाधन		
1	दवा की दुकान थोक	गोसाई मेडिकल नयाचक गली इशाकचक	9534436105
2	सामुदायिक भवन	गोरख भवन नयाचक गली इशाकचक	7549224534
3	सरकारी विद्यालय	प्राथमिक विद्यालय नयाचक गली इशाकचक	8002628350
4	निजी पानी आपूर्तिकर्ता	शुद्ध जल नयाचक गली इशाकचक	9431059925
5	खुला पार्क	एच0 एस0 पार्क नयाचक गली इशाकचक	9472729881
	स्वास्थ्य सम्बन्धी संसाधन		
1	निजी अस्पताल	दिव्या नरसिंह होम नयाचक गली इशाकचक	9547099793
2	निजी चिकित्सा केंद्र	दिव्या मेडिकल नयाचक गली इशाकचक	9534606608
3	चिकित्सा दुकान	दिव्या दवाखाना नयाचक गली इशाकचक	9473424931
	निजी मानव संसाधन		
2	निजी डाक्टर	भावना झा नयाचक गली इशाकचक	7903719763
3	बिजली मिस्त्री	दिवाकर दत्ता नयाचक गली इशाकचक	9204677901
4	प्लम्बर मिस्त्री	दिपक नयाचक गली इशाकचक	9334192842
5	राज मिस्त्री	आशिश महतो नयाचक गली इशाकचक	9431059925
6	बढ़ई मिस्त्री	मनोज शर्मा नयाचक गली इशाकचक	9473424931

भागलपुर वार्ड संख्या 48:संपर्क और संसाधन सूची

क्र. सं.	विवरण	संपर्क के लिए नाम और पता	मोबाइल नं.
	महत्वपूर्ण व्यक्ति		
1	पार्षद	कुमारी कल्पना, नयाचक गली इशाकचक भागलपुर	8051774049
	भौतिक संसाधन		
1	विवाह भवन	कपूर विवाह भवन नयाचक गली इशाकचक भागलपुर	7004397702
2	टेंट हाउस	इशारा टेन्ट हाउस नयाचक गली इशाकचक भागलपुर	9431419223
3	जनवितरण दुकान	उत्तम किराना नयाचक गली इशाकचक भागलपुर	8605836997
4	दवा की दुकान थोक	हमदर्द दवाखाना नयाचक गली इशाकचक भागलपुर	7982784577
5	सामुदायिक भवन	सोराबती सामुदायिक भवन नयाचक गली इशाकचक भागलपुर	8863851098
6	सरकारी विद्यालय	एच0 एस0 इसाकचक भागलपुर	8677882524
7	निजी विद्यालय	मून विद्यालय नयाचक गली इशाकचक भागलपुर	6200851500
8	रेन बसेरा	ठाहरी सेवायान मध्य भाग मिर्जान भागलपुर	8873800888
9	खुला पार्क	सरकारी विद्यालय पार्क मिर्जान	8709318047
10	सेवा समिति भवन	छटपटी सेवा समिति छटपटी पोखर	7903719763
	स्वास्थ्य सम्बन्धी संसाधन		
1	सरकारी अस्पताल	पी0 एच0 सी0 कम्वलगंज, छटपटी पोखर	
2	निजी अस्पताल	बिहार कन्या म0 वि0 मिर्जान हाट	7488462367
3	निजी चिकित्सा केंद्र	अरमान चिकित्सा केन्द्र मिर्जान भागलपुर	6299713153
4	चिकित्सा दुकान	अरमान चिकित्सा केन्द्र मिर्जान भागलपुर	6299713153

	यांत्रिक संसाधन		
1	ट्रैक्टर संख्या	2 गोलक मंडल इशाकचक भागलपुर	9334192842
2	जनरेटर सेट	पिन्टु नयाचक गली इशाकचक भागलपुर	9534361055
	निजी मानव संसाधन		
1	सरकारी डाक्टर	डॉ0 उत्तम मिश्रा नयाचक गली इशाकचक भागलपुर	9162257224
2	निजी डाक्टर	डॉ0 मन्ना पोद्दार नयाचक गली इशाकचक भागलपुर	7549224534
3	बिजली मिस्त्री	बिमल झा नयाचक गली इशाकचक भागलपुर	8002628350
4	प्लम्बर मिस्त्री	अनिरूद्ध नयाचक गली इशाकचक भागलपुर	8082560379
5	राज मिस्त्री	आरिफ नयाचक गली इशाकचक भागलपुर	9547099793
6	बढ़ई मिस्त्री	चून्ना जिया नयाचक गली इशाकचक भागलपुर	9534606608

भागलपुर वार्ड संख्या 49: संपर्क और संसाधन सूची

क्र. सं.	विवरण	संपर्क के लिए नाम और पता	मोबाइल नं.
	महत्वपूर्ण व्यक्ति		
1	पार्षद	शशिकला देवी, कलमगंज पोखर मिर्जान	8084271515
	भौतिक संसाधन		
1	जनवितरण दुकान	जाहिदा जे0 स्टोर दक्षिण भाग मिर्जान	9155207155
2	दवा की दुकान थोक	जाहिदा दवाखाना उत्तर भाग मिर्जान	9155207155
3	निजी विद्यालय	ए0 टु जेट एडुकेनल विद्यालय भागलपुर	9430953721
4	खुला पार्क	गवरमेंन्ट पार्क विद्यालय भागलपुर	
	स्वास्थ्य सम्बन्धी संसाधन		
1	निजी चिकित्सा केंद्र	आयुष चिकित्सालय विद्यालय भागलपुर	8832923071
2	चिकित्सा दुकान	आयूष औषधालय विद्यालय भागलपुर	8868986080
	यांत्रिक संसाधन		
1	जनरेटर सेट	मिकटीम सिन्हा विद्यालय भागलपुर	8083880805
	निजी मानव संसाधन		
1	निजी डाक्टर	डॉ0 प्रमोद सिन्हा विद्यालय भागलपुर	8676974321
2	बिजली मिस्त्री	छोटा चूहा विद्यालय भागलपुर	9852469040
3	प्लम्बर मिस्त्री	सिया राम विद्यालय भागलपुर	8364578134
4	राज मिस्त्री	घोषी राम विद्यालय भागलपुर	9421283721
5	बढ़ई मिस्त्री	चारू मौलाना विद्यालय भागलपुर	8292826285

भागलपुर वार्ड संख्या 50: संपर्क और संसाधन सूची

क्र. सं.	विवरण	संपर्क के लिए नाम और पता	मोबाइल नं.
	महत्वपूर्ण व्यक्ति		
1	पार्षद	पंकज कुमार गुप्ता कमल नगर कॉलोनी	8084828881
	भौतिक संसाधन		
1	विवाह भवन	आश्रय विवाह भवन कमल नगर कॉलोनी	9431236661
2	टेंट हाउस	आकाश टेंट हाउस कमल नगर कॉलोनी	7033803066
3	जनवितरण दुकान	सुमन जनरल स्टोर मोहिद्दी नगर	7461845715
4	सामुदायिक भवन	पासी सामुदायिक भवन कमल नगर	8340957242
5	रेन बसेरा	काली मंदिर रैन बसेरा	8752667283
	यांत्रिक संसाधन		
1	ट्रैक्टर संख्या	कमल सरकार 3 ट्रैक्टर कमल नगर कॉलोनी	9431612765
	निजी मानव संसाधन		
1	सरकारी डाक्टर	डॉ हिमायल मोहिद्दी नगर भागलपुर	7033803066
2	निजी डाक्टर	डॉ सरोज राय मोहिद्दी नगर भागलपुर	7461845713
3	बिजली मिस्त्री	मिरवारी यादव मोहिद्दी नगर भागलपुर	9431236661
4	प्लम्बर मिस्त्री	शम्भू राय मोहिद्दी नगर भागलपुर	7033803068
5	राज मिस्त्री	श्रवण डोम मोहिद्दी नगर भागलपुर	8229033928
6	बढ़ई मिस्त्री	प्यारेलाल डोम मोहिद्दी नगर भागलपुर	9431862898

भागलपुर वार्ड संख्या 51: संपर्क और संसाधन सूची

क्र. सं.	विवरण	संपर्क के लिए नाम और पता	मोबाइल नं.
	महत्वपूर्ण व्यक्ति		
1	पार्षद	दिपिका कुमारी, अहमदाबाद, मिर्जान	9934825246
	भौतिक संसाधन		
1	विवाह भवन	सितलर विवाह भवन अहमदाबाद, मिर्जान	8304368334
2	टेंट हाउस	उत्तर टेन्ट हाउस अहमदाबाद, मिर्जान	9973727888
3	जनवितरण दुकान	जय गुरू किराना दुकान	9611865919
4	सामुदायिक भवन	माँ सितला सामूदायिक भवन मिर्जान	7250278734
5	सरकारी विद्यालय	प्राथमिक विद्यालय मिर्जान अहमदाबाद, मिर्जान	6206458071
6	निजी विद्यालय	विद्या पब्लिक स्कूल अहमदाबाद, मिर्जान	7352325032
7	रेन बसेरा	दुर्गा रेन बसेरा अहमदाबाद, मिर्जान	6201049099
	यांत्रिक संसाधन		
1	जनरेटर सेट	चरन दास अहमदाबाद, मिर्जान	9262701071
	निजी मानव संसाधन		
1	सरकारी डाक्टर	डॉ0 अभिनत सिंह	8521566467
2	निजी डाक्टर	डॉ0 ओम प्रकाश	7549901070
3	बिजली मिस्त्री	शियाराम	9934738659
4	प्लम्बर मिस्त्री	पंकज मिश्रा	8538904159
5	राज मिस्त्री	चन्दन साव	9973164153
6	बढ़ई मिस्त्री	चन्द्रीका प्रसाद	8804830643

14.3 जोखिम विशिष्ट सुरक्षा युक्तियाँ और जाँच सूचियाँ (Hazard Specific Safety Tips and Checklists)

1.) भूकंप (Earthquake)

भूकंप आमतौर पर कोई चेतावनी समय नहीं देता है।

भूकंप से पहले

- घर में ऐसे स्थानों की पहचान करें जो भूकंप के दौरान सुरक्षित स्थान प्रदान करे।
- संपर्क व्यक्ति/रिश्तेदार का पता और फोन नंबर परिवार के सभी सदस्यों के पास हो।
- मकान बनाते समय भूकंप प्रतिरोधी निर्माण अभ्यास का पालन करें।
- भूकंप सुरक्षा उपायों के साथ अपने घर को फिर से तैयार करने पर विचार करें नींव और भारी फ्रेम को मजबूत करने से आपका घर भूकंप प्रतिरोधी बन सकता है।
- किसी भी खतरे की स्थिति से बचने के लिए कच्चे भवनों को भी रेट्रोफिट और मजबूत किया जाए।
- इन चीजों को हमेशा रखें जैसे – बोतलबंद पेयजल, गैर–नाशयोग्य भोजन, प्राथमिक चिकित्सा किट, टॉर्च–लाइट और बैटरी एक निर्दिष्ट स्थान पर: परिवार के सदस्यों को बिजली, गैस आदि बंद करना सिखाएं।

भूकंप के दौरान

- खिड़कियों, शीशों और अन्य असुरक्षित भारी वस्तुओं से दूर हटें।
- यदि आप कच्चे घर में रह रहे हैं, तो खुले क्षेत्र में चले जाएं जहां कोई पेड़, बिजली या टेलीफोन तार न हो।
- एक टेबल या अन्य मजबूत फर्नीचर के नीचे जाएं, घुटने टेकें, या फर्श के करीब रहें। संतुलन के लिए फर्नीचर के पैर को पकड़ें।
- यदि आप बिस्तर पर है, तो वहीं रहें और अपने आप को तकिए और कंबल से ढक लें।
- दरवाजे के रास्ते पर खड़े न हों, दरवाजे टूट सकते हैं और गंभीर चोट लग सकती है।

अगर बाहर हैं

- इमारतों, स्ट्रीट लाइट और उपयोगिता तारों से दूर, खुले क्षेत्र में जाएं। खुले क्षेत्र में पहुंचने के बाद, कंपन बंद होने तक वहीं रहें।

- यदि आपका घर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है, तो आपको जाने से पहले खाना, पानी, दवा, अन्य आवश्यक वस्तुओं और महत्वपूर्ण दस्तावेजों को छोड़ दें।

  यदि चलती गाड़ी में हैं तो,
- इमारतों, ओवरपास, पेड़ों या तारों से दूर, खुले क्षेत्र में जाएं। रुके और वाहन में रहें। एक बार हिलना बंद हो जाने के बाद, सावधानी से आगे बढ़ें।
- भूकंप से क्षतिग्रस्त हुए पुल और रैंप से बचें।

भूकंप के बाद

भूकंप के बाद ध्यान रखने योग्य कुछ बातें यहां दी गई हैं।

- इसके बाद जो सावधानी आप प्रदर्शित करते हैं वह आपकी व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए आवश्यक हो सकती हैं।
- पहले झटके के बाद, अन्य झटकों के लिए तैयार रहें। हालांकि यह कम तीव्र हो सकते हैं, झटके के बाद अतिरिक्त नुकसान हो सकता है और कमजोर संरचनाओं को आसानी से नीचे ला सकता है।

2.) हीट वेव (गर्मी की लहर)

करने योग्य

- पर्याप्त पानी पिएं और खाना अपने साथ ले जाएं।
- पानी अपने पास रखें/भंडार करें।
- अग्रिम सूचना और सलाह के लिए रेडियो / टीवी /पब्लिक एड्रेस सिस्टम सुनें।
- अपने सिर को सीधी गर्मी से दूर रखें, कपड़े, छाता या चश्में का प्रयोग करें।
- सुबह काम खत्म करें या शाम के लिए छोड़ दें।
- हल्के कपड़े पहनें।

क्या न करें

- सीधी धूप में खड़े होने से बचें।
- लॉन्ग ड्राइव से बचें।

3.1) आग दुर्घटना

ऊँची आग

- यदि उपलब्ध हो तो निकटतम निकास के पास फायर अलार्म लगाएं, या दूसरों को चेतावनी देकर अलार्म बजाएं।
- अपने पीछे का दरवाजा बंद करते हुए, शांति से अपार्टमेंट छोड़ दें। चाबियाँ याद रखें।
- भवन को सीढ़ियों से ही छोड़ें, आग लगने पर लिफ्ट न लें।

  यदि निकास धुएं या आग से अवरुद्ध है
- शांत रहें और किसी के बचाव के लिए प्रतीक्षा करें।
- धुएं को बाहर रखने के लिए दरवाजे के नीचे की जगह में एक गीला तौलिया रखें।
- दरवाजा बंद रखो लेकिन ताला मत लगाओ।
- अगर दालान में धुआं नहीं है, तो दरवाजा छोड़ दें और बंद कर दें। जाने के लिए सीधे सीढ़ियों पर जाएं। लिफ्ट का प्रयोग कदापि न करें।

  अगर आपके अपार्टमेंट में धुआं है

- अगर नीचे आग नहीं है, तो खिड़की पर जाकर उसे खोलें। खुली खिड़की के पास रहें।
- धुएँ के नीचे फर्श पर रहें।
- फायर इमरजेंसी नंबर पर कॉल करें और पुलिस, एम्बुलेंस और अन्य आपातकालीन सेवाओं के साथ अपने टेलीफोन के पास चिपका दें और उन्हें बताएं कि आप धुएं में फंस गए हैं।
- अगर आपके पास बालकनी है और उसके नीचे आग नहीं है, तो बाहर निकल जाएं।
- खिड़की के बाहर एक चादर, तौलिया या कंबल लटकाएं ताकि लोगों को पता चले कि आप वहां है और मदद की जरूरत है, शांत रहें और किसी के बचाव के लिए प्रतीक्षा करें।

3.2) रसोई की आग

यह जानना महत्वपूर्ण है कि किस प्रकार का चूल्हा, गैस, बिजली और मिट्टी के तेल या जलावन लकड़ी का उपयोग किया जाता है।

रसोई में महत्वपूर्ण क्या करें:

- सुनिश्चित करें कि चूल्हे के पास खिड़की पर पर्दे पीछे की ओर बंधे हुए हैं और लौ या बर्नर पर नहीं उड़ेंगे।
- यह सुनिश्चित करने के लिए जांच करें कि आग प्रज्वलित नहीं हुई है और खाना पकाने के बाद भी गैस बर्नर को तुरंत बंद कर दिया गया है।
- रसोई में खाना बनाते समय हमेशा एक वयस्क मौजूद रहें। बच्चों को अकेले नहीं जाने दें।
- बालों को बांध कर रखें और खाना बनाते समय सिंथेटिक कपड़े न पहनें।
- पैनहैंडल्स को चूल्हे के बीच में मोड़ें और उन्हें घर के बच्चों के संपर्क से बाहर रखें।
- माचिस को बच्चों की पहुंच से दूर रखें।

महत्वपूर्ण क्या न करें:

- स्टोव के ऊपर कैबिनेट या अलमारियों में चीजें न रखें। छोटे बच्चे गलती से बर्नर चालू कर सकते हैं, आग लगा सकते हैं, पकड़ सकते हैं या आग लगा सकते है।
- खाना बनाते समय ढीले-ढाले कपड़े न पहनें और खाना बनाते समय चूल्हे के ऊपर न पहुंचें।
- स्टोव के पास ज्वलनशील वस्तुओं को ले जाने वाले स्प्रे के डिब्बे को स्टोर न करें।
- छोटे बच्चों को ओवन के खुले दरवाजे के पास न जाने दें। वे गर्मी से या दरवाजे पर या ओवन में गिरने से जल सकते हैं।
- गर्म रखने के लिए चूल्हे के सहारे न झुकें।
- कई उपकरणों या एक्सटेंशन वायर के साथ बिजली के आउटलेट को ओवरलोड न करें। तार या स्विच ज्यादा गरम हो सकते हैं और आग का कारण बन सकते हैं।
- तेल की आग बुझाने के लिए पानी का प्रयोग न करें। केवल बेकिंग सोडा, नमक या टाइट ढक्कन का ही प्रयोग करें। बेकिंग सोडा का डिब्बा हमेशा चूल्हे के पास रखें।

सामान्य सुझाव:

- लाइटर और माचिस बच्चों से दूर रखें।
- अग्निशमन सेवा का फोन नंबर टेलीफोन के पास जरूर रखें और सुनिश्चित करें कि परिवार में सभी के पास नंबर हो।

- अगर आपके कपड़ों में आग लगी हो तो कभी भी ना दौड़े और ''स्टॉप ड्रॉप–रोल'' करें।

4.) ठनका और गरज

- अपने घर के लिए आवश्यक बिजली के कंडक्टरों के बारे में सलाह के लिए किसी इलेक्ट्रिशियन से सलाह लें।
- ठनका हर साल कुछ लोगों की जान लेती है और कई लोगों को घायल करती है। आंधी–तूफान के दौरान ये सावधानियां बरतें।

अगर बाहर फंस गये

- पेड़ों के एक छोटे समूह के नीचे आश्रय न लें।
- यदि किसी सुरक्षित स्थान से दूर हैं तो झुकें (नीचे, पैर एक साथ), एक खोखले में, सिर / शरीर से धातु की वस्तुओं को हटा दें।
- हार्डटॉप (मेटल बॉडी वाले) वाहन या ठोस इमारत में सुरक्षित स्थान की तलाश करें लेकिन छोटे खुले ढांचे या फैब्रिक टेंट से बचें।
- यदि वाहन चलाते हैं, धीमा करते हैं या पेड़ों, बिजली लाइनों से दूर पार्क करते हैं, तो धातु से बने (हार्ड टॉप) वाहनों के अंदर या पक्के भवन में रहें, लेकिन किसी भी धातु के खंड को न छुएं।
- धातु की छड़, मछली पकड़ने की छड़, छतरियां आदि को न संभालें।
- धातु के खंभे, कपड़े के तार, बाड़ आदि से दूर रहें।
- साइकिल की सवारी न करें या खुले वाहनों पर यात्रा न करें।
- पानी में हो तो तुरंत पानी छोड़ दें।

यदि आप घर के अंदर हैं:

- आंधी आने से पहले, दरवाजे, खिड़की, रोशनदान आदि अच्छे से बंद कर दें और बिजली, रेडियो और टेलीविजन सेट की ओर ना जाए। कंप्यूटर मोडेम और पावर लीड को डिस्कनेक्ट करें।
- खिड़कियों, बिजली के उपकरणों, पाइपों और अन्य धातु से दूर चले जाएं (उदाहरण के लिए स्नान, हाथ बेसिन, शॉवर या अन्य बिजली के उपकरणों का उपयोग न करें)।
- लैंडलाइन फोन के इस्तेमाल से बचें। आपात स्थिति के दौरान, संक्षिप्त कॉल करें (किसी भी धातु, ईंट या कंक्रीट को न छुएं) और कंक्रीट या टाइल वाले फर्श पर नंगे पैर न खड़े हों।

5.) महामारी

- बीमार व्यक्ति घर पर रहें और लक्षणों के ठीक होने के बाद कम से कम 24 घंटे तक स्कूल / कार्यालय, समुदाय, सार्वजनिक स्थानों पर जाने से बचें।
- सांस की बीमारी वाले लोगों के निकट संपर्क से बचें।
- आंख, मुंह और नाक को छूने से बचें। रोगाणु अक्सर तब फैलते हैं जब कोई व्यक्ति कीटाणुओं से संक्रमित किसी चीज को छूता है और फिर अपने संवेदनशील शरीर के अंगों को छूता है।
- भरपूर नींद लें, शारीरिक रूप से सक्रिय रहें, खूब सारे तरल पदार्थ पिएं और पौष्टिक भोजन करें।
- अपने आसपास साफ–सफाई रखें और पानी एक जगह जमा न होने दें।
- बच्चों को शॉर्ट्स और आधी बाजू के कपड़े न पहनने दें।

- आपातकालीन प्रत्युत्तर के दौरान तैयार करने और सहायता करने के लिए स्थानीय समूहों के साथ रहें।
- हानिकारक कीटाणुओं से बचाने में मदद करने के लिए बार–बार हाथ धोएं।

6.) कोरोना

करने योग्य

- खांसते और छींकते समय मुंह और नाक को टिश्यू या रूमाल से ढंक लें।
- सेल्फ सैनिटाइजेशन बहुत जरूरी है।
- बाहर जाते समय फेस मास्क / फेस शील्ड का प्रयोग करें और किसी भी सार्वजनिक स्थान में प्रवेश करने से बचें।
- यदि आपको लगातार सूखी खांसी, थकान, बुखार और सांस लेने में कठिनाई जैसे कोरोना वायरस संक्रमण के लक्षण दिखाई देते हैं, तो तत्काल चिकित्सा सहायता लें।
- यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आए हैं जो COVID–19 के लिए सकारात्मक पाया गया है, तो अगले 14 दिनों के लिए खुद को अलग कर लें।
- यदि आप उस दौरान संक्रमण के लक्षण विकसित करना शुरू करते हैं, तो अगले 7 दिनों के लिए क्वारंटाइन में रहें। यदि वे बनी रहती है, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें।
- सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें और बेवजह बाहर न निकलें।
- बीमार व्यक्ति को बहुत सारे तरल पदार्थों से हाइड्रेटेड रखें, और व्यक्तिगत लक्षणों के लिए ओवर–द–काउंटर दवाओं का उपयोग करें।
- सरकार की सिफारिश और सुझाव के अनुसार टीका लगवाएं।

क्या न करें

- किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में न आएं जो बीमार हो या उसमें लक्षण दिखाई दे रहे हों।
- अपने शरीर के अंगों को अनावश्यक रूप से न छुएं।
- सर्दी, खांसी या फ्लू जैसे लक्षणों वाले किसी भी व्यक्ति के साथ निकट संपर्क से बचें।
- उचित सावधानी बरतें, अपने हाथ धोएं और नियमित रूप से साफ करें।
- अपनी आंख, मुंह और नाक को न छुएं। यदि आप वायरस के संपर्क में आए हैं, तो अपने चेहरे को छूने से यह आपके शरीर में प्रवेश कर सकता है।

7.) बाढ़

बुनियादी सुरक्षा सावधानियां बरतें

- नवीनतम मौसम की जानकारी और अचानक आई बाढ़ चेतावनियों के लिए रेडियो / टीवी सुनें। समाज तक जानकारी पहुंचाएं।
- एक आपातकालीन किट जिसमें शामिल हो, एक पोर्टेबल रेडियो / ट्रांजिस्टर, टॉर्च, अतिरिक्त बैटरी, आवश्यक दवाओं के साथ एक प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स, ओ.आर.एस, सूखे खाद्य पदार्थ, पीने का पानी, माचिस, मोमबत्तियां और अन्य आवश्यक वस्तुएं अपने पास रखें।
- अपनी नकदी, आभूषण, कीमती सामान, महत्वपूर्ण दस्तावेज आदि सुरक्षित स्थान पर रखें।
- बिजली और गैस कनेक्शन बंद कर दें।

बाढ़ के दौरानः

- अचानक आई बाढ़ में प्रवेश न करें। यह खतरनाक हो सकता है।
- सीवरेज लाइन, गटर, नालियां, पुलिया आदि से दूर रहें।
- सांपों से सावधान रहें। अचानक बाढ़ के दौरान सर्पदंश आम है।
- बिजली के खंभों और गिरी बिजली लाइनों से दूर रहें बिजली के झटके से बचने के लिए।
- गीले बिजली के उपकरणों का उपयोग न करें – उपयोग करने से पहले उनकी जांच कर लें।
- उबले और फिल्टर्ड पीने के पानी का इस्तेमाल करें।
- पानी का ठहराव वेक्टर / जलजनित रोगों को जन्म दे सकता है। बीमारी के मामले में चिकित्सा सहायता लें।
- ब्लीचिंग पाउडर और चूने का प्रयोग करें।

8.) सड़क दुर्घटनाएँ

सड़क दुर्घटनाओं के प्रमुख कारण और शमन उपाय इस प्रकार होने चाहिएः

- लापरवाही, थकान, शराब, नींद आदि की जाँच करना और दोषी पाए जाने पर जुर्माना लगाना चाहिए।
- व्यक्ति को हमेशा ड्राइविंग से पहले ब्रेक की विफलता, स्टीयरिंग सिस्टम, टायर फटने और प्रकाश व्यवस्था की जांच करनी चाहिए।
- चालकों और पैदल चलने वालों सहित अधिकांश सड़क उपयोगकर्ताओं द्वारा यातायात नियमों का उल्लंघन सड़क दुर्घटनाओं की सबसे बड़ी चिंताओं में से एक है, उन पर सख्ती से जुर्माना लगाया जाना चाहिए।
- विभाग को दोषपूर्ण डिजाइन जैसे अपर्याप्त दृष्टि दूरी, अनुचित वक्र डिजाइन, अनुचित यातायात नियंत्रण उपकरण और अनुचित प्रकाश व्यवस्था, विज्ञापन बोर्डों के अनुचित स्थान की जांच करनी चाहिए।
- सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) गतिविधियों के माध्यम से जनता के बीच जागरूकता पैदा करना चाहिए।

क्या न करें

- अत्यधिक गति से वाहन ना चलायें।
- यातायात नियमों का उल्लंघन ना करें।
- धुंध, धुआं और भारी वर्षा जो सामान्य दृश्यता को प्रतिबंधित करती हैं, ऐसे में ड्राइविंग से बचना चाहिए।
- शराब के नशे में वाहन ना चलायें, तथा समय–समय पर चालकों की इसके लिए उचित जांच की जानी चाहिए।

9.) भगदड़

- भीड़ प्रबंधन पर स्वयंसेवकों, पैरामेडिक्स और सुरक्षा कर्मियों को प्रशिक्षण दें, आगंतुकों की तलाशी कैसे करें, मेटल डिटेक्टर कैसे संचालित करें, और आत्मघाती हमलावरों की पहचान कैसे करें।
- आग की किसी भी आपदा से बचने के लिए उन्हें बीड़ी, सिगार, माचिस आदि की तलाशी लेने का आदेश दें।

- आस–पास के सभी अस्पतालों के लिए आपदा प्रोटोकॉल और मानक संचालन प्रक्रिया होना चाहिए।
- भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों की निगरानी और पता लगाने के लिए cctv से लैस केंद्रीय नियंत्रण कक्ष होना चाहिए।
- महत्वपूर्ण घोषणाएं करने के लिए माइक और पब्लिक एड्रेस सिस्टम होना चाहिए।
- किसी ईवेंट में एक से अधिक निकास प्रदान करें। प्रवेश और निकास के मार्ग अलग–अलग होने चाहिए।
- प्रवेश और निकास पर मजबूत लेकिन अस्थाई बैरिकेड्स होने चाहिए। (ताकि भीड़ के दौरान आप उन बैरिकेड्स को हटा सकें।)
- पोडियम / लिफ्ट / अस्थायी सीढ़ियों की भार वहन क्षमता से अधिक लोगों को अनुमति न दें।

आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में कहा गया है कि-

- संवेदनशील क्षेत्र में मानव और वाहनों के आवागमन को प्रतिबंधित कर सकते हैं।
- स्थानीय अधिकारियों को अपने क्षेत्र की सभी निर्माण परियोजनाओं में सुरक्षा मानकों को सुनिश्चित करना चाहिए। आखिरकार, मॉल और थिएटर में भी भगदड़ मच सकती है, और अगर उनके पास चौड़े दरवाजे, आग से बाहर निकलने आदि के लिए तंत्र नहीं है।
- सुरक्षा मानकों के संबंध में अपने कर्तव्यों की उपेक्षा करने वाले सरकारी अधिकारी / निजी कंपनियां को दंड मिलना चाहिए।

पुलिस अधिनियम 1861 और राज्य विशिष्ट नगर पुलिस अधिनियमः

- पुलिस के पास सार्वजनिक सभाओं और जुलूसों को विनियमित करने की शक्तियाँ। आयोजकों को लाइसेंस लेना होगा।
- पुलिस / अग्निशमन अधिकारी आपदाओं के दौरान बाधा डालने वाले व्यक्तियों / ढांचों को हटा सकते हैं।
- आयोजकों और प्रतिभागियों पर जुर्माना लगाया जा सकता है, यदि कोई होलिका दहन, पशु भगदड़, जश्न में फायरिंग आदि करता है।

10.) नाव डूबना

- प्रत्येक नाव पर सुरक्षित रूप से ले जा सकने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या नाव पर स्पष्ट रूप से अंकित होनी चाहिए।
- लकड़ी के जहाजों की हर 2 साल में पानी में जांच करनी चाहिए, जिसे प्रलेखित किया जाना चाहिए।
- स्टीयरिंग और प्रणोदन मशीनरी के बाहरी घटकों और शेल फिटिंग की भी पानी से जांच की जानी चाहिए।
- प्रत्येक यात्रा की शुरुआत में, मास्टर ऑपरेटर या चालक दल के किसी अन्य सदस्य को यात्रियों को सुरक्षा ब्रीफिंग देनी चाहिए। सुरक्षा ब्रीफिंग में बोर्ड पर आवाजाही, आपातकालीन प्रक्रियाओं, आपातकालीन निकास के स्थान, भंडारण और व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण जैसे लाइफ जैकेट और लाइफबॉय के उपयोग के बारे में शामिल होना चाहिए।

खोज और बचाव

- किसी भी त्रासदी के समय, स्थानीय स्वयंसेवी टीमों के अलावा, राज्य SDRF, NDRF बटालियन द्वारा समर्थित स्थानीय अधिकारियों द्वारा खोज और बचाव अभियान में सहायता प्रदान किया जाना चाहिए।
- स्थानीय रूप से प्रशिक्षित स्वयंसेवकों, पुलिस, होमगार्ड / SDRF की अच्छी तरह से प्रशिक्षित और सुसज्जित त्वरित प्रत्युत्तर टीमों को पूर्व–निर्धारित फेरी घाट या डॉकिंग बिंदुओं पर रखा जाना चाहिए ताकि त्वरित और प्रभावी बचाव अभियान चलाया जा सके।
- स्थानीय नाव संचालकों, घाट मालिकों, पंचायत राज संस्थाओं, ब्लॉक, जिला और राज्य जैसी सभी एजेंसियों द्वारा तैयार की गई नाव दुर्घटना प्रबंधन योजना में विस्तृत दिशा–निर्देश शामिल किया जाना चाहिए।
- स्थानीय लोगों से मिलकर प्रशिक्षित और सुसज्जित स्वयंसेवी टीमों का गठन उस क्षेत्र में किया जाना चाहिए जहां नावों का उपयोग अक्सर संचार और परिवहन के साधन के रूप में किया जाता है ताकि ऐसी त्रासदी के समय जल्दी और प्रभावी ढंग से प्रत्युत्तर दिया जा सके।

11.) सूखे की स्थिति

करने योग्य

- बहते पानी का उपयोग करने के बजाय फर्श को साफ करने के लिए गीले कपड़ों का उपयोग करें।
- जीवन शैली में जल संरक्षण प्रथाओं को अपनाएं। पानी के उपयोग पर सभी राज्य और स्थानीय प्रतिबंधों का पालन करें (भूजल का स्तर सूखे से भी प्रभावित होता है)।
- खेत के तालाब, सामुदायिक टैंक, वाटरशेड और पूल जैसी जल संचयन पद्धतियां जीवनरक्षक साबित हो सकती हैं।
- सूखा प्रतिरोधी / कम पानी की आवश्यकता वाली फसल किस्मों / पौधों का प्रयोग करना चाहिए।
- मिट्टी की नमी की रक्षा के लिए सूखा–सहिष्णु घास, झाड़ियाँ, पेड़ लगाएं।
- मिट्टी की नमी के संरक्षण, खरपतवारों को हटाने और मिट्टी की सतह की पपड़ी को तोड़ने के उपाय किए जाने चाहिए।

क्या न करें

- पेड़ और जंगल न काटें।
- छतों आदि पर एकत्रित वर्षा जल को व्यर्थ न बहाएं।
- तालाबों, एनीकटों, कुओं, टैंकों आदि जैसे पारंपरिक जल स्रोतों के साथ खिलवाड़ न करें।
- अधिक पानी की आवश्यकता वाले बीजों / फसलों का उपयोग न करें सुबह के समय फसलों की सिंचाई न करें।

14.4 मानचित्र (Maps)

सारणी 13.2.1 – भागलपुर

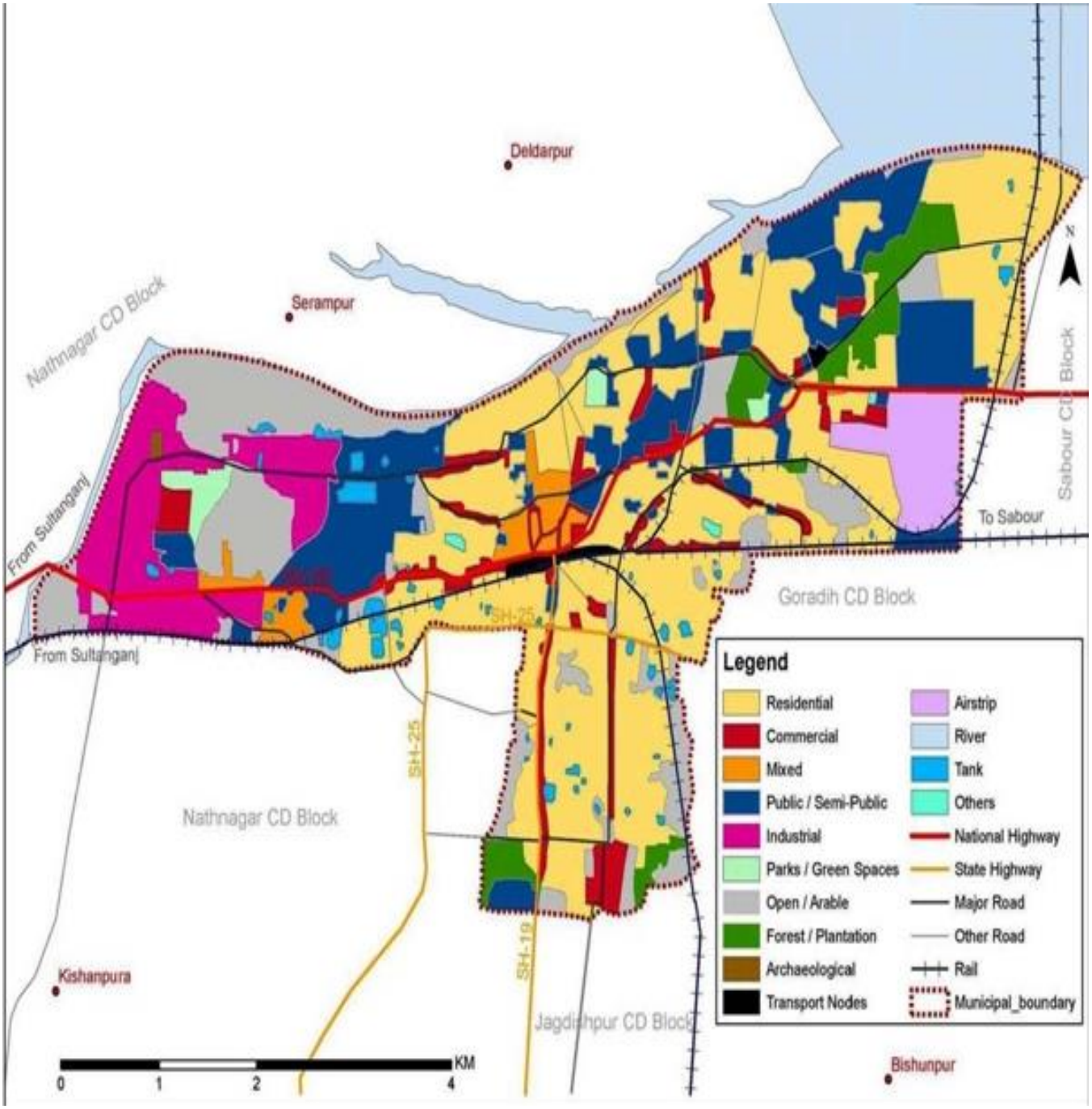

स्रोतः भागलपुर नगर निगम

सारणी 13.2.2: भागलपुर नगर

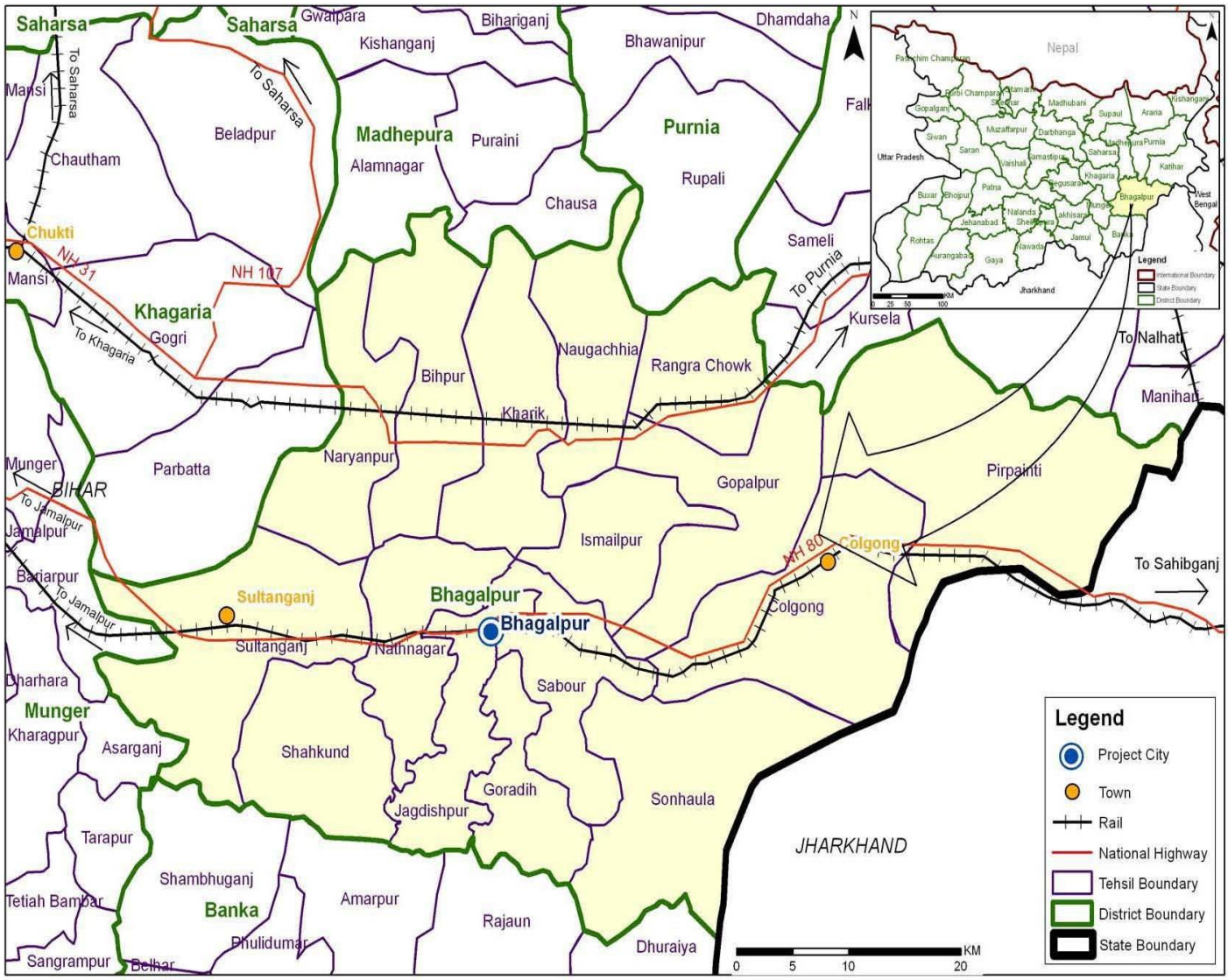

स्रोतः भागलपुर नगर विकास योजना (2010–2030)

14.5 संदर्भ (References)

- बिहार रोड मैप
- बिहार राज्य आपदा प्रबंधन योजना
- राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना 2019
- आपदा तैयारी और शमन के माध्यम से नगरी क्षेत्रों में जलवायु जोखिम प्रबंधन
- भागलपुर नगर की भूजल रिपोर्ट
- भागलपुर नगर की नगर विकास योजना
- भागलपुर नगर की आधारभूत पर्यावरण प्रोफाइल, पर्यावरणीय बेंचमार्क और जलवायु परिवर्तन भेद्यता रिपोर्ट
- भागलपुर नगर की स्वच्छता योजना
- खोज और बचाव और प्राथमिक उपचार पर गोताखोरों का प्रशिक्षण
- नगर आपदा प्रबंधन योजना की तैयारी

भागलपुर आपदा प्रबंधन प्लान तैयार करने हेतु फील्ड सर्वे तस्वीरेः—

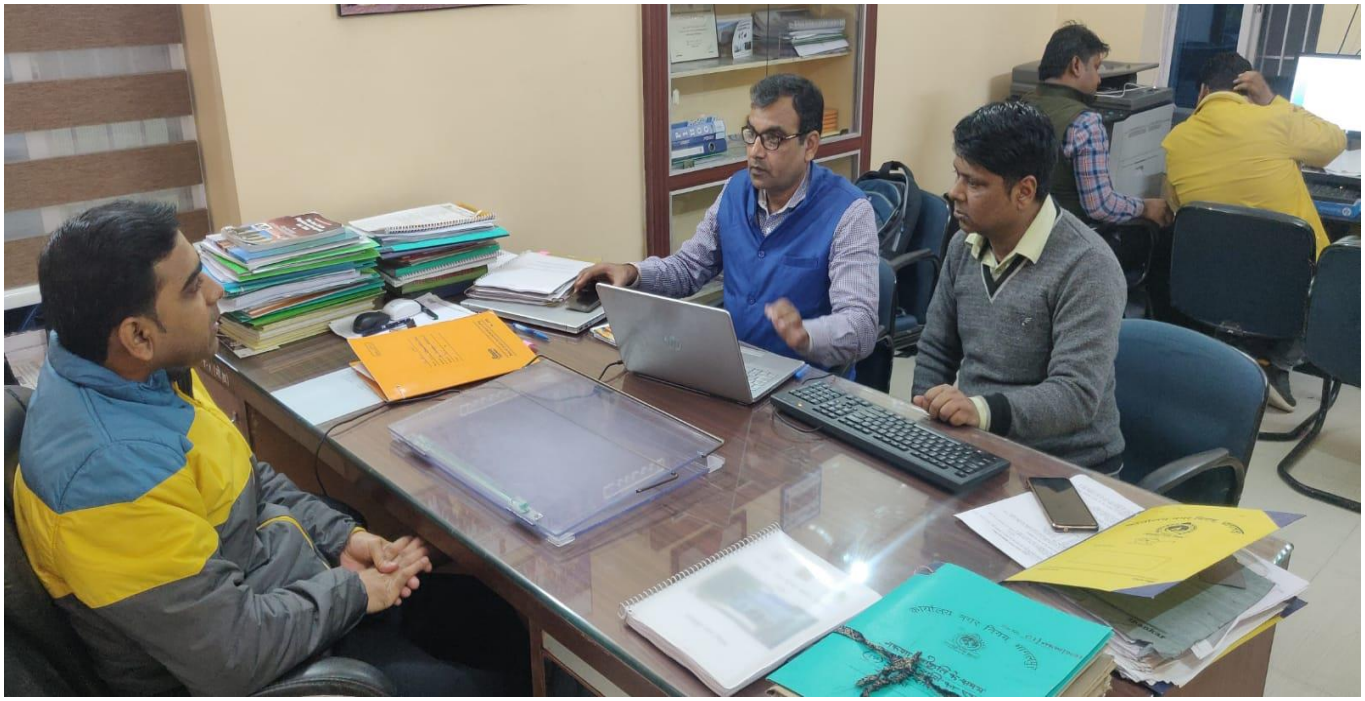

सभाकक्ष
नगर निगम भागलपुर

धन्यवाद...